56वीं वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

विश्व की एक अग्रणी कंपनी बनने के लिए तेजी से विस्तार

एम एम टी सी लि मि टे ड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी को खनिजों के सर्वाधिक निर्यात के लिए लगातार 26वां कैपेक्सिल पुरस्कार (केनालाईज्ड श्रेणी)

एमएमटीसी लिमिटेड भारत की अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनी है, जिसे 2015–16 और 2016–17 के लिए खनिज एवं अयस्क क्षेत्र में सरणीकृत एजेंसी के लिए कैपेक्सिल का सबसे अधिक निर्यात के लिए अवार्ड दिया गया है। एमएमटीसी को उच्चत्तम श्रेणी में कैपेक्सिल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड 26वीं (2016–17) बार मिला है।

विषय–सूची

कारपोरेट मिशन	01
कारपोरेट उद्देश्य	02
अध्यक्ष का वक्तव्य	04
निदेशक मंडल	07
निदेशकों की रिपोर्ट	09
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	20
सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट	28
कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	33
एमएमटीसी की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	48
सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर	70
सी एंड एजी की टिप्पणियां	73
दशक पर एक नजर	78
सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधतंत्र के उत्तर	83
एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण	98
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण	151
समेकित वित्तीय विवरण	169
एमएमटीसी के लेखा परीक्षक	240
एमएमटीसी के बैंकर्स	242
एमएमटीसी के कार्यालय	243

वाणिज्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कॉरपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कंपनी के उद्देश्य

विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना।

खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।

व्यावसायिकता और दक्षता के साथ सभी श्रेणी के लिए उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।

मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।

वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।

व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।

कार्य निष्पादन पर एक नजर

(रु. करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष	2019	2018	2017
कुल बिक्री	**28293**	15757	11593
जिसमें शामिल हैः-			
निर्यात	**1104**	1795	1580
आयात	**21625**	11878	8480
घरेलू व्यापार	**5564**	2084	1533
व्यापारिक लाभ	**474**	333	220
अन्य स्रोतों से आय	**21**	64	149
कर पश्चात लाभ	**82**	49	57
वर्ष की समाप्ति			
कुल परिसंपत्तियां	**4455**	5418	6078
शेयर पूंजी	**150**	100	100
नेटवर्थ	**1489**	1449	1434
प्रति शेयर (रुपए)			
अर्जन	**0.82**	0.49	0.57
लाभांश	**0.30**	0.30	0.30
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ (गुणा)	**9.93**	14.49	14.34
नियोजित पूंजी की तुलना में कर पश्चात लाभ (%)	**8.94**	5.79	8.36
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात् लाभ (%)	**5.51**	3.38	3.97
प्रति कर्मचारी बिक्री (रुपए)	**30.00**	14.11	9.46

अध्यक्ष का वक्तव्य

आपकी कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैश्विक वृद्धि में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं परंतु इसमें और सुधार होने की आवश्यकता है। अमेरिका तथा चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण विश्व व्यापार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है परंतु इस परिदृश्य में भारत जैसा देश विदेशी निवेश इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। भारत वर्ष 2018–19 में विश्व की तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दूसरी ओर विश्व की उत्पादन दर जो वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत थी वह वर्ष 2018 में घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई तथा वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यस्था मंदी एवं अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है तथा सरकार आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दृढसंकल्प है। इस दिशा में सरकार ने अनेक सुधारों की घोषणा की है ताकि अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर लाया जा सके। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भारत में अधिक निवेश होगा तथा आर्थिक विकास में तेजी आएगी। पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है अत: यह आवश्यक हो गया है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हम अपनी क्षमताओं में निरंतर सुधार करते रहें।

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का कार्यनिष्पादन

अब मैं आपके समक्ष आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने 28,292 करोड़ रुपए का व्यापारिक कारोबार किया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत अधिक है। आपकी कंपनी का यह कारोबार पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। साथ ही इस वर्ष का आयात कारोबार पिछले छः वर्षों के आयात कारोबार में सर्वाधिक है। घरेलू कारोबार ने भी नई ऊंचाइयों को छूआ है। इस वर्ष पीएटी भी वर्ष 2010–11 के बाद की अवधि में सबसे अधिक है। विभिन्न कठिनाईयों जैसे यूरिया के औसत मूल्य में कमी, कोल इंडिया द्वारा घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के कारण सरकारी पावर प्लांटों के लिए स्टीम कोल के आयात में कमी, लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध और कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर जारी प्रतिबंध इत्यादि के बावजूद कंपनी ने यह वृद्धि दर्ज की है। कंपनी को परिचालन से 474.30 रुपए का सकल लाभ हुआ है तथा वर्ष के दौरान इसे 81.43 करोड रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है जो पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है।

आपकी कंपनी ने दिनांक 31.3.2019 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी पर 30 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी पिछले साढ़े चार दशकों से अधिक समय से अपने शेयरधारकों को बिना किसी रुकावट के लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है। यह आपकी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

एमएमटीसी का प्रोन्नत प्रोजक्ट–नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

आपकी कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार और अन्य के सहयोग से संयुक्त रुप से स्थापित किए गए एनआईएनएल स्टील प्लांट ने अर्थव्यवस्था विशेषकर स्टील सेक्टर में आई मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 2025 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। ब्लास्ट फर्नेस का नवीकरण का कार्य किए जाने करने के कारण इसे कुछ महीनों के लिए बंद रखना पड़ा। जैसी

कंपनी को जुलाई 2019 में स्टेज–2 का फोरेस्ट क्लीयरेंस मिल गया है। ओडिशा सरकार द्वारा आबंटित की गई खदानों में जेवी कंपनी ने अगस्त 2019 में लौह अयस्क के उत्पादन संबंधी कार्य को पूरा कर लिया है जिसमें लौह अयस्क का खनन चालू वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में आरंभ होने का अनुमान है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच प्लांट की अवस्थापना के लिए नाल्को के साथ भी एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है। जेवी कंपनी–नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में आपकी कंपनी के इक्विटी स्टेक का डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

अन्य संयुक्त उपक्रमों / परियोजनाओं की प्रमुख बातें

जैसाकि आपको विदित है आपकी कंपनी ने मुक्त बाजार वातावरण में उभरते हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पीपीपी रूट के अंतर्गत कई संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

- पैम्प स्विटजरलैंड के साथ मिलकर स्थापित एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 के दौरान 47,610 करोड़ रुपए का कारोबार करते हुए 96 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। जेवी कंपनी ने उक्त वित्तीय वर्ष के लिए 70 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया है।

- 15 मेगावाट क्षमता का विंड मिल प्रोजेक्ट गजेन्द्रगढ, कर्नाटक में सफलतापूर्वक चल रहा है तथा इसने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 5.18 करोड़ रुपए का कारोबार करके 3.74 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है।

- आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बीएसई से 2 रुपए अंकित मूल्य (प्रति शेयर) के इक्विट शेयर पर 30 रुपए प्रति इक्विट शेयर की दर से लाभांश मिला है। आपकी कंपनी के पास इस प्रकार कुल 38961 इक्विटी शेयर हैं।

एमएमटीसी के परिचालन कार्य में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

ए) एनआईएनएल और अन्य संयुक्त उपक्रम जैसे एसआईओटीएल, आईसीएक्स और एफटीडब्ल्यूजेड परियोजनाओं में विनिवेश ।
बी) प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के लिए तीन कार्यालयों बेल्लारी(कर्नाटक), बड़बिल(ओडिशा) और गोवा कार्यालय को बंद करना।
सी)मैनपावर लागत में कमी लाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जा रही है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित अवॉर्ड प्राप्त हुए :–

- उत्पाद समूह–बेसिक आयरन एंड स्टील, विशाल प्रतिष्ठान का वर्ष 2017–18 के लिए स्टार परफार्मर के लिए ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड।

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान "सर्वाधिक ग्राहकों को गोल्ड की सप्लाई करने वाली बेस्ट एजेंसी" के लिए जीजेईपीसी द्वारा सम्मान।

- भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी को कार्यनिष्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एससी / एसटी उद्यमियों को दिए गए प्रोत्साहन के लिए मिनीरत्न (श्रेणी–1) में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कंपनी को वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान खनिजों और अयस्कों के लिए कैपक्सिल का सबसे बड़े निर्यातक का अवार्ड मिला है।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य है शेयर होल्डर मूल्य में कानूनी व नैतिक रुप से सतत आधार पर वृद्धि करना। एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस का ध्येय है कि प्रत्येक स्टेकहोल्डर – अपने ग्राहकों, निवेशकों, वेंडर–भागीदारों, समुदाय तथा उन देशों की सरकारें जिनमें हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना। हमारा विश्वास है कि निवेशक का विश्वास बढ़ाने तथा उसे कायम रखने के लिए उत्तम कारपोरेट गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमारी संस्कृति, हमारी नीतियों, स्टेकहोल्डर के साथ हमारे संबंध और मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तदनुसार हमारा सदा यह प्रयास रहता है कि हमारा कार्यनिष्पादन सत्यनिष्ठापरक रहे। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सभी सांविधिक कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन किया जाए। आपकी कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों, डीपीई के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 का अनुपालन किया है।

मानव संसाधन

मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे संस्था पोषित तथा प्रोत्साहित कर सकती है। यह ऐसा संसाधन है जो अन्य सभी संसाधनों की कमी होने पर भी उस कमी की पूर्ति कर सकता है। एमएमटीसी में अपेक्षित कौशल वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कार्य दक्षता तथा नैतिक मूल्य निर्माण पर बल दिया जाता है। हमारा ध्येय उच्च मूल्यों को बढ़ावा देना है ताकि कर्मचारी अपने कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता लाने के लिए पूरे प्रयास करे और स्टेकहोल्डर के मूल्य में अधिकतम वृद्धि हो सके। दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी में कुल कर्मचारी 950 थे जिसमें बोर्ड स्तर के फंक्शनल निदेशक भी शामिल हैं। तथापि नियमित रुप से सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों के कारण दिनांक 01.08.2019 को कर्मचारियों की संख्या 825 हो गई है जिसमें 373 अधिकारी और 452 स्टाफ कैडर के कर्मचारी शामिल हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए वीआरएस ला रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

एमएमटीसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में ध्यान रखना, साझा करना और प्रगति करते रहने की नीति को अपनाते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के

दिशा–निर्देशों के अनुसार कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व की प्रतिबद्धता तथा निरंतर प्रयास के तहत एमएमटीसी ने हेल्थकेयर, शिक्षा तथा पोषण को प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन, कौशल विकास आदि सीएसआर गतिविधियों के लिए वर्ष 2018–19 के लिए 1.25 करोड रूपए की राशि आबंटित की है। सीएसआर के अंतर्गत आबंटित बजट में से साठ प्रतिशत राशि नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों में खर्च की जाएगी।

नयी पहलें

नये उत्पादों और बाजारों पर बल देते हुए आपकी कंपनी ने कंडक्टर्स, केबल्स तथा ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति के लिए सहयोगी निर्माताओं का एक पैनल बनाया है। साथ ही इसने इंजीनियरिंग माल की आपूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों की कुछ निविदाओं में भी भाग लिया है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने माइनर मिनरल्स, इंजीनियरिंग माल के व्यापार, धातु स्क्रैप के आयात, ई–बाजार के माध्यम से सोने के सिक्कों की ऑनलाईन बिक्री, भारत सरकार के स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए सोने का ई–ऑक्शन, सौर्य सिल्वरप्लेयर, मेढ़ालियन और आभूषण की बिक्री के लिए नए शोरूम खोलना तथा फ्रेंचाइजीज शुरू करना और एमएसएमई श्रेणी के तहत आभूषण निर्यातकों की सहायता आदि के लिए नई पहल की है।

भावी संभावनाएं

आपकी कंपनी का प्रयास रहता है कि यह अपना व्यवसाय नैतिकतापरक, लाभार्जन तथा सतत लागत सुधार पर बल देते हुए करे। इन भारत सरकार की ओर से दालों और उर्वरकों का आयात भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा वैश्विक दोनों क्षेत्रों में मौजूदा उत्पाद शृंखला के लिए नए बाजार खोजना तथा नए उत्पादों के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना है।

आभार

आपकी मिनी रत्न कंपनी की गत वर्षों की शानदार यात्रा में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि आपके निवेश पर आपको मिलने वाले रिटर्न में वृद्धि हो। साथ ही यह यात्रा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सुखद व संतोषजनक रही है। शेयरहोल्डर्स ने कंपनी के प्रति निरंतर अपना दृढ़ एवं पक्का विश्वास बनाए रखा इसके लिए मैं बोर्ड की ओर से उनके प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। एमएमटीसी नई यात्रा की ओर अग्रसर है और आशा करता हूं कि हमारे इस प्रयास में आपका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। अंत में, मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से केन्द्र सरकार के विभागों विशेषकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों, रेगुलेटरी तथा सांविधिक प्राधिकरण और विभिन्न पोर्ट अथारिटियों का आपकी कंपनी को इसके प्रयासों में निरंतर मिले सहयोग एवं सहायता के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा, इस अवसर पर मैं अपने सम्मानित ग्राहकों, व्यवसाय सहयोगियों तथा सभी स्टेकहोल्डर्स का भी आभारी हूं कि उन्होंने कंपनी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा तथा विकास कार्यों में उन्होंने निरंतर सहयोग एवं समर्थन दिया।

धन्यवाद एवं जय हिंद ।

वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
30.09.2019

निदेशक मंडल

वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुनील कुमार
अपर सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डा. एस. सी. पाण्डे
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(30.6.2019 तक)

शशांक प्रिय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(19.8.2019 से)

फंक्शनल निदेशक

पी. के. जैन
निदेशक (विपणन)
(14.5.2018 तक)

अश्वनी सौंधी
निदेशक (विपणन)

टी. के. सेनगुप्ता
निदेशक (कार्मिक)
(31.3.2019 तक)

उमेश शर्मा
निदेशक (वित्त)

जे. रवि शंकर
निदेशक (विपणन)
(4.7.2018 से)

आर आर सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)
(19.6.2019 से)

गैर–सरकारी अंशकालीन (स्वतंत्र) निदेशक

आर आनंद
(14.6.2019 तक)

बी.के. शुक्ला
(14.6.2019 तक)

रजनीश गोयंका

डा.जयंत दासगुप्ता

आर. आर. जडेजा

मन्जुनाथ जी
(21.12.2018 से)

वरिष्ठ कार्यपालक

बीर सिंह नेगी, आईडीएएस

संजय कौल

अंजना सिंह

एन. बालाजी

अश्वनी कपूर

बी. एन. दाश

अरुण रोजारियो

रवि किशोर

अरुण चन्द्रा

सूरज मोदी

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

देवियो एवं सज्जनो,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी, जो भारत की अग्रणी व्यापारिक कंपनियों में से एक है, ने गत वर्ष के 15,756.92 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 28,292.82 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इस व्यावसायिक कारोबार में 1103.92 करोड़ रुपये का निर्यात, 21,624.99 करोड़ रुपये का आयात तथा 5563.92 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। पिछले वर्ष के 48.84 करोड़ रूपये के निवल लाभ की तुलना में कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 81.43 करोड़ रूपये का निवल लाभ अर्जित किया।

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

(करोड़ रु)

	2018 - 19	2017 - 18
व्यापार की बिक्री	28,288.27	15,746.49
सेवाओं की बिक्री	4.55	10.43
अन्य व्यापार अर्जन	686.62	693.89
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	28,979.44	16,450.81
बिक्री लागत	28,505.14	16,117.36
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	474.30	333.45
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	14.21	46.43
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों आदि	275.91	307.12
घटाएं: बट्टे खाते में डाले गए/समाप्त किए गए ऋण/दावे	1.06	0.05
घटाएं : संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/		
निवेशों के लिए प्रावधान	15.96	-
ब्याज, मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	195.58	72.71
जोड़ें : अर्जित ब्याज (निवल)(वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	(61.69)	0.07
मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च व करों से पूर्व लाभ	133.89	72.78
घटाएं : मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	5.54	5.24
घटाएं : असाधारण मदें	9.76	8.41
करों से पूर्व लाभ	118.59	59.13
घटाएं : वर्तमान करों के लिए प्रावधान	32.39	13.32
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	4.77	(3.03)
कर पश्चात लाभ	81.43	48.84
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	721.67	718.94
शेष		
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रिटेंड किए गए		
अर्जन में सीधे तौर पर ले लिया गया		
कर पश्चात पोस्ट एम्प्लायमेंट लाभ की		
देयता का पुनर्मूल्यांकन	(1.65)	-
लाभांश एवं लाभांश कर	(36.17)	(36.11)
विनियोग		
सामान्य रिजर्व	(10.00)	(10.00)
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	755.28	721.67

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्यनिष्पादन संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

अवार्ड व रैंकिंग

- उत्पाद समूह–बेसिक आयरन एंड स्टील, विशाल प्रतिष्ठान का वर्ष 2017–18 के लिए स्टार परफार्मर के लिए ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान "सर्वाधिक ग्राहकों को गोल्ड की सप्लाई करने वाली बेस्ट एजेंसी" के लिए जीजेईपीसी द्वारा सम्मान ।
- ईटी–500 रैंकिंग में एमएमटीसी को राजस्व के आधार पर वर्ष 2017 की 108वीं रैंकिंग की तुलना में वर्ष 2018 में 98वीं रैंकिंग प्रदान की गई है।
- बिजनेस वर्ल्ड ने 500 कंपनियों की अपनी रिपोर्ट में एमएमटीसी को कुल परिसंपत्तियों तथा कुल आय के आधार पर वर्ष 2018 के लिए 99वां रैंक प्रदान किया है।
- फॉर्च्यून इंडिया ने दिनांक 18.3.2019 को प्रकाशित मोस्ट वैल्युएबल फर्मों की रैंकिंग में एमएमटीसी को मार्केट कैप के आधार पर वर्ष 2019 के लिए 134वां रैंक प्रदान किया है।
- भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी को कार्यनिष्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एससी/एसटी उद्यमियों को दिए गए प्रोत्साहन के लिए मिनीरत्न (श्रेणी–1) में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है।

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल कंपनी के लाभ पर वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31.3.2019 को उपलब्ध कंपनी की 150 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी पूंजी (बोनस इश्यु के बाद) पर 30 प्रतिशत की दर से लाभांश की घोषणा की सिफारिश करता है ।

रिजर्व

दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 1348.64 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। आपके निदेशकों ने कंपनी के लाभ में से 31 मार्च, 2019 को उपलब्ध इक्विटी पूंजी (150 करोड़ रुपए) पर 30 प्रतिशत की दर से लाभांश देने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 1342.25 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

अवार्ड एवं रैंकिंग

एमएमटीसी को वर्ष 2018 में आईजीसी श्रेष्ठ सरकारी नामित एजेंसी अवार्ड

श्रेष्ठ सतर्कता कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शील्ड प्रदान की गयी।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

	अर्जन (करोड़ रूपए में)		बहिर्गमन (करोड़ रूपए में)
निर्यात	1103.92	आयात	19840.81
अन्य	-	अन्य	111.52
कुल	1103.92	कुल	19952.33

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को व्यापार व वाणिज्य के **उदारीकरण/वैश्वीकरण** के माध्यम से दक्षिण–पूर्व एशियाई बाजार में व्यापार की संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से अक्टूबर 1994 में निगमित किया गया था। कंपनी कमोडिटीज के व्यापार में कार्यरत है तथा इसने स्वयं को सिंगापुर में एक विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एमटीपीएल का बिक्री कारोबार 154.12 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ जबकि गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह 11.84 मिलियन अमरीकी डालर था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एमटीपीएल को कुल 0.27 मिलियन अमरीकी डालर का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2017–18 के दौरान इसे 0.38 मिलियन अमरीकी डालर की हानि हुई थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 को एमटीपीएल की नेट वर्थ 12. 29 मिलियन अमरीकी डालर थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट–नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उडीसा सरकार एवं अन्य के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन तथा कैप्टिव पावर प्लांट के साथ सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान एनआईएनएल ने 2025 करोड़ रुपए का कारोबार किया तथा इसे 402.19 करोड़ रुपए की हानि हुई। यह हानि मुख्यतः आर्थिक मंदी विशेषकर इस्पात क्षेत्र में आई मंदी तथा प्लांट के लिए आयातित कच्चे माल की लागत में हुई वृद्धि के कारण हुई। माइंस के आपरेशन के लिए स्टेज–II का क्लीयरेंस जुलाई, 2019 में प्राप्त हो गया है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच स्थापित करने के लिए नाल्को के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टील विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरीकरण आ जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आयरन ओर की माइनिंग आरंभ हो जाने के

एमएमटीसी बोर्ड की उपस्थिति में सीओपी का उद्घाटन

साथ, एनआईएनएल के कार्य निष्पादन में सुधार होने तथा उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है बशर्ते कि स्टील क्षेत्र में रिकवरी की स्थिति बनती हो।

प्रोजेक्ट्स/संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा पूर्व के वर्षों में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के मॉडल का अनुसरण करते हुए कई संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया गया है। इन संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

(I) आपकी कंपनी की दिनांक 31.3.2019 को इंडियन कमोडिटी एक्स्चेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6 प्रतिशत इक्विटी पूंजी लगी है। वर्ष 2018–19 के लिए आईसीईएक्स ने 2,851.97 लाख रुपये के लाभ (हानि) की सूचना दी है जबकि वर्ष 2017–18 में 1,334.17 लाख रुपए की हानि थी। एसईसीसी विनियम, 2018 के विनियम 17 तथा सेबी के दिनांक 26 नवबर, 2015 के परिपत्र के अनुसार एमएमटीसी को आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करनी है तथा एमएमटीसी आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी घटाने पर कार्य कर रही है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी 6 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने के लिए प्रस्ताव अनुरोध आमंत्रित किए हैं।

(ii) यूनाइटिड स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम तथा स्टाइल पर आपकी कम्पनी ने करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भागीदारी की थी जिसका बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में विलय हो गया था तथा इसके परिणामस्वरूप 2/– रुपये प्रतिशेयर के हिसाब से आपकी कंपनी के पास बीएसई में 38,961 इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान बीएसई ने 201.05 करोड़ रूपये का पैट अर्जित किया है तथा 2/– रूपये के प्रति इक्विटी शेयर पर 25/–रूपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह लाभांश दिसंबर 2018 में भुगतान किए गए 5/– रूपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

(iii) पैम्प स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर मेडालियन निर्माण यूनिट का एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। इसमें एमएमटीसी की 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है। इस संयुक्त उद्यम का कारोबार वर्ष

2018–19 के दौरान 47610.04 करोड़ रुपए का हुआ। एमएमटीसी को एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किए गए अपने निवेश पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 70 प्रतिशत का लाभांश प्राप्त हुआ। एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोने व चांदी के लिए भारत की प्रथम एलबीएम एक्रीडिटेड रिफाइनर बन गई है।

(iv) संयुक्त उद्यम कंपनी – मेसर्स सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) कर्नाटक राज्य के बेल्लारी – होस्पेट क्षेत्र से निर्यात के लिए आयरन ओर उपलब्ध न होने के कारण तथा राज्य सरकार द्वारा निर्यात के लिए आयरन ओर के खनन तथा मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाने के कारण कमर्शियल आपरेशन शुरू करने में असमर्थ रही। आयरन ओर के निर्यात की अनिश्चितता के मद्देनजर तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपयोग में लाने के लिए कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट) ने बोली लगाकर सुविधा को कोयले को हैंडल करने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का निर्णय लिया था। चूंकि कोल एमएमटीसी के वर्तमान व्यवसाय क्षेत्र के अनुरूप नहीं है, अतः एमएमटीसी बोर्ड ने इस जेवी को छोड़ने का निर्णय लिया। एमएमटीसी ने सिओटल जेवी में अपनी 26 प्रतिशत पूरी इक्विटी को ओपन टेंडर के माध्यम से बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की, परंतु इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सिओटल के शेयरहोल्डर्स करार में दिए गए प्रावधान "राइट टु फर्स्ट रिफ्यूजल" के अनुसार सिकॉल लॉजिस्टिक्स लि. (सिओटल का लीड प्रमोटर) ने एमएमटीसी द्वारा निर्धारित रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने का आफर दिया जिसे एमएमटीसी बोर्ड ने स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अभी सिओटल में एमएमटीसी की 26 प्रतिशत इक्विटी सिकाल लॉजिस्टिक्स को बेचने की प्रक्रिया चल रही है।

(v) आपकी कंपनी ने खनन, अन्वेषण तथा इससे संबंधित कार्यों के लिए मेसर्स टाटा स्टील लि. के साथ मिलकर टीएम माइनिंग जेवी कंपनी बनाई थी। हालांकि यह जेवी कंपनी अपने गठन के समय से ही कोई व्यवसाय नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में एमएमटीसी बोर्ड ने रजिस्ट्रार आफ कंपनीज (आरओसी) के समक्ष आरओसी के रिकार्ड से जेवी कंपनी का नाम हटाने के लिए जेवी कंपनी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी है। तद्नुसार, वर्ष के दौरान जेवी की अंतिम बैलेंस शीट तैयार की गई तथा आरओसी के समक्ष सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा आरओसी द्वारा नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

(vi) भारत में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमएमटीसी तथा आईएलएंडएफएस ने भारत में कुछ चुनिंदा स्थानों पर एसपीवी इन 2004–05 स्थापित की तथा जेवी कंपनी (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड) बनाई। इस जेवी कंपनी में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी एमएमटीसी की तथा 74 प्रतिशत हिस्सेदारी आईएलएंडएफएस की थी। इसके अलावा कांडला में एफटीडब्लयूजेड (कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा हल्दिया में (हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड) विकसित करने के लिए दो 100 प्रतिशत के स्वामित्व वाली एफटीडब्लयूपीएल सहायक कंपनियां बनाई। वर्तमान में जेवी की संरचना 50:50 इक्विटी की है। प्रमोटर्स की वित्तीय स्थिति तथा प्रोजेक्ट के विकास के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जेवी ने रणनीतिक निवेशक शामिल करने के लिए आरएफपी आमंत्रित करने का निर्णय किया है। केएएसईजेड द्वारा अनुमोदित दो यूनिटों ने सबलीज पर भूमि ली है। हल्दिया में प्रोजेक्ट एसपीवी को दिसंबर 2013 में हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी (एचडीए) के साथ हुए लीज करार के तहत 10 वर्ष की लीज के आधार पर 197 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। तथापि, किसानों द्वारा वर्ष 2015 में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एचडीए के विरूद्ध याचिका दायर की गई है जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने भूमि विकास पर स्थगन आदेश दे दिया है। जेवी निवेश की रिव्युपिंग के विकल्प तलाश रही है।

(vii) एमएमटीसी ने गजेंद्रगढ़ में मार्च 2007 में 25 मिड एनर्जी जनरेटर (डब्ल्यूईजी) के साथ 15 मेगावाट की विंडमिल परियोजना की स्थापना की थी जो सफलतापूर्वक काम कर रही है तथा कर्नाटक राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी रही है। इस परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा को एचईएससीओएम को बेचा जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस परियोजना का कुल कारोबार 5.18 करोड़ रुपए का रहा जिसमें 3.74 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे। वर्ष के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण एक भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई। एमएमटीसी स्टाफ यूनियंस की फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ वेतन संशोधन बैठकें हुई। सहमति के आधार पर वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नया वेतन समझौता दिनांक 1.1.2017 से प्रभावी है जो 10 वर्षों तक लागू रहेगा। इसमें तीन वर्षों के बाद वर्ष 2020 में समीक्षा करने का प्रावधान है। इसके अलावा अधिकारियों, स्टाफ तथा अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की फेडरेशन/यूनियन/एसोसिएशन के साथ जेसीएम फोरम के माध्यम से नियमित रूप से बैठकें की गई। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की शिकायतें दूर करना तथा सूचना/विचारों का परस्पर आदान–प्रदान करना था ताकि कंपनी के ध्येयों व उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 950 थी इसमें 5 बोर्ड स्तर के कार्यपालक तथा 1 मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित 387 अधिकारी तथा 477 कार्मिक शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में

विलय हो गया था, का 1 अधिकारी, 85 स्टाफ/कामगार शामिल थे। कुल कर्मचारियों की मिश्रित संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21.16 प्रतिशत (201 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.84 प्रतिशत (198 कार्मिक), 9.89 प्रतिशत (94 कार्मिक), 10.63 प्रतिशत(101 कार्मिक) तथा 2.42 प्रतिशत (23 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को सीपीएसईज के बोर्ड के स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों तथा नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के दिनांक 01.01.2017 से वेतन

एमएमटीसी के सीएमडी द्वारा एम दी [illegible] का एमएमटीसी पहुंचने पर स्वागत

संशोधन संबंधी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ज्ञापन संख्या के–48921/3/2018–एफटी (एमएंडओ) दिनांक 24.04.2018 द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए थे। वर्ष 2018–19 के दौरान इन मानदण्डों को क्रियान्वित किया गया।

प्रशिक्षण एवं विकास

व्यापार के निरंतर बदलते परिवेश में कर्मचारियों के कौशल में और वृद्धि करने/अपग्रेड करने के उद्देश्य से वर्ष के

कर्मचारियों का प्रशिक्षण सत्र

दौरान 369 कर्मचारियों को कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण इन–हाऊस फैक्लटी के साथ–साथ बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों से फैक्लटी लेकर किया गया। प्रशिक्षण के लिए नामित कार्मिकों में अजा/अजजा तथा महिला कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा (अ.जा.–92, अ.ज.जा.–28 तथा महिलाएं – 86) । मानव दिवस के अर्थों में वर्ष 2018–19 के दौरान यह प्रशिक्षण 528 मानव दिवसों का रहा।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018–19 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनवरत प्रयास किए। इस उद्देश्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषायी निरीक्षण

की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे तथा कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, अहमदाबाद तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि, गोवा का निरीक्षण कर हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। समिति ने इन सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया। वाणिज्य विभाग ने एमएमटीसी को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य के लिए

प्रथम पुरस्कार के रूप में एक शील्ड प्रदान की। एमएमटीसी की हिंदी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इसके अलावा मणिकांचन हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया।

सतर्कता

कंपनी की गुडविल तथा विश्वास को मूल्य आधारित बिजनेस प्रथाओं के माध्यम से मजबूत बनाने, कंपनी को पेशेवर ढंग से चलाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संगठन बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी के सतर्कता विंग ने निवारक सतर्कता पर बल दिया। आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग के प्रयासों से कई

सीवीओ श्री वीर सिंह नेगी, आईडीएएस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए

प्रकार की ड्रील/मैनुअल तैयार कर लागू किए गए हैं। गत वर्ष के दौरान समय-समय पर सरकारी विनियमों के अनुरूप तथा आंतरिक प्रणाली में सुधार इत्यादि के लिए अनेक नीतिगत परिवर्तन किये गये । आपकी कंपनी के सतर्कता विंग द्वारा सभी प्रभागों की प्रक्रियाओं तथा एसओपीज अपलोड करने की सलाह दी गई। व्यापार प्रभागों ने एसओपीज/बिजनेस ड्रिल को अपडेट करके इन्हें एमएमटीसी इंट्रानेट पर अपलोड कर दिया है। सतर्कता प्रभाग ने सिस्टम के असफल होने के मामलो की पहचान करने तथा ठीक करने, आचरण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया को फिर से दुरुस्त किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने कुल 19 शिकायतों (इनमें 8 ऐसी शिकायतें थी जिन्हें गत वर्ष से आगे लाया गया था तथा 11 नई शिकायतें थीं) पर कार्रवाई की। इन 19 शिकायतों में से 18 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है तथा शेष 1 शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 4 ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जिनमें कुल 19 कार्मिक शामिल थे । इन मामलों में से 3 मामलों, जिनमें 14 कार्मिक शामिल थे, का निपटान कर दिया गया जबकि शेष एक मामले, जिसमें 5 कार्मिक शामिल हैं, पर कार्रवाई चल रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एमएमटीसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से सतर्कता अधिकारियों की 108 तथा गैर सतर्कता अधिकारियों की 36 रिपोर्ट प्राप्त हुईं। इसके अलावा प्रभाग ने कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागो द्वारा जारी किए गए टेंडरों का सीटीई टाइप निरीक्षण किया गया। पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सतर्कता प्रभाग द्वारा सुझाई गई नई पहल के रूप में एमएमटीसी ने भर्ती के लिए आवेदन पत्र ऑन-लाइन मंगाने शुरू कर दिए हैं। सतर्कता प्रभाग ने एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में वर्ष में दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम था 'भ्रष्टाचार हटाओ-नया भारत बनाओ'।

सतर्कता तथा गैर-सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपने संबंधित स्थानों पर सतर्कता निरीक्षण करने के लिए बिजनेस मैनुअल, सीवीसी के दिशा-निर्देशों तथा कारपोरेट कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। निरीक्षण रिपोर्ट के फार्मेट का मानकीकरण करते हुए इसे सतर्कता अधिकारियों को दे दिया गया है। इस पहल से उनके द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में एकरूपता आ सकेगी तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के आपरेशन के सभी क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी के बोर्ड ने वर्ष 2014 से एक "सतर्कता तंत्र" स्कीम लागू की है। सतर्कता तंत्र निदेशकों तथा कर्मचारियों के लिए बनाया गया है ताकि वे अपनी उचित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें। कर्मचारी/निदेशक की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायत को आडिट कमेटी के चेयरमैन को भेजा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह तंत्र कंपनी में पहले से लागू विस्ल ब्लोअर पालिसी के अलावा है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सत्यनिष्ठा समझौते को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सार्वजनिक सरकारी खरीद में पारदर्शिता, समानता तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में प्रोन्नत किया गया। आपकी कंपनी में भी इसे सार्वजनिक खरीद में बिडर्स में पारदर्शिता/समानता तथा प्रतिस्पर्धा प्रोन्नत करने के लिए लागू किया गया है। जिससे कि कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यापार में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावनाओं को रोका जा सके। श्री डीआरएस चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत्त) को इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मानिटर (आईईएम) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास एमएमटीसी की कारपोरेट सामाजिक नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है। सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 की शर्तों के अनुरूप पूरी की जा रही हैं। नई सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

सीएसआर नियमों के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास की प्रतिबद्धता में 1.254 करोड़ रुपये (125.4 लाख रूपए) की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की है जो कि कंपनी के पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के तहत आबंटित वार्षिक बजट को कंपनीज एक्ट की अनुसूची 6 के अनुसार मुख्य रूप से हेल्थकेयर, शिक्षा व पोषण को प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन तथा कौशल विकास तथा अन्य कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट्स तथा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महत्वाकांक्षी जिलों में सीएसआर कार्यों से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों में कार्य करने के लिए एमएमटीसी ने वर्ष 2018–19 में सीएसआर के अपने वार्षिक बजट की 60 प्रतिशत राशि आबंटित की है। राज्य सभा की अधीनस्थ कानून की संसदीय समिति की मुंबई, लखनऊ, पुणे तथा विशाखापट्टनम में आयोजित सभी बैठकों में एमएमटीसी ने कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए सीएसआर कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट में शामिल की गई है।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा सर्वोत्तम कारपोरेट सुशासन(गवर्नेंस) की प्रथाओं को अपनाने तथा इनके प्रति समर्पण हेतु मजबूत आस्था रखती है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए मानकों तथा सेबी के दिशा–निर्देशों (लिस्टिंग ऑबलिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) तथा इस विषय में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसईज में लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाता है। तथापि, दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों के दो खाली पदों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की जानी है।

लिस्टिंग रेग्युलेशन में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों के अनुपालन पर मेसर्स जे.के. गुप्ता एंड असोसिएट्स (सीपी नं. 2448) से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ कारपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग से रिपोर्ट यहां संलग्न है जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित तथा सीपीएसईज के लिए लागू सीजी मानदंडों का कंपनी द्वारा पालन किया गया है तथा इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट भी नियमित रूप से भेजी जाती है।

आचार संहिता

लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 15(5) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए लागू आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों (केवल एक मुख्य महाप्रबंधक को छोड़कर जो इस समय निलंबित हैं), जिन पर दिनांक 31 मार्च, 2019 को यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है। बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिबद्धता के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा नीचे दी गई है.

सेबी (लिस्टिंग रेगुलेशन एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस 2015 तथा करपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक घोषणा।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, सिवाय एक मुख्य महाप्रबंधक के (जो सेवाओं से निलंबित हैं) ने दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए लागू व्यापार आचार संहिता तथा आचार नीति के अनुपालन की वचनबद्धता प्रकट की है।

ह0/–
वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

बिजनेस दायित्व रिपोर्ट

सेबी के रेगुलेशन 2015 (लिस्टिंग ओबलिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) के रेगुलेशन 34(2) के अनुसार आपकी कंपनी ने वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने के लिए व्यापार दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा सुझाया गया फ्रेमवर्क व सिद्धांत सतत विकास के उद्देश्यों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक गवर्नेंस के मानदंडों के अनुपालन के निर्धारण से संबंधित है। आपकी कंपनी की बिजनेस दायित्व रिपोर्ट यहां संलग्न है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों के लिए सार्वजनिक खरीद पालिसी

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रतिष्ठान मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों (एमएसईज) के लिए जारी सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/पीएसयूज द्वारा की जाने वाली सामान व सेवाओं की कुल खरीद की न्यूनतम 25 प्रतिशत खरीद एमएसईज से की जाये। दिनांक 09.11.2018 की गजट अधिसूचना के अनुसार एमएसईज से की जाने वाली 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद में से 5 प्रतिशत खरीद एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एसएसईज से तथा 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाली एसएमईज से की जाए। एमएसएमईज एक्ट 2006 के अधीन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसएसएमईज में पंजीकृत फर्मों को वरीयता दी जाए।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में एमएमटीसी ने वर्ष 2018–19 में प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए कुल 14.65 करोड़ रूपए की वार्षिक खरीद की। इसमें से 12.33 करोड़ रूपये (अर्थात 84.16%) की खरीद एमएसईज से की गई। एमएसईज से की गई इस खरीद में रूपए 0.6450 करोड रूपये(अर्थात 4.33%) की खरीद ऐसी एमएसईज से की गई जिनके स्वामी एससी/एसटी उद्यमी थे तथा 0.1608 करोड़ रूपए (1.09%) की खरीद उन एमएसईज से की गई जिनका स्वामित्व महिलाओं के नाम था। एमएसईज को दिए गए वर्क आर्डर्स को पूरा करने के बाद इन्हें समय पर भुगतान किया गया।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

वार्षिक रिटर्न

कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट का सारांश निर्धारित फार्म–एमजीटी–9 में वर्णित है तथा यह संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2018–19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधतंत्र के उत्तर संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी के स्टैंडअलोन लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने "शून्य" टिप्पणियां की हैं। इस संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) का दिनांक 31.7.2019 का पत्र संलग्न है। तथापि, दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखों पर भारत के सीएंडएजी की टिप्पणी अभी प्राप्त नही हुई है। टिप्पणी प्राप्त होने तथा इस संबंध में प्रबंधतंत्र द्वारा दिए जाने वाले उत्तर यदि कोई होगा तो उसे वार्षिक आम बैठक में पटल पर रखा जाएगा।

सक्रेट्रियल आडिट

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की सक्रेट्रियल आडिट करने के लिए आपकी कंपनी ने मेसर्स जे.के. गुप्ता एंड असोसिएट्स कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया। सक्रेट्रियल आडिट रिपोर्ट (फार्म एमआर–3 में) तथा सक्रेट्रियल आडिटर द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए उत्तर इस रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं।

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटीज अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत कवर्ड ऋण तथा गारंटियों का विवरण नोट संख्या 6.11.34 तथा 36 में दिया गया है। ये नोट वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं। कंपनी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा किए गए विधिवत अनुमोदन पर जेवी कंपनी– मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को अपनी दैनिक परिचालन गतिविधियों को चलाने के लिए 1425 करोड़ रूपए की सीमा तक वर्किंग कैपिटल क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई।

संबंधित पार्टी लेन–देन

संबंधित पार्टी के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन–देन सामान्य व्यापार की श्रेणी के थे तथा इनको अलग नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए लेखा परीक्षा समिति ने बहुप्रयोजन के लिए अनुमोदन किया था।

उक्त संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए निदेशक मंडल तथा वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इंड एएस–24 के अधीन आवश्यक समुचित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 में दर्शाया गया है। संलग्न प्रपत्र एओसी–2 में लेन–देन के विवरण उपलब्ध करवाए गए हैं।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेन–देन नीति को कंपनी की निम्नलिखित वेबसाईट पर अपलोड किया गया है:–

http://mmtclimited.com/files/related%20party%20transaction%20policy%20eng.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत जोखिम प्रबंधन नीति का निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया। कंपनी द्वारा अपनाए गए जोखिम प्रबंधन को संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, जोकि संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी के माइका ग्रुप में कोई उत्पादन गतिविधि नहीं हुई। अतः कंपनीज (अकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8(3) के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों, जिसके साथ कंपनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 का नियम 5 पठनीय है, के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक का मध्य श्रेणी के कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात का पारिश्रमिक तथा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सीमा से अधिक पाने वाले प्रत्येक कार्मिक के पारिश्रमिक के विवरण को निदेशक रिर्पोट में देना आवश्यक है। तथापि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है । अतः ऐसे विवरणों को निदेशक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है ।

कारपोरेट कार्यालय में अम्बेडकर जयंती

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है कि:–

ए) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और यदि किन्हीं विशेष मामलों में ऐसा नहीं किया गया है, तो इस बारे में उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

बी) निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

सी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को गोईंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

ई) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है तथा उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

एफ) सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित सिस्टम बनाया गया है जो पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कंपनी में यौन उत्पीड़न संबंधी नीति बनाई गई है। कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाई गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अधीन हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपरोक्त अधिनियम के तहत कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2018 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/कार्यकाल समाप्ति की तारीख	नियुक्ति/कार्यकाल की समाप्ति
श्री पी.के. जैन	निदेशक(विपणन)	14.05.2018	कार्यकाल की समाप्ति
श्री जे. रवि शंकर	निदेशक(विपणन)	04.07.2018	नियुक्ति
श्री मंजूनाथ जी	अंशकालिक नॉन आफिसियल निदेशक	21.12.2018	नियुक्ति
श्री आर. आनंद	अंशकालिक नॉन आफिसियल निदेशक	14.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री बी.के. शुक्ला	अंशकालिक नॉन आफिसियल निदेशक	14.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री आर.आर.सिन्हा	निदेशक(कार्मिक)	19.06.2019	नियुक्ति
श्री एस.सी.पाण्डेय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री शशांक प्रिय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	19.08.2019	नियुक्ति

निदेशक मंडल उन सभी निदेशकों की प्रशंसीय सेवाओं और योगदान के लिए आभार प्रकट करता है जिनका दिनांक 01.04.2018 से तथा इसके बाद से निदेशक मंडल के सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया। निदेशक मंडल श्री जे. रवि शंकर, श्री मंजूनाथ जी तथा श्री आर.आर. सिन्हा का भी स्वागत करता है तथा यह विश्वास व्यक्त करता है कि इन सभी के व्यापक तथा बहुआयामी अनुभव से कंपनी को असीम लाभ होगा।

निदेशकों की क्रमवार सेवानिवृत्ति से संबंधित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधानों के अनुसार श्री उमेश शर्मा, निदेशक(वित्त) वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया है।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्टेकहोल्डर्स–शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, कस्टम्स, पोर्ट, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सर्वोत्तम समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों, कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए निरंतर योगदान की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता.
(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

दिनांक: 21.08.2019

कारपोरेट गतिविधियां

रशियन प्रतिनिधिमंडल श्री एलेक्जेंडर तोलकोव, प्रबंध निदेशक निवेश विभाग, फॉर ईस्ट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी, रशियन सरकार के नेतृत्व में एमएमटीसी में पधारे।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वाणिज्य मंत्रालय को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए

सीएमडी श्री वेद प्रकाश एमएमटीसी के फेस्टिवल ऑफ गोल्ड 2019 के उद्घाटन पर दीप प्रज्वलित करते हुए

श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटित एमएसएमई एक्सपो 2019 में एमएमटीसी ने प्रदर्शनी लगाई

एमएसएमई एक्सपो 2019 में सीएमडी और सेमिनार पैनल का अभिनन्दन

निप्पन स्टील कार्प. के प्रतिनिधि का दौरा तथा एमओयू पर हस्ताक्षर

गोद लिए गए एसडीएमसी स्कूल में स्वच्छ भारत कार्यक्रम

योग दिवस का आयोजन तथा निदेशक (कार्मिक) द्वारा संबोधन

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2018–19

विश्व व्यापार परिदृश्य एवं घटनाक्रम

डब्ल्यूटीओ के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व व्यापार की मात्रा में 3.7 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है चूंकि विश्व की जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत हो जाएगी। जैसा कि वर्ष 2018 में उमीद की गई थी कि वर्ष 2019 तथा 2020 के दौरान विश्व व्यापार में धीमी गति से बढ़ोतरी के बाद इसको विपरीत परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा । इसका कारण व्यापार में बढ़ते तनाव तथा आर्थिक अनिश्चितता होंगे। डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वाणिज्यिक व्यापार की मात्रा की वृद्धि दर वर्ष 2018 की 3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019 में 2.6 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद व्यापार विकास दर वर्ष 2020 में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो जाएगी हालांकि यह सब व्यापार तनावों में कमी होने पर निर्भर करेगा। वर्ष 2018 के दौरान यूरोप तथा एशिया में आयात की कमजोर मांग के कारण विश्व व्यापार की मात्रा में भारी कमी दर्ज की गई चूंकि विश्व व्यापार में इन क्षेत्रों की बड़ी भागीदारी होती है।

वर्ष 2018–19 में भारत के घटनाक्रम पर नजर

वर्ल्ड बैंक के ईज आफ डुइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत ने 23 पायदानों की छलांग लगाकर विश्व में अपना 77वां स्थान बना लिया। यह उपलब्धि इस वर्ष किए गए 6 सुधारों के कारण प्राप्त की। ये 6 सुधार हैं – व्यवसाय आरंभ करना, बिजली की उपलब्धता, विनिर्माण परमिट, क्रेडिट उपलब्ध कराना, कर भुगतान तथा सीमा पार व्यापार। सुधारों के क्षेत्र में विशेष बल दिए जाने के कारण भविष्य में भारत शीर्ष 50 देशों में अपना स्थान बना लेगा। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2014 में लांच किए गए "मेक इन इंडिया" अभियान के द्वारा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी गई है जबकि भारत के एयर स्पेस, रक्षा तथा मीडिया उद्योग में क्रमशः 74 प्रतिशत, 49 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत की अनुमति है। वर्ष 2017 में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का एक समान कर जीएसटी लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों की असमान कर दरों तथा बहुस्तरीय कर प्रणाली समाप्त होगी। इस व्यवस्था से एकल प्रणाली के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के संसाधन एक ही पूल में होंगे जिससे इन दोनों को लाभ होगा। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है जिससे बेहतर कनेक्टीविटी उपलब्ध होगी जिसके परिणामस्वरूप देश के विकास में सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मेक इन इंडिया पहल से विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान 17 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर को वर्ष 2025 तक 25 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सरकार ने डिजीटल इंडिया की पहल की है जिसके मुख्य केंद्र बिंदु तीन हैं – डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन, सेवाओं को डिजीटली उपलब्ध कराना, सेवाओं को डिजीटली प्रदान करना तथा डिजीटल शिक्षा को बढ़ाना।

वर्ष 2019–20 का परिदृश्य

अगले तीन वर्षों में जीडीपी की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसकी बदौलत भारत विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अपने स्थान को कायम रख सकेगा। निकट भविष्य में भारत विश्व की पांचवे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

इस वर्ष संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2020 में देश की जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत होगी।

इसके लिए निर्यात को बढ़ाने पर बल दिया गया है। भारतीय एमएसएमईज को बेड़ियों से मुक्त कराने की आवश्यकता है क्योंकि इनके कारण इनकी भूमिका बौनी बनी हुई है। एमएसएमईज को इनोवेशन, विकास तथा रोजगार सृजन करने का साधन बनाने की आवश्यकता है । पालिसी से एमएसईज के विकास, इनके मालिकों को बेहतर लाभ होगा तथा रोजगार सृजन एवं अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ेगा।

वर्ष 2018–2019 के दौरान भारत के विकास पर एक नजर

एमएमटीसी–2018–19 का सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक परिवेश में आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के 15756.92 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018–19 में 28292.82 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस कारोबार में 1103.91 करोड़ रुपए का निर्यात, 21624.99 करोड़ रुपए का आयात तथा 5563.92 करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है। यूरिया के औसत मूल्य में आई गिरावट, कोल इंडिया द्वारा कोयले की घरेलू सप्लाई में की गई बढ़ोतरी पर प्रतिबंध सरकारी पावर प्लांटों के लिए स्टीम कोल का आयात न करने, कर्नाटक से और गोवा, ओडिसा में आयरन ओर खनन के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप निर्यात कम हुआ है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2017–18 के 474.30 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 333.45 करोड़ रुपये का व्यापारिक लाभ अर्जित किया। सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ वर्ष 2017–18 के 59. 13 करोड़ रुपए की तुलना में 118.59 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष के 48.84 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 81.43 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया है। इस प्रकार प्रत्येक 1 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर का दिनांक 31. 03.2019 को अर्जन प्रति शेयर 0.54 रुपए है। इसके अलावा, एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाली कंपनी बनी हुई है।

निधियों के स्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी की निधियों के स्रोत में 1489.25 करोड़ रुपये का शेयरहोल्डर्स फंड था जिसमें 150 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमशः 188.55 करोड़ रुपये तथा 2776.97 करोड़ रुपये शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ–साथ 806.73 करोड़ रुपये नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा 3648.04 करोड़ रुपये करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श के आधार पर किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। कंपनी का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेनदेन की कंकरंट लेखा परीक्षा, पूर्व वर्षों के बुलियन लेनदेन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आदि द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गई। इन पहलों को आलोच्य वर्ष के दौरान भी जारी रखा गया। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, व्यापारिक प्रस्तावों पर जोखिम निर्धारण तथा विभिन्न व्यापार करने के लिए सिस्टेमेटिक एसओपी का ध्यान रखने के लिए सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैनुअल), कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति तथा एमएमटीसी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों के लिए व्यापार व आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैनुअल) बनाए गये हैं।

वित्तीय रिपोर्टों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की चिंताओं एवं टिप्पणियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति उनके साथ नियमित रूप से बैठकें करती है। प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षा समिति के आदेशों का गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका उदारीकरण/वैश्वीकरण के अवसरों का लाभ उठाना है। यह कंपनी कमोडिटी की ट्रेडिंग करती है तथा इसने स्वयं को सिंगापुर की एक विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। विगत वर्ष के 11.84 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एमटीपीएल ने 154.12 मिलियन अमरीकी डालर का कुल व्यापार किया। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान अर्जित 0.38 मिलियन अमरीकी डालर की सकल हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में एमटीपीएल का सकल लाभ 0.27 मिलियन अमरीकी डालर का था। दिनांक 31 मार्च 2019 को एमटीपीएल की नेटवर्थ 12.29 मिलियन अमरीकी डालर थी।

वर्ष 2018–19 के लिए समूहवार बिजनेस समीक्षा

खनिज

आपकी कंपनी के खनिज समूह ने पांच दशकों की अवधि के दौरान खनिज के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। पिछले दशक में एमएमटीसी ने अपने मिनरल पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए, बाजार की अनिश्चितताओं का सामना

करने के लिए गतिशील तथा विवेकशील रणनीतियां अपनाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं में विस्तार किया। साथ ही इसने अपनी व्यापार वचनबद्धताओं पर पूरा ध्यान देने के साथ–साथ सेवा तथा उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ावा दिया। ग्रुप मूल्यसंवर्धन के क्षेत्र में अपनी स्पर्धा बढ़ाने के लिए यह समूह निरंतर प्रयासरत है।

खनिजों के मूल्य संवर्धन को एमएमटीसी द्वारा और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। एमएमटीसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नोत 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का उद्यम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन टन के विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपभोग करता है जिनकी व्यवस्था एमएमटीसी द्वारा की जाती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी के खनिज ग्रुप द्वारा रुपए 848.78 करोड़ रूपये के कारोबार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जिसमें 563.52 करोड़ रुपए का आयरन ओर, लगभग 125.57 करोड़ रुपए का क्रोम ओर एवं क्रोम कोन्सैन्ट्रेट तथा 9.75 करोड़ रुपए का मैग्नीज ओर/आक्साइड शामिल है । भारत सरकार की वर्तमान एक्जिम नीति (2015–20) के अनुसार एमएमटीसी लि. एफई 64 प्रतिशत और इससे ऊपर ग्रेड के लौह–अयस्क के निर्यात के लिए स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज के रूप में नामित है।

आयरन ओर माइनिंग पर चल रहे प्रतिबंध तथा बेल्लारी–होस्पेट सैक्टर से निर्यात के लिए परिवहन पर लगी रोक, इस्टर्न सैक्टर से निर्यात का नियमन, भारतीय मूल के आयरन ओर का एफओबी पर अप्रतिस्पर्धात्मक मूल्य होना तथा दूसरे आपूर्तिकर्त्ता जैसेकि आस्ट्रेलिया, ब्राजील में (निर्यात तथा निर्यात ड्यूटी के लिए रेल भाड़े में वृद्धि के कारण) आयरन ओर की मांग/मूल्य के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम रहने के कारण तथा चीन की अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से आई मंदी, आयरन ओर की घरेलू मांग में आई वृद्धि इत्यादि का वर्ष 2018–19 के दौरान आयरन ओर निर्यात की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी एमएमटीसी समीक्षा वर्ष के दौरान अपनी मुख्य निर्यातक की भूमिका को बरकरार रखे हुए है। एमएमटीसी ने स्वयं को कई दशकों से जापानी तथा दक्षिणी कोरियाई बाजारों में विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता के रूप में स्थापित किया हुआ है तथा कंपनी का यह पोर्ट फोलियो एमएसटीसी को स्थाई व्यापार दिलाता रहेगा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दीर्घकालीन अनुबंध(एलटीए) के अंतर्गत जापानी स्टील मिल (जेएसएम) और पोस्को, दक्षिण कोरिया को आयरन ओर (लम्प और फाईन) की आपूर्ति जारी रही । इस अनुबंध के माध्यम से भारत ने अपने अयस्कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में खनन लोजिस्टिक और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करायेगा ।

क्रोम अयस्क/क्रोम कन्सटेंट्रेस का निर्यात एमएमटीसी द्वारा सरणीकृत है जबकि आयात ओजीएल के अंतर्गत किए जाते हैं। निर्यात के लिए एमएमटीसी को माल वाणिज्यिक खदान मालिकों एवं प्रोसेसर्स द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। भारत के सर्वाधिक ज्ञात क्रोमाइट भंडार ओडिशा के जाजपुर जिले की सुकिंदा घाटी में हैं। देश के कुल 344 एमएमटी भंडार में लगभग 95 प्रतिशत उड़ीसा राज्य में उपलब्ध है। अधिकतम खदान मालिक फैरो–क्रोम उत्पादक भी हैं। फैरो–क्रोम उद्योग देश में उत्पादित क्रोम का लगभग 90 प्रतिशत उपभोग करता है जिससे निर्यात के लिए बहुत कम अधिशेष रहता है।

पर्यावरणीय क्लियरैंस के बिना ओडिशा में खनन कंपनियों के कार्यकलापों पर पर शत – प्रतिशत दंड लगाने के अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण क्रोम अयस्क खनन की गतिविधियां प्रभावित हुई है। वाणिज्यिक खदानों का पट्टा (लीज) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है जबकि कैप्टिव खदानों का पट्टा (लीज) 31 मार्च 2030 को समाप्त होगा ।

मैग्नीज अयस्क का निर्यात एमएमटीसी द्वारा सरणीकृत है जबकि आयात ओजीएल के अंतर्गत किए जाते हैं। तथापि, एमओआईएल,भारत सरकार का उपक्रम अपनी खदानों से खनन किए गए मैग्नीज अयस्क को सीधे ही निर्यात कर सकती है। भारत के पास 475 एमएमटी के प्रमाणित भंडार हैं फिर भी लगभग 2.4 एमएमटी के आस–पास वार्षिक उत्पादन है। भारत में मैग्नीज की वार्षिक लागत 5 एमएमटी है। चूंकि भारत में उच्च ग्रेड के मैग्नीज अयस्क की कमी है इसलिए उत्पादित लगभग संपूर्ण अयस्क का घरेलू उद्योगों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। घरेलू बाजार में लम्पी अयस्क की अच्छी मांग होने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा संपूर्ण उत्पादन का उपभोग किया जाता है।

भारत में इस्पात उत्पादन/उपभोग में वृद्धि इस समूह के लिए चुनौती है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों से लौह अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मैग्नीज अयस्क की मांग में

बढ़ोतरी होगी। इससे भविष्य में निर्यात के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। गंभीर प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धियों द्वारा असुरक्षित क्रेडिट तथा मूल्यों में तीव्र उतार–चढ़ाव आदि इस समूह की चुनौतियां हैं। अधिक फैरो–क्रोम के निर्यात से, निर्यात के लिए क्रोम अयस्क एवं क्रोम कन्संट्रेट्स की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कम ग्रेड के छोटी खनन कंपनियों को चुनौती देने के लिए आपूर्ति आधार को मजबूत बनाने और मात्रा बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

बहुमूल्य धातु, रत्न व आभूषण

भारत का रत्न व आभूषण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है जिसका वैश्विक आभूषण उपयोग में 29 प्रतिशत योगदान है । यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है । यह एक तेज गति से फैलने वाला सैक्टर है।

आपकी कंपनी बुलियन व्यापार में मार्किट लीडर की हैसियत रखती है जो कि पूरे भारत में फैले केन्द्रों से ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। आपकी कंपनी को अद्भुत उत्पाद व सेवाएं ऑफर करने की सहजता प्राप्त है जो कि ग्राहक के साथ सही रिश्ते बनाए रखने में सक्षम है।

बुलियन की कीमतों में भारी अस्थिरता तथा भारतीय रुपए व यूएस डॉलर की विनिमय दर में भारी अस्थिरता के बावजूद हम अपनी स्थिति को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु ग्रुप का 12787.71 करोड़ रुपए के कारोबार का योगदान रहा है जो कि कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 45 प्रतिशत है। इस ग्रुप के कारोबार में 9581.56 करोड़ रुपए का सोने तथा चांदी का आयात, 3206. 15 करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है। निर्यातकों के साथ–साथ घरेलू ट्रेडर्स/ज्वैलर्स को आपूर्ति के लिए बुलियन, जो भारत के जैम्स एवं ज्वैलरी उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है, के आयात के लिए एमएमटीसी एक नामित एजेंसी है। वर्ष 2018–19 के लिए देश के बुलियन ट्रेड में एमएमटीसी की भागीदारी सोने के लिए 3.80 प्रतिशत तथा चांदी के लिए 14.70 प्रतिशत है। एक नामित बॉडी के रूप में काम करते हुए, एमएमटीसी भारत सरकार के साथ मिलकर देश से जेम्स व ज्वेलरी का निर्यात करने के लिए नीति बनाने तथा पैन इंडिया के आधार पर ज्वेलरी सैक्टर का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। वर्ष 1980 से, जब झण्डेवालान ज्वेलरी कॉम्पलैक्स को वाणिज्य मंत्रालय ने मंजूरी दी तब से ही, हमें सरकार का सहयोग प्राप्त होता रहा है। इस क्रम में एमएमटीसी को सितंबर 1992 से डीटीए को भी गोल्ड सप्लाई करने के लिए नामित एजेंसी बनाया गया है ।

भारत सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत एमएमटीसी को दो प्रमुख प्रोजैक्टस नामतः इंडियन गोल्ड कायन की बिक्री तथा सरकार के मध्यम एवं दीर्घ कालिक गोल्ड डिपोजिट्स के लिए ई–ऑक्शन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लागू करने का काम सौंपा गया है । इससे घरेलू स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में संचारित करने को प्रोन्नत किया जा सकेगा तथा बुलियन आयात में कमी लाकर मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत की जा सकेगी। एमएमटीसी को मध्यम एवं दीर्घकालीन गोल्ड डिपोजिट–गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम (एमएलटीजीडी–जीएमएस) के अंतर्गत ई–ऑक्शन के लिए प्राधिकृत है । इस योजना के अंतर्गत हमने 2700 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य के 9 एमटी सोने की बिक्री की है और इसमें और व्यापार बढ़ने की आशा है। इस समूह ने बोली (आक्शन) द्वारा और मंदिरों में रखी बहुमूल्य धातुओं, जब्त किये गए (सरकारी एजेंसी) सोने चांदी की बिक्री आरंभ कर दी है तथा दक्षिण भारत में कई मंदिरों से साथ गठजोड़ किया है और आने वाले वर्षों में अच्छा व्यवसाय होने की आशा है ।

इस समूह ने वर्ष 2018–19 के दौरान घरेलू बाजार में 24.78 करोड़ रुपए मूल्य के इंडियन गोल्ड कायन्स (आईजीसी) की बिक्री की है। आपकी कंपनी ने इंडियन गोल्ड कायन्स की बिक्री के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ किया है। इंडियन गोल्ड कायन्स की बिक्री के लिए वितरण नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एमएमटीसी की सर्वोत्कृष्ट गतिविधि "स्वर्णोत्सव" का आयोजन 1–6 नवम्बर 2018 में अशोका होटल, नई दिल्ली में किया गया।

शोरूम बिक्री करने के साथ–साथ आपकी कंपनी विभिन्न कारपोरेट्स को भी स्वर्ण/चांदी के मेडालियनों की आपूर्ति कर रही है।

कंपनी के संयुक्त उद्यम एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लिमिटेड का कारोबार 47610.04 करोड़ रुपए का रहा जिसमें (करोपरान्त) 96.00 करोड़ रुपए का लाभ रहा ।

स्वर्ण व्यापारियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, इस व्यापार में होने वाले लाभ में निरंतर कमी देखी गई है।

भारत में इस धातु के पारंपरिक महत्व के कारण, जिसमें बदलाव लाना कठिन है, मांग के मजबूत रहने पर इस वर्ष सोने की मांग मजबूत रहने की आशा है ।

चूंकि खदान आपूर्ति के संकुचित होने तथा औद्योगिक एवं ज्वैलरी की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए आने वाले वर्षों में मजबूत फंडामैंटल्स पर चांदी के मूल्यों में उत्तरोत्तर रूझान की आशा है।

आपकी कम्पनी का बहुमूल्य धातु समूह निरंतर ग्राहक संपर्क द्वारा विभिन्न स्थानों के बड़े ग्राहकों को वापस लाने, तथा जयपुर तथा नोएडा, एनसीआर में एसईजैड इकाईयां स्थापित होने के कारण डीटीए प्रचालनों को बढाने के लिए प्रयासरत रहेगा । यह समूह जीएमएस योजना के अंतर्गत बुलियन पर पैन इंडिया की ई–नीलामी का सफल रोल आउट करेगा। ओजीएल ऋण योजना की बहाली के लिए डीजीएफटी/आरबीआई के साथ सपंर्क करने के अलावा यह समूह डोर आयात व्यापार जैसे व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं की तलाशी के लिए प्रयास करेगा । डोर आयात व्यवसाय के लिए सरकारी विभागों के साथ बड़े जोर से बातचीत चल रही है।

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर पर्याप्त आपूर्ति के लिए तथा पर्याप्त आपूर्ति बेस बनाने के लिए नए एलबीएमए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के नामांकन करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। समूह ने सभी बुलियन केन्द्रों पर 'कस्टर बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। जिसमें बाद में अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ फिर से व्यवसाय करने या नये ग्राहकों को सूचीबद्ध करने के लिए मार्केटिंग अभियान चलाया जायेगा । उचित फोलो–अप तंत्र के द्वारा सकारात्मक ग्राहकों को तैयार किया जायेगा ।

धातु

(क) अलौह धातु तथा औद्योगिक कच्चा माल

घरेलू अलौह धातु उद्योग में मूल अलौह धातुओं के निर्यात, गौण धातुएं तथा फैरो–एलॉयस एवं विदेशी ट्रेडर्स व्यापक रूप से शामिल हैं। विश्व में भारत अल्युमिनियम,तांबे तथा जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक है। विगत कुछ वर्षों में घरेलू निर्माताओं ने विभिन्न स्टॉक प्वाईंटस द्वारा अपनी पहुंच को बढाया है तथा इस प्रक्रिया में समय को कम किया है। फैरो–सिलिकन, फैरो–मैग्नीज, उच्च कार्बन वाले फैरो–क्रोम आदि जैसे एलायज के निर्माताओं ने विगत कुछ दशकों में अपने प्रचालनों को बढाया है। इन विनिर्माताओं

जिन्होंने इस्पात संयंत्रों के आस–पास आस में अनुशांगी उद्योग के रूप में कार्य शुरू किया था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में अनुभव प्राप्त किया है।

यूरोप तथा एशिया से बाहर आधारित बड़ी मल्टीनेशनल ट्रेडिंग कंपनियों का भारत के आयात बाजार पर प्रभुत्व है। विश्व के सबसे बड़े कमोडिटीज के ट्रेडर्स भारतीय बाजार में सक्रिय हैं। विदेशी ट्रेडर्स द्वारा अधिकांश आयातित माल की बिक्री भारत में उनके ग्राहकों को अथवा हाईसीज आधार पर सीधे ही की जाती है। कॉपर अल्युमिनियम जिंक और लैड बाजारों में व्यापारियों को घरेलू निर्माताओं से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । निकल, टिन और छोटे धातुओं के सेगमेंट में विदेशी व्यापारी/निर्माता प्रभावशाली स्थिति में है क्योंकि इन धातुओं का घरेलू उत्पादन लगभग न के बराबर है।

वर्ष 2018–19 के दौरान समूह ने 193.93 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया जिसमें से 191.94 करोड़ रुपए का अलौह धातु जिंक, निकल, कोबाल्ट और टिन इत्यादि और 1.47 करोड़ रु. का ब्रास का आयात शामिल है। एमएमटीसी के आपूर्ति आधार में प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता और हल्के धातुओं के सभी आधार शामिल हैं और सुचारु रुप से व्यवसाय को चलाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए बड़े पीएसयूज, रेलवे, ऑर्डनेंश फक्ट्री के साथ अच्छे संबंध हैं तथापि गैर मानकीकृत और करटम में निर्दिष्ट माल सूचीबद्ध आपूर्तिकारों के पास उपलब्ध नहीं है। एनएफएम व्यापार में एनएफएम बिक्री हल्की धातुओं को विदेशी आपूर्तिकारों के सहयोग से एमएमटीसी के सघन बिक्री नेटवर्क के माध्यम से एनएफएम बिक्री के अवसर मिलते हैं और विभिन्न व्यापार समझौतों के अंतर्गत एशियाई देशों से कच्चे धातुओं और अलौह धातुओं के देशों से मिलने के अवसर मिलते हैं । सैकेण्ड्री और रिसाईकिल धातुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए और ग्राहकों द्वारा सैकेण्ड्री रिसाइकलिंग और स्मल्टिंग प्लांट स्थापित करने और पिछले 5 वर्षों के दौरान बेस धातु जैसे कॉपर, अल्युमिनियम और जिंक के निर्माण से बाजार को और प्रतिस्पर्धी बनाने का खतरा शामिल है।

आपकी कंपनी के एनएफएम समूह एफटीडब्न्यूजेड के माध्यम से अलौह धातु की बिक्री की संभावनाओं का पता लगायेगा। बाजार में अन्य व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के द्वारा बेहतर वाणिज्यिक शर्तों पर एमएमटीसी बड़े विदेशी व्यापारियों और निर्माताओं के साथ दीर्घकालीन/वार्षिक आपूर्ति के लिए समझौते कर रही है।

(ख) स्टील/पिग आयरन

वर्ष 2018 विशेष रुप से लौहे और इस्पात उदयोग के लिए उथल पुथल से भरा एक जटिल वर्ष रहा है जबकि 2017 में देखी गई स्टील मांग वसूली की मजबूती को 2018 तक आगे बढ़ाया गया था और जोखिम भी बढ़ गए हैं । बढ़ते व्यापार तनाव और मुद्रा में उतार चढ़ाव में आई वृद्धि से वैश्विक

उत्पाद उद्योग में अनिश्चितता आई है। जबकि 2019 के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक इस्पात मांग में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1681.2 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है हालांकि यह स्टील उपभोग उद्योग में वृद्धि पर निर्भर करता है।

वर्ष के दौरान समूह ने 1871.15 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिसमें 375.52 करोड़ रुपए मूल्य का पिग आयरन का निर्यात और 8.18 करोड़ रुपए का स्लैग शामिल है। स्टील उत्पादों जैसे पिग आयरन, स्लैग, बिल्ट्स के घरेलू व्यापार 1487.45 करोड़ रुपए था । पिग आयरन का उत्पादन एमएमटीसी का ओडिसा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एमएमटीसी–एनआईएनएल पिग आयरन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। एमएमटीसी थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताईवान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे विदेशी बाजारों की पूर्ति करता है और उभरते हुए बाजारों जैसे बंगलादेश और श्रीलंका में भी अपनी पैठ बना ली है। लंबे समय के अंतराल के बाद समूह ने बिलट के घरेलू बाजार में भी प्रवेश किया है जिसके नतीजे अच्छे हैं । समूह ने ई निलामी और मूल्य परिपत्र के माध्यम से घरेलू बाजार में लगभग 36000 मी.टन स्टील बिलेट्स की बिक्री की है। वर्ष के दौरान पिग आयरन निर्यात के लिए समूह को वर्ष 2017–18 के लिए ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

पूरे विश्व में स्टील सैक्टर में आई मंदी से भारतीय पिग आयरन निर्यात में काफी असर हुआ है। विपरीत बाजार परिस्थितियों के बावजूद समूह ने वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन किया है। इसके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए ग्राहकी बाजार का विकास हुआ है । यह समूह बंग्लादेश और श्रीलंका को पिग आयरन और बिलट्स के निर्यात की संभावनों का पता लगाएगा ।

कृषि उत्पाद

आपकी कंपनी के कृषि समूह ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 980.03 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस कारोबार में 609.69 करोड़ रुपए की दालों का आयात तथा 370.34 करोड़ रुपए मूल्य की दालों और खाद्य तेलों का घरेलू कारोबार शामिल है। खुले बाजार में कीमतों के भारी

उतार–चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए समूह ने सरकारी खाते में दालों का आयात किया। लाल मसूर, तुअर दाल, उड़द, चना जैसी दालें प्रमुख मदें हैं।

सोया डीओसी के निर्यात तथा घरेलू बाजार में कच्चे सोया तेल की बिक्री के लिए सोयाबीन प्रोसेसिंग के नवोदित एवं विकासशील सेगमैंट से आरंभ करते हुए एमएमटीसी लगभग ढाई दशकों से कृषि उत्पादों का व्यापार कर रही है। सरकारी खाते में या वाणिज्यिक आधार पर चावल, गेहूं और चीनी जैसे खाद्यान्न के आयात/निर्यात के भी पर्याप्त अवसर थे। मूल्यों के संतुलन के लिए दालों का आयात के लिए एमएमटीसी की अग्रणी भूमिका रही है। दालों का बफर स्टाक बनाने के लिए दालों के आयात हेतु भारत सरकार द्वारा एमएमटीसी को एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बफर स्टॉक कार्यक्रम के लिए लगभग 3.79 लाख मी.टन की विभिन्न दालें जैसे :– तुर, उड़द, मसूर और चने का आयात किया। इन दालों का विभिन्न पोर्ट गोदामों में भण्डारण किया गया और भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के परामर्श पर राज्य सरकारी एजेंसियों और खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी किया जा रहा है। एमएमटीसी राज्य सरकारों के आरबीडी पाम आयल की आपूर्ति के लिए निविदाओं में भाग ले रहे हैं ।

घरेलू उत्पादन में निर्यात और आयात के अवसर मिले हैं। कृषि की मदों में आयी अत्याधिक अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय पण्य बाजारों और मुद्रा दरों में आयी लोचता मूल्य प्रवृति के आधार पर प्राकृतिक उतार–चढ़ाव जैसे सूखा/मानसून इत्यादि के अतिरिक्त कृषि व्यवसाय के लिए खतरा पैदा होता है।

विश्व में कच्चे तेल, स्टील, कृषि उत्पादों, खाद्य तेलों आदि से लेकर सभी मदों के बाजारों में मंदी है। चीन, ईयू तथा अन्य देशों के आर्थिक विकास में मंदी ने भी कमोडिटी बाजारों को प्रभावित किया है। यह समूह भी इस घटनाक्रम का अपवाद नहीं है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अभी रिकवर होना है। वर्ष 2018–19 में दालों के अतिरिक्त कृषि उत्पादों की संभावनाएं अधिक उत्साहजनक नहीं हैं। गेहूं, चावल, खाद्य तेल आदि जैसी प्रमुख मदों को भी अभी मंदी के रुझान से निकलना है।

व्यापार मात्रा बढ़ाने के लिए रिकार्ड घरेलू उत्पादन तथा पड़ोसी देशों में विद्यमान मांग पर विचार करते हुए यह समूह चीनी के निर्यात की संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है। इसी प्रकार पड़ोसी देशों के साथ–साथ कुछ अफ्रीकी देशों को भी भारतीय गैर–बासमती चावल के निर्यात की संभावनाओं को ज्ञात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीडीएस सिस्टम द्वारा वितरण के लिए कंज्यूमर पैक्स में आरबीडी पाम आयल की आपूर्ति के लिए यह समूह राज्य सरकारों की निविदाओं में भाग ले रहा है। एमएमटीसी मक्का और पाम आयल के आयात के लिए पहल कर रहा है और चावल और चीनी के निर्यात के लिए अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

उर्वरक एवं रसायन

एमएमटीसी भारत में एक प्रमुख उर्वरक आयातक है। यह तैयार मध्यम और कच्चे उर्वरक का आयात करती है। एमएमटीसी लगभग 3 से 4 मिलियन टन उर्वरक का आयात करती है। यह भारत में बहुत से संस्थागत ग्राहकों को उर्वरक आपूर्ति करने वाला विश्वसनीय है और विश्वस्त आपूर्तिकार के रूप में कार्य कर रहा है। यह सब संभव हुआ है पिछले चार दशकों में मेहनत से बनाई गई विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के कारण।

एमएमटीसी ने अपने क्षेत्र में विशेष स्थान बनाया है और क्रय, बिक्री के क्षेत्र में चार दशकों के अनुभव और श्रेष्ठ नेटवर्क का लाभ मिला है जिससे इसके आपूर्ति आधार

का विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आज एमएमटीसी सभी उर्वरक उत्पादों के क्रय और विक्रय में विकास के लिए इकलौती कंपनी है।

आपकी कंपनी का उर्वरक समूह उर्वरक विभाग, उर्वरक और रसायन मंत्रालय की ओर से यूरिया का आयात करता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के उर्वरक एवं रसायन समूह ने 10132.43 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिसमें भारत सरकार की ओर से लगभग 10,096.5 करोड़ रुपए के 4.49 मि. टन यूरिया और 17.27 करोड़ रुपए का सल्फर का आयात और 4.55 करोड़ रुपए का उर्वरकों का घरेलू व्यापार किया गया। मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया एक प्रमुख उर्वरक है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एमएमटीसी का यूरिया आयात देश के आयात आवश्यकताओं का 81 प्रतिशत है।

पिछले वर्षों से भारत में उर्वरक उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। सामान्यत: समीक्षाधीन वर्ष भारत में उर्वरक उद्योग के लिए कठिन दौर रहा है क्योंकि सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कृषि में प्रयुक्त रसायनिक उर्वरक की प्रमात्रा पर सीधा असर हुआ है। भारत में लगभग 59 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। वर्षा कम होने के कारण कृषि में उपयोग किए गए रसायनिक उर्वरक की मात्रा पर सीधा असर हुआ है। विभिन्न उर्वरकों के आयात मूल्य में अंतर के कारण मांग में काफी कमी आई है जिसके कारण अंतत: उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

आयात के लिए केवल यूरिया ही सरणीकृत उत्पाद है जबकि अन्य सभी उर्वरक ओजीएल के अंतर्गत है। उर्वरक विभाग तथा यूरिया के आयात के लिए कैनालाईजिंग एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू कैनालाईज्ड यूरिया के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण डिवलपमेंट है।

भारत के लिए वर्ष 2018–19 की संभावना मानसून एवं मौसम के पूर्वानुमान पर निर्भर होगी। चालू वर्ष में मानसूनी और सरकार की नीति के कारण सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी भी चुनौतियों का सामान कर रहे विकासशील देशों का ध्यान विशेष रुप से कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर होगा। तथापि, यूरिया, डीएपी तथा एमओपी की क्षमताओं में नए परिवर्धन से सभी प्रमुख उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति स्थिति पर्याप्त होने की आशा है।

व्यापार में वर्तमान उत्पाद श्रृंखला जैसे सरकारी खाते में यूरिया के आयात की मात्रा को बढ़ाने तथा ट्रेडिंग के लिए नए उर्वरक उत्पादों की तीव्रता से पहचान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। वर्ष 2019–20 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना में उर्वरक प्रभाग की ओर से यूरिया की अपेक्षित मात्रा का आयात करना और फास्फेट कच्चा माल मध्यवर्ती और तैयार उर्वरक पर ध्यान केन्द्रित करना, दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए यूरिया और डीएपी का निर्यात करना शामिल है।

कोयला एवं हाईड्रोकार्बन

भारत देश में घरेलू कोयला उपभोग का एक चौथाई भाग का निर्यात करता है। सरकार देश में ही कोयला उत्पादन को बढ़ाकर कोयला आयात के लिए, समुद्री तटों पर स्थित बिजली संयंत्रों की आपूर्ति को छोड़कर, देश की निर्भरता को कम करने पर जोर देती है। वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयला को स्वतंत्र रुप से आयात किया जा सकता है (उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात कर सकते हैं)। आयातित कोल सेग्मेंट पर निजी कंपनियों का प्रभुत्व है।

आपकी कंपनी के कोल एवं हाईड्रोकार्बन समूह ने 1452.19 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है जिसमें 355.57 करोड़ मूल्य के हाईड्रोकार्बन का घरेलू व्यापार शामिल है। समूह द्वारा स्टीम कोल जैसे उत्पादों का व्यवसाय किया जाता है।

कोल के लिए एमएमटीसी ने सरकारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर अभी तक ध्यान देती रही है तथापि एमएमटीसी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारत में स्थित सीमेंट, स्पॉंज आयरन यूनिट और कैप्टिव पावर प्लांट को आयातित कोल की आपूर्ति में अच्छे अवसरों का लाभ लेने पर विचार कर रहा है। एमएमटीसी अपने पड़ोसी देशों को लक्ष्य करते हुए इन देशों में भावी क्रेताओं को कोल

एमएमटीसी
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

का निर्यात करने पर ध्यान दे रही है।

एमएमटीसी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल(स्टीम), लो–एश मैटलर्जिकल कोक, नैफ्ता इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। अभी घरेलू बाजार में कोकिंग कोल की मांग और आपूर्ति में बड़ा फर्क है जो आगे चल कर बढ़ सकता है। एमएमटीसी ने अपनी जेवी कंपनी–नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, दुबरी, ओडिशा के लिए नियमित आधार पर कोकिंग कोल का आयात किया है। संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित हमारे स्टील प्लांट की कोकिंग कोल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एमएमटीसी एलटीए सप्लायर अर्थात् बीएचपी बिलिटन, आस्ट्रेलिया और कॉन्चूरा कोल सेल्स, यूएसए से कोकिंग कोल का आयात कर रहा है। एमएमटीसी फंड आगम बढ़ाने के लिए बल्क क्रेता जैसे आरआईएनएल, टाटा मैटालिक्स और पूर्वी भारत में अन्य क्रेताओं को एलएएम कोक और नट कोक नियमित रूप से बेच रहा है।

माईका

जैसा कि पूर्व वर्षों में सूचित किया गया है कि विश्व के बाजारों की बदलती आवश्यकताओं तथा माईका प्रोसेस तकनीकों में तकनीकी विकास के कारण वर्ष 2002–03 से माईका प्रभाग के कार्य कलाप रुके हुए हैं। अभ्रक नगर, कोडरमा जिले में भूमि के उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामान्य व्यापार

आपकी कंपनी के सामान्य व्यापार समूह ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 26.60 करोड़ रुपए का कुल व्यापार किया है। समूह ने राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त आबंटन के आधार पर वर्ष 2018–19 के दौरान 21.37 करोड़ रुपए के लाल चन्दन (रेड सैंडर्स) के निर्यात को अंतिम रूप दिया है। एमएमटीसी ने लगभग 12.50 करोड़ मूल्य के लगभग 49 मी.टन की मात्रा के लिए विदेशी क्रेताओं के साथ करार किया है, जिसको शीघ्र ही निष्पादित किया जाएगा। वर्ष के दौरान समूह ने कँडक्टर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति के लिए एसोशिएट्स निर्माताओं का पैनल बनाया है और लाइन हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए लाइबेरीया में निविदा में भाग लिया है।

कर्नाटक में गजेंद्रगढ़ में स्थित विंड फार्म से उत्पादित विंड ऊर्जा की बिक्री से 5.18 करोड़ रुपए के कुल व्यापार करके 3.74 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। इस परियोजना से उत्पादित ऊर्जा को एचईएससीओएम को बेचा गया है। यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तथा इसने कर्नाटक राज्य की कुछ ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हुए क्षेत्र के विकास में भी योगदान किया है।

सचेतक स्टेटमेंट

कम्पनी के प्रोजेक्शंस अनुमानों तथा उम्मीदों को प्रकट करने वाली प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण लागू नियमों व विनियमों के अभिप्राय के अंतर्गत "फारवर्ड लुकिंग स्टेटमेंटस" हो सकती है। वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए अथवा अंतर्निहित परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकते है। कम्पनी के कार्यकलापों में भिन्नता वाले प्रमुख कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों, जिनमें कम्पनी व्यापार करती है, में मूल्य परिस्थितियां, सरकारी विनियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य विधाओं में परिवर्तन तथा आकस्मिक कारक शामिल हैं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट– 2018–19

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा दें, जिसमें इस नीति के तहत चलाई जाने वाली परियोजना अथवा कार्यक्रम, सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम से संबंधित वेब–लिंक भी शामिल किया जाए।

एमएमटीसी लिमिटेड ने निरंतर एक अच्छे कारपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से एक सतत तरीके से व्यापार संचालित कर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तीन तरीकों की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई है। सीएसआर गतिविधियों के बारे में किसी आधिकारिक अनुदेश के न होते हुए भी एमएमटीसी लिमिटेड ने काफी समय पहले सितंबर, 2006 में सीएसआर को एक नीतिगत पहल के रूप में अपनाया था। यह पहल प्रभावी तौर पर 2007–08 में प्रारंभ की गई और सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए गत वर्ष के रिटेनएबल लाभ की एक प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। इस पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल पर विशेष बल दिया गया था तथा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और सामुदायिक गतिविधियां चलाने के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने पर जोर दिया गया।

लोक उद्यम विभाग(डीपीई) ने वर्ष 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर अपनाने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे। एमएमटीसी लिमिटेड ने इन दिशा–निर्देशों को अपनाते हुए तदनुसार अपनी सीएसआर नीति का पुनर्निर्धारण किया। इसके बाद, डीपीई ने नवंबर, 2011 तथा अप्रैल, 2013 में इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए, जिन्हें एमएमटीसी ने विधिवत तरीके से अपना लिया था।

एमएमटीसी लिमिटेड की सीएसआर नीति अब कंपनी अधिनियम की धारा 135 तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों के अनुसार है। कंपनी के सीएसआर प्रोजेक्ट्स कंपनी अधिनियम की धारा 135 की शर्तों के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 125.4 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी जो कि पिछले तीन वर्षों के कंपनी के निवल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के तहत आवंटित राशि को मुख्य रूप से हेल्थकेयर, शिक्षा व पोषण को प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन तथा कौशल विकास पर खर्च किया। इसके अलावा एमएमटीसी ने कपास तोड़ने के लिए किसानों में वितरित की गई हस्त मशीनों के कार्यक्रम में योगदान किया।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

- वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशकों की सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य थे–
- श्री रजनीश गोयनका, नॉन आफिशियल अंशकालिक निदेशक–अध्यक्ष
- डॉ.जयंत दासगुप्ता, नॉन आफिशियल अंशकालिक निदेशक–सदस्य
- श्री वेद प्रकाश, सीएमडी–सदस्य
- श्री टी.के. सेनगुप्ता, निदेशक (कार्मिक)–सदस्य
- श्री सुनील कुमार, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक–सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

सीएसआर बजट का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई।

पिछले तीन वर्षों–2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 का शुद्ध लाभ क्रमश: रू 47.79 करोड़, रू 81.23 करोड़ तथा रू 59.13 करोड़ था। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों का शुद्ध औसत लाभ 62.72 करोड़ रुपए बनता है।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद–3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)

कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के निवल औसत लाभ की दो प्रतिशत राशि 125.4 लाख रू थी।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए व्यय का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि :
वर्ष 2018–19 के दौरान कुल आवंटित राशि 125.4 लाख रू में से 62.93 लाख रू की राशि खर्च की गई।

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है तो :
खर्च न की गई राशि 62.47 लाख रू थी।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका नीचे दिया गया है :
विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय करने में विफल रहती है तो कंपनी अपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस राशि का व्यय न करने का कारण बताएगी।

वर्ष 2018–19 के दौरान महत्वाकांक्षी जिलों तथा अन्य स्थानों पर सीएसआर के तहत चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स/कार्यक्रमों के लिए निदेशक मंडल द्वारा 125.4 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया था। पालिसी के अनुसार वार्षिक बजट राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि महत्वाकांक्षी जिलों में खर्च करनी होती है जबकि इसकी तुलना में एमएमटीसी ने महत्वाकांक्षी जिलों के लिए 75 प्रतिशत राशि आवंटित की थी। कार्यान्वयन साझीदारों/एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न प्रोजेक्ट्स/प्रोग्रामों के लिए बजट की संपूर्ण राशि आवंटित की गई थी। एमएमटीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति की धारा 4(iv)(ए) के अनुसार, लघु अवधि के सीएसआर प्रोजेक्ट्स को दो वर्षों के अंदर कार्यान्वित किया जाता है। महत्वाकांक्षी जिलों के प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव दिसंबर, 2018 में प्राप्त हुए थे, तथापि प्रोजेक्ट्स के वर्क आर्डर दे दिए गए हैं जिन पर कार्य चल रहा है। इनका कार्य वर्ष 2019–20 में पूरा होने की संभावना है। चूंकि सीएसआर के तहत चलाए जा रहे 62.47 लाख रू की राशि के विभिन्न प्रोजेक्ट्स/कार्यक्रमों के निर्माण कार्य की प्रगति भिन्न–भिन्न स्तर पर है, अत: इन्हें वर्ष 2019–20 में पूरा करने के लिए आगे लाया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर के उद्देश्यों एवं नीति के अनुरूप है।

हस्ता/–	हस्ता/–
	(सीएमडी,
एमएमटीसी)	(सीएसआर कमेटी के अध्यक्ष)

सीएसआर गतिविधियां

गोद लिए गए एमएमटीसी स्कूल में पौधारोपण

[illegible] एकता फाउंडेशन में मशीन हेल्पर ट्रेनिंग कोर्स

बारां राजस्थान में अक्षय पात्र के साथ मिडडे मील

एसडीसीईएस के साथ विकास कौशल

अमानपुरम के सरकारी स्कूल में साइकिल स्टैंड, इलाहाबाद

ए.डी. [illegible] फाउंडेशन में टेलरिंग कोर्स

कल्लीपुरम के सरकारी स्कूल में फर्नीचर का दान

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका

अनुलग्नक–I

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	सेक्टर जिसे परियोजना कवर करती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का नाम जिसमें परियोजना चलाई गई	परियोजना अथवा कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट राशि)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे तौर पर किया गया खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक खर्च की गई समग्र राशि.	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	ओडिशा के महत्वाकांक्षी जिलों में रेजेडा, उत्कल तथा रिसिदा सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम्स का निर्माण	हेल्थकेयर	कालाहांडी, ओडिशा	75.24 लाख रुपए	22.09 लाख रुपए	22.09 लाख रुपए	प्रत्यक्ष रूप से । चूंकि परियोजना का काम जारी है अत: खर्च न की गई शेष राशि को वर्ष 2019–20 में जारी किया जाएगा।
2	मिड–डे मील कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देना	पोषण तथा शिक्षा	बारन, राजस्थान	6.11 लाख रुपए	6.11 लाख रुपए	6.11 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : अक्षय पात्र फाउंडेशन
3	स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड–डे मील के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कोल्ड रूम सुविधा का निर्माण	पोषण तथा शिक्षा	विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	5.50 लाख रुपए	5.50 लाख रुपए	5.50 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : अक्षय पात्र फाउंडेशन
4	स्वच्छ भारत कोश को फंड उपलब्ध कराना	स्वच्छ भारत मिशन	–	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : स्वच्छ भारत कोश
5	क्लीन गंगा कोश को फंड उपलब्ध कराना	स्वच्छ भारत मिशन	–	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा
6	किसानों को कपास तोड़ने वाली हस्त मशीनों का वितरण		–	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	5.00 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. स.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	सेक्टर जिसे परियोजना कवर करती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का नाम जिसमें परियोजना चलाई गई	परियोजना अथवा कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट राशि)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे तौर पर किया गया खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक खर्च की गई समग्र राशि	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
7	समाज के वंचित समूहों (महिलाओं, दलितों तथा वंचित बच्चों) को ब्यूटीशियन(ब्यूटी एंड वैलनेस) के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास एवं आजीविका	दिल्ली	5.00 लाख रुपए	4.00 लाख रुपए	4.00 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : श्री दीपचंद एजुकेशन सोसायटी, एनजीओ। चूंकि परियोजना का काम जारी है अतः खर्च न की गई शेष राशि को वर्ष 2019–20 में जारी किया जाएगा।
8	टैलरिंग कटिंग, इम्ब्राइडरी व लेस मेकिंग तथा फैशन डिजाइनिंग का कौशल विकास कार्यक्रम चलाना	कौशल विकास एवं आजीविका	हजारीबाग, झारखंड	7.50 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए	कार्यान्वयन एजेंसी : ए.के. मिश्रा, फाउंडेशन, एनजीओ। चूंकि परियोजना का काम जारी है अतः खर्च न की गई शेष राशि को वर्ष 2019–20 में जारी किया जाएगा।
9	स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन	कांडीकुप्पा, आंध्र प्रदेश	5.00 लाख रुपए	0	0	प्रत्यक्ष। प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राशि वर्ष 2019–20 में जारी की जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. स.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	सेक्टर जिसे परियोजना कवर करती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का नाम जिसमें परियोजना चलाइ	परियोजना अथवा कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट राशि)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे तौर पर किया गया खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक खर्च की गई समग्र राशि.	खर्च की गई : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
10	ओडिशा में चल रहे सीएसआर प्रोजेक्ट पर वर्ष 2017–18 में जीएसटी की अतिरिक्त देयता	स्वच्छ भारत मिशन	जयपुर, ओडिशा	4.00 लाख रुपए	4.00 लाख रुपए	4.00 लाख रुपए	प्रत्यक्ष।
11	प्रभाव निर्धारण अध्ययन			1.82 लाख रुपए	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी : निर्णय लिया जाना है। कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जाएगी।
12	स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन	चेन्नै, तमिलनाडु	0.23 लाख रुपए	0.23 लाख रुपए	0.23 लाख रुपए	प्रत्यक्ष। प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राशि वर्ष 2019–20 में जारी की जाएगी।

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यनिष्ठा, कार्यनिष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों यथा– निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस तथा लोक उदयम विभाग (डीपीई) द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट दी गई है जो निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है। इसके अलावा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भी शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को निदेशक मंडल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) सरकार द्वारा नामित दो अंशकालिक निदेशक तथा चार गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार रिटायर होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई रिटायर होते हैं तथा पात्र होने पर पुनः नियुक्ति पाते हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा फंक्शनल निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेनदेन नही रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी : –

क्र. स	निदेशक का नाम	कार्यकारी/ गैर–कार्यकारी	धारित पद	अन्य सूचीबद्ध कंपनी जिसमें निदेशक हैं	31.03.2019 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	31 मार्च 2019 को बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य/अध्यक्ष हैं*
1	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		अध्यक्ष– 3 निदेशक–2	सदस्य 1
2	श्री सुनील कुमार	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	1	अध्यक्ष–1
3	डॉ. एस सी पाण्डेय (30.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि., एमएमटीसी लि., [illegible] लि.	निदेशक–9	सदस्य 3
4	श्री अमानी सोढी (31.03.2019 तक)	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	लागू नहीं	निदेशक– 2	शून्य
5	श्री टी.के. सेनगुप्ता (31.03.2019 तक)	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	लागू नहीं	निदेशक– 1	शून्य
6	श्री उमेश शर्मा	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	निदेशक–5	सदस्य 1
7	श्री जे रवि शंकर (04.07.2018 से)	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	लागू नहीं	निदेशक–4	शून्य
8	श्री आर आनंद (14.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	स्टर्लिंग हॉलिडे रिसॉर्ट्स लि.	निदेशक– 6	अध्यक्ष – 1 सदस्य – 2
9	श्री बी.के. शुक्ला (14.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	शून्य	शून्य
10	श्री रजनीश गोयंका	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	निदेशक– 3	सदस्य – 1
11	डॉ जयन्त दासगुप्ता	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	शून्य	सदस्य – 1
12	श्री आर.आर. आहूजा	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	शून्य	शून्य
13	श्री जी मंजुनाथ (21.12.2018 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	शून्य	शून्य

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा सार्वजनिक कम्पनी के स्टेकहोल्डर्स की रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन (01.04.2018 से)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख/ कार्यकाल की समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
1	श्री पी के जैन	कार्यकारी निदेशक	14.05.2018	कार्यकाल की समाप्ति
2	श्री जे रवि शंकर	कार्यकारी निदेशक	04.07.2018	नियुक्ति
3	श्री जी. मंजूनाथ	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	21.12.2018	नियुक्ति
4	श्री आर आनन्द	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	14.06.2019	नियुक्ति
5	श्री बी.के.शुक्ला	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	14.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
6	श्री राजीव रंजन सिन्हा	कार्यकारी निदेशक	19.06.2019	नियुक्ति
7	डॉ. एस. सी. पाण्डेय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
8	श्री शशांक प्रिय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	19.08.2019	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन–आफिसियल अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए रु.15,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमडी सहित प्रत्येक फंक्शनल निदेशक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ	वर्ष 2018–19* के दौरान कार्य– निष्पादन से जुड़ा वेतन	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सेवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2019 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री वेद प्रकाश	5727455	564952	शून्य	15
श्री टी.के. सेनगुप्ता	4022243	64167	शून्य	शून्य
श्री पी.के. जैन (14.05.2018 तक)	722219**	(-)115891	शून्य	शून्य
श्री अश्वनी सोंधी	4307161	95025	शून्य	750
श्री उमेश शर्मा	4254662	179440	शून्य	शून्य
श्री जे. रवि शंकर (04.07.2018 से)	2470866	0	शून्य	शून्य

* ऊपर दर्शाये गये पीआरपी के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित हैं जिनका वित्तीय वर्ष 2018–19 में तदर्थ (एडहॉक) आधार पर भुगतान किया गया।

** वर्ष 2018–19 के दौरान उनके वेतन से रुपए 3,06,430/– की राशि की विधिवत वसूली की गई। इसके अलावा वर्ष 2015–16, 2017–18 के लिए तदर्थ आधार पर दिए गए पीआरपी की एडहॉक राशि 1,15,891/– रु की वसूली की गई।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन से संबंधित सीपीएसईज के दिनांक 18.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निदेशक मंडल की एक बैठक दिनांक 16.01.2019 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह बैठकें हुईं, जो दिनांक 29.05.2018, 14.08.2018, 27.09.2018, 12.11.2018, 16.01.2019, तथा 14.02.2019 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 28 सितम्बर, 2018 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	निदेशक का नाम	बोर्ड की उस अवधि में हुई बैठकों की संख्या जिसमें दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 28.09.2018 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री वेद प्रकाश	6	6	हाँ
	श्री अश्वनी सोनी	6	6	हाँ
	श्री टी. के. सेनगुप्ता	6	5	हाँ
	श्री रमेश शर्मा	6	6	हाँ
	श्री जे. रवि शंकर	5	5	हाँ
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्री सुनील कुमार	6	4	नहीं
	डॉ. एस सी पाण्डेय	6	3	नहीं
(ग)	**गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री आर. आनंद	6	6	हाँ
	श्री बी. के. शुक्ला	6	6	हाँ
	श्री रजनीश गोयनका	6	6	हाँ
	डॉ. जया दासगुप्ता	6	5	हाँ
	श्री आर. आर. जयेश	6	6	हाँ
	श्री जी. मधुनाथ	2	2	लागू नहीं

स्वतन्त्र निदशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नॉन–आफिशियल निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका के बारे में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 14.02.2019 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में तत्कालीन सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में होने वाली पहली बोर्ड की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), सिक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यवसाय से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है । इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण http://mmtclimited.com/pages/display/294-training-programme-for-directors पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त हो गई है। इसके प्रावधानों में निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। सेबी (एलओडीआर) के तहत भी इसी प्रकार की छूट अपेक्षित है। एमसीए के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड तथा इसकी समितियों / संबंधित निदेशक को बोर्ड रिपोर्ट में अपने कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के अपने तरीके के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो । इस संबंध में डीपीई ने कंपनियों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है।

उल्लेखनीय है कि एमएमटीसी प्रत्येक वर्ष भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है जिसमें कंपनी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन पैरामीटर्स दिए जाते हैं। एमओयू के लक्ष्य कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होते हैं तथा इन्हें सभी निदेशकों के मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। एमओयू में वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, सामुदायिक विकास एवं अन्य संबंधित कारक सहित सभी परिचालन तथा कार्यनिष्पादन के पैरामीटर्स कवर होते हैं। डीपीई वार्षिक आधार पर भारत सरकार के साथ हुए एमओयू से तुलना करते हुए कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, जवाबदेही तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
5. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति
6. शेयर ट्रांसफर समिति
7. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
8. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
9. निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2019 को तीन अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), विनियम 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2018–19 में समिति की चार बैठकें आयोजित हुई जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	29.05.2018	श्री बी.के. शुक्ला डॉ. जयन्त दासगुप्ता	श्री आर आनन्द
2	14.08.2018	श्री बी.के. शुक्ला डॉ. एस.सी.पाण्डेय	श्री आर आनन्द
3	12.11.2018	श्री बी.के. शुक्ला डॉ. जयन्त दासगुप्ता	श्री आर आनन्द
4	14.02.2019	श्री बी.के. शुक्ला डॉ. जयन्त दासगुप्ता	श्री आर आनन्द

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु कंपनी के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए। यह भी पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षा समिति की ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार न किया हो।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके सीएमडी तथा निदेशकों की नियुक्ति तथा इनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, कंपनी ने कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों, सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के मान्य प्रावधानों तथा कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। बोर्ड तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अंशकालीन नॉन–आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / सीटिंग फीस पाने के पात्र नहीं हैं।

चूंकि बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, अत: निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना द्वारा सभी सरकारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 178(2), (3) तथा (4) के प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। इस प्रावधान के अनुसार योग्यता, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता तथा निदेशकों एवं निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित पॉलिसी का निर्धारण करना होता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशको की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अंशकालीन नॉन आफिसिएल(स्वतंत्र) निदेशक श्री बी.के.शुक्ला अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक श्री आर.आर जडेजा इसके सदस्य थे। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका एवं संदर्भ शर्तों का निर्धारण कंपनीज एक्ट, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशंस, 2015 तथा समय–समय पर यथासंशोधित डीपीई के दिशा–निर्देशों के तहत होता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की दो बैठकें हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	27.09.2018	श्री आर. आनन्द श्री आर.आर. जडेजा	श्री बी.के. गुप्ता
2	16.01.2019	श्री आर. आनन्द श्री आर.आर. जडेजा	श्री बी.के. गुप्ता

बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

3. **स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति**

कंपनीज एक्ट, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशंस 2015, की अपेक्षाओं के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति का गठन किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव एवं सरकार द्वारा नामित अंशकालीन निदेशक श्री सुनील कुमार इस समिति के अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन–आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक श्री आर गोयका एवं एमएमटीसी के सीएमडी इसके सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान इस समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2019 # को लंबित शिकायतों की संख्या
1	17	16	2

लंबित शिकायतों का निष्पादन अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह में किया गया।

4. **सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति**

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने एसडी तथा सीएसआर को मिलाकर इसका नाम सीएसआर तथा सतत विकास निदेशक समिति कर दिया। वर्ष के दौरान इस समिति में अंशकालीन नॉन–ऑफिसिएल(स्वतंत्र) निदेशक श्री आर. गोयंका इसके अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन–आफिसिएल(स्वतंत्र) निदेशक डॉ. जयंत दासगुप्ता और एमएमटीसी के सीएमडी, निदेशक(कार्मिक) व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव एवं सरकार द्वारा नामित अंशकालीन निदेशक श्री सुनील कुमार इस समिति के सदस्य थे। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

 # वर्ष 2018–19 के दौरान इस समिति की बैठक हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	06.08.2018	श्री वेद प्रकाश श्री टी के सेनगुप्ता डॉ. जयंत दास गुप्ता	डॉ. जयंत दास गुप्ता

इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

5. **निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति**

कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशकों को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल करते हुए अगस्त 2016 में निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई। यह समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा समय–समय पर संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों में विनिर्दिष्ट भूमिका के तहत कार्य करेगी। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहेंगे। वर्ष 2018–19 के दौरान इस समिति की दिनांक 29 मार्च 2019 को बैठक हुई जिसमें निदेशक(कार्मिक) को छोड़कर समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

6. **शेयर ट्रांसफर समिति**

निदेशक मंडल द्वारा शेयर ट्रांसफर समिति गठित की गई है जिसमें एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

7. **कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति**

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया है जिसमें अंशकालीन नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक श्री आर.आर. जडेजा इसके अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक(वित्तपोषण) श्री अश्वनी सोंधी इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन / बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 23.07.2018, 06.08.2018 तथा 14.02.2019 को इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

8. **सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति**

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा अनुमोदन की सिफारिश करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह देने और एमएमटीसी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने "सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों" के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया है।

एमएमटीसी के सीएमडी श्री वेद प्रकाश इस समिति के अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक श्री आर आर जडेजा तथा श्री अश्वनी सोंधी, निदेशक(विपणन), इसके सदस्य हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

9. **निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी**

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की छियालिस बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम सभा बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
53वीं वार्षिक आम बैठक	26.09.2016 को 1030 बजे	शून्य
54वीं वार्षिक आम बैठक	26.09.2017 को 1100 बजे	शून्य
55वीं वार्षिक आम बैठक	28.09.2018 को 1100 बजे	शून्य

पोस्टल बैलेट

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के एमओए के क्लॉज V तथा एओए के आर्टिकल 4 में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से दो विशेष संकल्प पारित किए गए तथा बोनस शेयर जारी करने के लिए एक साधारण संकल्प पारित किया गया। परिणाम दिनांक 25.04.2018 को घोषित किए गए। एक और विशेष संकल्प जेवी कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में अतिरिक्त निवेश करने के लिए पारित किया गया। परिणाम की घोषणा दिनांक 24.08.2018 को की गई।

इसके अलावा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अन्य किसी और साधारण/विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रकटन

ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं है।

बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोटर्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। "संबंधित पक्ष लेन–देन" के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट्स में प्रकट किये गये हैं।

सी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

डी) कंपनी ने "व्हिसल ब्लोअर पालिसी" तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ई) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिजम तैयार किया है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

एफ) कंपनी ने मौटे तौर पर सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशंस 2015, कंपनीज एक्ट, 2013 तथा भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईज के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में जारी दिशा– निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है सिवाय ऐसी स्थिति में जिसका उल्लेख ऊपर रिपोर्ट में किया गया है।

जी) कंपनी को वर्ष 2018–19 के दौरान सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण एनएसई/बीएसई से नोटिस प्राप्त हुए हैं। चूंकि बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां भारत सरकार के पास हैं तथा ये शक्तियां कंपनी के बोर्ड के पास नहीं हैं, अतः स्टॉक एक्सचेंजों से पेनल्टी माफ करने का अनुरोध किया गया। उपर्युक्त के अलावा गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा अन्य सांविधिक अथारटी द्वारा न तो कोई पेनल्टी लगाई गई अथवा न ही निंदा की गई।

सीईओ / सीएफओ का प्रमाण–पत्र

सेबी(एलओडीआर) के रेगुलेशन 17(8) के तहत अपेक्षित है कि कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएफओ द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र को निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 30 मई, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में प्रस्तुत किया गया जो कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ (अनुलग्नक–ए) के रूप में संलग्न है।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठक:

कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को ऑडिटोरियम, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जायेगी।

(बी) वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.08.2019 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
द्वितीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 15.11.2019 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
तृतीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.02.2020 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
चतुर्थ तिमाही परिणाम(अंकेक्षित) तथा वर्ष 2019–20 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2020 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(सी) बुक क्लोजर की तिथियां

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 21 से 30 सितंबर 2019 तक (वार्षिक आम बैठक तथा वार्षिक आम बैठकों में अंतिम लाभांश की घोषणा के लिए दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(डी) लाभांश भुगतान

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	2015-2016	2016-2017	2017-18
रेट	30%	30%	30%
दिनांक	17.10.2016	17.10.2017	20.10.2018

(ई) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) बाजार–मूल्य डाटा

वर्ष 2018–19 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज / एनएसई पर उद्धृत / व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

महीना	अधिकतम(रू.)	न्यूनतम(रू.)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज		
अप्रैल 2018	70.3	55.7
मई 2018	65.85	32.9
जून 2018	40.2	31
जुलाई 2018	35.45	30.45
अगस्त 2018	35.2	31.3
सितंबर 2018	35.6	26.85
अक्तूबर 2018	32.95	24.05
नवंबर 2018	32.45	28.05
दिसंबर 2018	31.45	25.8
जनवरी 2019	31.4	26
फरवरी 2019	28.7	23.85
मार्च 2019	29.9	25.65

महीना	अधिकतम(रू.)	न्यूनतम(रू.)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		
अप्रैल 2018	70.5	55.75
मई 2018	65.8	32.80
जून 2018	40.25	30.95
जुलाई 2018	35.6	30.60
अगस्त 2018	35.15	31.25
सितंबर 2018	35.75	26.65
अक्तूबर 2018	32.85	24.05
नवंबर 2018	32.30	26.20
दिसंबर 2018	31.40	25.70
जनवरी 2019	31.35	26.00
फरवरी 2019	28.65	23.85
मार्च 2019	29.85	25.50

(जी) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट्स(आरटीए) :

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या: आईएनई 123 एफ 1029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्युरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2019 को एमएमटीसी लिमिटेड के 1/– रुपए प्रतिशेयर के अंकित मूल्य की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1348903143 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 151096857 शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 2831 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई) शेयर अंतरण पद्धति

कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2019 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा अन्य किसी दस्तावेजों इत्यादि को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

(जे) <u>निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को लाभांश की अनक्लेम्ड राशि का अंतरण</u>

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 से संबंधित अंतिम लाभांश की अनक्लेम्ड राशि रुपए 29806/– आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अपने शेयरधारकों के विवरण जैसे कि नाम, पता, आईईपीएफ को ट्रांसफर की जाने वाली राशि तथा इस राशि को किस तारीख को आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है की सूचना अपलोड कर दी है। कंपनी समय–समय पर ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने लाभांश पाने के लिए अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस जारी किए हैं ताकि वे अपने भुगतान न किए गए अनक्लेम्ड लाभांश के लिए दावा कर सकें।

(के) आईईपीएफ को शेयरों का ट्रांसफर

कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर यथासंशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, ट्रांसफर व रिफंड) नियम, 2016 की धारा 124(6) के अनुसार ऐसे शेयरों के लाभांश की राशि, जिसका पिछले सात वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि तक भुगतान नहीं किया गया/भुगतान पाने के लिए दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ प्राधिकरण क खाते में ट्रांसफर करना होता है। इन प्रावधानों तथा एमसीए द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार, सीडीएसएल के साथ खोले गए खाते में से 41 शेयरधारकों के 41 शेयरों को वर्ष 2018–19 के दौरान आईईपीएफ के डिट खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, उनका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://mmtclimited.com/pages/show/166-unpaid-dividend-details, अतः शेयरधारक अपने विवरण इस वेब–लिंक पर देख सकते हैं।

(एल) दिनांक 31.03.2019 को शेयर होल्डिंग का वितरण:

दिनांक 31.3.2019 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरहोल्डिंग प्रतिशत में
प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग			
केंद्र सरकार	1	1348903143	89.93
पब्लिक शेयरहोल्डिंग			
केंद्र सरकार(आईईपीएफ)	1	1468	0.000
म्युचुअल फंड्स/यूटीआई	2	588989	0.039
वित्तीय संस्थान/बैंक	2	982427	0.065
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	6	60025104	4.002
बीमा कंपनीज	3	1400524	0.093
गैर–संस्थान			
कारपोरेट निकाय	715	9323563	0.622
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	115085	76098674	5.073
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	2	584000	0.039
ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	6	20250	0.001
नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	1102	2006696	0.134
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	4	65162	0.004
कुल	**116929**	**1500000000**	**100**

टिप्पणी: कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(एम) 31.03.2019 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	50909511	3.394
2	युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	3682471	0.2455
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2760000	0.184
4	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1712446	0.1142
5	एमवी एससीआईएफ, मॉरीशस	992876	0.0662
6	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	675268	0.045
7	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (बीएसई)	614500	0.041
8	एक्सिस बैंक लिमिटेड	592982	0.0395
9	आईसीआईसीआई बैंक लि.	588897	0.0393
10	डिजाइमेंशनल इंडिया इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक	406948	0.0271

(एन) 31.03.2019 को आकार अनुसार शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1-500	12614545	0.841	87990	74.9923
501-1000	10106421	0.6738	13483	11.4913
1001-2000	12364651	0.8243	8477	7.2248
2001-3000	7915136	0.5277	3047	2.5969
3001-4000	3741155	0.2494	1050	0.8949
4001-5000	3933255	0.2622	859	0.7321
5001-10000	10009691	0.6673	1407	1.1992
10001-50000	17098109	1.1399	906	0.7722
50001-100000	5240772	0.3494	74	0.0631
तथा इससे ऊपर	1416976265	94.4651	39	0.0332
कुल	**1500000000**	**100**	**117332**	**100**

(ओ) 31.03.2019 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

क्र.सं.	शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	अहमदाबाद	6741	5.851	5166022	0.344
2	बंगलूरु	3571	3.099	2527212	0.168
3	भुवनेश्वर	310	0.2691	186720	0.012
4	चण्डीगढ़	379	0.3289	219042	0.015
5	चेन्नई	3164	2.746	7090908	0.473
6	दिल्ली	12915	11.21	1357593214	90.50
7	गुवाहाटी	263	0.2283	329313	0.022
8	हैदराबाद	2764	2.399	3581759	0.239
9	जयपुर	2208	1.916	1342547	0.090
10	कानपुर	725	0.6293	442676	0.030
11	कोलकाता	4197	3.643	4555671	0.304
12	मुंबई	13601	11.80	75035051	5.00
13	नागपुर	625	0.5425	334236	0.022
14	एनसीआर तथा अन्य	3550	3.081	2865961	0.191
15	पटना	512	0.4444	290169	0.019
16	तिरुअनंतपुरम	176	0.1528	70470	0.005
17	अन्य	61631	53.50	38369019	2.56

(पी) **शेयरधारकों / अन्य निवेशकों की शिकायतें : –**

शेयरधारक / अन्य निवेशक अपनी शिकायत कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(क्यू) **पत्राचार का पता :** बोर्ड सचिवालय, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003. फोन संख्या : 011– 24361889 ई–मेल : ganarayanan@mmtclimited.com

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–ए

सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए) दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की गई है तथा अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस बारे में हमारा कहना है कि :

i. इन विवरणों में किसी भी तरह का असत्य कथन शामिल नहीं है अथवा न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है अथवा इसमें न ही ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं ;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में हैं।

बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया जो कंपनी की आचार संहिता के अनुसार धोखाधड़ी, अवैध अथवा उल्लंघन की श्रेणी में आता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अथवा परिचालन से संबंधित यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है तो हमने उसकी सूचना लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को दे दी है। इसके अलावा हमने इन कमियों को दूर करने के उपाय किए हैं अथवा दूर करने का प्रस्ताव है।

डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में बता दिया है :

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तथा हमने इसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया है; तथा

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी के ऐसे मामले, जिनमें प्रबंधतंत्र अथवा कोई कर्मचारी शामिल है तथा उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता. /–	हस्ता. /–
(उमेश शर्मा)	(वेद प्रकाश)
(निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ)	(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक– बी
एमएमटीसी लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसरण में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की जाती है) वह लाभांश वितरण की एक पालिसी बनाए तथा उसकी सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे ।

चूंकि एमएमटीसी 31 मार्च, 2016 के मानदंडों के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, इसलिए इसने लाभांश वितरण की पालिसी तैयार की है।

II **पॉलिसी फ्रेमवर्क**

पालिसी मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की पूंजी का पुनर्गठन" विषय पर जारी दिशानिर्देशों, लोक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों इत्यादि के अनुसार किया गया है।

III **कारक जिनको विचार में लिया जाता है**

एमएमटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है तथा यह अपने सभी स्टेकहोल्डर्स को सतत मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है। बोर्ड लाभांश की सिफारिश अपने विवेक के आधार पर करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश भुगतान का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है चूंकि ऐसा करते समय कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि तथा कंपनी को अपने निरंतर विकास की योजनाओं में लगाई जाने वाली आंतरिक पूंजी के बीच संतुलन बनाना होता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

ए. **परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं**

लाभांश की सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और समय–समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन कर सहित लाभांश पर कर शामिल है परंतु केवल ये ही कारक विचारणीय नहीं हो सकते।

बी. **लाभांश की घोषणा करते समय भी वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा**

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के नाते, कंपनी का प्रयास रहता है कि वह भारत सरकार के डीआईएपीएम द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की पूंजी की रिस्ट्रक्चरिंग" विषय पर जारी दिशानिर्देशों जिनके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों।

फिर भी, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिनियम, जिसके तहत उसका गठन हुआ है के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम लाभांश का भुगतान कर सकती है। कम लाभांश का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मामले में उचित निर्णय ले :

(i) ऋण लेने के लिए नेटवर्थ और क्षमता;
(ii) दीर्घकालिक उधार;
(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;
(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का रिटेशन, तथा

(v) नकद और बैंक शेष।

स. आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचार के लिए शामिल किया जाएगा

सी.1 आंतरिक कारक कंपनी की नेट वर्थ

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येकसीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों। सरकारी कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल है:

मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं;
कंपनी का सहायक/असोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश;
अन्य कोई कारक जिसे बोर्ड उचित समझे।

सी.2 बाहरी कारक

सी.2.1 आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक अनिश्चितता अथवा मंदी तथा व्यावसायिक स्थिति के मामले में, कंपनी
भावी उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए रिजर्व में वृद्धि करने के लिए लाभ के बड़े हिस्से को रिटेन करने का प्रयास करेगी।

सी. 2.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार अथवा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा लाभांश घोषणा के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

डी. रिटेंड अर्जन का उपयोग

कंपनी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है तथा यह अपने व्यवसाय के विविधीकरण के उपायों के रूप में ऐसे संयुक्त उद्यमों में भागीदारी कर सकती है जो इसके व्यापार से मेल खाते हों। रिटेंड किए गए अर्जन को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप लगाया जाएगा, जिससे कंपनी के कारोबार और परिचालन में वृद्धि होगी।

ई. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर्स

रिकॉर्ड तिथि की स्थिति के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, इसलिए कंपनी के सभीसदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने की प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर इस नीति को समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

यदि बाद में किसी भी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे परिवर्तन का कोई प्रावधान वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के अनुरूप नहीं है तो उस स्थिति में परिवर्तित पालिसी की बजाय उक्त वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम के प्रावधान मान्य होंगे।

इस पालिसी में मामूली संशोधन/परिवर्तन सीएमडी के अनुमोदन से किया जा सकता है तथा वे इस पालिसी के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–सी

1. जोखिम प्रबंधन नीति : कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षक समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया है ।

2. पूरे वर्ष के दौरान सूचीगत इकाईयों द्वारा कमोडिटी जोखिमों का सामना करने वाली कमोडिटी इकाईयों का प्रकटन ।

ए) आईएनआर में सूचीगत कमोडिटी इकाईयों का पूर्ण प्रकटन (बी) विभिन्न कमोडिटी की सूचीगत इकाईयों का प्रकटन

31 मार्च 2019 को

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के लिए आईएनआर में प्रकटन	विशेष कमोडिटी के लिए प्रमात्रा में प्रकटन	कमोडिटी डरेविटिवेस के द्वारा हैज प्रकटन का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
सोना	55.52	175.9179	-	64%	-	-	64%
चांदी	20.66	4534.6283	-	20%	-	-	20%

टिप्पणी :– 1. अक्तूबर 2018 से सिल्वर हैजिंग आरंभ हुई
2. ऋण पर 36% सोना शेष और कोई प्रकटन नहीं
3. निगम ने कमोडिटी जोखिम का सामना किया
मूल्यों में उतार चढ़ाव जोखिम कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा शामिल।

एम एम टी सी
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

J. K. Gupta & Associates
(Company Secretaries)

256 & 257, Vardhman City Center 2,
Near Shakti Nagar Railway Under Bridge,
Gulabi Bagh, Delhi- 110052

Tel : +91-11-23644449
+91-11-23654449
+91-11-23644447
Fax : +91-11-23644448
Mobile : +91-9810043622
Website : www.jkgupta.com
E-mail : jitesh@jkgupta.com

Compliance Certificate on Corporate Governance

To
The Members of
MMTC Limited

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by MMTC Limited for the year ended 31st March 2019 as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and as per the other relevant provisions of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "Listing Regulations") and as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises by Department of Public Enterprises (hereinafter referred as "DPE Guidelines on Corporate Governance").

2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination is limited to review the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance with the conditions of the Corporate Governance as stipulated in the said regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

3. In our opinion and to the best of our knowledge and information and according to the explanations given to us and based on the representations made by the directors and the Management, we certify that the Company has complied with the mandatory conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance, except:
   a. As per Regulation 17(1), during the period under review, requisite number of independent directors were not appointed on the Board of the company.
   b. As per Regulation 17(1), during the period under review, no woman director is being appointed on the Board of the company.
   c. In compliance to the Regulation 17(10) and 25(4), the performance evaluation of the Directors of the company has not been carried out during the review period although this provision has been exempted for the Government Companies under the Companies Act, 2013.

4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For J. K. Gupta & Associates

Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No. 2448
PR No.: 2015/91

Place: Delhi
Date: 07/08/2019

एमएमटीसी लिमिटेड
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2018–19

कंपनी के विषय में

एमएमटीसी श्रेणी–I का मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 1963 में निगमित हुआ था। यह देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों में से एक है जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर कंपनी के 09 क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात तथा सांची ब्रांड के चांदी के उत्पादों, इंडिया गोल्ड कॉयन, गोल्ड मैडालियन इत्यादि की घरेलू बिक्री कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप हैं। एमएमटीसी इंजीनियरिंग उत्पादों का भी व्यवसाय करती है तथा स्टील रिटेलिंग, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग तथा कमोडिटी एक्सचेंज के संयुक्त उद्यमों में भागीदारी है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने दीर्घकालिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 'फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा दिया गया।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से एमएमटीसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) के रूट को अपनाते हुए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड, टी एम माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, रिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. तथा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2018–19

सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यवसाय रिपोर्ट (बीवीआर) जारी करना आवश्यक हो गया है।

खण्ड ए: कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नंबर (सीआईएन)
एल51909डीएल1963जीओ1004033

2. कंपनी का नाम
एमएमटीसी लिमिटेड

3. पंजीकृत पता
कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली – 110003

4. वेबसाइट
www.mmtclimited.com

5 ई मेल आईडी
mmtc@mmtclimited.com

6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
2018–19

7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोडवार)
ट्रेडिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध कराती है। (तुलन पत्र के अनुसार)
(i) यूरिया
(ii) स्वर्ण
(iii) चादी

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)
सिंगापुर मे एक सहायक कंपनी

(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या
भारत में 09 क्षेत्रीय कार्यालय

10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका

खण्ड बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (आइएनआर)	150 करोड़
2.	कुल कारोबार(आईएनआर)	28292.82 करोड़
3.	करोपरांत कुल लाभ 2018–19(आईएनआर)	81.43 करोड़
4.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	वर्ष 2018–19 के दौरान 125.40 लाख रुपए की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की गई जोकि पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के बराबर थी।

5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का न्यूनतम 2% खर्च करना होता है। उक्त प्रावधान के अनुरूप सीएसआर–निदेशकों की समिति और निदेशक मंडल ने वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च के लिए 125.40 लाख रुपये का वार्षिक सीएसआर बजट अनुमोदित किया। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर योजना के अनुसार 60 प्रतिशत हैल्थ केयर, 13.24 प्रतिशत शिक्षा व पोषण, 7.98% स्वच्छ भारत/साफ गंगा के लिए, 9.94% कौशल विकास और 8.84% कपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–VII के अंतर्गत अन्य सूचीगत मदों के लिए आंबटित किया। कुल सीएसआर बजट में से 79.19 प्रतिशत राशि नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों में परियोजनाओं के लिए आबंटित की गई।

खण्ड सी : अन्य विवरण

1 क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?

जी हां, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कपनी/कंपनिया मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।

– नहीं

2. क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)

– नहीं

खण्ड डी : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या – 07696766
- नाम – श्री टी.के. सेनगुप्ता
- पदनाम – निदेशक(कार्मिक)

क्र. सं	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	वी. के. पाण्डेय
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन नं.	011–24360676
5.	ई–मेल आईडी	vkp@mmtclimited.com

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

2. सिद्धांतवार (एनवीजी अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1 नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ–साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।

सिद्धांत 3 बिजनेस सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करता हो।

सिद्धांत 4 बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5 बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 6 बिजनेस पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करे तथा इसे बचाने के लिए प्रयास करें।

सिद्धांत 7 जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा।

सिद्धांत 8 बिजनेस समावेशी एवं समान विकास को प्रोन्नत करता हो।

सिद्धांत 9 बिजनेस अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देता हो।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास__ के लिए नीति/ नीतियां है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या पालिसी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करके बनाई गई है?	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4.	क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/ सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां		हां	हां	हां			हां	
5.	नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए क्या कंपनी में निदेशक मण्डल/ निदेशक/कर्मचारी की निर्दिष्ट समिति है?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.mmtclimited.com		www.mmtclimited.com						
7.	क्या नीति की सूचना आंतरिक व बाह्य सभी स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से दी गई है?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन हाउस स्ट्रक्चर है?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/ मूल्यांकन करवाया है?	हां		हां		हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी सिद्धान्त का उत्तर नहीं में है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर नहीं क्यों है : (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सके		✓					✓		
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा मानव शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. **बीआर से संबंधित सुशासन (गवर्नेंस)**

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि में ?

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए विस्तृत एजेंडा अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं समीक्षा की :

- कारपोरेट योजना / एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले / वेतन संशोधन / सक्सेशन प्लान / पीसीएमएम गैप विश्लेषण
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- एनआईएनएल से संबंधित मामले
- वार्षिक बजट
- शेयर मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पैटर्न
- अधिशेष निधियों के उपयोग की स्थिति
- वित्तीय विवरणों / परिणामों को मंजूरी
- वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर / बीबीआर पर वार्षिक रिपोर्ट
- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है? यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?

सेबी के आदेश (मिनडेट) के अनुसार मार्केट कैपिटल के आधार पर 500 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। एमएमटीसी टॉप 100 सूचीगत कंपनियों में नहीं होने के बावजूद वर्ष 2012–13 से बीआरआर नियमित रूप से प्रकाशित कर रही है। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिसियल वेबसाइट www.mmtclimited.com पर देखा जा सकता है।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क (यूएनजीसीएन) का सदस्य भी है तथा वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) प्रस्तुत करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड ई – सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है?

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार–व्यवहार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारी आचरण, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं फिर भी वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के आचरण को संचालित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापारिक आचार एवं नीतियों की संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत बिजनेस, पालिसियों जैसे सत्यनिष्ठा समझौता, पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर पालिसी तथा सिटीजन चार्टर लागू किए गए हैं।

क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है ?

जी हां, सत्यनिष्ठा समझौता निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के खरीद संबंधी टेंडरों के लिए अपनाया गया है, सिटीजन चार्टर के दायरे में वेंडर, क्रेता, सप्लायर, ठेकेदार आदि आते हैं जबकि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) तथा व्हिसल ब्लोअर नीतियां और आडिट कमेटी सतर्कता तंत्र केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में स्टेकहोल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनमें से कितने प्रतिशत का निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।**

स्टेकहोल्डरों की शिकायत मिलने पर कंपनी की शिकायत निवारण नीति के अनुसार तुरंत निवारण किया जाता है। यह नीति पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। पूरे वर्ष में कर्मचारी/ वेंडर संबंधी अधिकतर शिकायतों का संतोषपूर्वक निवारण कर दिया गया। कुछ शिकायतें ट्रांसफर और पदोन्नति से संबंधित थी उनमें से जो उचित अनुरोध थे उनका तत्काल समाधान कर दिया गया। सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निवारण किया जाता है और इन शिकायतों में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के अंदर ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। अन्य सभी लंबित मामले विचाराधीन हैं और उनके संतोषजनक समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सिद्धांत 2–व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हों।

एमएमटीसी मुख्यतः ट्रेडिंग कारोबार में होने के साथ–साथ स्वर्ण एवं चांदी के विभिन्न मूल्यवर्गों के मेडालियन का निर्माण भी करती है। एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बीआईएस के अनुरूप मेडालियन के निर्माण को भी सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3–व्यापार कर्मचारियों के हितों का उन्नयन करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**
दिनांक 31.3.2019 को कुल कर्मचारी संख्या 864 (निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों सहित) है।

2. **कृपया अस्थायी/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**
विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 304 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**
कुल स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 199 है।

4. **कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**
दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 23 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**
जी हां ।

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थायी कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है?**
100 प्रतिशत

7. कृपया पिछले वित्त वर्श में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी / जबरन मजदूरी / अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया?**

निरंतर बदलते व्यापारिक परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल के विकास / उन्नयन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस / इन हाउस कार्यक्रमों में कर्मचारियों को कार्यात्मक / व्यवहारिक कौशल और कंपनी के अन्य कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए कुल अधिकारियों / कर्मचारियों में से 92(24.93 प्रतिशत) एससी वर्ग, 28(7.59 प्रतिशत) एसटी वर्ग के थे तथा 86(23 प्रतिशत) महिला अधिकारी / कर्मचारी थे। श्रम दिवसों के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 528 श्रम दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया ।

सिद्धांत 4 व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा जो हाशिए पर हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है?हां / नहीं**

जी हां, कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में विभिन्न समूह के स्टेकहोल्डर्स की पहचान की है और उनके साथ संपर्क बनाया है। आंतरिक स्टेकहोल्डर्स में कर्मचारी, शेयरहोल्डर्स तथा बाहरी में ग्राहक, समुदाय इत्यादि शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

जी हां, समावेशी विकास को प्रोन्नत करने के लिए एमएमटीसी द्वारा एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी(विकलांग व्यक्ति) / भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं। एससी / एसटी कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों / शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए भी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो वे दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। पहिया कुर्सी(व्हील चेयर) का प्रयोग करने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के सहज आवागमन के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर एक स्थायी ढाल रास्ता(रैम्प) बनाया गया है।

कार्यालय भवन में मंजिलों की उदघोषण के लिए श्रव्य सूचक हैं। इनमें से कुछ में मंजिलों के लिए ब्रेल सिम्बल बटन हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग के लिए टॉयलेटों तथा शौचालयों को उनके अनुकूल बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डर्स को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों तथा क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज के सहयोग से ऐसे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

सिद्धांत 5.–व्यवसाय में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

इस समय कंपनी में मानव अधिकारों की कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

कंपनी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट नेटवर्क (यूएनजीसएन) की सदस्य है और कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस(सीओपी) पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए उपलब्ध है।

तथापि, एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निर्देशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसके कर्मचारी मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त करें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए "सहायता" के नाम से 03 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था की गई है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें से प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निवारण किया गया?**

ऐसी कुल 22 शिकायतें थी तथा इन सभी का निपटान कर दिया गया।

सिद्धांत 6. व्यवसाय में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि विनिर्माण एमएमटीसी का मुख्य कार्यकलाप नहीं है अतः इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/ एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

संगठन में पर्यावरण के बारे में लिखित में कोई नीति नहीं है। तथापि, यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते कंपनी पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलों के समाधान के लिए क्या कंपनी ने कोई रणनीति बनाई है/उपाय किए हैं ? यदि उत्तर हां है, तो कृपया वेब पेज आदि के हाईपरलिंक बताएं।**

यद्यपि विनिर्माण एमएमटीसी की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, फिर भी खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जनजाति क्षेत्रों में विकास तथा प्रचालन क्षेत्रों तथा इसके आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और अपने सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से सतत पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट के लिए सीओपी द्वारा अपनी विभिन्न पहलों के विषय में संस्थान नियमित रूप से सूचित करता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है?हां/नहीं**

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुड़ा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है ?यदि ऐसा है तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें। इसके अतिरिक्त यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है ?**

जी नहीं।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि के लिए कोई अन्य कदम उठाए है? हां/नहीं । यदि हां है तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करती है।

एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा एमएमटीसी आवासीय कालोनी, नई दिल्ली की छत पर 50 केडब्लयूपी के सोलर पावर प्लांट लगाए हैं।

6. **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

लागू नहीं।

7. **समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए)**

लागू नहीं।

सिद्धांत 7. व्यवसाय यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है?यदि हां, तो कृपया केवल उन्ही मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यवसाय का संबंध है ।**

ए. सीआईआई
बी. फिओ(एफआईईओ)
सी. फिक्की
डी. असोचैम

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है?हां/नही; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः सुशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार सिद्धांत, अन्य)।**

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

सिद्धांत 8. व्यवसाय को समावेशी विकास तथा न्यायसंगत विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/प्रोजेक्ट बनाए हैं?यदि हां तो उसका विवरण दें।

चूंकि कंपनी उत्पादों का निर्माण नहीं करती है, अतः इसके कार्यकलापों से पर्यावरण तथा समाज पर प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी इसने अपनी सीएसआर नीति बनाई हुई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर नियमों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशा निर्देशों को भी एमएमटीसी ने अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया उपलब्ध है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्ट्स/इन–हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों तथा फंक्शनल निदेशकों के अलावा कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद सीएसआर समिति को भेज देता है। सीएसआर समिति द्वारा विचार करने के बाद प्रस्तावों को निदेशक मण्डल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है । निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाना है वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को स्वयं ही अथवा निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के "सामाजिक प्रभाव" का मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दें।**

एमएमटीसी ने वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए 125.40 लाख रुपए आवंटित किए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के लिए आवंटित फंड का उपयोग मुख्यत: हेल्थकेयर, शिक्षा व पोषण को प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन, कौशल विकास संबंधी कार्यों में किया गया । इसके अतिरिक्त, एमएमटीसी ने किसानों को कपास बीनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कपास प्लकर मशीनें दी गई।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।

एमएमटीसी की सीएसआर पहलों का उददेश्य समुदाय आधारित ऐसे संगठनों को मजबूत बनाना है जो विकास की मुख्य धारा से बाहर रह गए लोगों विशेषकर महिलाओं, युवाओं तथा बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करती है। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को पहले एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा की गई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण से चिन्हित किया जाता है तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, इन कार्यान्वयन में उन्हें लगाने के साथ–साथ भविष्य की योजनाओं के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं।

सिद्धांत 9: व्यवसाय करते समय ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को महत्व देते हुए जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोक्ताओं के मामले लम्बित हैं।**

रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है?हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

कंपनी सिल्वर व गोल्ड मेडालियन तथा सांची ब्रांड नाम से सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी है।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

इस प्रकार का कोई भी मामला निपटान के लिए लंबित नही है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का आकलन किया है?**

जी हां। फीडबैक तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से 'कस्टमर्स मीट' आयोजित की जाती है। फेस्टिवल ऑफ गोल्ड जो एमएमटीसी का वार्षिक आयोजन है, के दौरान ग्राहकों से फीडबैक लिया जाता है। इस फीडबैक के आधार पर कंपनी को इस प्रकार के आयोजन अधिक संतोषजनक रूप से आयोजित करने में सहायता मिलती है।

फार्म नं. एमजीटी–9
वार्षिक रिटर्न का सारांश
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1) कार्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर	एल51909डीएल1963जीओआई004033
2) रजिस्ट्रेशन की तारीख	26 सितंबर, 1963
3) कंपनी का नाम	एमएमटीसी लिमिटेड
4) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	कोर–1, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 फोन: 01124362200 ई–मेल: mmtc@mmtclimited.com
6) क्या कंपनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध
7) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई है तो	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन: 011–41406149, फैक्स–011–41709881 ईमेल: Helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशतता
1.	कीमती धातु व जेवरी का थोक व्यापार	46498	44.34
2.	खनिजों का थोक व्यापार	46692	35.80

III. होल्डिंग, सहायक तथा एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. सिंगापुर	[illegible]	पूर्ण–स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100.00	2(87)
2	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	[illegible]	एसोसिएट	49.78	2(6)
3	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	[illegible]	एसोसिएट	26.00	2(6)
4	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	[illegible]	एसोसिएट	26.00	2(6)
5	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	[illegible]	एसोसिएट	26.00	2(6)
6	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	[illegible]	एसोसिएट	26.00	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

श्रेणी	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31मार्च 2019को)				वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन का प्रतिशत
(I)	(II)	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(क)	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता									
1	इंडियन									
(i)	व्यक्तिगत/एचयूएफ		0	0	0		0		0.00	0.00
(ii)	केन्द्र/राज्य सरकार	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	1348903143	0	1348903143	89.93	0.00
(iii)	निकाय कार्पोरेशन	0	0	0	0.00		0			
(iv)	बैंक/एफआई	0	0	0	0		0			
(v)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0		0			

	उप-जोड़(ए) (1)	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	1348903143	0	1348903143	89.93	
2	विदेशी									
(ए)	एनआरआई-व्यक्तिगत	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(बी)	अन्य-व्यक्ति	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(सी)	निकाय कारपोरेशन	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
(डी)	बैंक्स/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
(ई)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
	उप-जोड़ (ए)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह (ए) = (ए)(1) +(ए)(2)	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	1348903143	0	1348903143		89.93
(बी)	पब्लिक शेयरधारिता									
1	संस्थान	0								
(ए)	म्युचुअल फंडस	4,06,248	0	4,06,248	0.0406	588989	0	588989	.0393	-0.02
(बी)	बैंक्स/एफआई	4,38,594	0	4,38,594	0.0439	982427	0	982427	0.655	0.19
(सी)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार (आईईपीएफ)	0	0	0	0	1468	0	1468	00.000001	0.00
(डी)	वेंचर कैपिटल फंड्स		0			-	0		-	0.00
(ई)	इंश्योरेंस कम्पनियां	4,00,16,737	0	4,00,16,737	4.0017	60025104	0	60025104	4.0017	1.73
(एफ)	एफआईआई		0			-		0	-	0.00
(जी)	फोरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स	10,87,554	0	10,87,554	0.1088	1400524	0	1400524	.0934	-0.11
(एच)	अन्य कोई (उल्लेख करें)		0	0	-		0	0	-	0.00
	उप-जोड़ (बी)(1)	4,19,49,133		4,19,49,133	4.1949	62998512		62998512	4.1999	1.80
2	नॉन-इंस्टीट्यूशन्स									
(ए)	निकाय कार्पोरेट i) इंडियन	99,64,288	0	99,64,288	1.00	9323563	0	9323563	.6216	-0.38
	ii) ओवरसीज	0	0	0	-		0	0	-	0.00
(बी)	व्यक्तिगत							0	-	0.00
i	दो लाख रुपये तक की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	4,65,57,312	2,831	4,65,60,143	4.66	76093213	5461	76098674		-1.35
ii	दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	9,02,801	0	9,02,801	0.09	584000	0	584000		-0.05
(सी)	अन्य (उल्लेख करें)	0						0		
(सी-i)	ट्रस्ट	12,500		12,500	0.00	20250	0	20250		-0.00
(सी-ii)	नॉन-रेजिडेंट भारतीय	12,96,273		12,96,273	0.13	2006896	0	2006896		-0.04
(सी-iii)	क्लियरिंग सदस्य	0	0		0.0000			0	-	0.00
(सी-vi)	आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसीज	46,100		46,100	0.00	65162	0	65162	0.00	
	उप-जोड़ (बी)(2)	4,07,98,513	3,079	4,08,01,592	4.08	88092884	5461	88098345		-1.80
(बी)	उप-जोड़ (बी)(2) कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी) (2)	10,07,28,159	3,079	10,07,31,238	10.0731	151091396	5461	151096897	10.0731	0.00
(सी)	जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन के शेयर	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0.00
	कुल योग	99,99,96,921	3,079	1,00,00,00,000	100	1499994539	5461	1500000000	100.00	0.00

(ii) प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल 2018 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च 2019 को)			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता प्रतिशतता में बदलाव
1	**भारत के राष्ट्रपति**	899268762	89.9269	शून्य	1348903143	89.9269	शून्य	
	कुल	899268762	89.9269	शून्य	1348903143	89.9269	शून्य	

(iii) प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में बदलाव

क्रम सं.		शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) संचयी शेयरधारिता	
		वर्ष के आरंभ (01 अप्रैल 18)/अंत(31 मार्च 2019) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8	वर्ष के आरंभ में	. 92 68 762 89	. 9269 4	4 अप्रैल 2018	9634381	बोनस शेयर इशू		
	वर्ष के अंत में	89,92,68,762	89.9269	31 मार्च 2019			1348903143	89.9269

(iv) 31.03.2018 और 31.03.2019 को शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स का विवरण और उनका लेनदेन(प्रोमोटर्स को छोड़कर)

क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पैन	शेयरहोल्डिंग					वर्ष के दौरान (31.03.2018 से 31.03.2019) संचयी शेयरधारिता		वर्ग
				वर्ष के आरंभ (31.03.18)/ अंत में (31.03.19) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरें	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	
3	1939674 2. 26 201	8भारतीय जीवन बीमा निगम	एएएसीएल0582एच	31							बीमा कंपनी
						20180518	16969837	बोनस	50909511	3.39	
				50909511	3.39	20190330					
2	इन30081210000543	यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीयू5552सी	2454981	0.16	20180331					जीआईसी तथा इसकी सहायक कंपनियां
						20180518	1227490	बोनस	3682471	0.25	
				3682471	0.25	20190330					
3	इन30081210000029	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	एएएसीजी0615एन	1840000	0.12	20180331					जीआईसी तथा इसकी सहायक कंपनियां
						20180518	920000	बोनस	2760000	0.18	
				2760000	0.18	20190330					
4	इन30081210001728	दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस लिमिटेड	एएएसीएन4165सी	1141631	0.08	20180331		बोनस			जीआईसी तथा इसकी सहायक कंपनियां
						20180518	570815		1712446	0.11	

5	इन30016710081067	एलबी एसबीआईएफ मॉरिसस	एएजीसीएम 4803एन	1087554	0.07	20180331					विदेशी निकाय कारपोरेट
						20180406	-10042	बिक्री	1077512	0.07	
						20180427	-160609	बिक्री	916903	0.06	
						20180504	-6159	बिक्री	910744	0.06	
						20180518	455372	बोनस	1366116	0.09	
						20180615	-29858	बिक्री	1336258	0.09	
						20180622	-4827	बिक्री	1331431	0.09	
						20180629	-59472	बिक्री	1271959	0.08	
						20180727	14843	बिक्री	1286802	0.09	
						20180929	-183204	बिक्री	1103598	0.07	
						20181116	-3427	बिक्री	1100171	0.07	
						20181123	25516	खरीद	1125687	0.08	
						20181228	21638	खरीद	1147325	0.08	
						20190315	-13067	बिक्री	1134258	0.08	
						20190322	-134685	बिक्री	999573	0.07	
						20190329	-6697	बिक्री	992876	0.07	
				992876	0.07	20190330					
6	इन30081210000502	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीएन 9967ई	450179	0.03	20180331					जीआईसी तथा इसकी सहायक कंपनियां
						20180518	225089	बोनस	675268	0.05	
				675268	0.05	20190330					
7	इन30039411458679	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (बीएसई)	एएबीसीके 5190जी	542000	0.04	20180331					अन्य निकाय कारपोरेट्स
						20180406	-24000	बिक्री	518000	0.03	
						20180413	-20000	बिक्री	498000	0.03	
						20180427	30000	खरीद	528000	0.04	
						20180518	242000	बोनस	770000	0.05	
						20180622	-35000	बिक्री	735000	0.05	
						20180629	-97500	बिक्री	637500	0.04	
						20190125	50000	खरीद	687500	0.05	
						20190215	-16000	बिक्री	671500	0.04	
						20190222	-34000	बिक्री	637500	0.04	
						20190308	-21000	बिक्री	616500	0.04	
						20190322	-2000	बिक्री	614500	0.04	
				614500	0.04	20190330					
8	इन30048412622255	एक्सिस बैंक लिमिटेड	एएएसीए 2414के	168815	0.01	20180331					प्र. बैंक / को ओपरेटिव बैंक/ प्र. एफआइ / प्र.इंश्यो.
						20180406	-4306	बिक्री	164509	0.01	
						20180413	5699	खरीद	170208	0.01	
						20180420	-2286	बिक्री	167922	0.01	
						20180427	-12302	बिक्री	155620	0.01	
						20180504	-33346	बिक्री	122274	0.01	
						20180511	2863	खरीद	125137	0.01	
						20180518	94879	बोनस	220016	0.01	
						20180525	-653	बिक्री	219363	0.01	
						20180601	-23698	बिक्री	195665	0.01	
						20180608	-22500	बिक्री	173165	0.01	
						20180615	-1036	बिक्री	172129	0.01	
						20180622	-5008	बिक्री	167121	0.01	
						20180629	4815	खरीद	171936	0.01	

						20180706	-2514	बिक्री	169422	0.01	
						20180713	56510	खरीद	225932	0.02	
						20180720	-7841	बिक्री	218091	0.01	
						20180727	-40030	बिक्री	178061	0.01	
						20180803	-6901	बिक्री	171160	0.01	
						20180810	47042	खरीद	218202	0.01	
						20180817	-23400	बिक्री	194802	0.01	
						20180824	-5280	बिक्री	189522	0.01	
						20180831	-13118	बिक्री	176404	0.01	
						20180907	5869	खरीद	182273	0.01	
						20180914	-4694	बिक्री	177579	0.01	
						20180921	-4135	बिक्री	173444	0.01	
						20180929	143253	खरीद	316697	0.02	
						20181005	-15067	बिक्री	301630	0.02	
						20181012	-11312	बिक्री	290318	0.02	
						20181019	-25637	बिक्री	264681	0.02	
						20181026	-123824	बिक्री	140857	0.01	
						20181102	-6231	बिक्री	134626	0.01	
						20181116	-3234	बिक्री	131392	0.01	
						20181123	-176	बिक्री	131216	0.01	
						20181130	7677	खरीद	138893	0.01	
						20181207	5004	खरीद	143897	0.01	
						20181214	2608	खरीद	146505	0.01	
						20181221	58185	खरीद	204690	0.01	
						20181228	-58560	बिक्री	146130	0.01	
						20190104	-7410	बिक्री	138720	0.01	
						20190111	-650	बिक्री	138070	0.01	
						20190118	125976	खरीद	264046	0.02	
						20190125	124162	खरीद	388210	0.03	
						20190201	79557	खरीद	467767	0.03	
						20190208	-40866	बिक्री	426901	0.03	
						20190215	258	खरीद	427159	0.03	
						20190222	18496	खरीद	445655	0.03	
						20190301	-6823	बिक्री	438832	0.03	
						20190308	-58872	बिक्री	377960	0.03	
						20190315	-14249	बिक्री	363711	0.02	
						20190322	71706	खरीद	435417	0.03	
						20190329	157565		592982	0.04	
				592982	0.04	20190330					
8	इन30134820016807	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	एएएसीआई 1195एम	406248	0.03	20180331					प्रा. बैंक / को ऑपरेटिव बैंक / प्रा. एफआय / आईएफसी
						20180406	-39372	बिक्री	366876	0.02	
						20180413	-13391	बिक्री	353485	0.02	
						20180420	2771	खरीद	356256	0.02	
						20180427	21965	खरीद	378221	0.03	
						20180504	-66330	बिक्री	311891	0.02	
						20180511	43027	खरीद	354918	0.02	
						20180518	133627	बोनस	488545	0.03	
						20180525	20743	खरीद	509288	0.03	
						20180601	-32015	बिक्री	477273	0.03	
						20180608	-43667	बिक्री	433606	0.03	
						20180615	-50874	बिक्री	382732	0.03	
						20180622	23078	खरीद	405810	0.03	
						20180629	6597	खरीद	412407	0.03	

						20180706	25900	खरीद	438007	0.03	
						20180713	44713	खरीद	482720	0.03	
						20180720	-22108	बिक्री	460612	0.03	
						20180727	-5685	बिक्री	454927	0.03	
						20180803	-3329	बिक्री	451598	0.03	
						20180810	14176	खरीद	465774	0.03	
						20180817	6871	खरीद	472645	0.03	
						20180824	4439	खरीद	477084	0.03	
						20180831	-693	बिक्री	476391	0.03	
						20180907	10426	खरीद	486817	0.03	
						20180914	-12856	बिक्री	473961	0.03	
						20180921	35261	खरीद	509222	0.03	
						20180929	-30623	बिक्री	478599	0.03	
						20181005	-10936	बिक्री	467663	0.03	
						20181012	28011	खरीद	495674	0.03	
						20181019	1447	खरीद	497121	0.03	
						20181026	183871	खरीद	681092	0.05	
						20181102	16721	खरीद	697813	0.05	
						20181109	17479	खरीद	715292	0.05	
						20181116	156297	खरीद	871589	0.06	
						20181123	-130012	बिक्री	741577	0.05	
						20181130	-51239	बिक्री	690338	0.05	
						20181209	-123465	बिक्री	566873	0.04	
						20181214	84810	खरीद	651683	0.04	
						20181221	-6515	बिक्री	645168	0.04	
						20181228	-12795	बिक्री	632373	0.04	
						20181231	-4612	बिक्री	627761	0.04	
						20190104	-24697	बिक्री	603064	0.04	
						20190111	-64090	बिक्री	538974	0.04	
						20190118	64414	खरीद	603388	0.04	
						20190125	22360	खरीद	625748	0.04	
						20190201	-46129	बिक्री	579619	0.04	
						20190208	28160	खरीद	607779	0.04	
						20190215	17755	खरीद	625534	0.04	
						20190222	32560	खरीद	658094	0.04	
						20190301	-67192	बिक्री	590902	0.04	
						20190308	-4374	बिक्री	586528	0.04	
						20190315	57100	खरीद	643628	0.04	
						20190322	-1008	बिक्री	642620	0.04	
						20190329	-53723	बिक्री	588897	0.04	
				588897	0.04	20190330					
10	IN30014210733775	विजडमट्री इंडिया इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक	एफएफआईवलयू, 754एल	0	0	20180331					विदेशी निकाय कारपोरेट
						20180929	481655	खरीद	481655	0.03	
						20181005	8102	खरीद	489757	0.03	
						20181012	6516	खरीद	496273	0.03	
						20181221	-8102	बिक्री	488171	0.03	
						20181228	-11340	बिक्री	476831	0.03	
						20190118	-6520	बिक्री	470311	0.03	
						20190201	-8160	बिक्री	462151	0.03	
						20190208	-6504	बिक्री	455647	0.03	
						20190215	-26012	बिक्री	429635	0.03	
						20190222	-11361	बिक्री	418274	0.03	
						20190301	-6484	बिक्री	411790	0.03	
						20190308	-4842	बिक्री	406948	0.03	
				406948	0.03	20190330					

(v) निदेशकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	निदेशक का नाम	शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.18 से 31.03.19 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (01.04.2018) / वर्ष के अंत में (31.03.2019)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी में शेयरों का कुल प्रतिशत
1	1 श्री वेद प्रकाश	0		1 अप्रैल 18		बोनस इश्यु		
		15		31 मार्च 19			15	
2	श्री अश्वनी सोंधी	500		1 अप्रैल 18	250	बोनस इश्यु		
					-		750	
		750		31 मार्च 19				
3	श्री टी के सेनगुप्ता	0		1 अप्रैल 18				
		0		31 मार्च 19				
4	श्री उमेश शर्मा	0		1 अप्रैल 18				
		0		31 मार्च 19				
5	श्री पी रविशंकर	0		1 अप्रैल 18				
		0		31 मार्च 19				

vi निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी का नाम						कुल राशि
	कुल वेतन	श्री वेद प्रकाश	श्री पी रवि शंकर	श्री अश्वनी सोंधी	श्री टी के सेनगुप्ता	श्री पी के जैन	श्री उमेश शर्मा	
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	5636195	2446566	3927345	3646574	972761	4401702	21031143
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परमपूर्तियों का मूल्य	656212	24300	474841	439836	(-) 366433	32400	1261156
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य	-	-	-	-	-	-	
5	अन्य	-	-	-	-		-	
	कुल (क)	6292407	2470866	4402186	4086410	606328	4434102	22292299
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं						

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(रुपयों में)

क.सं.	वर्ग	निदेशकों के नाम						कुल राशि
		श्री आर आनन्द	श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर.आर जडेजा	श्री रजनीश गोयंका	श्री जयंत दासगुप्ता	श्री जी. मंजूनाथ	
	स्वतंत्र निदेशक							
0 0	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	80000 1	20000 1	50000 4	5000 94	5000		
	कमीशन	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (1)	210000	240000	180000	120000	150000	45000	945000
	अन्य –गैर कार्यकारी निदेशक	0	0	0	0	0	0	0
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	0	0	0	0	0	0	0
	कमीशन	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (बी) = (1+2)	210000	240000	180000	120000	150000	45000	945000
	कुल प्रबंधन पारिश्रमिक							
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	लागू नहीं						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रुपयों में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			कुल
		सीईओ (श्री वेद प्रकाश)	सीएफओ (श्री उमेश शर्मा)	कंपनी सचिव (श्री जी. आनंदनारायणन)	
1	कुल वेतन	**6292407**	**4434102**	**2082622**	**12809131**
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	5636195	4401702	2079665	12117562
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्वूजिट का मूल्य	656212	32400	2957	691569
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य	-	-	-	
5	अन्य	-	-	-	
	कुल	**6292407**	**4434102**	**2082622**	**12809131**

VII जुर्माना/दण्ड/शमन अपराध

प्रकार	कंपनीज एक्ट की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	पेनल्टी/सजा/लगाई गई कम्पाउंडिंग फीस का विवरण	अथॉरिटी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
सजा					
कम्पाउंडिंग	लागू नहीं				
ग. दूसरे अधिकारियों का डिफाल्ट					
पेनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग	लागू नहीं				

जे.के. गुप्ता एंड असोसिएट्स
कंपनी सेक्रेट्रीज
फार्म संख्या : एमआर–3
सेक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए [कंपनी अधिनियम 203 की धारा 2014(1) तथा कंपनीज नियमावली, 2014(अपाइंटमेंट एंड रेमुनरेशन आफ मैनेजरियल पर्सनल) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)]

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिटयूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमने **एमएमटीसी लिमिटेड** (जिसे इसके बाद एमएमटीसी/दि कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के मान्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सेक्रेट्रियल आडिट इस ढंग से की है कि कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने का सही आधार मिल सके तथा हम उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकें।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न, कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड, कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अथोराइज्ड प्रतिनिधियों द्वारा आडिट के दौरान उपलब्ध कराई गई अन्य सूचनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने आडिट अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर होता है, के दौरान नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही कंपनी में वर्तमान में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जिसकी सीमा तथा विस्तार नीचे दिया जा रहा है।

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की बुक्स, कागजात, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड की निम्नलिखित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

(i) दि कंपनीज एक्ट, 2013(दि एक्ट) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
(ii) दि सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
(iii) दि डिपाजिटरीज एक्ट, 1996 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम तथा नियम;
(iv) फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 तथा इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार के संबंध में बनाए गए नियम तथा विनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)
(v) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट, 1992 (सेबी एक्ट) के तहत बनाए गए निम्नलिखित विनियम तथा दिशा–निर्देश:
ए) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(सब्सटेंशिएल एक्विजिशन आफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेगुलेशंस, 2011;(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)
बी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(प्रोहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 1992;
सी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2009;
डी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया (शेयर बेस्ड एम्पलाई बेनिफिट्स) रेगुलेशंस, 2014 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)
ई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(इश्यु एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 2014 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)
एफ) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(रजिस्ट्रार टु एन इश्यु एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) रेगुलेशंस, 1993 कंपनीज एक्ट तथा ग्राहक के साथ डीलिंग;
जी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(बॉयबैक ऑफ सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 1998;(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)
एच) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015;
आई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(नॉन कन्वर्टीबल एंड रिडीमेएबल प्रिफ्रेंस शेयर जारी व लिस्टिंग करना) रेगुलेशंस, 2013; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

हमने निम्नलिखित के लागू क्लाजेज के अनुपालन की भी जांच की है :

i इंस्टिटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सैक्रेटेरियल स्टैंडर्डस।
ii. कंपनी द्वारा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार
iii केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए डीपीई के दिशानिर्देश

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों के अलावा उपरोक्त वर्णित एक्ट, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित संख्या के बारे में दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.4 का अनुपालन।
2. दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(10) तथा 25(4) के अनुपालन में कंपनी ने निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया है यद्यपि कंपनीज ऐक्ट 2013 के तहत सरकारी कंपनियों को इस आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
3. कंपनी में महिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 149 तथा दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) का अनुपालन।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

महिला निदेशक की नियुक्ति न होना तथा स्वतंत्र निदेशकों का अपेक्षित संख्या में न होना यह दर्शाता है कि कंपनी ने बोर्ड की संरचना से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों तथा सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की सूचना, एजेंडा तथा एजेंडा के विस्तृत नोट्स सभी निदेशकों को पर्याप्त समय रहते कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए। इसके अलावा कंपनी में एक ऐसी प्रणाली मौजूद है जिसके तहत एजेंडा आइटमों से संबंधित विस्तृत सूचना एवं स्पष्टीकरण बैठक से पूर्व पूर्णकालीन निदेशकों से प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे बैठकों में प्रतिभागिता अर्थपूर्ण बन सके।

बोर्ड/कमेटी की बैठकों में सभी निर्णय उक्त बैठकों में उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। यदि किसी सदस्य की कोई असहमति थी तो उसे मिनट्स में विधिवत रूप से शामिल किया गया।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुरूप मान्य कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कंपनी को महिला निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति से संबंधित सेबी एलओडीआर, 2015 के रेगुलेशन 17(1) का अनुपालन न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बीएसई/एनएसई द्वारा दंडित किया गया जिसके लिए कंपनी ने निदेशक मंडल के निदेशानुसार पेनल्टी माफ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आडिट अवधि के दौरान :

मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), भुवनेश्वर में 149.34 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि निवेश करने के लिए पोस्टल बैलट दिनांक 22 अगस्त, 2018 के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करके सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया तथा परिणाम दिनांक 24.08.2018 को घोषित किया गया। इस राशि को 10/– रू के अंकित मूल्य(प्रति शेयर) के 14,93,40,000 इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करके आंतरिक अकुअल/रिजर्व द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएनएल के फेज–2 की पूंजी आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस प्रक्रिया में उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का अनुपालन किया गया है।

दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के पोस्टल बैलट के माध्यम से साधारण संकल्प पारित कर सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा जिसका परिणाम दिनांक 25.04.2018 को घोषित किया गया। इस संकल्प द्वारा कंपनी की अधिकृत पूंजी रू 1,00,00,00,000/–(केवल एक सौ करोड़ रू) जो रू 1/– प्रति इक्विटी शेयर की दर से 1,00,00,00,000/–(एक सौ करोड़) में विभाजित थे को बढ़ाकर रू 2,00,00,00,000/–(केवल दो सौ करोड़ रू) जो रू 1/– प्रति इक्विटी शेयर की दर से 2,00,00,00,000/–(केवल दो सौ करोड़) इक्विटी शेयर में विभाजित कर दिया गया। परिणामस्वरूप मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन के क्लाज V में संशोधन हो गया है।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप आर्टिकल आफ असोसिएशन के आर्टिकल 4 में संशोधन करने के लिए बैलट पेपर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के माध्यम से साधारण संकल्प पारित कर सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा उसका परिणाम दिनांक 25.04.2018 को घोषित किया गया।

कंपनी के फ्री रिजर्व में से रू 500000000/– (केवल पचास करोड़ रूपए) का पूंजीकरण करने के लिए वर्तमान रू 1/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य के दो प्रत्येक शेयरों पर एक बोनस शेयर की दर से शेयरहोल्डर्स को शेयर देने के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के बैलट पेपर द्वारा साधारण संकल्प पारित करके सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया।

कृते जे.के. गुप्ता एंड असोसिएट्स
हस्ता.
जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या:3978
सी.पी.संख्या:2448
पीआर संख्या:2015/91

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 11/07/2019

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र, जो अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न है, के साथ पढ़ा जाए तथा उक्त पत्र इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक 'ए'

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिटयूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड पर अपना मत जाहिर करें।

2. हमने सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड की सामग्री की यथार्थतता के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित आडिट प्रथाओं तथा प्रकियाओं को अपनाया है। सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड में सही–सही उल्लेख ही परिलक्षित हो, इसके लिए हमने टेस्ट के आधार पर जांच की है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया तथा परंपरा हमारे मत के औचित्य का आधार है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। अतः हमने कंपनी की सांविधिक अनुपालनों की यथार्थतता तथा औचित्य की जांच नमूने के आधार पर की है।

4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिकाओं की यथार्थतता व उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

5. जहां भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों तथा घटनाओं इत्यादि के बारे में प्रबंधतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।

6. कारपोरेट तथा अन्य लागू नियम, कानून, विनियम, स्टैंडर्ड के प्रावधानों को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच टेस्ट के आधार पर किए गए परीक्षण तक सीमित है।

7. सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता की पुष्टि में है और न ही यह इस बात की पुष्टि करती है कि प्रबंधन ने कंपनी का व्यवसाय तथा कार्यकलाप को सुचारु तथा प्रभावशाली ढंग से चलाया है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड असोसिएट्स
हस्ता.
जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या:3978
सी.पी.संख्या:2448
पीआर संख्या:2015/91

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 11/07/2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
(1) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के बारे में दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.4 का अनुपालन।	एमएमटीसी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन के प्रावधानों तथा कंपनी के केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, इसके निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निदेशक मण्डल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति सहित स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों को भरने का मामला वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पास भेजा गया है। इस मामले पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है तथा वाणिज्य विभाग से पता चला है कि स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों तथा एक महिला निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
(2) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(10) तथा 25(4) के अनुपालन में कंपनी ने निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया है यद्यपि कंपनीज ऐक्ट 2013 के तहत सरकारी कंपनियों को इस आवश्यकता से छूट प्राप्त है।	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 5 जून, 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 178(2) के प्रावधान के अनुपालन से छूट प्रदान की है। इस छूट में यह बताया गया है कि निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। सीपीएसईज के फंक्शनल निदेशकों तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अपने तरीके से करते हैं। डीपीई ने सभी फंक्शनल निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तंत्र निर्धारित किया है। डीपीई ने सीपीएसईज के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के लिए प्रकिया आरंभ कर दी है।
(3) कंपनी में महिला निदेशक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 तथा दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) का अनुपालन।	उत्तर उपर्युक्त (1) में दिया गया है।

फार्म नं. एओसी. 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फार्म, जिसमें उसके (तीसरे परंतुक) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने-अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन-देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर	नीलाचल इस्पात निगम लि.
1. आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्था या लेन-देन			
(ए) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एसोसिएट
(बी) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन-देन का स्वरूप	बुलियन व मिंटेड उत्पादों की बिक्री, रिफाइनिंग एंड जॉब वर्क	एमटीपीएल सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट-वार/लदान-वार बिक्री/खरीद का करार किया, जिसमें एमटीपीएल विक्रेता और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यूओएस होने के नाते उसे ईएमडी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देने और केवाईसी नियमों से छूट है, जबकि अन्य बोलीदाताओं पर यह लागू है।	मैसर्स आईपीआईसीओएल के जरिए एक मैनेजिंग प्रमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार। साथ ही, तैयार माल की बिक्री/खरीद पर एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच सहमति से 06.08.1999 को करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 22.06.2012 व 11.02.2014 को यथासंशोधित।
(सी) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	1) रिफाइंड 1 कि.ग्रा./ 100 ग्राम के बार के विपणन के लिए एमपीआईपीएल के साथ 20 मार्च 2013 को तीन वर्ष की वैधता का एमओयू किया गया। 2) एमपीआईपीएल के साथ 22 जून 2015 को एमपीआईपीएल के कुल उत्पादन के 20 प्रतिशत हिस्से के विपणन का एक वर्ष की वैधता का एमओयू किया। इसने पूर्ववर्ती एमओयू का स्थान लिया है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।
(डी) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की प्रमुख शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	एमपीआईपीएल के साथ नवीनतम हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख शर्तें हैं— 1) एमएमटीसी समय-समय पर पूरे भारत में स्थित एमपीआईपीएल के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्धता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान लिए एमपीआईपीएल द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है। 2) एमएमटीसी कारपोरेट ऑफिस सीबीओ के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एमपीआईपीएल के मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेंगे। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 1 कि.ग्रा. और चांदी बार के लिए 100 कि.ग्रा. होगा। मूल्य: **214.98 करोड़ रुपए**	जैसा ऊपर (बी) में दिया गया है। **मूल्य: 618.37 करोड़ रुपए**	मैसर्स आईपीआईसीओएल के माध्यम से एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का समझौता हुआ जिसमें इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि एमएमटीसी प्लांट के लिए परस्पर सहमत शर्तों पर कच्चा माल तथा कन्ज्यूमेबल्स सप्लाई करेगी, एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त उद्यम की कंपनी के उत्पाद की घरेलू बिक्री तथा निर्यात करेगी। एमएमटीसी द्वारा तैयार माल की बिक्री/खरीद के लिए एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच दिनांक 06.08.1999 को करार हुआ था जिसमें दिनांक 22.06.2012 को तथा दिनांक 11.02.2014 को संशोधन किया गया। **मूल्य: रुपये 3332.17 करोड़। केवल माल व सेवाओं की बिक्री तथा खरीद के लिए।** उपर्युक्त।

(ई) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	1) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना। 2) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एलबीएमए एक्रीडिटेड रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से ये तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है। (जैसे–80:20 स्कीम) 3) विशेषकर हमारे अत्याधुनिक मिंट मशीनरी में खराबी के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान कर रिटेल बूम का लाभ उठाने के लिए स्वर्ण व चांदी के मेडालियन को रिफाइन करने और ढालने के लिए।	एमएमटीसी द्वारा जारी टेंडरों के विरुद्ध एल–1 बोलीदाता	
(एफ) बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारीख	14.08.2018	14.06.2018	14.06.2018
(जी) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

2. आर्म्स लेंथ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : एमपीआईपीएल के साथ उपरोक्त आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए एमओयू के अनुसार।

संख्या/ No. PDCA-I/ND/CHS/29-56/2018-19/Vol-II/286

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated 31/7/19

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड.कोर -1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली -110 003

विषय : 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ । इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनीज़ अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक ऑडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य पूरा किया जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 30 मई, 2019 में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। यह स्वतंत्र सप्लीमेंटरी आडिट है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के वर्किंग पेपर की एक्सेस नहीं ली गई है, तथा यह प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा चुनिंदा लेखा रिकार्ड की जांच का सहारा लिया गया है।

मेरे आडिट के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसका यहां अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 जुलाई, 2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

हस्ता.
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
नई दिल्ली

गोपनीय

संख्या/ No. PDCA/MD/CHQ/204-56/2018-19/Vol-II/841

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated 14/8/19

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, कोर -1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली -110 003

विषय : 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ

प्राची पा.
14.8.2019
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनीज अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक ऑडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143 के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य पूरा किया जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 30 मई, 2019 में किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6) (ए) के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। हमने एमएमटीसी लिमिटेड तथा इसके संयुक्त उद्यम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इसके अतिरिक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा सप्लीमेंटरी आडिट से संबंधित अधिनियम की धारा 139(5) व 143(6)(बी) कंपनी के पांच संयुक्त उद्यमों (सूची संलग्न है) के निजी कंपनी होने के कारण उन पर लागू नहीं होती है। साथ ही ये धाराएं कंपनी की विदेश स्थित सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर भी लागू नहीं होती है चूंकि इसका निगमन विदेश में वहां के कानून के तहत हुआ है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इन कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किए हैं और न ही सप्लीमेंटरी आडिट कराया है। यह सप्लीमेंटरी आडिट स्वंतत्र रूप से कराया गया है जिसके लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर नहीं लिए गए है तथा यह प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा चुनिंदा लेखा रिकार्ड की जांच पर आधारित है।

मेरे द्वारा की गई सप्लीमेंटरी आडिट के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसका यहां अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

हस्ता.
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों की सूची जो निजी क्षेत्र हैं

एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड

फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

दशक पर एक नजर

(करोड़ रुपए)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
हमारी देनदारियां										
इक्विटी शेयर पूंजी		100	100	100	100	100	100	100	100	50
अन्य इक्विटी	1339	1349	1334	1278	1259	1242	1241	1321	1280	1237
	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380	1287
उधार	922	519	440	272	387	413	1478	3436	6084	5165
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	-	-	-	18	20	10	19	5	-	-
दीर्घकालीन प्रावधान	189	184	188	179	177	183	170	137	-	-
	2600	2152	2062	1847	1843	1947	3008	4993	7463	6452
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थिर परिसंपत्तियां	67	65	65	209	206	212	211	205	211	210
घटाएं: मूल्यह्रास	22	17	12	152	146	130	119	108	99	87
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	45	48	52	58	59	82	92	97	111	123
निवेश संपत्ति	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
निवेश	452	453	485	460	446	446	470	467	283	273
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	74	94	219	146	134	78	115	112	-	-
कार्यशील पूंजी	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035	6034
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	231	236	233	229	228	226	145	72	34	23
	2600	2152	2062	1847	1843	1947	3008	4993	7463	6452
हमारी निवल आय										
बिक्री	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416	65929	68855	45124
निर्यात	1104	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045	3693	3223
आयात	21625	11878	8480	10296	14530	18714	20954	61042	63301	39969
घरेलू	5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842	1860	1932
अर्जित ब्याज	4	17	28	125	100	138	280	646	475	574
अन्य आय	701	740	130	71	68	280	221	477	237	229
	28998	16514	11751	12656	18409	25492	28916	67052	69566	45926
हमारे व्यय										
बिक्री लागत	28506	16118	11489	12374	18076	24924	28299	66048	68726	44946
स्थापना व्यय	221	259	196	202	192	190	203	184	184	168
प्रशासनिक व्यय	55	48	52	53	51	47	48	52	55	46
वित्तीय लागत (प्रदत्त ब्याज सहित)	65	17	21	38	17	67	220	576	372	413
मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति	6	5	7	5	18	12	12	12	13	13
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
बट्टे खाते में डाले गए/वापस लिए गए ऋण/दावे/परिसंपत्तियां	1	0	1	0	30	1	0	0	0	0
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए अनुमति	16	-	1	0	1	1	6	13	23	2
असाधारण मदें	-	-	-	-	-	210	244	100	-	-
आपवादिक मदें*	9	8	(96)	(66)	(37)	23	13	(0)	-	-
	28879	16455	11569	12597	18348	25476	29045	66987	69373	45595
हमारी बचत										
वर्ष के लिए लाभ	119	59	81	59	62	16	(128)	65	194	333
कराधान के लिए प्रावधान	37	10	24	3	12	(4)	(57)	5	70	117
कर पश्चात लाभ	82	49	57	56	50	20	(71)	60	124	216
पूर्ववर्ती समायोजन से पूर्व पूर्ववर्ती समायोजन	-	-	-	1	2	2	(1)	(11)	2	-
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	82	49	57	55	48	19	(71)	71	122	216
लाभांश	30	30	30	30	25	15	10	25	25	45
लाभांश पर कर	6	6	6	6	5	3	0	4	4	8
निर्यात विकास	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन	46	13	21	19	18	1	(81)	42	93	164
सकल लाभ	479	333	220	130	208	346	300	277	330	318
कर पूर्व लाभ	119	59	81	58	60	14	(128)	76	192	333
कर पश्चात लाभ	82	49	57	55	48	19	(71)	71	122	216
नेट वर्थ	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380	1287
नियोजित पूंजी	917	846	682	740	748	784	800	913	865	972
कार्यशील पूंजी	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035	6034
अनुपात										
बिक्री पर व्यय %	0.98	1.95	2.14	2.04	1.22	0.94	0.88	0.36	0.35	0.48
स्टॉक के अनुपात बिक्री %	0.99	10.86	20.42	3.22	1.75	1.23	3.13	1.40	0.94	4.73
बिक्री के अनुपात में व्यापारिक लाभ %	1.68	2.11	1.90	1.04	1.14	1.38	1.05	0.42	0.48	0.70
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	0.42	0.37	0.70	0.46	0.33	0.06	(0.45)	0.12	0.28	0.74
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ %	0.29	0.31	0.49	0.44	0.26	0.07	(0.25)	0.11	0.18	0.48
बिक्री के अनुपात में देनदार %	0.98	2.24	4.36	6.64	16.64	6.92	7.83	4.20	3.69	3.44
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री %	6.34	8.36	9.23	7.66	5.36	4.45	7.69	6.44	10.22	13.37
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी (गुणा)	15.77	11.96	10.84	13.05	18.67	22.46	13.00	15.53	9.79	7.48
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ %	12.98	6.97	11.90	7.80	8.23	2.04	(16.04)	7.13	22.41	34.25
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ %	8.94	5.79	8.36	7.42	6.41	2.37	(8.82)	7.75	14.07	22.24
नेटवर्थ से वर्ष के लिए लाभ %	7.99	4.07	5.66	4.25	4.53	1.19	(9.58)	4.58	14.05	25.88
नेटवर्थ से कर पश्चात लाभ %	5.51	3.38	3.97	3.98	3.53	1.39	(5.27)	4.97	8.81	16.81
कर्मचारियों की संख्या	943	1117	1226	1334	1439	1530	1605	1673	1767	1838
प्रति कर्मचारी बिक्री	30.00	14.11	9.46	9.34	12.68	16.39	17.70	39.41	38.97	24.55

* वर्ष 2019, 2018, 2017, 2016 तथा 2015 के लिए आपवादिक मदों [illegible]

कमोडिटी वार–निष्पादन

(करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
निर्यात										
लौह अयस्क	**564**	1091	923	361	1,401	1,670	989	305	1,939	1,924
मैंगनीज अयस्क/आक्साइड	**10**		-	-	7	14	23	34	58	102
क्रोम ओर/कंसन्ट्रेट	**126**	191	350	82	34	353	378	616	808	627
पिग आयरन	**375**	401	242	230	629	1,099	289	940	814	489
स्लैग	**8**	1	-	-	-	2	-	-	-	-
उर्वरक			-	-	-	235	153	149	74	80
कृषि उत्पाद			-	-	229	754	1,148	-	2	-
कच्चा ऊन			-	-	-	-	-	1	-	-
मर्चेंटिंग ट्रेड		61	21	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य व्यापार	**21**	50	45	-	-	-	-	-	-	-
कुल निर्यात	**1104**	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045	3693	3223
आयात										
धातु/आईआरएम										
कापर/कापर कैथोड्स		1	166	-	-	-	10	133	124	155
जिंक	**136**	147	-	101	56	62	84	138	121	149
लैड	**0**	0	-	0	3	2	5	4	12	9
टिन	**8**	45	39	18	20	39	42	67	101	52
निकल	**23**	26	56	18	72	75	57	139	330	104
अल्यूमीनियम		-	-	-	-	-	-	-	-	1
एंटीमनी मैटल		1	4	4	5	7	6	-	3	1
स्टील/स्क्रैप/एचआर कॉयल		-	-	230	-	-	-	48	108	158
अन्य	**25**	26	10	-	-	-	11	58	28	33
अनुयोग	**192**	246	278	371	156	185	214	587	827	664
उर्वरक										
सल्फर	**17**	14	6	16	23	23	23	22	14	22
यूरिया	**10111**	1823	2,418	2,611	7,797	3,597	1,170	4,893	1,453	1,408
डीएपी			-	-	-	-	-	145	-	57
एमओपी			158	-	176	128	560	528	394	930
फास्फोरिक एसिड			46	-	-	-	-	-	-	-
अन्य		1	24	97	-	-	-	-	-	0
अनुयोग	**10128**	1838	2652	2725	7996	3747	1754	5587	1661	2418
हीरा/सोना पन्ना	**9581**	8939	4,874	6,342	4,334	8,412	13,137	50,461	50,193	31,603
कृषि उत्पाद	**610**	529	106	58	70	1,214	1,378	1,184	1,492	1,464
हाइड्रोकार्बन्स	**1097**	323	570	1,013	1,948	5,151	4,469	3,220	8,923	3,820
अन्य	**17**	3	-	17	26	5	3	3	4	0
कुल आयात	**21625**	11878	8480	10526	14530	18713	20955	61042	63301	39969
घरेलू										
कॉपर/जिंक/ग्रास/अल्यूमीनियम पिग आयरन/स्लैग/स्टील/	**1**		-	0	-	-	-	-	2	119
पिग आयरन/स्लैग/स्टील	**1488**	417	174	187	176	234	980	827	418	635
उर्वरक	**5**	2	0	160	86	5	8	9	4	4
कृषि उत्पाद	**370**	20	103	298	-	502	1,604	846	129	125
रत्न व आभूषण/चांदी	**3206**	1168	1,165	708	812	761	538	682	492	527
हाइड्रोकार्बन	**356**	439	69	114	176	448	1,166	348	587	175
अन्य	**138**	38	22	24	161	287	186	130	228	347
कुल घरेलू कारोबार	**5564**	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842	1860	1932
कुल कारोबार	**28293**	15757	11593	12690	18242	25075	28416	65929	68854	45124

देशवार निर्यात

(करोड़ रूपए)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018	2017
एशिया			
बांग्लादेश	205	62	58
चीन	78	105	353
हांगकांग	-	38	23
जापान	512	945	750
कोरिया	125	244	192
मलेशिया	-	14	-
नेपाल	8	63	21
इंडोनेशिया	6		-
ताइवान	-	-	121
			0
थाइलैंड	170	261	62
	1104	1732	1580
पश्चिमी यूरोप			
इटली	-	63	-
	-	63	-
कुल निर्यात	1104	1795	1580

देशवार आयात

(करोड़ रूपए)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018	2017
अफ्रीका			
मोजाम्बिक	-	-	216
केन्या	-	-	2
मिश्र	576	-	78
अल्जीरिया	121	-	-
मालावी	-	-	130
नाइजीरिया	66	-	-
दक्षिण अफ्रीका	-	-	220
	763	-	646
एशिया			
चीन	3603	352	659
इंडोनेशिया	155	82	-
जापान	2		0
कोरिया	35	98	111
मलेशिया		8	35
म्यांमार		-	205
हांगकांग	43	-	27
रूस	695	756	158
सिंगापुर	196	66	255
ताइवान		24	
	4729	1386	1450
पूर्वी यूरोप			
काजाकिस्तान	6	-	-
उज्बेकिस्तान	73	-	68
यूक्रेन		-	98
	79	-	166
मध्य पूर्व			
बहरीन	291	122	114
दुबई	105	-	109
ईरान	1391	1223	997
ओमान	997	255	239
कुवैत		53	155
कतर	383	98	-
सऊदी अरब	501	-	6
टर्की		-	114
यूएई	1454	334	541
	5122	2085	2275
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	-	-	328
यूएसए	207	-	-
	207	-	328
ओसिनिया			
आस्ट्रेलिया	2446	887	1126
	2446	887	1126
पश्चिमी यूरोप			
जर्मनी	-	-	81
लग्जमबर्ग	-	1	6
फिनलैंड	127	-	0
बेल्जियम	-	-	3
स्वीडन	-	-	3
नीदरलैंड	121	-	0
स्वीट्जरलैंड	2607	2569	3094
इटली	25	32	39
यूके	3615	4360	737
	6495	6962	3963
कुल आयात	**19841**	11320	9954

राजकोष में योगदान

(करोड रूपये)

	2018-19	2017-18	2016-17
केंद्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**234**	-	83
आयात शुल्क	**580**	569	318
सेवा कर	**-**	1	6
सीएसटी	**-**	2	1
जीएसटी	**88**	68	-
आयकर(लाभांश पर आयकर शामिल)	**25**	19	42
लाभांश	**27**	27	27
कुल	**954**	686	477
रेलवे एवं पोर्ट को			
रेल भाड़ा	**12**	44	9
रेलवे/पोर्ट को प्लाट का किराया	**4**	11	6
पोर्ट प्रभार	**4**	5	5
कुल	**20**	60	20
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**-**	33	49
जीएसटी	**107**	18	0
कुल	**107**	51	49
कुल योग	**1,081**	797	546

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को
एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा इक्विटी में परिवर्तन के विवरण शामिल हैं । इसमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा व्याख्यात्म सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कंपनी के मुंबई, कोलकता, अहमदाबाद, विजाग, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर एवं जयपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनका आडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है ।

हमारी राय तथा सूचनाओं एवं हमें उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त कथित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकतानुसार उपरोक्त सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की अवधि के कंपनी के मामलों की सत्य एवं सही विवरणों के साथ-साथ इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ को भी दर्शाते हैं।

राय का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएज) के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के सेक्शन की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के दायित्वि में और आगे वर्णित किया गया है । कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नीतिपूरक आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नीतिपरक दायित्वों एवं नीति संहिता का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विचार से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। इन मामलों पर हम अलग से अपनी राय नहीं देते ।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की आवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता।	यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं– कि विभिन्न एकाऊंटिंग पैकेजिंग / साफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का रिकंसिलिएशन
2.	दावों पर नोट संख्या 34 का संदर्भ ले जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं । इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पुष्टताह करना शामिल है।	हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है।

	व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं / लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं।	वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।
3.	एनआईएनएल के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा कोयले की आपूर्ति के प्रति कंपनी की आकस्मिक देयता के संबंध में नोट संख्या 34(आई)(जे) का संदर्भ लें। कंपनी निरंतर कहती रही है कि यदि कोई देयता होगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। परन्तु एनआईएनएल से पुष्टि प्राप्त होने में निरंतर देरी तथा एनआईएनएल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण यदि देयता का निर्धारण होता है तो उसकी वसूली अनिश्चित है।	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील लंबित है तथा इस मामले में प्रबंधतंत्र द्वारा हमें अभ्यावेदन उपलब्ध करवाया गया है, फिर भी एनआईएनएल को निरंतर दी जा रही सहायता तथा देय राशि / दावों की वसूली पर इस मामले में प्रबंधतंत्र के महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक है। एनआईएनएल से देय राशि / दावों की वसूली के विषय में प्रबंधतंत्र का प्रमुख निर्णय कंपनी के भविष्य में वित्तीय स्थिरता का निर्धारण करने का एक मुख्य कारक होगा।
4.	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग परियोजना के विकास के लिए दिए गए अग्रिम, हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड तथा कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड में किए गए निवेश (नोट सं.9(ii) देखें)।	परियोजना के कार्यान्वयन / पूरा होने की संभावनाओं को समझने के लिए, जिसके कारण संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान करने पड़े, हमने प्रबंधतंत्र के साथ मामले पर विचार विमर्श किया।

मामलों पर विशेष बल

क) मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल), जो कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है, में कंपनी के निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ख) नोट संख्या 34(आई)(जे) की ओर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं, जहां कंपनी का कथन है कि अंतिम निर्णय के लिए लंबित अपील के कारण यदि कोई देयता होगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। तथापि, एनआईएनएल से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है । इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले एकल वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निर्णय लेने तथा आकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिंग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तारण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह भी दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं । हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पॉसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।

- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है।

- प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।

- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निश्कर्श हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।

  प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते है कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

  आडिट की समयसारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण में हमें अपने आडिट के दौरान जिन कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से संवाद करते हैं ।

  हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते है कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

  ऐसे मामले जिनके बारे में संबंधित कार्मिकों के साथ संवाद किया है तथा वे मामले जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की आडिट के लिए अधिक महत्व के हैं तथा वे आडिट के मुख्य मामले बनते हैं हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख करते हैं सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें इस प्रकार का उल्लेख करना कानून

अथवा विनियम के विरुद्ध हो अथवा हमें कतिपय मामलों में प्रतीत हो कि हमें अपनी रिपोर्ट में ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनता का अहित होगा ।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों का आडिट नही किया है जिसमें 31 मार्च 2019 के एकल वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 3,508.15 करोड़ रू. की कुल संपत्ति और 16,894.92 करोड़ रू. का कुल राजस्व दिखाया गया है जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में विचार किया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का आडिट ब्रांच आडिटरों ने किया है जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है और हमारी राय में जहां तक इन ब्रांचों के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटन का संबंध है यह पूरी तरह ऐसी ब्रांचों के आडिटरों की रिपार्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) ("आदेश") के द्वारा अपेक्षित हम अनुलग्नक –1 में जैसा लागू है, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं :–

ए) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं

सी) अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के ब्रांच कार्यालयों के लेखों का ब्रांच आडिटरों द्वारा आडिट किया गया जिसकी रिपोर्ट हमें भेजी गई है और जिसे रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

डी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

ई) हमारे विचार में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 यथासंशोधित पठनीय है में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं ।

एफ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

जी) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए "अनुलग्नक 2" में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

एच) कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमे जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii) कंपनी ने डेरीवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों, यदि कोई है, के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत प्रावधान कर लिए हैं ।

iii) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड में ट्रांसफर किए जाने वाले फंड के मामले में कंपनी द्वारा कोई देरी नहीं की गई है ।

3. भारत के सी व एजी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के तहत हमने अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक –3 में प्रस्तुत की है।

कृते ओ.पी. तुल्सयान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 500028एन)

राकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 081808

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –1

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)
हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में :–

i कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बनाया है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की मात्रा तथा उनकी स्थिति सहित पूरे विवरण दिए गए हैं।

ii हमें दी गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंध तंत्र द्वारा उचित अंतराल पर उक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

iii अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :

क्षेत्र/कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	क्षेत्र	टिप्पणियां
भुवनेश्वर कार्यालय	आवासीय भवन, सड़कें, पुलियां तथा बिजली की इंस्टालेशन	47.67 लाख	2 एकड़	वर्ष 2011 में लीज डीड समाप्त हो गई थी। पारादीप पोर्ट ने अगले 15 वर्षों के लिए लीज नवीकरण की सिफारिश की थी तथा सरकार ने वर्ष 2025 तक नवीकरण करने का अनुमोदन कर दिया है। लीज डीड निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है।

2. इन्वैंट्रीज के संबंध में :–

I. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट ने वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का भौतिक सत्यापन किया है।

ii. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

iii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा इन्वैंट्रीज के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. <u>धारा 189 के अंतर्गत कवर होने वली पार्टियों को दिए गए ऋण</u>

कंपनी ने अपनी एक संयुक्त उपक्रम कंपनी, मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित ऋण दिया है।

i हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शर्तों व अनुबंधों पर ऋण दिया गया है वे कंपनी के हित में नुकसानदेह नहीं है।

ii हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अदायगी की शर्त तथा ब्याज की दर में बोर्ड द्वारा केडिट सुविधा प्रदान करते हुए संशोधन किया गया है, जिसके लिए एक नया एग्रीमेंट किया जाना है।

iii हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा केडिट सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप जिसके लिए अभी एग्रीमेंट किया जाना है, हम तुलन पत्र की तिथि को किसी भी बकाया राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है।

4. <u>ऋणों, गारंटियों तथा सिक्युरिटिज के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन</u>

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने संयुक्त उद्यमों में से एक संयुक्त उद्यम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) की केडिट सुविधा को 550.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1,187.00 करोड़ रूपये कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2019 को एनआईएनएल की ओर बकाया देय राशि 2,594.56 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1,786.70 करोड़ रूपये) हो गई है ।

हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. <u>लागत रिकार्ड का रखरखाव</u>

जैसा कि हमें बताया गया है कि अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने कंपनी द्वारा लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. <u>अविवादित तथा विवादित सांविधिक देय राशियां</u>

(ए) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड्स के अनुसार कंपनी द्वारा आयकर, भविष्य निधि देय, व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर तथा सेवा कर सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरण में नियमित रूप से जमा किए गए है।

(बी) दिनांक 31 मार्च, 2019 को देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, भविष्य निधि देय, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, सेवाकर तथा अन्य सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी।

(सी) किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा सेस के देयों का भुगतान न किए जाने का ब्यौरा अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।

8. <u>बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार / डिबेंचर्स से ऋण</u>

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिबेंचर धारकों को ऋणों अथवा उधार की अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

9. <u>सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) (ऋण दस्तावेज सहित) / टर्म ऋण से प्राप्तियां</u>

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने आरंभिक / अगले सार्वजनिक निर्गम (ऋण दस्तावेजों सहित) से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। कंपनी द्वारा लिए गए टर्म ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए लिया गया था।

10. <u>कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी</u>

हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रणालियों के अनुरूप हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी धोखे का कोई भी मामला न तो संज्ञान में आया है और न ही वर्ष के दौरान सूचित किया गया है।

11. <u>प्रबंधकीय पारिश्रमिक</u>

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 कंपनी में लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

12. <u>निधि कंपनियां</u>

हमारे विचार से तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा मत है कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी अपेक्षित है इन लेनदेनों का विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ संबंधित नियम पठनीय है, में उल्लिखित इंड एएस.24 "संबंधित पार्टी प्रकटन" के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दिया गया है ।

14. <u>अधिमान्य निर्गम (प्रिफ्रेंशियल इश्यू)</u>

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयर अथवा आंशिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर्स का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

15. <u>निदेशकों आदि के साथ गैर–रोकड़ लेन–देन</u>

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के परिणामस्वरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम 2013 की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. <u>भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 45–आईए का प्रावधान</u>

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तदनुसार पैरा 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन:500028एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
सदस्य संख्या 081808

वैधानिक विवादित देय जो जमा नही किए गए

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के क्लॉज 7 (iii) का अनुलग्नक "ए"

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	जमा राशि	अथॉरिटी
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989–90	15,01,06,778	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील IV)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990–91	23,35,46,478	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील IV)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991–92	32,98,738	4,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील IV)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2004–05	42,00,759	–	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2008–09	13,04,772	71,495	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2007–08	0**	–	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2010–11	45,01,471	2,78,400	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2009–10	17,22,430	94,380	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2011–12	0	–	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील VI)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2013–14	13,29,839	72,921	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील VI)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2011–12	48,25,144	1,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपीलVI)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2008–09	51,81,979	–	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2007–08	71,97,308	–	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2014–15	7,63,905	–	क्षे.का. मुंबई सक्षम प्राधिकारी के साथ अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है
कस्टम अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	2012–13	34,92,29,671	28,41,24,643	कस्टम आयुक्त

*दोनों अपील एक जैसे मामले के लिए कॉमन अपील अधिकारी के पास फाईल की गई है।

*दोनों पहला अपील से अधिक धनवापसी के लिए दूसरी अपील की गयी है।

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर जुर्माना व ब्याज	2001–02	1,78,566 (SPANDEX YARN)	सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर)
टीएनवेट अधिनियम	वैट एवं जुर्माना	2008–09	3,55,08,765 (DUN PEAS)	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्त आयुक्त

विजाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1968-69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1986-87	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1989-90	4,79,000	एसटीएटी
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1991-92	19,34,139	एसी, एलटीयू
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1997-98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी **	सीएसटी	1994-95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी **	सीएसटी	2007-08	1,04,614	एडीसी
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2009-10	17,05,405	सीईएसटीएटी हैदराबाद

*एपीजीएसटी/वैट से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 92,05,282/– की राशि प्राधिकरण में जमा करा दी है।

**सीएसटी से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 6,65,042/– की राशि प्राधिकरण में जमा करा दी है।

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2005–06	11,31,000	अपीलीय बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2006–07	77,61,000	बिक्री कर विभाग
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2013–14	40,08,000	कोलकाता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल, मूल्य संवर्धन कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल वैट	2013–14	51,46,000	कोलकाता उच्च न्यायालय
लोकल एरिया में माल की इंट्री पर पश्चिम बंगाल कर अधिनियम, 2012	पश्चिम बंगाल इंट्री कर	2015–16	95,000	अपीलीय बोर्ड

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1989–90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1991–92	24,02,576	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1992–93	13,96,269	एसटीएटी - विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993–94	17,62,687	एसटीएटी - विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993–94	6,30,615	एसटीएटी - विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1993–94	4,41,446	एसटीएटी - विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1994–95	2,04,081	एसीएलटीयू
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1997–98	58,43,100	एसटीएटी - विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1999–00	39,04,454	एसटीएटी - विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2000–01	2,52,926	एसटीएटी - विजाग
वैट	वैट	2006–07	6,76,058	एसीएलटीयू, एसटीएटी
वैट	वैट	2007–08	71,000	एसी ऑडिट
वैट	वैट	2010–11	13,00,000	सीटीओ, विजाग
वैट	वैट	2008–09	7,84,474	एसटीएटी
वैट	वैट	2012–13	99,49,808	एडीसी (सीटीओ)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2013–14	4,40,000	एसटीएटी
एपीवीएटी–जेसी	वैट	2013–14	22,00,000	एपीवीएटी–जेसी

कारपोरेट कार्यालय

31/03/2019 को कारो रिपोर्टिंग

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	फोरम
आयकर अधिनियम	आयकर	2016–17	3,24,12,680	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2015–16	1,17,51,934	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2014–15	1,55,24,136	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2013–14	3,34,92,278	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2012–13	5,30,179	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2011–12	91,77,995	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2010–11	2,57,474	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2009–10	8,06,98,915	आईटीएटी

आयकर अधिनियम	आयकर	2008–09	1,44,83,413	सीआईटी(ए)/ उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2005–06	4,51,65,330	उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2004–05	3,58,34,174	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2003–04	1,08,96,834	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2002–03	8,56,73,253	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2001–02	1,17,77,218	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2000–01	3,94,62,696	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1999–00	2,85,69,897	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1998–99	58,90,533	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1997–98	50,22,928	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1996–97	3,73,75,477	आईटीएटी
	कुल		**50,39,97,346**	

उपरोक्त मांग के अलावा, कंपनी द्वारा रुपये 19,08,21,523 की राशि जमा की गई।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
यूपी–वैट	एलएसटी / सीएसटी	1990–91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1991–92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1992–93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1993–94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1987–88	16,35,160	संयुक्त आयुक्त (अपील), कानपुर
यूपी–वैट	वैट	1996–97	6,11,608	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
यूपी–वैट	वैट + फार्म 3 बी (स्वर्ण) और फार्म 3 सी	2007–08	62,457	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
हरियाणा वैट	1(मिया आयल) नही जमा करने पर ब्याज एलएसटी	1992–93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एमपी–वैट	एलएसटी	1999–00	1,50,004	बिक्री कर प्राधिकरण, इंदौर
एमपी–वैट	एलएसटी	1998–99	47,30,692	निर्धारण प्राधिकरण, इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	असोसिएट्स द्वारा गोल्ड लोन के विरुद्ध गोल्ड ज्वैलरी निर्यात न किए जाने के कारण कस्टम ड्यूटी तथा ब्याज	1999–00	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003–04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर, (विरोध करते हुए रुपये 35.49 लाख जमा किया गया), कर बोर्ड ने डीसी (अपील) के आदेश के खिलाफ बिक्री कर विभाग में अपील किया।
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999–2000	29,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर, आरएसटी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत 4767 मीट्रिक टन डीएपी की मांग के कारण कर बोर्ड के पास लंबित। सुनवाई की अगली तारीख 14 / 06 / 2019 है।
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	वैट	2012–13	68,16,650	इनपुट क्रेडिट और रिफंड समायोजन वाउचर के गैर समायोजन के लिए बिक्री कर मांग, प्रासंगिक दस्तावेज जमा किया गया है और मामला05–02–2019 तक बढ़ा दिया गया है।
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	वैट	2013–14	1,75,861	निर्यात घोषणा प्रपत्र के गैर–जमा के लिए बिक्री कर मांग। प्रासंगिक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। ए.ओ. में लंबित है।
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	वैट	2014–15	19,463	निर्यात घोषणा प्रपत्र के गैर–जमा के लिए बिक्री कर मांग। प्रासंगिक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। ए.ओ. में लंबित है।
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	वैट	2015–16	86,880	इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेमेल के लिए वैट मांग।
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	वैट	2016–17	660	कर और ब्याज के कम जमा के लिए मांग।
आयकर	आयकर		22,750	2009–10 से 2017–18 तक टीडीएस मांग।
आयकर	आयकर		1,250	वर्ष 2017–18 के लिए टीडीएस की मांग

विरोध के अंतर्गत कुल रुपये 35,49,446 राशि जमा की गई।

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1977-78	41,95,457	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1977-78	2,09,773	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1979-80	54,32,092	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1979-80	3,00,090	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1980-81	1,30,21,518	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1980-81	6,53,245	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1981-82	15,18,451	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1981-82	3,27,928	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1978-79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	1,70,046	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1979-80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1982-83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	1978-79	3,57,42,030	उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीसीसीटी के समक्ष जवाब दायर किया गया
उड़ीसा बिक्री कर	वीएटी	2006-09	14,98,22,308	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
उड़ीसा बिक्री कर	वीएटी	2010-12	9,08,43,080	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	मूल्य वर्धित कर	2013-14	14,28,16,841	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
उड़ीसा मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	2013-14	58,07,05,822	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ईटी (ओडिशा)	प्रवेश कर	2013-14	52,63,10,091	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	घोषणा प्रपत्र जारी	2011-14	75,79,583	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	बिक्री कर	2015-16	9,48,103	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-05	4,59,90,591	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-07	20,97,60,144	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	4,64,49,827	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008-10	9,48,95,549	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	5,20,93,545	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	5,15,21,970	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-12	43,41,16,898	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-11	98,80,691	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	48,79,381	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	5,80,17,238	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013-14	9,94,263	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	1,49,02,87,737	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एवं कस्टम एक्ट	सीमाशुल्क–सीवीडी	2017-18	1,04,542	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एवं कस्टम एक्ट	सीमाशुल्क–सीवीडी	2017-18	2,23,460	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एवं कस्टम एक्ट	सीमाशुल्क–सीवीडी	2017-18	37,197	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एवं कस्टम एक्ट	सीमाशुल्क ब्याज और जुर्माना	2017-18	1,32,576	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर विभाग में अपील कि है।
केन्द्रीय उत्पाद	सेवा कर	2014-15	14,548	सीसीटी
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	17,71,628	सीसीटी
		से	2,72,720	सीसीटी
आयकर–टीडीएस	आयकर विभाग	2018-19		
आयकर–टीडीएस	आयकर विभाग	2007-08 से पूर्व	2,22,610	सीसीसी

अहमदाबाद क्षेत्र

संविधि की प्रकृति से पूर्व	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
कस्टम अधिनियम, 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2013.14	17,83,24,573	सीईएसटीएटी, चेन्नै

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक –2

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंडएएस वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2019 से संबंधित एमएमटीसी लि. (कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डों की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल है।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि :

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्ध जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते है।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनाधिकृत अधियहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका ईंडएएस वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके। भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बदतर हो सकती है।

राय :

हमारी राय में सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30.05.2019

कृते ओ पी तुलसयान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 500028एन

राकेश अग्रवाल
साझेदार
एम न. 08108

अनुलग्नक – 3 : एमएमटीसी लिमिटैड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेन–देन को आईटी सिस्टम के द्वारा करने की प्रणाली है, यदि हां तो वित्तीय लागू के साथ अकाउंट की संपूर्णता आई टी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेने की प्रक्रिया लागू है, यदि कोई है, तो दर्ज किया जाए।	हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेन–देन को एकल आईटी सिस्टम के द्वारा करने का सिस्टम है जिसमें आंकड़ा इसके ईआरपी सिस्टम को स्थानांतरण किया जाता है। यद्यपि आधुनिक पूर्ण आर पी सिस्टम की अनुपलब्धता में कुछ लेन देन आई टी सिस्टम में मैन्युली प्रविष्टी दर्ज किये जाते हैं। उन लेन-देन का न तो अकाउंट की पूर्णता पर न ही वित्तीय आशय पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लेन देन जो कि आई टी सिस्टम में मैन्यूली पारित हुए हैं नीचे है :
2	कंपनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कंपनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन अथवा छूट के मामले / उधार / ऋण / ब्याज आदि के राईट ऑफ है ?	ऐसा कोई मामला नहीं है ।
3	क्या केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के द्वारा विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं नियम एवं शर्तों के साथ इस्तेमाल होने के लिए उचित तरीके से हिसाब हुआ है । विचलन में मामलों को सूचीबद्ध करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है ।

ईआरपी प्रणाली में मैन्यूली पारित लेन–देन की सूची

क्रम सं.	लेखा क्षेत्र	लेखा गतिविधि	वित्तीय आशय और अखंडता पर प्रभाव
1	खुदरा वस्तु की बिक्री	खुदरा व्यवसाय में वस्तु की बिक्री स्वतंत्र सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है जो मैनुअली पहल के बगैर स्वतः ईआरपी में इंटीग्रेट नहीं होता।	कोई नहीं
2	समापन सूची	कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर समापन वस्तु सूची की कीमत मैन्यूली लगायी जाती है और जर्नल वाउचर के ईआरपी में प्रविष्टि की जाती है।	कोई नहीं
3	मूल्यह्रास	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जेवी के द्वारा प्रविष्टि की जाती है ।	कोई नहीं
4	प्रविष्टियां हेजिंग	प्रतिरक्षा / बचाव के लिए लेखा प्रविष्टियां मैन्यूली पास की जाती है और प्रत्येक अवधि के समापन में ईआरपी प्रणाली में जेवी के द्वारा प्रविष्टि की जाती है ।	कोई नहीं
5	महीने की समाप्ति में खर्च का प्रावधान	प्रक्रिया मैन्यूली की जाती है और जेवी से ईआरपी में प्रविष्टि की जाती है ।	कोई नहीं

कृते ओ.पी. बुलसारा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन : 500028एन

नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

राकेश अग्रवाल
साझेदार
एम नं. 081808

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी
लिमि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को	31.03.2018 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा मशीनरी	3	**43.96**	46.47
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	3	**0.28**	-
निवेश संपत्ति	4	**3.99**	4.16
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.80**	1.46
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6A	**452.47**	453.03
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**7.82**	9.06
अन्य	9	**42.08**	56.99
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**230.84**	235.61
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	11A	**24.49**	26.23
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**279.81**	1,711.48
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**277.83**	353.16
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**39.11**	50.08
उपरोक्त के अलावा बैंक बैलेंस	14	**16.10**	17.82
ऋण	8	**2.25**	2.82
अन्य	9	**6.84**	7.71
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**22.22**	13.55
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**3,003.88**	2,425.92
कुल परिसंपत्तियां		**4,454.77**	**5,417.55**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	100.00
अन्य इक्विटी	16B	**1,339.25**	1,349.45
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
प्रावधान	20A	**188.55**	184.16
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17	**921.93**	519.26
व्यापार देनदारी	18	**6.79**	-
सूक्ष्म और लघु उद्यम का कुल बकाया			
सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों के कुल बकाया		**1,026.97**	1,064.67
अन्य वित्तीय देयताएं	19	**180.07**	242.81
	21	**560.71**	1,805.05
प्रावधान	20B	**50.10**	136.65
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	22	**30.40**	15.50
कुल इक्विटी और देयता		**4,454.77**	**5,417.55**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम नं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03296909

दिनांक: 30.05.2019
स्थान: नई दिल्ली

(अश्वनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**28,979.44**	16,450.81
अन्य आय	24	**17.79**	63.10
कुल आय (I)		**28,997.23**	**16,513.91**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**124.25**	131.39
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**26,046.95**	14,471.40
तैयार माल की इंवेंटरी, व्यापार में स्टॉक तथा कार्यप्रगति में परिवर्तन	27	**1,453.29**	652.14
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**221.35**	259.28
वित्तीय लागत	29	**65.27**	16.60
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**5.54**	5.24
अन्य खर्च	31	**952.23**	910.32
कुल खर्च (II)		**28,868.88**	**16,446.37**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I-II) से पूर्व लाभ / (हानि)		**128.35**	67.54
असाधारण मदें – लाभ / (हानि)	32	**9.76**	8.41
कर पूर्व लाभ		**118.59**	**59.13**
कर व्यय	33		
– वर्तमान कर		**33.00**	13.35
– पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**(0.61)**	(0.03)
– आस्थगित कर		**4.77**	(3.03)
कुल कर व्यय		**37.16**	**10.29**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**81.43**	**48.84**
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**(7.78)**	5.36
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स		**(0.57)**	(0.86)
– आस्थगित कर प्रभाव		**2.90**	(1.85)
कर पश्चात मद अन्य व्यापक आय(बी)		**(5.45)**	**2.65**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (ए+बी)		**75.98**	**51.49**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइलूटेड	44	**0.54**	0.33

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम सं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03298909

दिनांक: 30.05.2019
स्थान: नई दिल्ली

(अश्वनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एमएमटीसी लिमिटेड
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ/हानि		118.59		59.13
के लिए समायोजन :-				
इन्वेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	0.80		0.64	
मूल्यह्रास तथा ऋणमुक्ति व्यय	5.54		5.24	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	9.40		8.05	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.02		(0.06)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी	-		3.04	
ब्याज आय	(2.66)		(15.39)	
लाभांश आय	(5.40)		(23.82)	
वित्त लागत	65.27		16.60	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	1.06		0.05	
सीएसआर व्यय	1.35		0.49	
संदिग्ध ऋणों/दावों व अग्रिमों के लिए भत्ता	15.96		-	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(3.54)		(0.86)	
रिटेन बैक देयताएं	(2.23)		(14.02)	
[illegible] जोखिम के लिए प्रावधान	0.03		0.04	
		85.63		(20.00)
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		204.22		39.13
के लिए समायोजन :-				
इन्वेंट्रीज	1,430.87		654.66	
व्यापार प्राप्य योग्य	57.80		161.69	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19.59		140.30	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(574.50)		(723.26)	
देय व्यापार	(34.04)		381.97	
अन्य वित्तीय देयताएं	(62.74)		55.54	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	(1,244.36)		(1,233.17)	
प्रावधान	(88.45)	(495.82)	61.83	(500.43)
		(291.60)		(461.30)
प्रदत्त कर		(26.16)		(11.09)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(317.76)		(472.39)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2.54)		(1.08)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.03		0.31	
निवेश की बिक्री/खरीद	0.00		96.00	
प्राप्त किया गया ब्याज	2.66		15.39	
प्राप्त किया गया लाभांश	5.40	5.56	23.82	134.44
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		5.56		134.44
ग. वित्त गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	402.67		79.07	
वित्त लागत	(65.27)		(16.60)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	(36.17)	301.24	(36.11)	26.36
वित्तीय कार्यकलापों से निवल रोकड		301.24		26.36
घ . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		(10.97)		(311.59)
ङ. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		50.08		361.67
च. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		39.11		50.08

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विषय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में किये गये निश्चित स्रोतों/स्थानों के लिए समायोजन।
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	**2.76**	19.81
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले सभी डिपाजिट्स	**12.11**	3.59
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	**24.14**	26.64
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	**0.00**	0.00
उपलब्ध टोकन	**0.10**	0.04
	39.11	**50.08**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दाश)**	**(उमेश शर्मा)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एम नं. 081808	एसीएस–13691		डीआईएन: 03298909

(अश्वनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन: 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02988628

दिनांक: 30.05.2019
स्थान: नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2018 को शेष	1,000,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	500,000,000	50.00
31.03.2019 को शेष	**1,500,000,000**	**150.00**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2017 को शेष	1,000,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2018 को शेष		

बी. 31 मार्च, 2019 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	शेयर आवेदनपत्र राशि जिसका आबंटन लंबित है	रिज़र्व एवं सरप्लस					ओसीआई द्वारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिस का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		पूंजी रिज़र्व	बीएसबार रिज़र्व	जारएंडडी रिज़र्व	सामान्य रिज़र्व	रिटेंड अर्जन						
[illegible]	28	6	2	73 6	7 - (0	05) -	0	86 1, 3	49	. 4	5	
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	81.43	-	(0.57)	-	-	(4.89)	75.97
लाभांश तथा डीडीटी	-	-	-	-	-	(36.17)	-	-	-	-	-	(36.17)
शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर अनएमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	(1.65)	-	-	-	-	1.65	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	(40.00)	(10.00)	-	-	-	-	-	(50.00)
31.3.2019 को शेष	-	-	-	0.35	586.62	755.28	-	(0.62)	-	-	(2.38)	1,339.25

31 मार्च, 2018 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	शेयर आवेदनपत्र राशि जिसका आबंटन लंबित है	रिज़र्व एवं सरप्लस					ओसीआई द्वारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिस का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		पूंजी रिज़र्व	बीएसबार रिज़र्व	जारएंडडी रिज़र्व	सामान्य रिज़र्व	रिटेंड अर्जन						
[illegible]	5	61	6.62	78 9	4 - 0 8	1 - -	2	69 1	3	34	.07	
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	48.84	-	(0.86)	-	-	3.51	51.49
लाभांश तथा डीडीटी*	-	-	-	-	-	(36.11)	-	-	-	-	-	(36.11)
शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर अनएमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	(0.00)	-	10.00	(10.00)	-	-	-	-	-	(0.00)
31.3.2018 को शेष	-	-	-	0.35	626.62	721.67	-	(0.05)	-	-	0.86	1,349.45

*31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अंतिम लाभांश ₹ 0.30 प्रति शेयर की दर से ₹ 30 करोड़ तथा लाभांश वितरण कर ₹ 6.17 करोड़ (31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.30 प्रति शेयर की दर से ₹ 30 करोड़ तथा लाभांश वितरण कर ₹ 6.11 करोड़)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर ₹ 0.30 प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित लाभांश (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.30 प्रति शेयर की दर से)। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है।	45.00	30.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	9.25	6.17

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम नं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03298909

दिनांक: 30.05.2019
स्थान: नई दिल्ली

(अश्वनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन: 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02988628

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है। कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदि का व्यवसाय शामिल है। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की कार्यात्मक करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

(i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओं और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इस पर अपना अधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी।

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले में जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है: सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

(1) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

(2) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से

निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

(3) सोने / चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना / चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण / सकल लेनदार का समायोजन खरीद / बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिख लिया जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट / क्रेडिट नोट के माध्यम से खाते में शामिल किया जाता है।

ई. सप्लाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने / चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. i) हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाए, कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री / सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावे क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरड्यू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी / क्षति जिसमें तरल क्षतियां / मात्रा / गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्ध संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी / समायोजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है। ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोड़कर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट / लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर / सेवाकर / बिक्री–कर / वैट / जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन / विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तो;

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं / अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 **परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

(1) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(2) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(3) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

2.6 **अमूर्त परिसंपत्तियां**

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। सापटवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो ।

2.7 **बिक्री के लिए गैर–चालू परिसंपत्ति**

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 **मूल्यह्रास**

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक इकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को "उपयोग के लिए उपलब्ध" है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

कम कीमत की कुछ वस्तु जैसे:– कैलकुलेटर्स, वॉल क्लॉक, किचन के बर्तन इत्यादि जिसकी बहुत ही कम समय के लिए उपयोग किए जाते हैं, को खरीद वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है। मोबाईल हैंडसेट की लागत को भी राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है। सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य एक रूपये लिया जाता है। संपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार लिया जाता है :

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन–स्कूटर	10
वाहन–कार	8
कंप्यूटर्स–सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स–अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट / वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सड़कें	
कारपेटिड सड़क–आरसीसी	10
कारपेटिड सड़क–आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपेटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र–पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	**5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो**

2.9 **हानि**

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वपूर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बट्टे खाते में डाला जाता है। पहले बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट

किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है। परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति / हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति / हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो रिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

परिसंपत्तियों की पहचान

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व की जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।
कंपनी उस लागत की पहचान खर्च के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो। क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेन-देन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।
प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ / हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) **निर्यात :**

(1) प्रत्यक्ष खर्च जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

(2) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई / एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई / एमएन मात्रा / वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) **आयात**

(1) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता है जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

(2) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) **घरेलू**

(1) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान-वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है ।

(2) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध-तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) **पैकिंग मैटिरियल**

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) **फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक**

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 **प्रावधान**

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व(विधिक अथवा तर्कसाध्य) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 **आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां**

<u>आकस्मिक देयताएं:</u>

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर-पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है। जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं को सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

<u>आकस्मिक परिसंपत्ति</u>

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 **लीज**

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं। अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार है:–

(1) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

(2) जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर परिचालन पट्टे भुगतान एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं। लीज की गई परिसंपत्ति की चालान राशि और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन पट्टे के लिए मोल तोल और व्यवस्था करने में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल होती हैं।

2.16 कर्मचारी लाभ

(1) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते है, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते है और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता।

(2) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

(3) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

(5) एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई / पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय / लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा ।

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।
वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश सपत्तियां वे संपत्ति है जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल है) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)। निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है।

जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

(i) <u>गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज</u>

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल है :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।

- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।

गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सौदे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि– रिकग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है–

(ए) **रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष**

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों

(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति / हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति / हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) **ऋण एवं प्राप्य**

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त मदों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) **ट्रेड एवं अन्य प्राप्य**

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) **सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश**

सहायक कंपनी एसोसिएटस तथा संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लिया जाता है।

जिन निवेशों पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है इनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप मे किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

(ii) **अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज**

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में भौदिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है। आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) **रोकड़ प्रवाह हेजिज**

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउंटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर आय के विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान तत्काल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) **अन्य**

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 **खण्डवार सूचना**

जैसा कि इंड एएस – 108 ' 'आपरेटिंग सेग्मेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेग्मेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 **पूर्वावधि चूकें**

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंट्स में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1अप्रैल, 2018 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	1अप्रैल, 2018 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि / हानि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2019 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2018 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टाफ क्वार्टर	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	2.70	-	-	2.70	0.15	0.05	-	0.20	2.50	2.55
– स्टाफ क्वार्टर्स	0.15	1.53	-	1.68	0.01	0.20	-	0.21	1.47	0.15
भवन										
– कार्यालय भवन	6.68	-	-	6.68	0.47	0.17	(0.00)	0.64	6.04	6.21
– स्टाफ क्वार्टर्स / आवासीय फ्लैट्स	1.35	0.00	-	1.36	0.11	0.04	0.00	0.16	1.20	1.24
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.02	0.01	-	0.03	0.02	0.04
– विद्युत इंस्टालेशन	3.02	-	-	3.02	1.77	0.07	0.00	1.84	1.18	1.25
– सड़कें व पुलिया	0.02	-	-	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
– ओडियो / फायर / एयरकंडिशनिंग	0.11	0.00	(0.00)	0.12	0.07	0.02	(0.00)	0.09	0.03	0.04
प्लांट एवं उपकरण	41.29	-	-	41.29	9.45	3.21	(0.00)	12.67	28.62	31.84
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स										
– पार्टीशन	0.38	0.00	(0.00)	0.39	0.20	0.14	-	0.34	0.04	0.18
– अन्य	1.12	0.21	(0.02)	1.32	0.30	0.14	(0.01)	0.43	0.88	0.82
वाहन	0.48	0.07	-	0.55	0.17	0.07	-	0.24	0.32	0.32
कार्यालय उपकरण	1.66	0.09	(0.02)	1.72	0.87	0.29	(0.01)	1.14	0.58	0.79
अन्य :										
– रेलवे वैगन रैक	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
– बीएसएसपी पर रेलवे स्पर लाइन	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
कम्प्यूटर / डाटा प्रोसेसर्स	2.07	0.35	(0.03)	2.39	1.53	0.31	(0.00)	1.83	0.56	0.55
कुल	61.59	2.26	(0.07)	63.78	15.12	4.72	(0.02)	19.82	43.96	46.47
गत वर्ष	60.85	1.07	(0.32)	61.60	10.84	4.40	(0.11)	15.13	46.47	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	0.28	-	0.28	-	-	-	-	0.28	-
गत वर्ष	0.04	-	(0.04)	-	-	-	-	-	-	

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सड़कें तथा पुलिया, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एनबीसीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तत्पश्चात कंपनी ने वर्ष 2018-19 में डीडीए से अपने हिस्से की 18.18 एकड़ भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण किया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई 0.27 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

4. निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.66**	4.66
वृद्धि	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.66**	4.66
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**0.50**	0.35
वृद्धि	**0.16**	0.15
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**0.66**	**0.50**
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.99**	**4.16**

निवेश संपत्तियों से संबंधित राशि जिसे लाभ अथवा हानि में शामिल किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
किराया आय	**1.86**	2.21
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	-	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.86**	2.21
मूल्यह्रास	**0.16**	0.15
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.70**	**2.06**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ऑपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
एक वर्ष के अंदर	**0.28**	0.70
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	-	-
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	**0.28**	**0.70**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 126.18 करोड़ (पिछले वर्ष 90.87 करोड़ रु) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 को सकल मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2018 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2018 को नेट कैरिंग मूल्य
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	**3.39**	-	-	**3.39**	**1.93**	**0.66**	-	**2.59**	**0.80**	**1.46**
पिछले वर्ष	3.38	0.01	-	3.39	1.24	0.69	-	1.93	1.46	

6. निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार		31 मार्च 2018 के अनुसार	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). परिशोधित लागत पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश				
i) सहायक कंपनियां				
अनकोटिड				
एनएमडीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 की दर से 1461502 (1461502 पिछले वर्ष) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 की दर से		3.14		3.14
ii) संयुक्त उद्यम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 289342744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (289342744 पिछले वर्ष) प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के		379.69		379.69
एनएमडीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रुपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(2987400 पिछले वर्ष)	2.99		2.99	
जोड़े / (घटाएं) निवेश के मूल्य में कमी	(2.99)	0.00	(2.99)	0.00
श्री ट्रेड वेलसाल्टरिंग प्रा.लि. प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (2600 पिछले वर्ष)		0.01		0.01
एनएमडीसी सैल इंडिया प्रा. लि. प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 17448000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (17446000, पिछले वर्ष)		17.45		17.45
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.। प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (33800000 पिछले वर्ष)		33.80		33.80
टीएस माईनिंग कंपनी लिमिटेड। प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 'शून्य' (57200 पिछले वर्ष)	-		0.06	
जोड़े (घटाएं): निवेश के मूल्य में कमी	-	-	(0.06)	0.00
iii) अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(पिछले वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक	3.00		3.00	
जोड़े (घटाएं): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	(0.62)	2.38	(0.05)	2.95
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (32000000 पिछले वर्ष)		16.00		16.00
परिशोधित (अमोर्टाईज्ड)				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (4750000 पिछले वर्ष).	4.75		4.75	
जोड़े(घटाएं) निवेश के मूल्य में कमी	(4.75)	0.00	(4.75)	0.00
इक्विटी इंस्ट्रूमेंटस में कुल निवेश		452.47		453.03

(करोड़ रुपए)

कुल गैर चालू निवेश (सकल)		-		460.88
	कुल राशि	बाजार मूल्य	कुल राशि	बाजार मूल्य
कोटिड निवेश की कुल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	3.00	2.38	3.00	2.95
कोटिड निवेश की कुल राशि	457.83	-	457.87	-
निवेश मूल्य में कमी की कुल राशि	7.74	-	7.79	-

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार		31 मार्च 2018 के अनुसार	
बी. वर्तमान निवेश	-	-	-	-

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव के प्रस्ताव को अपेक्षित टेंडर प्रकिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की टेंडर प्रकिया में कोई आवेदन नही मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) ने 34.26 करोड़ रू. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रूपए 0.50 करोड़ की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तों के अनुसार मैसर्स सिओटल ने एमएमटीसी के जेवी छोड़ने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। केपीएल से एनओसी प्राप्त हो जाने पर मैसर्स सिकॉल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड शेष राशि का भुगतान एमएमटीसी को करेगा तथा इसके बाद शेयर ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

iii. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 5.20 करोड़ रूपए इक्विटी शेयरों में 5 रूपए प्रति शेयर की दर से किए गए 26.0 करोड़ रूपए के आरंभिक निवेश (जो कि कंपनी की आईसीईएक्स में 26 प्रतिशत की होल्डिंग है), में से कंपनी ने वर्ष 2015–16 में 2 करोड़ इक्विटी शेयरों को 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर बेच दिया। आईसीईएक्स द्वारा फरवरी/मार्च 2016 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू लाया गया जो पूर्णतः सब्सक्राइब हो गया। तत्पश्चात आईसीईएक्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू लाया गया जो पूर्णतः सब्सक्राइब हो गया। एमएमटीसी ने इन राइट इश्यूज में भाग लिया। दिनांक 31.03.2019 को एमएमटीसी की होल्डिंग 6 प्रतिशत है।

एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग का मूल्यांकन दिनांक 31.03.2019 को 5/–रूपए प्रति शेयर के लागत मूल्य पर किया है चूंकि (पूर्व के वर्षों में) प्रीमियम पर जारी किए गए राइट इश्यू बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता तथा यह माना गया है कि लागत मूल्य ही दिनांक 31 मार्च 2019 के उचित मूल्य का सही प्रतिनिधित्व करता है। दिनांक 31.03.2019 को आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिड नहीं थे।

7. प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i) अन्य पार्टियों से प्राप्य व्यापार		
ए) सुरक्षित– प्राप्ति योग्य	178.55	154.60
बी) असुरक्षित, प्राप्ति योग्य	99.28	198.56
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	–	–
डी) क्रेडिट हानि	391.20	391.64
घटाएं : संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था	391.20	391.64
अनुयोग	**277.83**	**353.16**
कुल	**277.83**	**353.16**
नॉन करंट(ए)	-	-
करंट (बी)	**277.83**	**353.16**
कुल	277.83	353.16

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	391.64	396.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	0.64
वर्ष के दौरान रिवर्सल	(0.41)	(5.14)
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.03)	-
वर्ष के अंत में शेष	391.20	391.64

8. ऋण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार		31 मार्च 2018 के अनुसार	
सुरक्षित प्राप्ति योग्य	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.01	-	0.00
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.80	3.74	1.08	4.36
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	0.80	3.75	1.08	4.36
असुरक्षित प्राप्ति योग्य				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	1.86	-	1.91
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	0.00	-	0.00
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	1.45	2.21	1.55	2.79
अन्य	-	-	0.19	-
अनुयोग	1.45	4.07	1.74	4.70
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	-	-	-
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	-	-	-	-
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.17	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	0.03	0.08	0.03	0.14
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	0.03	0.25	0.03	0.31
अनुयोग	-	-	-	-
योग	2.25	7.82	2.82	9.06

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य है उनके द्वारा देय राशि रू 0.01 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.02 करोड़ रू)।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार		31 मार्च 2018 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक डिपाजिट्स	-	0.86	-	0.83
भुगतान नहीं किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	0.17	-	0.13
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	208.25	-	209.79
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	4.23	5.92	5.43	5.65
फारवर्ड संविदा प्राप्य	-	-	0.65	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	33.46	-	33.47
अन्य अग्रिम	1.93	9.14	0.77	9.09
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज :				
– सावधिक जमा राशि	0.73	-	0.64	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.95	9.25	1.26	10.55
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	0.07	0.83	0.00	0.87
अन्य	-	20.09	-	20.18
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/स्वीकार्यता	1.07	245.89	1.04	231.57
योग	6.84	42.08	7.71	58.99

(i) रुपए 208.25 करोड़ (गत वर्ष रुपए 209.79 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए प्रावधान कर लिया गया है। वर्ष के दौरान 1.54 करोड़ रुपए की वसूली हुई है तथा तदनुसार पूर्व में किए गए प्रावधान को रिवर्स कर लिया गया है। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरुद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एनएफटीडब्ल्यूपीएल तथा केएफटीडब्ल्यूपीएल को एडवांस देने के लिए 15.94 करोड़ रुपए (गत वर्ष रुपए 'शून्य' करोड़) का प्रावधान किया गया है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	(9.80)
अनुयोग	(8.70)	(9.80)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	228.43
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.01	0.02
वीआरएस व्यय	6.26	0.42
सीएसआर के लिए प्रावधान	-	-
मुकदमेबाजी के निपटानों के लिए प्रावधान	-	16.54
अनुयोग	239.54	245.41
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	230.84	235.61

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2019 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(9.80)	1.10	-	(8.70)
अनुयोग	(9.80)	1.10	-	(8.70)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	228.43	4.84	-	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.02	(0.01)	-	0.01
वीआरएस व्यय	0.42	5.84	-	6.26
मुकदमेबाजी के निपटानों के लिए प्रावधान	16.54	(16.54)	-	0.00
अनुयोग	245.41	(5.87)	-	239.54
कुल	235.61	(4.77)	-	230.84

पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तिया

निम्नलिखित मदों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की गई है

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य राशि	230.84	235.61

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर दायित्वों का समायोजन कर दिया है क्योंकि ये एक ही कानून के अंतर्गत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– सिक्युरिटी डिपाजिट्स	0.04	0.04
– अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	4.67	4.73
– अन्य अग्रिम	17.20	17.15
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	(18.06)	(18.06)
अन्य		
– वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	20.63	22.36
– अन्य	0.01	0.01
कुल	24.49	26.23
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– सिक्युरिटी डिपाजिट्स	7.35	15.55
– संबंधित पार्टियों को अग्रिम	1,425.01	1,425.00
– संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	1,169.56	361.70
– अन्य आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	2.09	23.21
– अन्य वसूली योग्य	49.58	63.66
– बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	227.02	392.97
– अन्य अग्रिम	22.47	63.46
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	(3.25)	(3.27)
अन्य		
– देय आयकर रिफंड	14.77	17.06
– देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	4.53	4.35
– देय सेवाकर रिफंड	0.05	0.64
– अन्य	84.70	61.39
कुल	**3,003.88**	**2,425.92**

12. इन्वेंट्रीज

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
कच्चा माल	26.90	4.28
तैयार माल	30.10	34.19
(रु. 138.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 431.23 करोड़ रुपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रांजिट)	222.66	1,672.45
अन्य	0.15	0.56
योग	279.81	1,711.48

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) गुड्स इन ट्रांजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2019 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 0.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.64 करोड़) की हानि हुई।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल है–

(i) प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) 20920 यूनिट (पिछले वर्ष 21020 यूनिट) जिनका मूल्य 0.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रुपए) जो इंडएस एएस –2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।

(ii) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की संख्या 39939 यूनिट है (गत वर्ष शून्य यूनिट)

(iii) मूल्यहरास, एमिसन कटौती उपकरण की ओ एण्ड एम लागत के लिए 4.34 करोड़ रुपए की राशि(गत वर्ष रू 4.35 करोड़ रुपए) व्यय की गई।

(डी) दालों का बफर स्टाक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत आयातित दालों से संबंधित लागत पर मूल्यांकित शून्य करोड़ रुपये(गत वर्ष 856.29 करोड़ रुपये) की इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड में शामिल है। (संदर्भ नोट 38 (ई))

13. नकद तथा नकद समतुल्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	2.76	19.81
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	12.11	3.59
सी) कैश क्रेडिट अकाउंट में डेबिट शेष	24.14	26.64
चैक/ड्राफ्ट/स्टांप ऑन हैंड	0.00	0.00
कैश ऑन हैंड	0.10	0.04
कुल	39.11	50.08

पार्टी के पक्ष में बीजी जारी करने के लिए रूपए 11.38 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य करोड़ रुपए') का टर्म डिपाजिट शामिल है।

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
भुगतान न किए गए लाभांश के लिए मार्जिन मनी के रूप में/ग्रहणाधिकार पर	-	-
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	4.49	5.75
	11.61	12.07
कुल	16.10	17.82

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 केअनुसार
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	22.21	-
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	13.55
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	0.01	0.01
कुल	22.22	13.55

16. ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण		31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
		संख्या	संख्या
अधिकृत			
प्रत्येक 1/- रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	2,000,000,000	1,000,000,000
	राशि	200.00	100.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/- रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	1,500,000,000	1,000,000,000
	राशि	150.00	100.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	1,000,000,000	1,000,000,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या		500,000,000 -
घटाएं: कटौती	-	-
अंतिम शेष	1,500,000,000	1,000,000,000

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	1,348,903,143	899,268,762

कंपनी में शेयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू.1/- प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कम्पनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में मुवमेंटस वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है।

कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं है।

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड़ रुपए की फ्री रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई है जो रुपए 1/- प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
अनुसंधान व विकास रिजर्व	0.35	0.35
सामान्य रिजर्व	586.62	626.62
रिटेंड रिजर्व	755.28	721.67
अन्य व्यापक आय रिजर्व	(3.00)	0.81
कुल अन्य इक्विटी	1,339.25	1,349.45

(I) अनुसंधान व विकास रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	0.35	0.35
सरप्लस से अंतरण	-	-
कटौती	-	-
अंतिम शेष	0.35	0.35

(ii) सामान्य रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	626.62	616.62
सरप्लस से अंतरण	10.00	10.00
बोनस शेयर जारी करना	(50.00)	-
अंतिम शेष	586.62	626.62

(iii) रिटेंड अर्जन

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	721.67	718.94
वर्ष के लिए निवल लाभ	81.43	48.84
रिटेंड अर्जन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए अन्य व्यापक आय की मदें		-
सेवा के बाद देय लाभ देयताओं का पुनर्मूल्यांकन	(1.65)	-
लाभांश और लाभांश कर	(36.17)	(36.11)
विनियोग :-		-
सामान्य रिजर्व	(10.00)	(10.00)
अंतिम शेष	755.28	721.67

(iv) अन्य रिजर्व

	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	पुनः मूल्यांकन, सेवा बाद की लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2017 को	0.81	(2.65)	**(1.84)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	3.51	**3.51**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	(0.86)	-	**(0.86)**
31 मार्च 2018 को	(0.05)	0.86	**0.81**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	(3.24)	**(3.24)**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	(0.57)	-	**(0.57)**
31 मार्च 2019 को	(0.62)	(2.38)	**(3.00)**

17. उधार

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंटरीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	621.75	519.26
– असुरक्षित	300.18	-
योग	921.93	519.26

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट/वर्किंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य है। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैंकों के विस्तार पर आधारित है।
- कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

18. देय व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों को कुल देय बकाया	6.79	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स को कुल देय बकाया	1,019.23	1,064.65
संबंधित पार्टियों को देय व्यापार		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	-	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स के कुल देय बकाया	7.74	0.02
कुल	1,033.76	1,064.67

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
देय – व्यापार के अलावा	13.11	8.19
देय डिस्पैच/डेमरेज	3.40	8.85
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	0.77	0.33
उधार पर उत्पन्न ब्याज	3.88	2.04
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	34.81	92.61
भुगतान न किया गया लाभांश	0.17	0.13
देय दावे	43.73	41.97
देय फॉरवर्ड कांट्रेक्ट	-	0.00
अन्य	80.21	88.69
कुल	180.07	242.81

20. प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ देयताए		
ए) अर्जित अवकाश	14.73	13.63
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	0.10	0.12
सी) सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	104.04	93.32
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	40.92	45.04
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	18.92	20.66
ई) सेवा अवार्ड	4.55	5.44
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	3.38	3.87
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	1.91	2.08
कुल	188.55	184.16
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ योजना		
ए) अर्जित अवकाश	3.30	2.91
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	0.06	0.05
सी) सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	2.53	4.30
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	8.48	6.79
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	4.40	5.35
ई) ग्रेच्युटी	6.39	51.10
एफ) सेवा पुरस्कार	1.15	1.44
जी) बोनस/कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	22.73	16.03
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	0.62	0.73
आई) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	0.40	0.57
अनुयोग	50.07	89.27
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	0.03	0.04
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	-	47.34
अनुयोग	**0.03**	**47.38**
कुल	50.10	136.65

21. अन्य देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**290.86**	1,373.48
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**41.71**	14.36
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**227.02**	392.97
अन्य	**1.12**	24.24
कुल	**560.71**	**1,805.05**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	**30.40**	
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देय आयकर	**-**	15.50
कुल	**30.40**	**15.50**

23. प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**28,288.27**	15,746.49
सेवाओं की बिक्री	**4.55**	10.43
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**462.68**	537.35
–अर्जित डिस्पैच	**-**	0.03
–अन्य व्यापार आय	**223.94**	156.51
कुल	**28,979.44**	**16,450.81**

24. अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपॉजिट पर	**1.51**	5.72
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**0.05**	0.01
– अन्य	**2.02**	10.95
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	**5.23**	23.03
– अन्य	**0.17**	0.79
अन्य गैर-प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.72**	0.55
– रिटन बैक देयताएं	**2.23**	14.02
– विविध प्राप्तियाँ	**5.86**	8.03
कुल	**17.79**	**63.10**

25. प्रयुक्त माल की लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**4.28**	9.23
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**146.97**	126.52
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**27.00**	4.36
प्रयुक्त माल की लागत	**124.25**	**131.39**
उपयोज्य	**-**	**-**

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**11,863.68**	9,159.10
धातुएं	**2,025.47**	898.40
उर्वरक	**9,755.99**	2,232.59
खनिज	**818.18**	1,270.37
कृषि उत्पाद	**367.56**	20.02
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**1,195.52**	843.12
अन्य	**20.73**	48.10
ख. माल के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया)		
बहुमूल्य धातुएं	**(0.18)**	(0.30)
कुल	**26,046.95**	**14,471.40**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**34.19**	46.11
अंतिम शेष	**31.38**	33.69
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**2.81**	**12.42**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**1,673.02**	2,310.79
अंतिम शेष	**222.54**	1,671.07
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**1,450.48**	**639.72**
निवल (वृद्धि)/कमी	**1,453.29**	**652.14**

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**132.52**	140.09
छुट्टी नकदीकरण	**8.88**	17.95
बोनस	**0.07**	0.08
परफॉरमेंस से जुड़ा वेतन	**10.51**	3.33
चिकित्सा व्यय	**20.97**	19.53
ग्रुप बीमा	**0.00**	0.75
डीएलआईएस में अंशदान	**0.14**	0.45
वी आर खर्चे	**21.39**	0.01
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि	**11.61**	11.29
ग्रेच्युटी निधि	**6.93**	57.20
परिवार पेंशन योजना	**1.33**	1.61
अधिवर्षिता लाभ	**5.43**	4.55
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**1.57**	2.44
कुल	**221.35**	**259.28**

29. वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ए) ब्याज व्यय	**65.13**	16.45
बी) फारवर्ड कंट्रेक्ट पर प्रीमियम	**0.14**	0.12
सी) अन्य उधार लागत	**-**	0.03
कुल	**65.27**	**16.60**

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**4.72**	4.40
निवेश संपत्ति मूल्यह्रास	**0.16**	0.15
अमूर्त परिसम्पत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.66**	0.69
कुल	**5.54**	**5.24**

31. अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ए) प्रचालन व्यय		
भाड़ा	**123.13**	53.26
डेमरेज	**0.90**	6.03
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्चार्ज एवं अन्य प्रभार	**16.47**	51.39
एल सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**0.67**	0.99
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**5.37**	7.77
सीमा शुल्क	**725.14**	693.60
उत्पाद शुल्क	-	0.03
पैकिंग सामग्री	**0.66**	0.87
बीमा	**0.26**	0.15
गोदाम बीमा	**1.46**	7.08
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**6.56**	41.22
गलत माल एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.03**	0.04
अनुयोग (ए)	**880.65**	**862.43**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**2.88**	4.50
सुरक्षा खर्च	**3.21**	3.91
दरें एवं कर	**1.49**	1.23
बीमा	**0.19**	0.21
भवनों की मरम्मत	**4.46**	4.38
मशीनों की मरम्मत	**0.04**	0.09
मरम्मत एवं रखरखाव– कम्प्यूटर्स	**2.05**	1.49
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.61**	0.55
बिजली एवं जल प्रभार	**3.27**	3.41
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.62**	1.58
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**0.54**	0.56
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.12**	0.15
टेलीफोन	**1.27**	1.63
टेलीकम्यूनिकेशन	**0.39**	0.36
यात्रा	**3.46**	3.16
वाहन	**1.88**	1.85
मनोरंजन	**0.55**	0.56
विधिक	**7.20**	4.28
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**0.63**	0.63
बैंक प्रभार	**0.95**	0.70
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.06**	0.06
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.47**	0.63
सब्सक्रिप्शन	**0.43**	0.53
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.28**	0.32
प्रोफेशनल/कंसल्टैंसी	**1.80**	2.04
सीएसआर व्यय (ii)	**1.35**	0.49
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**4.03**	0.28
सेवा कर/जीएसटी	**0.59**	0.60
प्रदर्शनी एवं मेले	**2.21**	2.07
विविध व्यय	**6.53**	5.59
अनुयोग (बी)	**54.56**	**47.85**
सी. अन्य :		
अशोध्य ऋण/दावे/परिसम्पत्तियां रिटन आफ/विलेखन	**1.06**	0.05
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण/दावे/अग्रिम जिनको स्वीकार किया गया	**15.96**	-
अनुयोग(सी)	**17.02**	**0.05**
कुल (ए+बी+सी)	**952.23**	**910.32**

(i) लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई राशि

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक के रूप में	**0.33**	0.34
कराधान मामलों/कर लेखा परीक्षा के लिए	**0.16**	0.16
अन्य सेवाओं के लिए	**0.14**	0.13
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.00**	-
कुल	**0.63**	**0.63**

(ii) सीएसआर व्यय के विवरण

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि (गत तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)	1.25 करोड़ रु.	1.26 करोड़ रु.

विवरण	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	खर्च न की गई शेष राशि
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	**0.47**	0.58
(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन	**0.86**	0.11
(iii) विगत वर्ष के सीएसआर रिजर्व के प्रति		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		0.23
(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन	**0.49**	0.54
(iii) विगत वर्ष के सीएसआर रिजर्व के प्रति	**0.00**	

परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि में 0.15 करोड़ रु (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा दिनांक 31.03.2018 को खर्च न की गई 0.54 करोड़ रु (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की राशि शामिल थी।

32. अपवाद मदें

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल	**0.80**	0.64
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**0.02**	(0.06)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	-	3.04
मुकदमों का निपटान (I)	**12.48**	5.65
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.54)**	(0.86)
कुल	**9.76**	**8.41**

(I) ए) मध्यस्थता अवार्ड में अंतिम निर्णय आ जाने के बाद कंपनी ने दावाकर्ता पार्टी को अवार्ड के अनुसार दावे की अंतिम राशि (कोर्ट द्वारा दी गई गणना के अनुसार) का भुगतान कर दिया गया। इस राशि में ब्याज तथा अन्य लागत शामिल थी। दावे की शेष राशि 4.87 करोड़ रुपए थी जिसमें मुकदमेबाजी तथा निपटान की राशि शामिल थी।

बी) पार्टी के साथ हुए लेनदेन से संबंधित कंपनी के विरुद्ध दिए गए मध्यस्थता अवार्ड की राशि 'शून्य' करोड़ रुपए (गत वर्ष 1.60 करोड़ रु.) शामिल है।

सी) क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में एक पार्टी के साथ हुए लेनदेन के मामले में कंपनी के विरुद्ध दिए गए अवार्ड के परिणामस्वरूप 2.54 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) का भुगतान किया गया। इसमें 0.07 करोड़ रुपए मध्यस्थता की लागत (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा भुगतान के ओवरड्यू हो जाने पर दिनांक 05.02.1997 तक देय ब्याज राशि 2.25 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा मध्यस्थता की लागत पर दिनांक 01.08.2001 से 31.03.2019 तक 18 प्रतिशत की दर से देय 0.22 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की ब्याज राशि शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 31.05.2019 तक दावे का अंतिम निपटान करते हुए पूर्ण राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।

डी) क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में एक लेनदेन से संबंधित मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक दावे में कंपनी के विरुद्ध दिए गए निर्णय के अनुसार देयता की 5.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की राशि शामिल है।

ई) क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई तथा क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै के कानूनी मुकदमों के निपटान से संबंधित क्रमशः रुपए 0.25 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा 0.07 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

33. कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
चालू वर्ष	33.00	13.35
पूर्ववर्षों से संबंधित समायोजन	**(0.61)**	(0.03)
अनुयोग (ए)	**32.39**	**13.32**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**4.77**	(3.03)
अनुयोग (बी)	**4.77**	**(3.03)**
कुल (ए+बी)	**37.16**	**10.29**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ (हानि)	2.90	(1.85)
कुल	2.90	**(1.85)**

प्रभावी करों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**118.59**	59.13
अधिनियमित कर दर	**34.94**	34.61
गणना की गई अनुमानित कर खर्च	**41.44**	20.54
कटौती मुक्त खर्च	**10.29**	4.43
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	**(18.74)**	(11.63)
पूर्व के वर्षों से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	**(0.61)**	(0.03)
आस्थगित कर	**4.77**	(3.03)
वर्ष के लिए कर व्यय	**37.16**	**10.29**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	**(2.90)**	1.85
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**34.26**	**12.14**

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

(करोड़ रू में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	**207.87**	374.04
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.06 करोड़ रू. (गत वर्ष 21.82 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं	**50.40**	60.78
सी)	विवादित टीडीएस मांग	**0.00**	0.02
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 17.80 करोड़ रू. (गत वर्ष 4.37 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.27 करोड़ रू.) कवर किए गए।	**203.90**	227.54
ई)	विवादित सेवा कर मांग	**101.12**	105.41
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	**19.53**	0.17
जी)	विवादित पीएफ मांग	**2.24**	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	**186.77**	414.09
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1.03 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	**1.60**	1.93
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नहीं माना गया है। रूपए 69.16 प्रति डालर की दर से 7.97 करोड़ यूएसडी (गत वर्ष 65.18 रू प्रति डालर की दर से 7.97 करोड़ यूएसडी	**551.19**	519.47
	कुल (I)	**1324.61**	**1705.69**
(II)	अन्य बैंक टू बैंक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है		
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	**166.86**	180.32
	कुल (II)	**166.86**	180.32

क्रम संख्या I) ए) से जे) तक में दी गई मदों का मूवमेंट

(करोड़ रू में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक वर्ष में कटौती	वर्ष 2018–19 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2019 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	374.04	169.23	3.06	**207.87**
बी)	विवादित आयकर मांग	60.78	10.38	-	**50.40**
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.02	0.02	0.00	**0.00**
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	227.54	24.74	1.11	**203.90**
ई)	विवादित सेवाकर मांग	105.41	12.65	8.36	**101.12**
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	0.17	-	19.36	**19.53**
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	**2.24**
एच)	कस्टम्स बांड्स	414.09	312.66	85.35	**186.77**
आई)	बकाया जीआर–1	1.93	0.33	-	**1.60**
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	519.47	-	31.72	**551.19**
	कुल	**1705.69**	**530.02**	**148.95**	**1324.61**

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कम संख्या II) ए) में दी गई मदों का मुवमेंट

कम संख्या	विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान आरम्भिक वर्ष में कटौती	वर्ष 2018–19 दौरान वृद्धि	31 मार्च 2019 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी आदि की अदत्त राशि	180.32	13.46	-	166.86
	कुल	**180.32**	**13.46**	**-**	**166.86**

*एनआईएनएल (एक जेवी कंपनी) को सप्लाई करने के कोकिंग कोल आयात से संबंधित विदेशी सप्लायर का 7.872 करोड़ अमरीकी डालर का दावा है। इसके अलावा 0.098 करोड़ अमरीकी डालर की मध्यस्थता लागत तथा इस पर दिनांक 30.9.2009 से 12.5.2014 तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज तथा 1 जून 2014 से भुगतान किए जाने की अवधि तक अवार्ड के बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा है। मध्यस्थता अवार्ड एमएमटीसी के विरूद्ध दिया गया। कंपनी द्वारा इस अंतिम निर्णय के विरूद्ध आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध कंपनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बैंच के समक्ष अपील की गई जिसे माननीय डिवीजन बैंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अपील पर सुनवाई चल रही है तथा सुनवाई की अगली तारीख 21.08.2019 है (दावाकर्ता ने अपने पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड डिक्री के निष्पादन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच के समक्ष अलग से एक याचिका दायर की है। तुलनपत्र की तारीख के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.4.2019 को कंपनी को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के पास डिक्री राशि की पूरी राशि जमा कराए। कंपनी ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया है तथा इसके साथ डिपाजिट के बदले सिक्युरिटी हेतु कंपनी की संपत्तियों की सूची जमा की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.5.2019 को आदेश दिया कि वह संपत्ति के दस्तावेजों की टाइटल डीड्स उपलब्ध कराए तथा सुनवाई की तारीख 8.8.2019 तय की है। डिपाजिट के संबंध में न्यायालय के आदेश की अवधि दिनांक 8.8.2019 तक की गई है।

कानूनी कार्यवाई का अंतिम परिणाम आने तक प्रबंधतंत्र का विचार है कि दिनांक 31.3.2019 को अपनी खाता बहियों में निर्णय के प्रति कोई प्रावधान न किया जाए क्योंकि वरिष्ठ वकीलों की विधिक राय के अनुसार आपूर्तिकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए कंपनी का मजबूत मामला बनता है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा ली गई विधिक राय के अनुसार इस दावे के प्रति यदि कोई देयता बनेगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जाएगा।

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.81 करोड़ रु. (गत वर्ष 15.82 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी की हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से 0.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत 7.10 करोड़ रुपए (गत वर्ष 179.29 करोड़ रुपए) की राशि बकाया है।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1410.56 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विचाराधीन मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

35. वचनबद्धताएं :

<u>पूंजीगत वचनबद्धताएं</u> : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रुपए है (गत वर्ष 3.02 करोड़ रु.)।

संयुक्त उद्यम में पूंजीगत निवेश की वचनबद्धताएं 'शून्य' करोड़ रुपए(गत वर्ष 3.02 करोड़ रुपए)।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी संख्या 11(बी))तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31/3/2019		31/03/2018	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	515.00	147.80	754.00	205.79
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	22,703.85	79.22	49,140.13	187.18
कुल	**23,218.85**	**227.02**	**49,894.13**	**392.97**

बी) हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेश:–

(i) कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति 379.69 करोड़ रुपए (गत वर्ष 379.69 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। (नोट 6)

(ii) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर कंपनी इसे 1425.00 करोड़ रुपये की सीमा तक लघु अवधि क्रेडिट सुविधा प्रदान करती रही है। इसके अलावा 1187.00 करोड़ रुपए की व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधा भी दी गई है। इसके लिए दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की 1489.25 करोड़ रूपए की नेटवर्थ के विरूद्ध अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पार्टियों को एडवांस) (नोट 11) के अंतर्गत बकाया राशि 2594.57 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1786.70 करोड़ रूपए)।

(iii) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों / बैंकों / अन्य के पक्ष में कंपनी ने 1345.82 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1410.56 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (iii))।

(iv) एनआईएनएल को दी गई क्रेडिट सुविधा पर कंपनी ने व्यापार संबंधित ब्याज के लिए 216.67 करोड़ रु. (गत वर्ष 138.73 करोड़ रु.) की पहचान की है।

(v) एनआईएनएल ने समय–समय पर क्रेडिट सुविधा के लिए कंपनी को 1975.00 करोड़ रुपए (गत वर्ष 945.00 करोड़ रु.) की कारपोरेट गारंटी दी है।

(vi) तुलनपत्र की तारीख के बाद कंपनी ने दिनांक 04 मई 2018 को वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 5.5.2019 को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के लिए 79.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की है जिसके बाद कुल अतिरिक्त इक्विटी 149.34 करोड़ रुपए हो गई है।

(vii) एनआईएनएल को गत 7 वर्षों से घाटा हो रहा है जिसके कारण इसकी नेट वर्थ नकारात्मक होकर दिनांक 31.3.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़ (गत वर्ष 31.3.2018 को रुपए (–) 552.05 करोड़)। एनआईएनएल के वित्तीय विवरणों के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को इसकी परिसंपत्तियां एमएमटीसी के देयों को छोड़कर 1638.08 करोड़ रुपए हैं।

(viii) वर्ष 2019–20 के दौरान एनआईएनएल की आयरन ओर की अपनी माइन का परिचालन कार्य शुरू हो जाने की संभावना तथा स्टील उद्योग क्षेत्र में सुधार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट का विचार है कि इसके द्वारा एनआईएनएल में किया गया निवेश तथा दिया गया एडवांस सही है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट / एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रु. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रु.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत दालों का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2015 से दिनांक 31.3.2017 तक दालों का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार के अकाउंट में आयात किए गए पूरे स्टॉक का निस्तारण कर दिया गया है तथा बिक्री प्रोसिड / एडवांस को खरीद लागत के विरूद्ध समायोजित करने के बाद शेष को रिफंड कर दिया गया है। दिनांक 31.3.2019 को अन्य खर्च व वसूली योग्य दावों में से अग्रिम राशि को घटाने के बाद बकाया राशि रूपए 26.28 करोड़ रूपए थी तथा इस संबंध में अंतिम मिलान किया जाना है।

एफ) आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोसिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.89 करोड़ रुपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रुपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 3.77 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.55 करोड़ रुपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने घोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रुपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रुपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुपए) जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसार एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने है तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुददों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा इस मामले में सुनवाई चल रही है।

जे) वर्ष के दौरान विदेशी सप्लायर से प्राप्त कंसाइनमेंट में से सिक्युरिटी एजेंसी द्वारा 14.00 करोड़ रुपए मूल्य का 14 किलोग्राम सोना अनधिकृत रूप से डिलीवर करने के मामले का पता चला। हालांकि कंपनी ने देय राशि की वसूली कस्टोडियन सिक्युरिटी एजेंसी / के माध्यम से कर ली है तथा कंपनी के लेखों में इस लेन–देन को सामान्य व्यापार लेन–देन के रूप में दर्शाया है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च, 2019 को करोड़ रूपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			18.38	18.38	18.38
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	39.11			39.11	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	277.83			277.83	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	8.20			8.20	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	1.86			1.86	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	48.92			48.92	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	1033.76			1033.76	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	921.93			921.93	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	180.07			180.07	

31 मार्च 2018 को कैटगरीज अनुसार वित्तीय दस्तावेजों का कैरिंग मूल्य तथा उचित मूल्य निम्नलिखित है:-

(31 मार्च, 2018 को करोड़ रूपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)			18.95	18.95	18.95
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	50.08			50.08	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	353.16			353.16	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	9.78			9.78	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	2.10			2.10	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	66.70			66.70	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	1064.67			1064.67	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	519.26			519.26	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	242.81			242.81	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

- **स्तर 1**– वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (बिना समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।
- **स्तर 2**– वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल है जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट है।
- **स्तर 3**– वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुटस) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आंकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आंकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च, 2019 को करोड़ रूपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.38			2.38		उद्धृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.38**	**-**	**16.00**	**18.38**		

(31 मार्च, 2018 को करोड़ रूपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.95			2.95		उद्धृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.95**	**-**	**16.00**	**18.95**		

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है, इसलिए मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है । कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट मार्किट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेन देन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है।

(31 मार्च, 2019 को करोड़ रूपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	-	-	-
ट्रेड प्राप्य	158.09	-	158.09
डैमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.78	-	4.78
अन्य प्राप्य	0.15	-	0.15
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**163.02**	**-**	**163.02**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	281.14	-	281.14
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	3.24	-	3.24
ट्रेड देय	429.39	-	429.39
देय भाड़ा डैमरेज/डिस्पैच	25.77	-	25.77
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	0.42	-	0.42
अन्य	5.64	-	5.64
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**745.60**	**-**	**745.60**

जिन मामलों मे अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मुद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं।

(31 मार्च, 2018 को करोड़ रूपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	-	-	-
ट्रेड प्राप्य	147.69	-	147.69
डैमरेज/डिस्पैच प्राप्य	7.12	-	7.12
अन्य प्राप्य	0.00	-	0.00
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**154.81**	**-**	**154.82**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	243.47	-	243.47
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	1.39	-	1.39
ट्रेड देय	396.97	189.50	586.47
देय भाड़ा डैमरेज/डिस्पैच	6.57	-	6.57
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	45.74	-	45.74
अन्य	0.22	-	0.22
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**694.36**	**189.50**	**883.85**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध मे कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मुद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर है ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रूपये एवं शून्य रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते हैं तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.18 करोड़ रुपये एवं 0.19 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च, 2019 को करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नहीं	181.66	-	181.66
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	11.54	-	11.54
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	7.18	-	7.18
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	15.28	-	15.28
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	6.98	-	6.98
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	446.37	391.17	55.20
कुल योग	**669.00**	**391.17**	**277.83**

(31 मार्च, 2018 को करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नहीं	177.04	-	177.04
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	133.95	-	133.95
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.62	-	0.62
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	2.49	-	2.49
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	3.91	-	3.91
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	426.79	391.64	35.15
कुल योग	**744.80**	**391.64**	**353.16**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरड्यू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की है।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एक्सिसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा अभिगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल है। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संसाधन एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च, 2019 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1033.76					1033.76
लघु अवधि उधार	921.93					921.93
अन्य वित्तीय देयताएं	180.07					180.07
कुल योग	**2135.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2135.76**

(31 मार्च, 2018 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1064.67					1064.67
लघु अवधि उधार	519.26					519.26
अन्य वित्तीय देयताएं	242.81					242.81
कुल योग	**1826.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1826.74**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2019 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इन्वेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि तय की जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2019 कि स्थिति के अनुसार करोड़ रुपये में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				120	41.55

(31 मार्च, 2019 कि स्थिति के अनुसार करोड़ रूपये में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				169	51.08

बी.) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2019 कि स्थिति के अनुसार करोड़ रूपये में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए है	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंटरी	-	-	-	इन्वेंटरीज	-	-

(31 मार्च, 2019 कि स्थिति के अनुसार करोड़ रूपये में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए है	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंटरी	51.70	-	3.00	इन्वेंटरीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में रूपए 0.27 करोड़ (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेपरेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अक्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 4.88 करोड़ है (गत वर्ष 6.55 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेवानिवृत्ति पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए। इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) **लंबे सेवाकाल का लाभ** : कर्मचारियों को देय लंबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) **सेवा पुरस्कार**

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) **अनुकंपा ग्रेच्युटी**

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) **कर्मचारी परिवार लाभ योजना**

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) **अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ** : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई	99.20	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	67.64	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति/(अधिशेष/(घाटा))	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई	(6.28)	(18.03)	(23.32)	(5.70)	(2.30)	(0.16)	(4.00)
	पी.वाई	(43.98)	(16.53)	(26.01)	(6.88)	(2.65)	(0.16)	(4.61)

परिभाषित लाभ देयता का चलन (रुपये करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
	पी.वाई	69.75	23.15	23.16	7.26	2.96	0.19	5.25
चालू सेवा लागत	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
विगत सेवा लागत	सी.वाई	0.00	-					
	पी.वाई	46.76	-					
ब्याज लागत	सी.वाई	8.36	1.26	1.98	0.52	0.20		
	पी.वाई	5.41	1.75	1.75	0.55	0.22		
प्रदत्त लाभ	सी.वाई	(27.43)	(6.01)	(4.08)	(1.74)	(0.54)		
	पी.वाई	(8.38)	(19.08)	(2.47)	(0.87)	(0.50)		
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल (हानि) / लाभ	सी.वाई	9.74	5.49	(1.58)	(0.16)	(0.08)	(0.00)	(0.61)
	पी.वाई	(5.28)	10.03	2.63	(0.28)	(0.11)	(0.03)	(0.65)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61

योजना परिसंपत्ति का चलन (रुपये करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	67.64	70.83
ब्याज आय	5.06	5.49
नियोक्ता अंशदान	52.28	0.00
प्रदत्त लाभ	(27.43)	(8.38)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल (हानि) / लाभ	1.65	(0.31)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	99.20	67.64

दिनांक 31.03.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2019 को 0.87 करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रु) की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है।

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि (रुपये करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई	0.00	-	-				
	पी.वाई		-		-	-		
सेवा लागत (ए)	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
नेट परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई	3.30	1.26	1.98	0.52	0.20		
	पी.वाई	(0.08)	1.75	1.75	0.55	0.22		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियलल (लाभ) / हानि	सी.वाई		5.49	(1.58)	-		(0.00)	(0.61)
	पी.वाई		10.03	2.63	-		(0.03)	(0.65)
पी एन्ड एल में मानी गई लागत (ए+बी+सी)	सी.वाई	6.49	7.51	1.39	0.72	0.27	(0.00)	(0.61)
	पी.वाई	3.27	12.46	5.33	0.78	0.30	(0.03)	(0.65)

अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम (ओसीआई) में शामिल की गई राशि (रुपये करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	सी.वाई	9.74			0.15	0.08		
	पी.वाई	(5.28)	-	-	0.27	0.10	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुरियल लाभ/(हानि)	सी.वाई	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	पी.वाई	-	-	-	0.01	0.01	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	सी.वाई	9.74	-	-	0.16	0.08	-	-
	पी.वाई	(5.28)	-	-	0.28	0.11	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिटर्न जो डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	सी.वाई	(1.65)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	0.31	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए+बी)	सी.वाई	8.09	-	-	0.16	0.08	-	-
	पी.वाई	(4.97)	-	-	0.28	0.11	-	-

संवेदनशील विश्लेषण (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	(वित्त पोषित)		(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	1.00%	(4.32)	0.50%	(0.43)	(0.50)	(0.11)	(0.05)	-	
	-1.00%	4.69	-0.50%	0.45	0.53	0.11	0.06	-	
वेतनवृद्धि दर	1.00%	4.11	0.50%	0.46	0.53	-		-	
	-1.00%	(3.83)	-0.50%	(0.43)	(0.51)	-		-	

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	(वित्त पोषित)		(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
डिडिस्काउंट रेट	1.00%	(5.11)	0.50%	(0.39)	(0.56)	(0.13)	(0.06)	-	-
	-1.00%	5.59	-0.50%	0.41	0.58	0.13	0.07	-	-
वेतनवृद्धि दर	1.00%	5.16	0.50%	0.41	0.56	-	-	-	-
	-1.00%	(4.78)	-0.50%	(0.39)	(0.58)	-	-	-	-

एक्चुएरियल अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई	7.00%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%
	पी.वाई	7.75%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
	पी.वाई	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)

संभावित लाभ भुगतान (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष	ग्रेच्युटी*	भुगतान वर्ष	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)		(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
1	अप्रैल 2019–मार्च 2020	21.65	अप्रैल 2019–मार्च 2020	3.30	4.40	1.15	0.40	-	-
2	अप्रैल 2020–मार्च 2021	18.48	अप्रैल 2020–मार्च 2021	2.53	2.52	0.86	0.37	-	-
3	अप्रैल 2021–मार्च 2022	18.50	अप्रैल 2021–मार्च 2022	2.55	3.57	0.78	0.31	-	-
4	अप्रैल 2022–मार्च 2023	15.36	अप्रैल 2022–मार्च 2023	1.80	2.49	0.62	0.34	-	-
5	अप्रैल 2023–मार्च 2024	13.76	अप्रैल 2023–मार्च 2024	1.48	2.41	0.52	0.23	-	-
6	अप्रैल 2024 के आगे	29.35	अप्रैल 2024–मार्च 2025	1.11	1.51	0.38	0.19	-	-
7		-	अप्रैल 2025 से आगे	5.26	6.42	1.39	0.46	-	-

*(पूर्णतया अर्जित बगैर डिस्काउंट के)

प्लान परिसंपत्तियों में निवश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) **भविष्य निधि** : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा । फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) **सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ** – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 5.43 करोड़ (गत वर्ष रू 4.55 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ** : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा ओपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. वर्ष 2018–19 के लिए देयता की गणना परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए उनको भुगतान किए गए मूल वेतन+ डीए की 4.50 प्रतिशत की दर से की गई है।

बी. फंड के संचालन के लिए ट्रस्ट बनने तक के लिए, चालू वर्ष तथा दिनांक 31.3.2018 तक की अवधि के लिए 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत कंपनी की देयता दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार दिखाई गई है। इसके अलावा वर्ष के लिए 6.75 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष 6.25 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त अंशदान जोडा गया है जो वर्तमान देयता बनती है चूंकि इस वर्ष सेटलमेंट होने वाला है।

सी. वर्ष के दौरान कुल रु 15.91 करोड़ (गत वर्ष रु. 14.49 करोड़) लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए गए हैं।

41. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : "ऑपरेटिंग सेग्मेंट"

जैसाकि इंडएएस–108 में परिभाषित किया गया है "मैनेजमेंट अप्रोच" के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

प्रत्येक सेग्मेंट से संबंधित राजस्व तथा व्यय का खुलासा किया जाए।

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंपत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

सेग्मेंट राजस्व तथा परिणाम

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	12789.37	1889.24	149.94	1470.71	1432.99	10132.43	5.23	27869.91
भारत से बाहर		383.70	704.46				21.37	1109.53
इंटर-- सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	12789.37	2272.94	854.40	1470.71	1432.99	10132.43	26.60	28979.44
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	65.03	255.59	16.73	49.86	17.19	29.83	3.79	438.02
भारत से बाहर		11.95	23.66				0.64	36.25
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	65.03	267.54	40.39	49.86	17.19	29.83	4.43	474.27
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								61.89
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								293.99
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								118.59

(31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	10107.52	801.01	35.58	779.18	1084.96	1840.26	6.94	14655.45
भारत से बाहर	0.27	402.08	1281.41			61.96	49.64	1795.36
इंटर- सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	10107.79	1203.09	1316.99	779.18	1084.96	1902.22	56.58	16450.81
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	47.15	156.67	9.30	31.13	29.66	2.84	5.19	281.94
भारत से बाहर	0.01	12.35	37.21			0.42	1.52	51.51
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	47.16	169.02	46.51	31.13	29.66	3.26	6.71	333.45
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								(0.06)
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								274.40
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								59.13

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	323.18	2486.00	215.62	387.99	73.76	64.06	448.33	3998.95
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								455.82
कुल परिसंपत्तियां								4454.77
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	256.61	149.42	224.15	765.51	73.14	326.24	14.45	1809.52
अनअलोकेटिड देयताएं								1156.00
कुल देयताएं								2965.52

(31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	574.71	1700.13	204.49	424.77	777.05	480.39	445.40	4606.94
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								810.61
कुल परिसंपत्तियां								5417.55
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	509.62	73.15	179.61	398.68	1418.63	387.67	37.16	3004.72
अनअलोकेटिड देयताएं								963.38
कुल देयताएं								3968.10

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2018-19	2017-18
कुल राजस्व	10096.53	1821.99
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	34.84%	11.08%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

42. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

42.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
1. श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक)
2. श्री टी.के.सेनगुप्ता	निदेशक (कार्मिक) (31.03.2019 तक)
3. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
4. श्री पी.के.जैन	निदेशक (14.05.2018 तक)
5. श्री अलपनी सोंधी	निदेशक
6. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक (04.07.2018 से)

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	2.05	1.62
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.38	0.29
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
टर्मिनेशन लाभ	-	-
कुल	**2.43**	**1.91**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम		
31.03.2019 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	0.01	0.02

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(रु. करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		अन्य	
	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	1.07	-	-	-	250.39	0.27	1319.46	546.85	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	0.06	213.91	512.08	-	-	367.98	77.34	2012.71	718.18	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-					-	-	105.33	48.47
अन्य लेन-देन	-	-	-	3.49	-	-	-	19.54	216.67	1,410.56	-	-	23.99	61.52

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-18	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18
देय व्यापार	0.02	0.02	-	0.00	-	-	7.72	78.27	1.46	1.46	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	0.22	1.39	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(रु. करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-18
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त/समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 18
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	2,594.58	1,786.70	-	0.54	-	-	-	-

के. इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरण' के अनुसार प्रकटन

ए) सहायक कंपनियों में निवेश

कंपनी का नाम	निगमन देश	कंपनी के स्वामित्व में हिस्सेदारी का प्रतिशत	
		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.	सिंगापुर	100%	100%

बी) संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी का नाम	निगमन देश	कंपनी के स्वामित्व में हिस्सेदारी का प्रतिशत	
		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
1. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	50	50
2. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26	26
3. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26	26
4. एमएमटीसी गीतांजलि लि.	भारत	26	26
5. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78	49.78

एस. केएमपी को ऋण

विवरण	मार्च 2019	मार्च 2018
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.02	0.02
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अग्रिमी	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	0.01	0.01
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	0.01	0.02

एम. सबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए डेलपोयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय-समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन-देन का प्रकटन

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	मूल्य(रुपए)	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	10096.53	35.52	0.00
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	26.28
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	2680.21	1.35	6.93
4	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	857.67	48.15	25.05

42.2 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)17 "लीज" के संबंध में प्रकटन

42.3 पट्टेदार के रूप में

ए) वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

- रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज भुगतान

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.72	0.74
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	3.05	3.14
5 वर्षों के बाद	3.81	4.28

- भुगतान जिन्हें खर्च माना गया

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम लीज भुगतान	0.97	2.11
आकस्मिक किराए	-	-
प्राप्त सब-लीज भुगतान	-	-

42.4 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

- रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज प्राप्य

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.08	0.24
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.03	0.11
5 वर्षों के बाद	-	-

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	81.43	48.84
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	0.54	0.33

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(रूपये करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.18 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.19 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.04	0.04	0.03	0.03
बीमत / पीआरपी	16.03	3.87	10.58	22.73
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	47.34	59.82	12.48	-

45. ऐसे सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम स्तर के प्रतिष्ठानों के विवरण, जिनको कंपनी ने 31 मार्च 2019 को देयों का भुगतान करना है :–

(रूपये करोड़ में)

		2018-19	2017-18
ए)	(i) लेखा वर्ष के अंत में ऐसा सप्लायर जिसको मूलधन राशि का भुगतान नहीं किया गया	6.86	0.09
	(ii) उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
	कुल (i) व (ii) (नोट 18 व 19 के अंतर्गत 'अन्य वित्तीय देयताएं' शामिल हैं	6.86	0.09
बी)	एक्ट की धारा 18 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
सी)	देय ब्याज तथा भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय ब्याज(जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया परंतु देय तारीख के बाद किया गया) की राशि परंतु एक्ट के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बगैर	-	-
डी)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में एक्रूड ब्याज राशि तथा जिसका भुगतान नहीं किया गया	-	-
ई)	ब्याज की ऐसी राशि जो बाद के वर्षों में भी ब्याज की देय तारीख तक देय थी। इस राशि का भुगतान एक्ट की धारा 23 के तहत कटौती खर्च की अनुमति न देने के प्रयोजन से लघु उद्यम को किया गया	-	-

46. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

ट्रांजिशनल प्रावधान

कंपनी में नए भारतीय लेखा मानक 115 (ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व) को पिछली अवधि से अपनाया गया है। इसे संचयी प्रभाव से अपनाया गया है जिसके लिए दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध आरंभिक रिटेंड अर्जन के साथ समायोजित किया गया है। कंपनी ने इंड एएस–115 के अंतर्गत हुए परिवर्तनों की जांच की है तथा यह पाया है कि दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध आरंभिक रिटेंड अर्जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रकटन

ए (i) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है:–

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	28288.27	15746.49
सेवाओं की बिक्री	4.55	10.44
अन्य प्रचालन राजस्व		
– दावे	462.68	537.36
– सब्सिडी	0.00	0.00
– अर्जित डिस्पैच	0.00	0.03
– अन्य व्यापार आय	223.94	156.50
कुल	**28979.44**	**16450.81**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरुद्ध होने वाली हानि की राशि माना है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
हानि	0.03	0.05

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाइड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में पहचान दी है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुएं	12789.37	44.13%	10107.79	61.44%
धातुएं	2272.94	7.84%	1203.09	7.31%
खनिज	854.40	2.95%	1316.99	8.01%
कोल व हाइड्रोकार्बन	1470.71	5.08%	779.18	4.74%
कृषि उत्पाद	1432.99	4.94%	1084.96	6.60%
उर्वरक	10132.43	34.96%	1902.22	11.56%
अन्य	26.60	0.09%	56.58	0.34%
कुल	**28979.44**	**100%**	**16450.81**	**100%**

(iii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	744.80	910.46
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	(75.76)	(165.66)
अंतिम शेष	669.04	744.80

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम ड्यूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं' तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आरंभिक शेष	288.44	188.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	146.39	168.52
घटाएं: कटौती (रिफंड / समायोजन)	14.39	37.08
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	58.49	31.39
अंतिम शेष	361.95	288.44

वर्ष के दौरान पूर्ण अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट / क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में 'शून्य' करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरुद्ध "शून्य" करोड़ रुपए (गत वर्ष "शून्य" करोड़ रुपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है. इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(1) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति / माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति / माल / सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(2) कंपनी अपने लेन-देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(3) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट / क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(4) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

47. हाल ही में घोषित लेखा नीतियां (01 अप्रैल 2019 से)

1 एमसीए ने दिनांक 30 मार्च 2019 को कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) अमेंडमेंट रूल्स 2019 के एक भाग के रूप में इंड एएस – 116 (लीजेज) अधिसूचित किए है। इस मानक ने उस समय मौजूद इंड एएस – 17 (लीजेज) का स्थान ले लिया है। कंपनी इस अधिसूचना, जो 01 अप्रैल 2019 से अथवा इसके बाद की रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होते हैं, के प्रभाव की जांच पड़ताल तथा निर्धारण कर रही है। इस इंड एएस से पट्टेदार को दो विकल्प मिलते है। पहला विकल्प है कि वह या तो इस मानक को पूर्व की रिपोर्टिंग अवधि के लेखों पर इंड एएस–8 लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों में परिवर्तनों तथा त्रुटियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करे अथवा अनुप्रयोग की आरंभिक तारीख को मान्य मानकों को संचयी प्रभाव के साथ लागू करे। कंपनी इन मानकों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संचयी आधार पर अपनाएगी ताकि इसे आरंभिक रिटेंड अर्जन(01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) के समायोजन के रूप में अपनाया जा सके। इंड एएस – 116 के अपनाने से किसी विशेष प्रभाव के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इंटरमीडिएट पट्टादाता को छोड़कर पट्टादाताओं को इस मानक को अपनाने के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

2 इंड एएस परिशिष्ट–सी आयकर ट्रीटमेंट में अनिश्चितता कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 30 मार्च 2019 को आयकर ट्रीटमेंट अनिश्चितता से संबंधित इंड एएस 12 परिशिष्ट सी अधिसूचित किया है। यह व्यवस्था कर योग्य लाभ (अथवा हानि), कर आधार, प्रयोग में न लाई गई कर हानियां, प्रयोग में न लाए गए कर क्रेडिट तथा कर दरों पर उस स्थिति में लागू होने वाले इंड एएस –12 के तहत आयकर ट्रीटमेंट के बारे में अनिश्चितता है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनी को यह निर्धारित करना होगा कि संबंधित कर अथारिटी प्रत्येक कर ट्रीटमेंट अथवा कर समूह ट्रीटमेंटस, कंपनियों ने अपनी आयकर विवरणी में इनका प्रयोग किया है अथवा प्रयोग करने की योजना है। इसका प्रयोग कर योग्य लाभ(कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां, अप्रयुक्त कर क्रेडिटस तथा कर दरों के निर्धारण में कर की संभावित राशि अथवा मूल्य की गणना में किया जाए।

यह मानक परिवर्तन के दो संभावित तरीकों की अनुमति देता है:

- पूर्ण पूर्वव्यापी अप्रोच – पूर्व में इंड एएस–8, लेखा नीतियां, लेखा नीतियों में परिवर्तन, लेखा अनुमानों तथा त्रुटियों में परिवर्तन प्रस्तुत किए गए विवरणों पर तथा त्रुटियों में परिवर्तन प्रस्तुत किए गए विवरणों पर पूर्व व्यापी प्रभाव को परिशिष्ट–सी लागू होगा।

- आरंभिक इक्विटी का समायोजन करते हुए तथा बगैर तुलनात्मक आंकड़ों के समायोजन को संचयी आधार पर पूर्व व्यापी प्रभाव से परिशिष्ट सी लागू करना।

इंड एएस–12–परिशिष्ट–सी को अपनाने की प्रभावी तिथि वार्षिक आधार पर होगी जो 1 अप्रैल 2019 को अथवा इसके बाद आरंभ होगी। कंपनी 1 अप्रैल 2019 को मानक को अपनाएगी तथा इसे लागू करने की तारीख से इक्विटी में संचयी प्रभाव का समायोजन करने का निर्णय लिया है।

इंड एएस–12 परिशिष्ट–सी को अपनाने का प्रभाव : सकल वित्तीय विवरणों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंड एएस–12 आयकर में संशोधन : कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च 2019 को लाभांश वितरण करों की अकाउंटिंग के लिए इंड एएस – 12 आयकर के मार्गदर्शन में संशोधन जारी किया है। संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी लाभांश के आयकर को लाभ अथवा हानि में शामिल करेगी। अन्य कम्प्रीहेंसिव आय अथवा इक्विटी को उस प्रकार से प्रस्तुत करेगी जैसे कंपनी पूर्व के लेन देन अथवा इवेंट्स को मान्यता देती थी।

इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तारीख वार्षिक अवधि के आधार होगी जो 1 अप्रैल 2019 को अथवा इसके बाद आरंभ होगी। इस संशोधन का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3) इंड एएस–19–संशोधन कटौती अथवा निपटान योजना में संशोधन : कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को संशोधन, कटौती तथा निपटान योजना के लेखांकन से संबंधित इंड एएस–19 कर्मचारी लाभ में संशोधन जारी किए थे।

संशोधन के अनुसार कंपनी को निम्नलिखित करना है :

- प्लान संशोधन, कटौती अथवा निपटान संशोधन के बाद वर्तमान सेवा लागत तथा शेष सेवा अवधि के लिए निवल ब्याज के निर्धारण का अनुमान लगाना तथा
- पूर्व सेवा लागत अथवा लाभ अथवा हानि निपटान, सरप्लस में कटौती चाहे परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव के कारण उस सरप्लस को लेखों में शामिल भी न किया हो, को लाभ अथवा हानि में शामिल करना।

इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तारीख वार्षिक आधार पर 1 अप्रैल 2019 से अथवा इसके बाद से होगी। इस संशोधन का कंपनी के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के शेष के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन–गोइंग आधार पर की जाती हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

49. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

50. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

51. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो निम्नानुसार है :

दिनांक 1.4.2018 से इंड एएस –115 ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं से राजस्व को अपनाने के परिणाम स्वरूप लेखांकन नीति 2.4 "राजस्व पहचान" में परिवर्तन किया गया है।

इन परिवर्तनों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

52. वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को करोड़ रूपए में (दो दशमलव तक) में दर्शाया गया है तथा जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है। संभव है कि कुछ राशियां का उल्लेख वित्तीय विवरणों में न किया गया हो चूंकि उन्हें करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया वहां पर गत वर्ष के आंकड़ों को रिग्रुप/रिअरेंज किया गया है।

53 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 30.05.2019 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियान एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एमं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन 03298909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्वनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

(सिंगापुर में निगमितः रजिस्ट्रेशन सख्याः 199407265 एम)

वित्तीय विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

निदेशकों का कथन
31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ सदस्यों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
निदेशकगण के मतानुसार

(क) पृष्ठ 6 से 33 में दिए गए वित्तीय विवरण कंपनी की 31 मार्च 2019 की सही व वास्तविक वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं तथा वित्तीय विवरणों में कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी की इक्विटी तथा कैश फ्लो में हुए परिवर्तन को दर्शाते हैं; तथा

(ख) इस स्टेटमेंट की तारीख को इस बात की पुष्टि के पर्याप्त आधार हैं कि कंपनी अपने ऋणों का, जब कभी वे देय होंगे, भुगतान करने में सक्षम है।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

अश्वनी सौंधी

रवि शंकर जनार्दन (31 जुलाई 2018 को नियुक्त)
विम्मासानी श्रीनिवास राव (30 अगस्त 2018 को नियुक्त)
उमेश शर्मा
वेद प्रकाश

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था
कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य किसी कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया जाना हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित
निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में किसी भी निदेशक का कंपनी या संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में हिस्सेदारी नहीं थी।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत कंपनी के जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक

स्वतंत्र लेखा परीक्षक, प्राईस वाटरहाउस कूपर, एलएलपी, पुनर्नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं।

निदेशकों की ओर से

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
विम्मासानी श्रीनिवास राव	देवाशीष नायक
निदेशक	निदेशक
22 मई, 2019	

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमारा मत

हमारे विचार में एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. ("दि कंपनी") के वित्तीय विवरण कंपनीज एक्ट, चैप्टर 50("दि एक्ट") तथा सिंगापुर के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएसज") के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि वे 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन, इक्विटी तथा कैश फ्लो में परिवर्तन की सत्य तथा सही स्थिति दर्शा सके।

हमने जो ऑडिट किया है

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

- इसी तारीख को समाप्त वर्ष की व्यापक आय के विवरण
- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र
- इसी तारीख को समाप्त वर्ष की इक्विटी विवरणों में परिवर्तन
- इसी तारीख को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण तथा
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

मत का आधार

हमने लेखापरीक्षा से संबंधी सिंगापुर मानकों ("एसएसएज") के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत आगे बताई जिम्मेदारियों का वर्णन हमने अपनी इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में किया है।

हमारा विश्वास है कि हमने ऑडिट के जो साक्ष्य जुटाए हैं वे हमारे मत निर्माण के लिए पर्याप्त व उचित हैं ।

स्वतंत्रता

अकाउंटिंग एंड कारपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग एंटिटीज ("एसीआरए कोड") तथा एथिकल अपेक्षाओं जो सिंगापुर में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं व एसीआरए कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक आवश्यकताओं को पूरा किया है।

अन्य सूचना

अन्य सूचनाओं के लिए प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों का कथन शामिल है परंतु वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना कवर नहीं होती है तथा हम उन पर अपना आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के मामले में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय हमने यह देखना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों अथवा ऑडिट से प्राप्त हमारे ज्ञान के असंगत है अथवा अन्य किसी तरह से गलत रूप में प्रस्तुत की गई है। अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमारे निष्कर्ष में यह पता चलता है कि इस अन्य सूचना में कोई तथ्य गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है तो उस स्थिति में हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना होता है। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करनी है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशकों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम और एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार एक सत्य एवं सही स्थिति व्यक्त करता है, और आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है जो कि परिसंपत्तियों के नुकसान, अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित है। साथ ही लेनदेन को उचित प्रकार से अधिकृत किया गया है और उन्हें ठीक से रिकार्ड किया जाता है ताकि उनसे सही और सत्य वित्तीय विवरण तैयार किए जा सके और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करे कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न है तथा गोइंग कंसर्न से संबंधित मान्य सूचनाओं का खुलासा करे तथा अकाउंटिंग के लिए गोइंग कंसर्न के नियमों का अनुपालन करे। इन सबका पालन तब तक करे जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन बंद करने की न सोच रही हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न बचा हो।

निदेशकों की जिम्मेदारी में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी शामिल है।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

ऑडिट के लिए हमारा उद्देश्य ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना अथवा तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है चाहे इसमें कोई धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि हो। साथ ही हमें एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करनी होती है जिसमें हमें अपना मत शामिल करना होता है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा ही किसी महत्वपूर्ण गलत सूचना तथा तथ्य के मौजूद होने की स्थिति में उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक तौर पर इन सूचनाओं तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है तो इससे निर्णय प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

एसएसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेने और लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत तथ्यों के जोखिमों को पहचाने और उनका आकलन करें, तथा ऐसी ऑडिट प्रक्रिया बनाए और अपनाए जो इन जोखिमों का सामना कर सके। साथ ही ऐसे ऑडिट साक्ष्य जुटाएं जो हमारे मत को बनाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त आधार प्रदान करते हों। धोखाधड़ी का पता लगने के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम की तुलना में बड़ा है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतिकरण, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा गोइंग कंसर्न के उपयोग की उपयुक्तता पर विचार करना और, लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर, चाहे एक अनिश्चित घटना या स्थिति से संबंधित है, जो कंपनी की गोइंग कंसर्न के आधार रखने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है। अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित लेखापरीक्षक के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि यह खुलासा अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के चलते कंपनी को गोइंग कंसर्न को बंद करना होगा।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, स्ट्रक्चर तथा खुलासे का मूल्यांकन करना होता है तथा यह भी देखना होता है कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को सही प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ।

हम निदेशकों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, तो उसकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारी राय में, एक्ट द्वारा अपेक्षित अकाउंटिंग तथा अन्य रिकार्ड का रखरखाव कंपनी ने एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया है।

प्राईसवाटर हाउस कूपर एलएलपी
पब्लिक एकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सिंगापुर
22 मई 2019

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

व्यापक आय विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2019 अमेरिकी डॉलर	2018 अमेरिकी डॉलर
राजस्व	3	**154,120,379**	11,839,773
अन्य आय–नेट	4	**549,635**	370,216
शुद्ध मुद्रा विनिमय हानि		**(832)**	(10,009)
व्यय			
– पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(152,450,867)**	(11,836,027)
– माल की लागत		**(979,650)**	-
– कर्मचारी सुविधाएं	5	**(458,633)**	(549,674)
– मूल्यह्रास	12	**(1,938)**	(2,758)
– किराया व्यय – ऑपरेटिंग लीज		**(92,073)**	(91,190)
– बैंक चार्जेज		**(30,661)**	(9,426)
– वित्तीय व्यय	6	**(273,800)**	-
– अन्य व्यय	7	**(106,747)**	(106,510)
कुल व्यय		**(154,394,369)**	(12,595,585)
		274,813	(395,605)
आयकर से पूर्व लाभ/(हानि) आयकर क्रेडिट	8	**-**	11,881
कर पश्चात लाभ/(हानि) तथा कुल व्यापक आय/(हानि)		**274,813**	(383,724)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2019 को

	टिप्पणी	2019 अमेरिकी डॉलर	2018 अमेरिकी डॉलर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	9	**11,434,436**	11,676,135
व्यापार एवं अन्य प्राप्य	10	**22,976,853**	12,406,593
इन्वेंट्रीज		**19,552**	25,222
अन्य परिसंपत्तियां	11	**14,274**	26,778
	अनुयोग	**34,445,115**	24,134,728
नॉन–करेंट परिसंपत्तियां			
संयंत्र व उपकरण	12	**7,241**	411
अन्य परिसंपत्तियां	11	**4,881**	-
	अनुयोग	**12,122**	411
कुल परिसंपत्तियां		**34,457,237**	24,135,139
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देय	13	**16,450,875**	12,120,463
ऋण	14	**5,716,873**	-
चालू आयकर देयताएं	8	**-**	-
कुल देयताएं	अनुयोग	**22,167,748**	12,120,463
निवल परिसंपत्तियां		**12,289,489**	12,014,676
इक्विटी			
शेयर पूंजी	16	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**11,289,489**	11,014,676
कुल शेयरधारक इक्विटी		**12,289,489**	12,014,676

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	शेयर पूंजी यूएस डॉलर	रिटेंड लाभ यूएस डॉलर	योग यूएस डॉलर
वर्ष 2019				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	11,014,676	12,014,676
कुल समेकित आय		-	274,813	274,813
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**11,289,489**	**12,289,489**
वर्ष 2018				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	14,398,400	15,398,400
कुल समेकित हानि		-	(383,724)	(383,724)
प्रदत्त लाभांश	17	-	(3,000,000)	(3,000,000)
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**11,014,676**	**12,014,676**

नगद प्रवाह विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2019 यूएस डॉलर	2018 यूएस डॉलर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ / (हानि)		**274,813**	(383,724)
के लिए समायोजन :			
आय कर क्रेडिट		**-**	(11,881)
मूल्यह्रास		**1,938**	2,758
ब्याज आय		**(494,643)**	(263,922)
ब्याज व्यय		**273,800**	-
		55,908	(656,769)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
इन्वेंट्रीज		**5,670**	(15,389)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य		**(10,382,325)**	(11,719,861)
अन्य परिसंपत्तियां		**7,623**	15,010
व्यापार एवं अन्य देय		**4,330,412**	11,599,867
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त नकद		**(5,982,712)**	(777,142)
आयकर रिफंड		**-**	2,922
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नगदी		**(5,982,712)**	(774,220)
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्राप्त ब्याज		**306,708**	250,194
संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**(8,945)**	(348)
प्लांट तथा उपकरण के निपटान से आय		**177**	-
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नगदी		**297,940**	249,846
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
उधार की वापसी		**5,716,873**	-
बैंक के पास सावधि निरसी		**(11,032,956)**	-
नगद और बैंक शेष निरसी		**-**	(3,000,000)
प्रदत्त लाभांश		**(273,800)**	-
प्रदत्त ब्याज		**(5,589,883)**	(3,000,000)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नगदी		**(11,274,655)**	(3,524,374)
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष में निवल कमी		**11,676,135**	15,200,509
वित्त वर्ष के आरंभ में रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष			
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	9	**401,480**	11,676,135

वित्तीय कार्यकलापों से उपजी देयताओं का मिलान

	1 अप्रैल 2018	ऋण से आय	मूल एवं ब्याज भुगतान	गैर नगदी ब्याज प्रतिवर्तन ब्याज आय	31 मार्च 2019
	$	$	$	$	$
ऋण	-	5,716,873	(273,800)	273,800	5,716,873

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है– 3 रैफल्स प्लेस, #08–01 भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल, गौल्ड एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखा तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधतंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2018 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2018 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस ("आईएनटी एफआरएस") की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी वित्तीय वर्ष से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं, जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटी एफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में निम्नलिखित को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही इसने वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव डाला है।

(क) ग्राहकों के साथ संविदाओं से एफआरएस 115 राजस्व को अपनाना

कंपनी ने नए मानकों को अपनाया है जिसमें संचयी प्रभाव को अपनाने के साथ संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच का उपयोग किया गया है जिसकी पहचान 1 अप्रैल 2018 में आरंभिक प्रतिधारित आय में की गई है! 2018 के लिए तुलनात्मक सूचना और पुनः उल्लेख नहीं किया है!

एफआरएस 115 के अंतर्गत ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के लिए लेखा नीतियां टिप्पणी 2.2 में दिखाई गई हैं।

(ख) एफआरएस 109 वित्तीय प्रपत्र को अपनाना

कंपनी ने नए मानकों को अपनाया है जिसमें संचयी प्रभाव को अपनाने के साथ संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच का उपयोग किया गया है जिसकी पहचान 1 अप्रैल 2018 में आरंभिक प्रतिधारित आय में की गई है। नये मानकों को अपनाने से चालू वर्ष और पूर्व वित्तीय वर्ष के रिपोर्ट की गई राशि पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। एफआरएस 19 के अंतर्गत ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के लिए लेखा नीतियां टिप्पणी 2.4 में दिखाई गई है।

31 मार्च को वित्तीय परिसंपत्तियों की बकाया राशियों पर एफआरएस 109 अपनाने पर इसका प्रभाव नीचे दिया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति एफआरएस 109 के तहत अनुमानित क्रेडिट हानि नुकसान मॉडल पर निर्भर करती है।

- नगद व बैंक जमा
- व्यापार व अन्य प्राप्य, और
- वापसी योग्य जमा

एफआरएस 109 के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों की इन श्रेणियों में प्रत्येक में कमी आंकने की प्रणाली भिन्न है जो टिप्पणी 2.4 और टिप्पणी 20 (ख) में दिखाई गई है। 1 अप्रैल 2018 को एफआरएस 109 अपनाने पर किसी अतिरिक्त कमी भत्तों की पहचान नहीं हुई है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2.2 ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(क) माल की बिक्री

बिक्री तब मानी जाती है जब माल का नियंत्रण इसके ग्राहकों (अर्थात समय पर) को ट्रांसफर कर दिया गया है। माल के पुराने और हानि का जोखिम ग्राहकों को ट्रांसफर कर दिया है और चाहे ग्राहकों ने बिक्री संविदा के अनुसार माल को स्वीकार किया है, स्वीकृति प्रावधान समाप्त हो गया है, या कंपनी के पास उद्देश्य साक्ष्य है कि स्वीकृति के सभी मानदंड स्वीकार कर लिए गए हैं। वित्त का कोई कारक इसमें शामिल नहीं माना गया है क्योंकि बिक्री 30 से 180 दिन के क्रेडिट शर्तों के साथ की जाती है, वह बाजार में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप है।

1 अप्रैल 2018 से पूर्व, माल की बिक्री में कंपनी के कार्यकलापों की साधारण प्रक्रिया में माल की बिक्री के लिए प्राप्त या मिलने योग्य आय शामिल है। राजस्व माल का मूल्य और सेवा कर पर दिया जाता है।

माल की बिक्री से राजस्व की पहचान तब की जाती है जब ग्राहकों को माल दे दिया जाता है, माल को स्वीकार कर लिया है और संबंधित प्राप्तियां सामान्यतः आश्वस्त है।

(ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

(ग) डेमरेज और डिस्पेच आय

डेमरेज और डिस्पेच आय की पहचान तभी की जाती है यदि इसका आकलन विश्वसनीय हो और ऐसी संभावना है कि यह मिलेगा।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर ("विदेशी मुद्रा") के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

2.4 वित्तीय परिसंपत्तियां

(क) एफआरएस 39 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 से पहले वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए लेखा नीचे दिया गया है।

ऋण तथा प्राप्य

नकद तथा बैंक जमा

व्यापार तथा अन्य प्राप्य

वापसी योग्य जमा

नकद तथा बैंक जमा तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और वापसी योग्य जमा राशियों की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य तथा लेन देन की लागत पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

(ख) एफआरएस 109 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 से वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए लेखा प्रणाली नीचे दी गई है।

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण परिशोधित मूल्य पर करती है।

डेट इन्स्ट्रूमेंट का वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण करने और वित्तीय परिसंपत्तियों के नगद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर होता है।

सम्मिलित व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां अपने आपमें पूर्ण मानी जाती हैं जब यह निर्धारित हो जाये कि उनका नगद प्रवाह पूरी तरह मूल राशि और ब्याज का भुगतान है।

कंपनी डेट इन्स्ट्रूमेंट का पुन: वर्गीकरण करती है यदि और केवल उन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए इसके व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हो।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(i) आरंभिक पहचान

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (+) का आरंभिक पहचान पर मूल्यांकन किया है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ व हानि के माध्यम से न कि उचित मूल्य पर की है। लेन–देन लागत सीधे तौर पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीद मूल्य में शामिल है। लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन-देन लागत लगाई जाती है और लाभ या हानि में मूल्यांकित होती है।

(ii) अनुवर्ती मूल्यांकन

कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में नगद, बैंक जमा, ब्याज और अन्य प्राप्तियां तथा वापसी योग्य जमा शामिल होती हैं।

अनुवर्ती मूल्यांकन की तीन निर्धारित श्रेणियां हैं जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल में परिसंपत्तियों का लेन–देन और परिसंपत्तियों के नगद प्रवाह विशिष्टता पर निर्भर करता है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह को संविदात्मक नगद प्रवाह को इकट्ठा करके व्यवस्थित करती है जो पूरी तरह से मूल्य और ब्याज भुगतान को दर्शाता है। तदनुसार इन वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का मूल्यांकन आरंभिक पहचान के बाद अमूर्त लागत पर किया जाता है।

डेट निवेश पर लाभ या हानि का बाद में अमूर्त लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और हेजिंग के संबंधों का भाग नहीं है जिसकी पहचान लाभ व हानि में की जाती है जब परिसंपत्तियों में कमी या मूल्य का आकलन नहीं किया जाता। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की पहचान प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

कंपनी इसके डेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित अनुमानित क्रेडिट हानि का आकलन फारवर्ड लुकिंग आधार पर करती है। डेट इंस्ट्रूमेंट अमूर्त लागत पर मूल्यांकित होते हैं।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी एफआरएस 109 द्वारा अनुमत सरलीकृत पद्धति का उपयोग करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक पहचान के लिए पहचान किये जाने वाली आजीवन अनुमानित हानि की आवश्यकता होती है।

नगद व बैंक जमा, अन्य प्राप्य और वापसी योग्य जमाओं के लिए सामान्य तीन स्तरीय पद्धति अपनाई जाती है। क्रेडिट हानि 12 माह के अनुमोदित क्रेडिट हानि पर आधारित है यदि परिसंपत्तियों के आरंभिक पहचान के समय से क्रेडिट जोखिम में कोई ज्यादा वृद्धि न हो। यदि आरंभिक पहचान के बाद क्रेडिट जोखिम में अधिक वृद्धि होती है तो पूरे समय के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन और इसकी पहचान की जायेगी।

2.5 आयकर

चालू और पिछली अवधि के लिए वर्तमान आय की गणना आयकर विभाग को अपेक्षित भुगतान तथा आयकर विभाग से अपेक्षित वसूली के हिसाब से की जाती है। जिसके लिए तुलन–पत्र की तारीख को लागू कर दर तथा नियम का प्रयोग किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आस्थगित आयकर को परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा उनकी कैरिंग राशि के कर आधार के बीच पैदा होने वाले अस्थायी अंतरों के आधार पर की जाती है। सिवाय ऐसे मामलों में जहां लेन देन में परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक मान्यता से आस्थगित आयकर उत्पन्न होता है तथा उसका लेन देन के संयंत्र न ही अकाउंटिंग और न ही कर योग्य लाभ अथवा हानि पर प्रभाव पड़ता है।

आस्थगित आयकर की गणना 300 कर दरों पर की जाती है जिसको लागू करने की संभावना उस समय होती है जब संगत आस्थगित आयकर परिसंपत्ति की वसूली होती है या आस्थगित कर के दायित्व का निपटान हो जाए। यह उन कर दरों और कर संबंधी कानून पर आधारित होता है जो तुलन–पत्र तिथि तक लागू हो गया या पूरी लागू तरह हो गया हो।

वर्तमान तथा आस्थगित आयकर को लाभ अथवा हानि में आय अथवा व्यय में शामिल किया जाता है सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें कर व्यवसाय से अथवा लेन देन से उत्पन्न होता है तथा उसे सीधे ही इक्विटी में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा गया माल शामिल होता है, को न्यूनतम लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनशील बिक्री खर्चों को घटाया जाता है।

2.7 प्लांट तथा उपकरण

प्लांट तथा उपकरण की पहचान लागत पर तथा संचित मूल्यह्रास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जा सकती है। सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव खर्चों की पहचान खर्च किए जाने पर लाभ या हानि में दिखाये जाते हैं।

प्लांट तथा उपकरण के मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर की जाती है ताकि उनके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर मूल्यह्रास किया जा सके।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

प्लांट व उपकरण के आइटम का निपटान करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि के अंतर की राशि को लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.8 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब कभी ऐसा कोई प्रमाण अथवा संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

जब तक कि परिसंपत्ति कैश फ्लो उत्पन्न न करे जो कि दूसरी परिसंपत्तियों से मुख्य रूप से स्वतन्त्र है इंपेयरमेंट टेस्टिंग के उद्देश्य से वसूल की जाने वाली (अधिक फेयर वैल्यू बिक्री में कम लागत तथा वैल्यू इन यूज) राशि का निर्धारण प्रति परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसी हालत में प्राप्य राशि कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे यह संबंधित है।

यदि परिसंपत्ति (अथवा सीजीयू) की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ अथवा हानि में हानि के रूप में पहचाना जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जबकि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो। परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यह्रास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि के रिवर्सल की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

2.9 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार एवं अन्य देयताएं कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रदत्त माल तथा सेवाओं की देयता दर्शाती है जिनका भुगतान शेष रह जाता है। यदि यह भुगतान एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि में देय होता है तो उसे चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (अथवा सामान्य चलने वाले व्यापार चक्र में ज्यादा अवधि के लिए भी)। अन्यथा इन्हें गैर चालू देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.10 आपरेटिंग लीज भुगतान

ओपरेटिंग लीज के अन्तर्गत (लेसर से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को घटाकर) किए गए भुगतान को स्ट्रेट लाइन के आधार पर लीज की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.11 कर्मचारी सुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं सेवा उपरान्त लाभ योजनाएं है जिनके अन्तर्गत कम्पनी अलग–अलग एन्टिटिज में जैसे कि केन्द्रीय भविष्य निधि में निर्धारित आवश्यक राशि का अनिवार्य कॉन्ट्रक्चुअल अथवा स्वैच्छिक आधार पर भुगतान करती है। एक बार अंशदान का भुगतान कर देने पर कम्पनी की कोई और भुगतान करने की बाध्यता नहीं रह जाती है।

(ख) कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.12 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

नगद प्रवाह विवरण में दिखाने के लिए नगद और बैंक जमा जिसमें नगद रोकड़, वित्तीय संस्थानों में जमा मूल्य में परिवर्तन का मामूली जोखिम होता है।

2.13 उधार लागत

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.14 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य अनुमान

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनकी कैरिंग राशि के लगभग होता है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2.15 उधार

जब तक कि बैलेंस–शीट की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए कंपनी के पास बिना शर्त सेटलमेंट टालने का अधिकार न हो, उधार को चालू परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्यथा स्थिति में उन्हें गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य (लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके परिशोधन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.16 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश का पहचान उस स्थिति में की जाती है जब लाभांश के भुगतान का अनुमोदन हो जाता है।

2.17 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नए साधारण शेयर जारी करने पर बढ़ी लागत की शेयर पूंजी खाते में से कटौती की जाती है।

3. ग्राहकों की संविदाओं से राजस्व

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
ग्राहकों की संविदाओं से राजस्व का विखंडन		
माल की बिक्री		
– थर्ड पार्टी	**102,364,932**	27,905
– होल्डिंग कारपोरेशन	**51,755,447**	11,811,868
	154,120,379	11,839,773

सभी बिक्रीयों की पहचान निर्धारित समय पर की जाती है।

4. अन्य आय–निवल

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
बैंक जमाओं पर ब्याज आय	**290,600**	263,922
होल्डिंग कारपोरेशन से ब्याज आय	**179,737**	-
संबद्ध कारपोरेशन से ब्याज आय	**24,306**	-
विविध आय	**18,607**	61,459
डेमरेज और डिस्पैच	**36,385**	44,835
	549,635	370,216

5. कार्मिक मुआवजा

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
वेतन, तनख्वाह तथा बोनस	**320,805**	378,826
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**27,343**	40,294
अन्य लाभ	**110,485**	130,554
	458,633	549,674

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए दिया गया किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 60,970 (2018 यूएस डॉलर 75,947) है।

6. वित्त व्यय

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय – ट्रस्ट प्राप्तियां तथा लघु अवधि ऋण	**273,800**	-

7. अन्य व्यय

	2019 US$	2018 US$
डेमरेज, डिस्पैच	**14,486**	38,497
अन्य व्यय	**92,261**	68,013
	106,747	106,510

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

8. आयकर

(क) आयकर / क्रेडिट

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	-	-
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान		
चालू आयकर	-	(11,881)
	-	(11,881)

कर पूर्व से कर की राशि उस राशि से भिन्न होती है जो राशि सिंगापुर आयकर की मानक दर से बनती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
आयकार पूर्व लाभ / (हानि)	274,813	(395,605)
कर की गणना 17 प्रतिशत की कर दर से की गई है (2018:17प्रतिशत)	46,718	(67,253)
का प्रभाव :		
कर के लिए गणना में न लिए जाने वाले व्यय	571	1,159
आय जिस पर कर नहीं लगता	-	(2,636)
कर हानि जिसे लम्बित कर परिसंपत्ति के रूप में नहीं पहचाना गया है	-	69,000
पूर्व में मानी न गई कर हानियों का उपयोग	(47,289)	-
पूर्व वित्त वर्षों मे कर का अधिक प्रावधान	-	(11,881)
अन्य	-	(270)
	-	(11,881)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी में असुरक्षित कर हानियां लगभग यूएस डॉलर 209,000 (2018: यूएस डॉलर 485,900) की है जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है तथा भावी कर योग्य आय के विरुद्ध ऑफसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । ऐसा करते समय सिंगापुर आयकार अधिनियम तथा सिंगापुर टैक्स अथारिटी के साथ हुए करार का अनुपालन अपना होगा है ।

इन कर हानियों से संबंधित आस्थगित कर संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इनकी वसूली अनिश्चित है । कर हानियों की कोई समाप्ति तारीख नहीं है ।

(ख) **वर्तमान आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव**

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष का आरंभ	-	8,959
आयकर रिफंड	-	2,922
पूर्व वित्तीय वर्षों में अधिक प्रावधान	-	(11,881)
वित्त वर्ष का अंत	-	-

9. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष	698,229	152,891
बैंकों में सावधि जमा	10,736,207	11,523,244
	11,434,436	11,676,135

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वर्गीकृत किये जाते हैं:

	2019 US$	2018 US$
अमेरिकी डालर	11,420,363	11,659,098
सिंगापुर डालर	14,073	17,037
	11,434,436	11,676,135

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 2.70% से 3.20% (2018: 1.85% से 2.70%) वार्षिक है जिनकी मैच्युरिटी तारीखें 12 महीने (2018: 12 महीने) की रेंज में है । भारित औसत प्रभावी ब्याज दर 2.71% (2018 रु 2.52%) प्रतिवर्ष है ।

तुलन–पत्र की तिथि को 10,429.72 डॉलर (2018: यूएस डॉलर) और 146,749 डॉलर (2018:यूएस डॉलर) के बैंक शेष ऋण के लिए गिरवी रखे है (टिप्पणी 14)

नगद–प्रवाह विवरण में दिखाने के लिए नगद व नगद समकक्ष में निम्नलिखित शामिल है:

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
नगद और बैंक शेष	11,434,436	11,676,135
घटा: बैंक के पास गिरवी सावधिनुमा	(11,032,956)	-
घटा: गिरवी नगद व बैंक शेष प्रति नगद प्रवाह विवरण नगद व नगद समकक्ष	401,480	11,676,135

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

10. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
– तृतीय पार्टी	**21,096,759**	9,167
– होल्डिंग कारपोरेशन	**1,661,227**	11,792,240
– संबंधित कारपोरेशन	**-**	409,535
	22,757,986	12,210,942
गैर व्यापारिक प्राप्य		
–संबंधित कारपोरेशन	**24,306**	-
–सावधि जमा से ब्याज प्राप्य	**187,935**	132,149
अन्य प्राप्य	**6,626**	63,502
	22,976,853	12,406,593

एक संबद्ध कारपोरेशन से देय गैर–व्यापारिक राशियां असुरक्षित, ब्याज मुक्त और मांग पर पुर्नभुगतान योग्य है।
व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**22,970,227**	12,404,172
सिंगापुर डालर	**6,626**	2,421
	22,976,853	12,406,593

11. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
चालू		
वापसी योग्य जमा	**14,274**	26,778
गैर चालू		
वापसी योग्य जमा	**4,881**	-
	19,155	26,778

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

12. संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2019					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	121,394	40,537	48,567	24,073	234,571
जमाएं	-	663	6,116	2,166	8,945
निपटान	-	-	(5,504)	-	(5,504)
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	41,200	49,179	26,239	238,012
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	121,394	40,537	48,387	23,842	234,160
मूल्यह्रास प्रभार	-	193	1,023	722	1,938
निपटान	-	-	(5,327)	-	(5,327)
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,730	44,083	24,564	230,771
निवल बुक वैल्यू वित्त वर्ष के अंत में	**-**	**470**	**5,096**	**1,675**	**7,241**
2018					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	121,394	40,537	48,567	23,725	234,223
जमाएं	-	-	-	348	348
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,537	48,567	24,073	234,571
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	118,928	40,537	48,212	23,725	231,402
मूल्यह्रास प्रभार	2,466	-	175	117	2,758
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,537	48,387	23,842	234,160
नेट बुक वैल्यू वित्तीय वर्ष के अंत में	-	-	180	231	411

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

13. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
– थर्ड पार्टीज	**16,374,904**	11,987,812
– होल्डिंग कारपोरेशन	**17,560**	72,491
अग्रिम प्रचालन व्यय	**58,411**	60,160
	16,450,875	12,120,463

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है–

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**16,388,485**	12,060,145
सिंगापुर डालर	**62,390**	60,318
	16,450,875	12,120,463

14. ऋण

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
ट्रस्ट रसीदें	**4,511,786**	-
लघु अवधि ऋण	**1,205,087**	-
	5,716,873	-

तुलनपत्र तिथि को 1,021,824 यूएस डालर (2018:शून्य) की ट्रस्ट रसीदों में 5.40 % (2018:शून्य)प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर शामिल है जिनकी परिपक्वता 6 से 11 दिन तुलन पत्र तिथि से है। तुलन–पत्र तिथि से शेष 3,489,962 यूएस डालर की ट्रस्ट रसीदों में 3.29% (2018:शून्य) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर शामिल है जिसकी तुलन–पत्र तिथि से परिपक्वता 3 से 7 दिन (2018:शून्य) है।

तुलन–पत्र से लघु अवधि ऋण पर 3.30 (2018:शून्य)प्रतिवर्ष की ब्याज शामिल है। लघु अवधि ऋण पर तुलनपत्र की तिथि से 5 से 6 दिन(2018:शून्य) की परिपक्वता तुलनपत्र तिथि से है।

5716873(2018: शून्य यूएस $) के ऋण माल और बैंक द्वारा वित्त पोषित प्राप्यों और कंपनी के 10,429,702 यूएस $ (2018:शून्य यूएस $) की सावधि जमा (टिप्पणी 9) के लेखों पर डीड ऑफ चार्ज और 146,749 यूएस $ (2018:शून्य यूएस $)के शेयरों की एवज में सुरक्षित है।

इन ऋणों को यूनाइटेड स्टेट डालर में विभाजित किया गया है।

15. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

16. शेयर पूंजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2018 : 1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000 (2017 : अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

17. लाभांश

सामान्य लाभांश भुगतान	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
अंतरिम छूट (वन–टियर) चालू वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान	-	3,000,000

लाभांश शून्य यूएस $ (2018 : यूएस + 2.0527)

18 आपरेटिंग लीज वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त् न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भावी न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :–

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
	35,200	43,490
	4,881	-
	40,081	43,490

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

19. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित लेन–देन किए गए :–

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री और खरीद

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**51,755,447**	11,811,868
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**35,196,931**	42,299
होल्डिंग कारपोरेशन से ब्याज आय	**179,737**	-
संबंधित कारपोरेशन से ब्याज आय	**24,306**	-

तुलन पत्र तिथि को संबंधित पार्टियों के पास शेष की टिप्पणी 10 व 13 में उल्लेख है।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार है :–

	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
कंपनी निदेशकगण		
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**285,267**	281,955
कर्मचारी नियुक्ति के बाद लाभ– परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**13,431**	15,061
	298,698	297,016

20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है।

कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेश मंडल और होल्डिंग कारपोरेशन संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशा–निर्देश देते हैं।

(ए) **बाजार जोखिम**

(i) <u>मुद्रा जोखिम</u>

कंपनी का व्यावसायिक परिचालन महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों के संपर्क में नहीं है क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा का कोई महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ है।

(ii) **ब्याज पर जोखिम**

31 मार्च 2019 को कंपनी के अल्पकालिक बैंक में विभिन्न दरों पर जमा को मुख्यतः यू एस डालर में विभाजित किया गया जिस पर प्रभावी हेजज जारी नहीं किए गए। 31 मार्च 2019 को यदि एसओएफ ब्याज दर में 2.71 प्रतिशत (2018 2.52 प्रतिशत) की कमी / वृद्धि होती है, जिसमें अन्य सभी परिवर्तीयों को शामिल करते हुए स्थिर कर दर भी शामिल है, तो वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ 241,400 यू एस डालर(2018: 241,00 डालर) अधिक / कम होता जिसके परिणामस्वरूप इन अल्पकालिक बैंक जमाओं पर ब्याज आय कम / अधिक होती।

31मार्च 2019, को यदि ट्रस्ट रसीदों पर ब्याज दरों को 0.5 प्रतिशत(2018: शून्य) वृद्धि / कमी, जिसमें सभी अन्य परिवर्तीयों को शामिल करते हुए स्थिर कर दर भी शामिल है, तो वर्ष के लिए निवल लाभ 18724 यूएस डालर(2018: शून्य यूएस डालर) ज्यादा / कम होगा। जिसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट खरीदों पर ब्याज आय कम / अधिक होती, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट –रिसिट पर ब्याज आय अधिक होती

31 मार्च 2019 को यदि अल्प अवधि ऋण पर ब्याज दरों को 0.5 प्रतिशत (2018 शून्य) वृद्धि / कमी जिसमें अन्य सभी करों को शामिल करते हुए स्थिर दर भी शामिल है, तो वर्ष कर पश्चात लाभ 5001 यूएस डालर (2018 शून्य यूएस डालर) ज्यादा / कम होगी, जिसके

परिणामस्वरूप इन रिसिट पर ब्याज ज्यादा / कम होगी।

(ख) **क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसके कारण दूसरी पार्टी द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(i) जोखिम प्रबंधन

कंपनी केवल उन ग्राहकों के साथ लेन देन करने और पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने की नीति अपनाती है जिनका क्रेडिट इतिहास ठीक रहा तो और जोखिम करने के लिए उपयुक्त हो। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कंपनी अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले वित्तीय संस्थानों और अन्य समकक्षों से लेन–देन के लिए नीति अपनाती है।

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाती है कि माल की बिक्री ग्राहकों की पर्याप्त वित्तीय स्थिति और उचित क्रेडिट इतिहास के साथ की जाए। कंपनी की व्यापार प्राप्तियों में सात देनदार (2018 : एक देनदार) शामिल है, जो व्यक्तिगत रूप से 4 प्रतिशत – 33 प्रतिशत(2018: 100 प्रतिशत) तुलन पत्र तिथि को व्यापार प्राप्य का प्रतिनिधित्व करते है।

वित्तीय परिस्थितियों के प्रत्येक वर्ष के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम तुलन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रस्तुत वित्तीय इंस्ट्रूमेंट उस श्रेणी की करैरिंग राशि है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी नगदी और बैंक जमा, व्यापार और अन्य प्राप्तियां तथा वापसी योग्य जमा है।

(ii) क्रेडिट रेटिंग

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए आंतरिक क्रेडिट जोखिम रेटिंग की निम्न श्रेणियों का उपयोग करती है जो उच्चस्तरीय सामान्य दृष्टिकोण के तहत अनुमानित क्रेडिट हानियों के आधीन है। ये चार श्रेणियां संबंधित क्रेडिट जोखिम और प्रत्येक श्रेणी के लिए किस तरह नुकसान के प्रावधान को कैसे निर्धारित किया जाना है, को दर्शाती है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा	अनुमानित क्रेडिट हानि की पहचान का आधार
निष्पादन	ग्राहकों के चूक का जोखिम कम है और संविदात्मक नगदी प्रवाह को मजबूत करने की क्षमता है	12 माह की अनुमानित क्रेडिट हानि
निष्पादन से कम	नई क्रेडिट शर्तों की बकाएदार करने वाले ग्राहकों की पुनर्भुगतान और अन्य संबद्ध संकेतकों में चूक है जो ग्राहकों की बढ़ी हुई क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।	आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि
गैर–निष्पादन	पुनर्भुगतान में लम्बे समय तक चूक करने वाले ग्राहक और इस बात की संभावना होती है कि देनदार बैंक से दिवालिया हो या अन्य वित्तीय पुनर्गठन करे	आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि
राईट आफ	वसूली की अपर्याप्त आशा वाले ग्राहक	परिसमाप्ति बट्टे खाते में

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

31 मार्च 2019 को नगद और बैंक जमा, अन्य प्राप्य और वापसी योग्य जमाओं को 'परफोर्मिंग' आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के साथ रेट किया जाता है। नगद और बैंक जमा, अन्य प्राप्य और वापसी योग्य जमाओं पर क्रेडिट जोखिम कम होता है क्योंकि ये शीर्ष प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाओं या कंपनी के साथ अच्छे कलेक्शन रिकार्ड के साथ रखे जाते है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें प्राप्तियों की आरंभिक पहचान से अपेक्षित आजीवन नुकसान को पहचाना जा सके। 31 मार्च 2019 में किसी क्रेडिट हानि की पहचान नहीं की गई और व्यापार प्राप्यों के लिए कोई क्रेडिट जोखिम का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

अपेक्षित क्रेडिट घाटे को मापने के लिए कंपनी प्रत्येक देनदार के पूर्व में भुगतान पद्धति और क्रेडिट विशिष्टताओं पर विचार करती है और देनदार के प्रमुख परिचालन व्यवसाय की भविष्य में संभावनाओं जैसे कि देनदारों के मुख्य परिचालन व्यवसाय, राजनीतिक और अन्य कारण जो प्राप्यों के निपटान करने की क्षमता को प्रभावित करते है और बकाया राशियों पर प्राप्त वित्तीय गारंटी की राशि के लिए समायोजन करते है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि, लाभ या हानि में पहचानी जाती है। कंपनी बकाया प्राप्यों की वसूली करने के लिए प्रवर्तन क्रियाकलापों के प्रयासों को जारी रखा है। जहां वसूली की जाती है, लाभ व हानि में अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान की वापसी की पहचान की जाती है। जब वसूली पर्याप्त रूप से अपेक्षित नहीं होती तो प्राप्यों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

2018 में वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि का आकलन नुकसान हानि के मॉडल के आधार पर किया गया है। व्यक्तिगत प्राप्य जो मिलने लायक नहीं थे उनको करैरिंग राशि से सीधे घटाकर बट्टे खाते में डाल दिया है। अन्य प्राप्यों का आकलन सीधे तौर पर यह जानने के लिए किया गया कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्य था कि हानि तो हुई है लेकिन अभी तक पहचानी नहीं जा सकी।

कंपनी ने विचार किया है कि निम्नलिखित संकेतकों के लिए साक्ष्य था:

– देनदार को बड़ी परेशानी थी।

– संविदा का उल्लंघन जैसे डिफाल्ट या पिछला कोई बकाया

– ऐसा संभव हो कि देनदार दिवालिया घोषित हो गया या अन्य वित्तीय पुनर्गठन करा ली

ऐसा वित्तीय परिसंपत्तियां जो न तो पिछला बकाया की है और न ही हानि हुई है।

नकद और बैंक जमा जो न तो पिछले बकाया है और न ही हानि हुई है वे मुख्यत: उन बैंकों में जमा होते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अंतराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती है। व्यापार और अन्य प्राप्य जो न तो पिछले बकाया है और न ही हानियां है वे कंपनिया अच्छे साख ट्रैक वाली कंपनियां है। वित्तीय परिसंपत्तियों की अन्य कोई श्रेणी नहीं है जिनका पिछला बकाया है या/और हानि हुई है और 31 मार्च 2019 को कोई क्रेडिट हानि उपलब्ध कराई गई।

(सी) **द्रव्यता जोखिम**

कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ नकदी तथा पर्याप्त धन राशि की फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

नीचे दिए गए विवरण में कंपनी की वित्तीय देयताओं के परिपक्वन प्रोफाइल का विश्लेषण करता है जो संविदात्मक छूट रहित नगद प्रवाह पर आधारित है:-

	एक वर्ष से कम	
	2019 अमेरिकी डालर	2018 अमेरिकी डालर
व्यापार और अन्य लेखा देय	**16,450,875**	12,120,463
ऋण	**5,720,827**	-

(डी) **पूंजीगत जोखिम**

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी फैस एवं ऋण दस्तावेज जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

निदेशक मंडल कंपनी की पूंजी की कुल इक्विटी की निगरानी करता है। कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बाहर से कोई पूंजी की जरूरत का अनुपालन किया जाता है।

(ई) **श्रेणीवार वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस**

अमोर्टाइज्ड लागत पर ऋणों तथा प्राप्यों व वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की सकल कैरिंग राशि निम्नानुसार है :

	2019 अमेरिकी डालर
अमोर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	**34,430,444**
अमोर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय देयताएं	**22,167,748**
	2018 US$
ऋण एवं प्राप्यें	24,109,506
अमोर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय देयताएं	12,120,463

(एफ) **वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य आंकलन**

चालू वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य का आकलन अमोर्टाइज्ड लागत पर उनकी कैरिंग राशि पर किया जाता है।

21. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्याएं

नीचे वर्तमान मानकों से संबंधित ऐसे अनिवार्य मानक, संशोधन और व्याख्याएं है जिन्हें प्रकाशित किया जा चुका है, तथा ये दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रारंभ कंपनी की लेखा अवधि से संबंधित है तथा जिन्हें कंपनी ने पहले नहीं अपनाया था :

एफआरएस 116 लीजेज (1 जनवरी 2019 या इसके बाद से प्रभावी वार्षिक अवधि)

एफआरएस 116 का परिणाम यह होगा की बैलेंस शीट के समय लगभग सभी लीजेज को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, चूंकि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीजेज के बीच का अंतर हटा दिया गया है। नए मानक के अनुसार एक परिसंपत्ति (लीज्ड आइटम का उपयोग करने का अधिकार) और वित्तीय देयता को किराया भुगतान करने पर मान्यता दी जाती है। इसमें केवल अल्पकालिक और कम मूल्य की लीजेज शामिल नहीं हैं। लेसर्स के लिए अकाउंटिंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी की कुछ वचनबद्धताएं अल्पकालिक तथा कम मूल्य की लीजेज से कवर हो सकती हैं तथा कुछ वचनबद्धताएं व्यवस्थाओं से संबंधित हो सकती हैं जो एफआरएस 116 के तहत लीज के के लिए क्वालीफाई नहीं करेंगी।

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के पास की कैरिएल नहीं की जाने योग्य 40.081 यूएस डालर की परिचालन लीज प्रतिबद्धता थी, कृपया टिप्पणी 18 देखें। इन प्रतिबद्धताओं में से लगभग 5.1916 यू एस डालर की अल्पकालिक लीज से संबंधित है जिसकी पहचान लाभ या हानि में खर्चों के रूप में सीधे तौर पर दिखाई गई है।

कंपनी की बाकी लीज प्रतिबद्धताओं के लिए 1 अप्रैल 2019 को लगभग 33.667 मूल्य की राईट–आफ–यूज परिसंपत्ति और लीज देयता को पहचान करने की उम्मीद है। निवल चालू परिसंपत्तियां चालू देयताओं के रूप में देयता के भाग के एक रूप में प्रस्तुत करने के कारण 28914 यूएस डालर कम है।

कंपनी को उम्मीद है कि एफआरएस 116 अपनाने के फलस्वरूप 2019 में कर पश्चात शुद्ध लाभ में लगभग 57 यूएस डालर की कमी हो सकती है। परिचालन नगदी प्रवाह में वृद्धि होगी और लीज देयता के प्रमुख भाग के भुगतान के रूप में वित्तीय नगदी प्रवाह लगभग 28.801 यूएस डालर कम होगा। इसको वित्तीय कार्यकलापों से नगदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

नया मानक विस्तारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं की प्रस्तुति में परिवर्तन दर्शाता है।

22. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा को 22.05.2019 पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

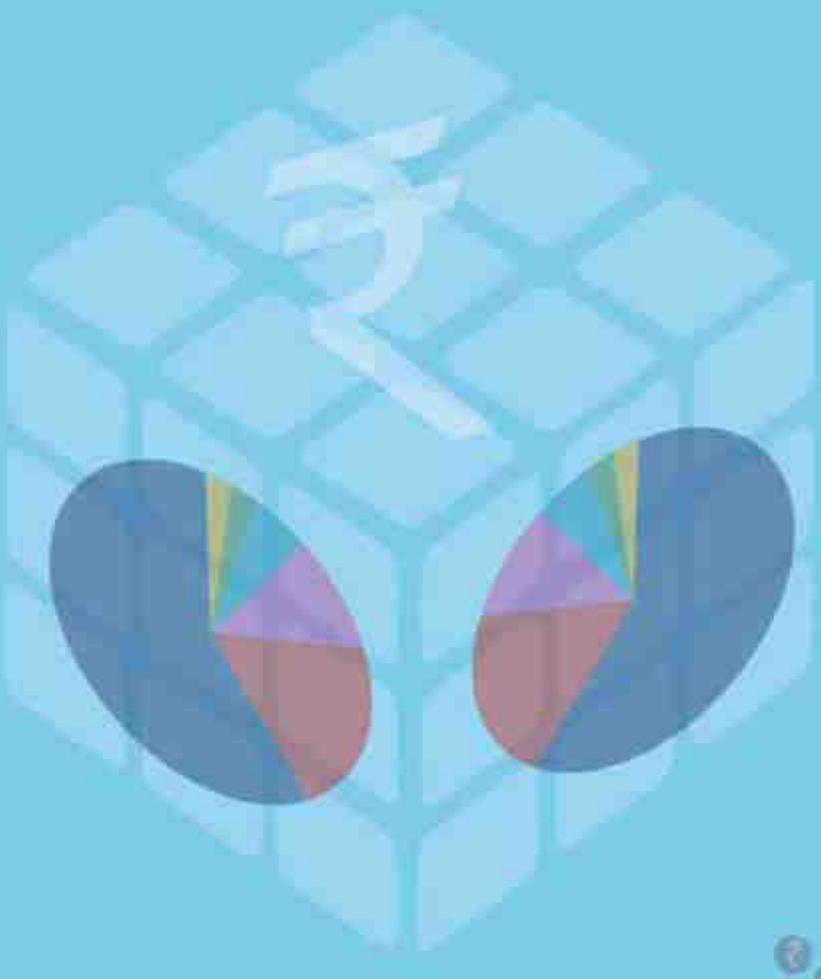

एमएमटीसी लिमिटेड
समेकित वित्तीय विवरण
31 मार्च 2019 वित्तीय वर्ष के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरण के रूप में समेकित इंड एएस पर रिपोर्ट

मत

हमने एमएमटीसी लिमिटेड(यहां अब के बाद "होल्डिंग कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को "समूह" कहा गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरणों का आडिट किया है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र वित्तीय विवरण और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नगद प्रवाह विवरण और समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय तथा सूचनाओं एवं हमें उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं दी गई हैं। ये विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखानीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की अवधि के कंपनी समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित मामलों, समेकित लाभ, इक्विटी में समेकित परिवर्तन तथा समेकित नकद प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएज) के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के शीर्षक की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के दायित्वों में आगे वर्णित किया गया है ।

कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नीतिपुरक आवश्यकताओं के साथ साथ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संहिता के अनुसार हम समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नीतिपरक दायित्वों एवं नीति संहिता का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विचार से वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। इन मामलों पर हम अलग से अपनी राय नहीं देते है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की आवश्यकता के संबंध में नोट 38(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शेड्यूल, जीएसटी के लागू होने जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता।	यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए है:– कि विभिन्न एकाउंटिंग पैकेजिस / सास्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का मिलान
2.	दावों पर नोट संख्या 34 का संदर्भ ले जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं। इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पुछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं / लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं।	हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।

3.	एनआईएनएल के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा कोयले की आपूर्ति के प्रति कंपनी की आकस्मिक देयता के संबंध में नोट संख्या 34(आई)(जे) का संदर्भ लें। कंपनी निरंतर कहती रही है कि यदि कोई देयता होगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। परन्तु एनआईएनएल से पुष्टि प्राप्त होने में निरंतर देरी तथा एनआईएनएल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण यदि देयता का निर्धारण होता है तो उसकी वसूली अनिश्चित है।	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के समक्ष अपील लंबित है तथा इस मामले में प्रबंधतंत्र द्वारा हमें अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, फिर भी एनआईएनएल को निरंतर दी जा रही सहायता तथा देय राशि/दावों की वसूली पर इस मामले में प्रबंधतंत्र के महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं। एनआईएनएल से देय राशि/दावों की वसूली के विषय में प्रबंधतंत्र का प्रमुख निर्णय कंपनी के भविष्य में वित्तीय स्थिरता का निर्धारण करने का एक मुख्य कारक होगा।
4.	की ट्रेड वेयरहाउसिंग परियोजना के विकास के लिए दिए गए अग्रिम, हल्दिया की ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड तथा कांडला की ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड में किए गए निवेश (नोट सं.9(ii) देखें)।	परियोजना के कार्यान्वयन/पूरा होने की संभावनाओं को समझने के लिए, जिसके कारण संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान करने पड़े, हमने प्रबंधतंत्र के साथ मामले पर विचार विमर्श किया।

मामलों पर विशेष बल

ए) मेसर्स नीलामल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल), जो कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है, में कंपनी के निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

बी) नोट संख्या 34(आई)(जे) की ओर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं, जहां कंपनी का कथन है कि अंतिम निर्णय के लिए लंबित अपील के कारण यदि कोई देयता होगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। तथापि, एनआईएनएल से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है ।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुसार समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निर्णय लेने तथा आंकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय समूह तथा इसके एसोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की गोइंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाउंटिंग के लिए गोइंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि कंपनी निस्तापन न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह भी दायित्व है कि वह समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों को इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं । हम यह भी करते हैं :

- समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई गलत जानकारी, चूंकि वह धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पॉन्सिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है।

- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।

- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोइंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की एक गोइंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती हैं जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।

- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा समेकित वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या समेकित वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

- समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए हम समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय सूचना अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पर्याप्त उपयुक्त आडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के बारे में मार्गदर्शन देने, सुपरविजन करने तथा परफार्मेंस का आडिट करने के लिए उत्तरदायी हैं जिनको समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है तथा जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। अन्य ऐसे कार्यालयों, जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं तथा इनका आडिट अन्य आडिटर्स द्वारा किया गया है, उनके आडिट मार्गदर्शन, सुपरविजन तथा परफार्मेंस के लिए अन्य संबंधित आडिटर्स जिम्मेदार हैं। हम केवल अपने आडिट मत के लिए जिम्मेदार हैं।

  होल्डिंग कंपनी तथा ऐसी कंपनियों जिनको समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है तथा जिनके हम सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं हैं की आडिट की समय–सारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण के संबंध में हमें अपनी आडिट के दौरान जिन महत्वपूर्ण कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से बात करते हैं।

  हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

  ऐसे मामले जिनके बारे में संबंधित कार्मिकों के साथ संवाद किया है तथा वे मामले जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की आडिट के लिए अधिक महत्व के हैं तथा वे आडिट के मुख्य मामले बनते हैं हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख करते हैं सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें इस प्रकार का उल्लेख करना कानून अथवा विनियम के विरूद्ध हो अथवा हमें कतिपय मामलों में प्रतीत हो कि हमें अपनी रिपोर्ट में ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनता का अहित होगा ।

अन्य मामले

1. हमने सिंगापुर में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों जिनमें 238.81 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, 85.39 करोड़ रुपए की निवल परिसंपत्तियां, 1082.21 करोड़ रुपए का कुल राजस्व तथा 78.03 करोड़ रुपए का निवल कैश फ्लो तथा 1.81 करोड़ रुपए का निवल लाभ शामिल है तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, का आडिट नहीं किया है।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समूह के संयुक्त उद्यम मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड के शून्य निवल लाभ/हानि को शामिल किया गया है। इसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के दो संयुक्त उद्यमों – मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड तथा मेसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की हानि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन संयुक्त उद्यमों की कुल संचित हानि होल्डिंग कंपनी द्वारा इनमें निवेश की गई राशि के कैरिंग मूल्य से पूर्व के वर्षों में ही अधिक हो गई है (नोट संख्या 41 का संदर्भ लें)। इन संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की आडिट हमने नहीं की है। एक सहायक कंपनी तथा चार संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी के प्रबंध तंत्र द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है। जहां तक इस रिपोर्ट में सहायक कंपनी तथा चार संयुक्त उद्यमों की राशि तथा प्रकटन का संबंध है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) व (11) की शर्तों में हमारी रिपोर्ट, जहां तक इस रिपोर्ट का उपरोक्त सहायक कंपनी व संयुक्त उद्यमों से संबंध है, यह रिपोर्ट दूसरे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण होल्डिंग कंपनी के प्रबंधतंत्र द्वारा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखा नियमों तथा भारतीय लेखा मानकों के अनुसार एडजस्ट किए गए हैं।

4. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम मेसर्स एमएमटीसी पैम्प प्राइवेट लि. के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समूह के हिस्से के निवल लाभ की 24.79 करोड़ रुपए (अन्य व्यापक आय सहित) की राशि शामिल है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का हमने आडिट नहीं किया है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह के निवल लाभ/(हानि) में संयुक्त उद्यम एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड का हिस्सा शामिल नहीं है क्योंकि उक्त संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारणों का उल्लेख विवरणों के नोट संख्या 41 में किया गया है।

   उपर्युक्त मामलों से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत तथा नीचे दी गई अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के बारे में दी गई हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है चूंकि हमने अपने कार्य तथा अन्य आडिटर्स की रिपोर्टों तथा वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए प्रमाणन पर भरोसा किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं –

   ए) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में उपयुक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

   बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच तथा अन्य ऑडिटर्स द्वारा की गई बहियों की जांच तथा उनकी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं ।

   सी) इस रिपोर्ट में दिए गए समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से बनाई गई लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

   डी) हमारे विचार में उपयुक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा इसके अधीन जारी किए गए कंपनीज(लेखा) नियम, 2014 का नियम संख्या 7 पठनीय है, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   ई) भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते होल्डिंग कंपनी में अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) का प्रावधान लागू नहीं होता।

   एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए "अनुलग्नक 1" में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

   जी) कंपनी के (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

   i) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – समेकित वित्तीय विवरण के नोट 34 का संदर्भ लें। इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन है।

   ii) कंपनी ने डेरीवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों, यदि कोई है, के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान कर लिए हैं ।

   iii) होल्डिंग कंपनी तथा भारत में निगमित इसकी सहायक तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड में ट्रांसफर किए जाने वाले फंड के मामले में कोई देरी नहीं की गई है ।

कृते ओ.पी. तुलसियान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 500028एन)

राकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्या सं. 081808

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 1

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143(3) (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एमएमटीसी लि. (दि कंपनी) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ–साथ इसी तिथि को समाप्त वर्ष की वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, इसकी एसोसिएट कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां जो भारत में निगमित हुई हैं, के निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसमें इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी की संबंधित नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डों की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल है।

आडिटरों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है। यह आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक वित्तीय विवरणों के आडिट पर लागू होता है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मौजूदा कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईडब्ल्यूएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं और नीचे दिए गए पैराग्राफ में अन्य मामलों में उनकी रिपोर्ट के संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य आडिटरों ने प्राप्त किया है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्ध जो उचित विवरण में कंपनी को संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके। भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बदतर हो सकती है।

अन्य मामले

1. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट का जहां तक इन चार संयुक्त उद्यमों से संबंध है, वह भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के ऑडिटरों की समरूपी रिपोर्टों पर आधारित है।

2. जहां तक दो संयुक्त उद्यमों से संबंध है जो कि भारत में निगमित कंपनी है तथा ऐसी भारत में निगमित कंपनियों की लेखा परीक्षकों की कोरेस्पोंडिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हम इन कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

उपरोक्त मामलों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

राय :

हमारी राय में भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के पास, सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में है और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते ओ पी तुलसियान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 500028एन

राकेश अग्रवाल
साझेदार
एम नं. 081808

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 30.05.2019

2018–19 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
क्र सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की आवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता। **<u>लेखा परीक्षकों का उत्तर</u>** यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं– कि विभिन्न एकाउंटिंग पैकेजिस/सॉफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का मिलान	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी की रिपोर्ट को देखें
2.	दावों पर नोट संख्या 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं। इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कार्पोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं/लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं। **लेखा परीक्षकों का उत्तर** हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग की स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी की रिपोर्ट को देखें
3.	एनआईएनएल के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा कोयले की आपूर्ति के प्रति कंपनी की आकस्मिक देयता के संबंध में नोट संख्या 34(आई)(जे) का संदर्भ लें। कंपनी निरंतर कहती रही है कि यदि कोई देयता होगी तो इसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। परन्तु एनआईएनएल से पुष्टि प्राप्त होने में निरंतर देरी तथा एनआईएनएल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण यदि देयता का निर्धारण होता है तो उसकी वसूली अनिश्चित है। **लेखा परीक्षकों का उत्तर** इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीज़न बैंच के समक्ष अपील लंबित है तथा इस मामले में प्रबंधतंत्र द्वारा हमें अभ्यावेदन उपलब्ध करवाया गया है, फिर भी एनआईएनएल को निरंतर दी जा रही सहायता तथा देय राशि/दावों की वसूली पर इस मामले में प्रबंधतंत्र के महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं। एनआईएनएल से देय राशि/दावों की वसूली के विषय में प्रबंधतंत्र का प्रमुख निर्णय कंपनी के भविष्य में वित्तीय स्थिरता का निर्धारण करने का एक मुख्य कारक होगा।	**स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी की रिपोर्ट को देखें**

	मामला पर बल	
ए	हम मैसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआइएनएल)–एक संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में चलन आधारित जोखिम के स्टैण्डलोन वित्तीय विवरण के नोट सं. 36 (सी) की ओर ध्यान दिलाता है।	स्टैण्डलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी की रिपोर्ट को देखें
बी	हम नोट सं. 34 (i)(ii), जहाँ कंपनी ने कहा कि अपील की गई अंतिम निर्णय के लिए लंबित कोई भी देयता एनआइएनएल द्वारा वहन की जानी है। एनआइएनएल से कोई पुष्टि नहीं है।	स्टैण्डलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी की रिपोर्ट को देखें

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(रुपये करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को	31.03.2018 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण कार्यशील पूंजीगत	3	44.35	46.88
निवेश संपत्ति	3	0.28	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	4	3.99	4.16
निवेश(इक्विटी पद्धति का उपयोग लेखा)	5	0.80	1.46
वित्तीय परिसंपत्तियां	6A	128.19	109.49
निवेश			
व्यापार प्राप्य	6B	18.38	18.95
ऋण	7A	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	7.62	9.06
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	42.08	58.97
अन्य परिसंपत्तियां	10	230.84	235.61
चालू परिसंपत्तियां	11A	24.50	26.23
इन्वेंट्रीज	12	279.91	1,711.08
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6C	-	-
व्यापार प्राप्य	7B	427.49	355.41
नगद तथा नगद समतुल्य	13	43.94	51.08
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	90.40	92.62
ऋण	8	2.25	2.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	8.32	8.98
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	22.22	13.56
अन्य परिसंपत्तियां	11B	3,004.06	2,426.11
कुलपरिसंपत्तियां		**4,379.82**	**5,172.45**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	150.00	100.00
अन्य इक्विटी	16B	1,118.73	1,102.70
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं	20A	188.55	184.15
प्रावधान			
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं	17	961.49	519.26
ऋण	18		
व्यापार देनदारी			
सूक्ष्म और लघु उद्यम का कुल बकाया		6.79	-
सूक्ष्म के अलावा देनदारों का कुल		1,132.25	1,064.83
अन्य वित्तीय देयताएं	19	180.62	244.06
अन्य देयताएं	21	560.71	1,805.23
प्रावधान	20B	50.28	136.72
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	30.40	15.50
कुलइक्विटी और देयता		**4,379.82**	**5,172.45**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)	(जी आनंदनारायणन)	(बीएन दास)	(उमेश शर्मा)
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 081808	एसीएस–13691		डीआईएन : 03298909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा विवरण

(रूपये करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	29,439.69	16,451.01
अन्य आय	24	20.89	45.66
कुल आय (I)		**29,460.58**	**16,496.67**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	124.25	131.39
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	26,482.05	14,471.37
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन			
कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,452.79	652.60
वित्तीय लागत	28	224.56	262.82
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	29	66.70	16.61
अन्य खर्च	30	5.69	5.36
कुल खर्च (II)	31	973.86	911.73
असाधारण मदों तथा टैक्स (I–II) से पूर्व लाभ		**29,329.90**	**16,451.88**
असाधारण मदें –व्यय / (आय)		130.68	44.79
कर पूर्व लाभ और इक्विटी एकाउंटिड निवेशियों का शेयर	32	9.76	8.41
इक्विटी पद्धति (निवल आयकर) का उपयोग करते हुए संयुक्त उपक्रमों के लाभ के शेयर को लिया गया।		**120.92**	**36.38**
		24.96	11.36
कर पूर्व लाभ		**145.88**	**47.74**
कर व्यय	33		
i) वर्तमान कर		33.00	13.27
ii) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		(0.61)	(0.02)
iii) आस्थगित कर		4.77	(3.03)
कुल कर व्यय		**37.16**	**10.22**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**108.72**	**37.52**
वर्ष के लिए लाभ उपारोप्य :			
पेरेंट के स्वामी		108.72	37.52
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
वर्ष के लिए लाभ		**108.72**	**37.52**
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(7.79)	5.36
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		(0.57)	(0.86)
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रुमेंटस		2.90	(1.85)
– आयकर का प्रभाव			
संयुक्त उपक्रमों में अन्य व्यापक आय का शेयर (निवल कर)		(0.17)	0.01
लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत करने वाली मदें		-	
विदेशी संचालन के वित्तीय विवरणों में परिवर्तन से विनिमय अंतर		5.19	(0.05)
कर घटाकर अन्य व्यापक आय(बी)		**(0.44)**	**2.61**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (एबी)		**108.28**	**40.13**
कुल व्यापक आय उपारोप्य			
पेरेंट के स्वामी		108.28	40.13
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**108.28**	**40.13**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड	46	**0.72**	**0.25**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एमसं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03298909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02853076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		145.88		47.74
के लिए समायोजन :–				
इक्विटीज के मूल्यांकन पर हानि	0.80		0.64	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	5.69		5.36	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ) / हानि	9.41		8.11	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	0.02		(0.06)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-		3.04	
ब्याज आय	(5.63)		(17.09)	
लाभांश आय	(5.40)		(4.28)	
वित्त लागत	66.70		16.61	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण / दावे	1.13		0.05	
सीएसआर व्यय	1.35		0.49	
संदिग्ध ऋणों / दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	15.96		-	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(3.54)		(0.86)	
रिटेन बैक देयताएं	2.23		14.02	
डीबल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.03		0.04	
संयुक्त उपक्रमों के (लाभ) / हानि के शेयर में प्रयुक्त लेखों के लिए इक्विटी पद्धति(शुद्ध निवल आयकर)	(24.96)		(11.36)	
		63.79		14.71
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**209.67**		**62.45**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंटीज	1,430.37		655.12	
व्यापार प्राप्ति योग्य	(89.66)		162.28	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19.35		139.99	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(568.96)		(700.70)	
व्यापार प्राप्य	66.61		354.04	
अन्य वित्तीय देयताएं	(63.44)		54.57	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	(1,244.51)		(1,233.28)	
प्रावधान	(88.48)	(538.72)	61.46	(506.52)
		(329.05)		(444.07)
प्रदत्त कर		(26.15)		(11.07)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(355.20)**		**(455.14)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2.63)		(0.78)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.30		0.31	
निवेश की बिक्री / खरीद	0.00		96.00	
प्राप्त किया गया ब्याज	5.63		17.09	
प्राप्त किया गया लाभांश	5.40	8.70	4.28	116.90
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**8.70**		**116.90**
सी. वित्त गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	442.23		79.07	
वित्त लागत	(66.70)		(16.61)	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर)	(36.17)	339.36	(36.11)	26.35
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**339.36**		**26.35**
डी. नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		(7.14)		(311.89)
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**51.08**		**362.97**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**43.94**		**51.08**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विषय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।

2. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	7.59	20.80
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	12.11	3.59
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	24.14	26.65
उपलब्ध चेक / ड्राफ्ट / स्टाम्प	-	-
उपलब्ध रोकड़	0.10	0.04
कुल	**43.94**	**51.08**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. शकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एमनं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03258909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

एनएमडीसी लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2018 तक शेष	1,000,000,000	100
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	500,000,000	50
31.03.2019 को शेष	**1,500,000,000**	**150**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2017 तक शेष	1,000,000,000	100
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2018 को शेष	**1,000,000,000**	**100**

बी. 31 मार्च, 2019 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	संमिश्र वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के इक्विटी संघटक	रिजर्व एवं सरप्लस										ईक्विटी-टेबल टू द ओनर्स ऑफ द पेरेंट	अनियंत्रित ब्याज	कुल
		बांड शोधन रिजर्व	पूंजी रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के परिवर्तन में मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स			
1.4.2018 को शेष	1.13	8.30	-	-	0.35	628.54	459.68	(0.05)	-	3.66	1.09	1,102.70	-	1,102.70
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	108.72	(0.57)	-	5.19	(5.06)	108.28	-	108.28
लाभांश तथा डीडीटी	-	-	-	-	-	-	(36.17)	-	-	-	-	(36.17)	-	(36.17)
फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	(1.43)	-	-	-	1.43	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	(40.00)	(16.08)	-	-	-	-	(56.08)	-	(56.08)
31.3.2019 को शेष	**1.13**	**8.30**	**-**	**-**	**0.35**	**588.54**	**514.72**	**(0.62)**	**-**	**8.85**	**(2.54)**	**1,118.73**	**-**	**1,118.73**

31 मार्च, 2018 को अन्य इक्विटी

	शेयर आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है	रिज़र्व एवं सरप्लस										ऐट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द पैरेंट	अनियंत्रित ब्याज	कुल
		बांड शोधन रिज़र्व	पूंजी रिज़र्व	सीएसआर रिज़र्व	आरएंडडी रिज़र्व	सामान्य रिज़र्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स			
1.4.2017 को शेष	1.13	8.30	-	-	0.35	618.54	470.53	0.81	-	3.51	(2.43)	1,100.74	-	1,100.74
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	37.52	(0.86)	-	(0.05)	3.62	40.13	-	40.13
लाभांश तथा डीडीटी	-	-	-	-	-	-	(36.11)	-	-	-	-	(36.11)	-	(36.11)
फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	10.00	(12.26)	-	-	0.20	-	(2.06)	-	(2.06)
31.3.2018 को शेष	**1.13**	**8.30**	**-**	**-**	**0.35**	**628.54**	**459.68**	**(0.05)**	**-**	**3.66**	**1.09**	**1,102.70**	**-**	**1,102.70**

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश (करोड़ रुपए में)

	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर रु 0.30 प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित लाभांश (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु 0.30 प्रति शेयर की दर से)। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है। ##	45.00	30.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	9.25	6.17

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एमनं. 081808

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दाश)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(उमेश शर्मा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 03298909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02088628

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप कांपलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल है।

कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 (ए) अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद है।

(बी) समेकन का आधार

एमएमटीसी लिमिटेड जो अपनी सहायक कंपनी, एसोसिएट और संयुक्त उपक्रमों के समूह को इसके बाद समूह कहा जाएगा । कंपनी इंड एएस–110 के प्रावधानों के अनुसार इसकी इकाईयों पर इसका स्वामित्व और नियंत्रण है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, एसोसिएट और संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह कंपनियों के वित्तीय विवरणों समेकन पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया गया है जिसमें समूह शेष और ऐसे लेन–देन शामिल है जिसमें वसूले नहीं गई प्राप्तियां शामिल हैं, को समेकन करते समय निकाल दिया गया है । इन वित्तीय विवरणों के समूह में प्रयोग की जा रही समान लेखा नीतियों को लागू किया गया है। गैर नियंत्रण वाले ब्याज जो सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ या हानि, शुद्ध परिसंपत्तियों का भाग है, और सीधे या परोक्ष रूप से समूह द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, को निकाल दिया गया है। ऐसोसिएट वे इकाइयां है जिनका समूह पर प्रभाव तो होता है परन्तु नियंत्रण नहीं है । संयुक्त उपक्रम वे इकाइयां है जिनका समूह पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है और इकाईयों की परिसंपत्तियों पर अधिकार भी है । ऐसोसिएटो और संयुक्त उपक्रमों में निवेश इंडएएस 28 के प्रावधान के अनुसार लेखा की इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है । निवेश की आरंभिक पहचान लागत पर की जाती है और निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक के शेयर की पहचान करने के लिए अभिग्रहण तिथि के बाद कैरिंग राशि में वृद्धि या कमी होती है ।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात / प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओं और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना अधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसको हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी।

एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

<u>खरीद व बिक्री</u>

क. भारत सरकार द्वारा जारी अथारिटी पत्र के माध्यम से कुछ निश्चित सारणीकृत कमोडिटी के आयात के मामलों में सरकारी खाते पर आयातित क्रय/विक्रय कंपनी के नाम से बुक किए जाते हैं ।

ख. कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से भी उत्पादों का व्यापार किया जाता है । विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए व्यापार के संबंध में, क्रय/विक्रय बुक किए जाते हैं तथा माल की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी की जाती है ।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है, सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल है।

ii). वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपोजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

iii) सोने/चांदी अंडर डिपोजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. **हाईसीज सेल**

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) **अन्य ऑपरेटिंग राजस्व**

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावे क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरड्यू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) **दावे**

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अकुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्ध संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समायोजन किया जाएगा।

iv) **सेवा आय**

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) **लाभांश और ब्याज आय**

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) **वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान**

राजस्व की पहचान अकुशल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोड़कर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित बिक्री, यदि कोई हो तो.

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

i) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

ii) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

iii) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से ये उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपयोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो ।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को "उपयोग के लिए उपलब्ध"है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती। कम कीमत की कुछ वस्तु जैसे– कैलकुलेटर्स वॉल क्लॉक, किचन के बर्तन इत्यादि जिसकी बहुत ही कम समय के लिए उपयोग किए जाते हैं, को खरीद वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है। मोबाईल हैंडसेट की लागत को भी राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है। सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य एक रूपये लिया जाता है। संपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार लिया जाता है ।

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट / वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सड़कें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपेटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टीशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जगीन कंपनी की है	
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग इकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित इकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि सबद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ़ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग इकाई) ताकि बढ़ी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग इकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वपूर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति / हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति / हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति / हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति / हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बट्टे खाते में डाला जाता है। पहले बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति / हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो दिगत में पहचानी गई क्षति / हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिवार्ड्स का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्ड्स को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिवार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस ऋण लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो। क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेन-देन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनिमय अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) **निर्यात :**

i) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल है जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) **आयात**

i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता है जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये है, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते है जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारी से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) **घरेलू**

i) सोने/चांदी के मेटालिन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिदर्श स्थान-वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है।

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध-तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) **पैकिंग मैटिरियल**

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) **फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक**

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व(विधिक अथवा तर्कसाध्य) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर-पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं। अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार है:-

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

ii) जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर परिचालन पट्टे भुगतान एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं। लीज की गई परिसंपत्ति की चालान राशि और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन पट्टे के लिए मोल तोल और व्यवस्था करने में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल होती हैं।

2.16 कर्मचारी लाभ

I. ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन जोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अर्जुअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किए जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है।

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और / या पूंजी में बढ़ोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल है) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)। निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे यह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है।

जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।

गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (कि– रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्युचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति / हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति / हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुन: वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संचयित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उद्धृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक सुझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संबंध में किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कंपनी एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

iii) अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यत: बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग आरक्षित, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ / (हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउंटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हेज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग आरक्षित में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान तत्काल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश को हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ / (हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ / (हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' ऑपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) को पहचान चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार / अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी ऑपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों / देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह वैसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय / व्यय (नेगेटव) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2018 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि हानि	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2019 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2018 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	2.70	-	-	2.70	0.15	0.05	-	0.20	2.50	2.55
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.15	1.53	-	1.68	0.01	0.20	-	0.21	1.47	0.14
भवन										
– कार्यालय भवन	6.66	-	-	6.66	0.47	0.17	-	0.64	6.04	6.21
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.35	-	-	1.35	0.11	0.04	-	0.15	1.20	1.24
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.02	0.01	-	0.03	0.03	0.04
– विद्युत इस्टॉलेशंस	3.02	-	-	3.02	1.77	0.07	-	1.84	1.18	1.25
– सड़कें व पुलिया	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशनिंग	0.11	-	-	0.11	0.07	0.02	-	0.09	0.02	0.04
प्लांट एवं उपकरण	41.29	-	0.42	41.71	9.45	3.21	-	12.66	29.05	31.42
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	-	-	-		-	-	-			
– पार्टिशंस	1.11	-	0.06	1.17	0.54	0.26	-	0.80	0.37	0.58
– अन्य	1.18	0.22	(0.01)	1.39	0.34	0.15	-	0.49	0.90	0.84
वाहन	0.48	0.07	-	0.55	0.18	0.07	(0.01)	0.24	0.31	0.30
कार्यालय उपकरण	1.69	0.10	(0.42)	1.37	0.90	0.29	-	1.19	0.18	1.20
अन्य :										
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.11	0.39	(0.06)	2.44	1.56	0.31	(0.02)	1.85	0.59	0.56
कुल	**62.45**	**2.31**	**(0.01)**	**64.75**	**15.58**	**4.85**	**(0.03)**	**20.40**	**44.35**	**46.88**
गत वर्ष	**61.91**	**1.07**	**(0.31)**	**62.45**	**11.17**	**4.50**	**(0.09)**	**15.58**	**46.88**	**50.74**
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	**0.28**	-	**0.28**	-	-	-	-	**0.28**	-
गत वर्ष	**0.04**	-	**(0.04)**	-	-	-	-	-	-	**0.04**

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड़ भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई 0.27 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

4. निवेश संपत्ति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	4.66	4.66
वृद्धि	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.66**	**4.66**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	0.51	0.35
वृद्धि	0.16	0.15
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	0.67	0.50
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.99**	**4.16**

निवेश संपत्तियों से संबंधित राशि जिसे लाभ अथवा हानि में शामिल किया गया है।

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
किराया आय	1.86	2.21
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	-	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	1.86	2.21
मूल्यह्रास	0.16	0.15
निवेश संपत्तियों से लाभ	1.70	2.06

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावधि ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसको सहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ऑपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एक वर्ष के अंदर	0.28	0.70
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	-	-
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	**0.28**	**0.70**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 126.18 करोड़ (पिछले वर्ष 90.87 करोड़ रु) है।

5. अमूर्त संपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2018 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान / समायोजन	01 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2018 को नेट कैरिंग मूल्य
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.39	-	-	3.39	1.93	0.86	-	2.59	0.80	1.46
पिछले वर्ष	3.38	0.01	-	3.39	1.24	0.69	-	1.93	1.46	2.14

6. निवेश

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश – इक्विटी विधि द्वारा शामिल निवेश – संयुक्त उपक्रम) अनकोटेड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 289342744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रुपये मूल्य	379.69		379.69	
जोड़ें/घटाएं: अब तक संयुक्त उपक्रम से आय/(हानि)	(379.69)	-	(379.69)	-
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रुपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400)	2.99		2.99	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी/हानि	(2.99)	-	(2.99)	-
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000)	0.01		0.01	
जोड़ें/घटाएं : अब तक संयुक्त उपक्रम से आय/(हानि)	(0.01)	-	(0.01)	-
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000)	17.45		17.45	
जोड़ें: अब तक संयुक्त उद्यम से आय	76.96	94.41	58.26	75.71
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)	33.80		33.80	
जोड़ें/घटाएं : अब तक संयुक्त उद्यम से आय/(हानि)	(0.02)	33.78	(0.02)	33.78
टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड – प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के शून्य पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 57200)	-		0.06	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी/हानि	-	-	(0.06)	-
कुल (ए)		**128.19**		**109.49**
(बी). इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अन्य)				
क. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक	3.00		3.00	
जोड़ें/(घटाएं) : अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	(0.62)	2.38	(0.05)	2.95
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– रुपये मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000)	16.00		16.00	
जोड़ें/(घटाएं) : अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	16.00	-	16.00
ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो प्रोस बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	4.75		4.75	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी	(4.75)	0.00	(4.75)	0.00
कुल (बी)		**18.38**		**18.95**

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
कुल गैर चालू निवेश (सकल)		457.69		457.75
	सकल राशि	बाजार मूल्य	सकल राशि	बाजार मूल्य
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा बाजार मूल्य	3.00	2.38	3.00	2.95
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	454.69	-	454.75	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	7.74	-	7.80	-

विवरण	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
सी) चालू निवेश	-	-	-	-

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव के प्रस्ताव को अपेक्षित टेंडर प्रक्रिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित कीं। टेंडर प्रक्रिया में कोई आवेदन नहीं मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) ने 34.26 करोड़ रु. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकाल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रुपए 0.50 करोड़ की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तों के अनुसार मैसर्स सिओटल ने एमएमटीसी के जेवी छोड़ने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। केपीएल से एनओसी प्राप्त हो जाने पर मैसर्स सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड शेष राशि का भुगतान एमएमटीसी को करेगा तथा इसके बाद शेयर ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

iii. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 5.20 करोड़ रुपए इक्विटी शेयरों में 5 रुपए प्रति शेयर की दर से किए गए 26.0 करोड़ रुपए के आरंभिक निवेश (जो कि कंपनी की आईसीईएक्स में 26 प्रतिशत की होल्डिंग है), में से कंपनी ने वर्ष 2015–16 में से 2 करोड़ इक्विटी शेयरों को 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर बेच दिया। आईसीईएक्स द्वारा फरवरी/मार्च 2016 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू लाया गया जो पूर्णतः सब्स्क्राइब हो गया। तत्पश्चात आईसीईएक्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू लाया गया जो पूर्णतः सब्स्क्राइब हो गया। एमएमटीसी ने इन राइट इश्यूज में भाग लिया। दिनांक 31.03.2019 को एमएमटीसी की होल्डिंग 6 प्रतिशत है।

एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग का मूल्यांकन दिनांक 31.03.2019 को 5/–रूपए प्रति शेयर की लागत मूल्य पर किया है चूंकि (पूर्व के वर्षों में) प्रीमियम पर जारी किए गए राइट इश्यू बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता तथा यह माना गया है कि लागत मूल्य ही दिनांक 31 मार्च 2019 के उचित मूल्य का सही प्रतिनिधित्व करता है। दिनांक 31.03.2019 को आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिड नहीं थे।

iv. जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच संबंधी मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार मुख्य प्रमोटर द्वारा हाल ही में किए गए डिफाल्ट के मद्देनजर तथा जेवी कंपनी द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियां रोक देने के परिणामस्वरूप कंपनी को वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड की इक्विटी में निवेश की गई 2.99 करोड़ रुपए की हानि हो गई। कंपनी ने जेवी कंपनी को छोड़ने का भी नोटिस दिया है। जेवी कंपनी से वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा सका।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड की इक्विटी में निवेश की गई 0.06 करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला। जेवी कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में एमसीए को आवेदन किया है।

7. प्राप्य व्यापार

(रुपये करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) संबंधित पार्टियों से प्राप्य व्यापार		
ए) सुरक्षित– प्राप्ति योग्य	-	-
बी) असुरक्षित, प्राप्ति योग्य	3.91	2.66
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	-	-
घटाए : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	-	-
अनुयोग	**3.91**	**2.66**
(ii) अन्य प्राप्य व्यापार		
ए) सुरक्षित– प्राप्ति योग्य	178.56	154.60
बी) असुरक्षित– प्राप्ति योग्य	245.02	198.15
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	391.20	391.64
घटाए : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	391.20	391.64
अनुयोग	**423.58**	**352.75**
कुल	**427.49**	**355.41**
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	**427.49**	**355.41**
कुल	**427.49**	**355.41**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रु)

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन (रुपये करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	391.64	396.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	0.64
वर्ष के दौरान रिवर्सल/बट्टे खाते में डाले गये	(0.41)	(5.14)
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.03)	-
वर्ष के अंत में शेष	**391.20**	**391.64**

8. ऋण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.01	-	-
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.80	3.74	1.08	4.36
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.80**	**3.75**	**1.08**	**4.36**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	1.86	-	1.91
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	1.45	2.21	1.55	2.79
अन्य	-	-	0.19	-
अनुयोग	**1.45**	**4.07**	**1.74**	**4.70**
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	-	-	-
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.17	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	0.03	0.08	0.03	0.14
घटाए: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	0.03	0.25	0.03	0.31
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
योग	**2.25**	**7.82**	**2.82**	**9.06**

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य हैं उनके द्वारा देय राशि रू 0.01 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.02 करोड़ रू)।

9– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपयें में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार		31 मार्च 2018 के अनुसार	
	चालु	गैर चालु	चालु	गैर चालु
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक डिपाजिट्स	–	0.86	–	0.83
भुगतान नहीं किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	–	0.17	–	0.13
एनएसईएल से प्राप्य (i)	–	208.25	–	209.79
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	4.23	5.92	5.43	5.65
फारवार्ड संविदा प्राप्य	–	–	0.65	–
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	–	33.46	–	33.46
अन्य अग्रिम	1.93	9.14	0.77	9.09
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज / अदेय ब्याज :				
– सावधिक जमा राशि	2.03	–	1.49	–
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.95	9.25	1.26	10.55
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	–	–	–	–
– अन्य को दिए गए ऋण	0.07	0.83	–	0.87
अन्य	0.18	20.09	0.40	20.17
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि / स्वीकार्यता	1.07	245.89	1.04	231.57
योग	**8.32**	**42.08**	**8.96**	**58.97**

(i) रूपए 208.25 करोड़ (गत वर्ष रूपए 209.79 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए प्रावधान कर लिया गया है। वर्ष के दौरान 1.54 करोड़ रूपए की वसूली हुई है तथा तदनुसार पूर्व में किए गए प्रावधान को रिवर्स कर लिया गया है। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एफएफटीडब्ल्यूपीएल तथा केएफटीडब्ल्यूपीएल को एडवांस देने के लिए 15.94 करोड़ रूपए (गत वर्ष रूपए शून्य करोड़) का प्रावधान किया गया है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपयें में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	(9.80)
अनुयोग	**(8.70)**	**(9.80)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	228.43
डीडब्ल्यूए जोखिम	0.01	0.02
वीआरएस व्यय	6.26	0.42
मुकदमेबाजी के निपटारों के लिए प्रावधान	–	16.54
अनुयोग	**239.54**	**245.41**
आस्थगित कर संपत्तिया(निवल)	**230.84**	**235.61**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता

(करोड़ रूपयें में)

विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2019 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(9.80)	1.10	–	(8.70)
अनुयोग	**(9.80)**	**1.10**	–	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	228.43	4.84	–	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.02	(0.01)	–	0.01
वीआरएस व्यय	0.42	5.84	–	6.26
सीएसआर के लिए प्रावधान	–	–	–	
मुकदमेबाजी के निपटारों के लिए प्रावधान	16.54	(16.54)	–	
अनुयोग	**245.41**	**(5.87)**	–	**239.54**
कुल	**235.61**	**(4.77)**	–	**230.84**

13. नकद तथा नकद समतुल्य (रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
i) चालू खाते में*	7.59	20.80
ii) सावधिक जमा राशि जो जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	12.11	3.59
iii) कैश क्रेडिट अकाउंट में डेबिट शेष	24.14	26.65
चैक/ड्राफ्ट/स्टांप ऑन हैंड	–	–
कैश ऑन हैंड	0.10	0.04
कुल	**43.94**	**51.08**

*बैंक से लिए गए उधार की सिक्युरिटी के रूप में गिरवी रखी गई 1.02 करोड़ रुपए की राशि । (गत वर्ष ' शून्य ' करोड़ रुपये)
पार्टी के पक्ष में बीजी जारी करने के लिए रुपए 11.38 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए) का टर्म डिपाजिट शामिल है।

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
भुगतान न किए गए लाभांश के लिए	–	–
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	76.71	76.99
सावधिक जमा राशि में जिसकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	13.69	15.63
कुल	**90.40**	**92.62**

15. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	22.21	–
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	–	13.55
वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	0.01	0.01
कुल	**22.22**	**13.56**

16. इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपये समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	2,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	राशि	200.00	100.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपये समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	1,50,00,00,000	1,00,00,00,000
	राशि	150.00	100.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या	50,00,00,000	–
घटाए : कटौती	–	–
अंतिम शेष	**1,50,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	1,34,89,03,143	89,92,68,762

कंपनी में शेयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू 1/– प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में मूवमेंटस : वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड़ रूपए की की रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 150 करोड़ रूपए हो गई है जिसे रूपए 1/– प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं है।

बी. अन्य इक्विटी

(रूपये करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
सामान्य रिजर्व	588.54	628.54
अनुसंधान व विकास रिजर्व	0.35	0.35
रिटेंड अर्जन	514.72	459.68
कंड रिडम्पशन रिजर्व	8.30	8.30
अन्य रिजर्व	6.82	5.83
कुल	1,118.73	1,102.70

(i) सामान्य रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	628.54	618.54
सरप्लस से अंतरण	10.00	10.00
बोनस शेयर जारी करना	(50.00)	–
अंतिम शेष	588.54	628.54

(ii) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	0.35	0.35
सरप्लस से अंतरण	–	–
कटौती	–	–
अंतिम शेष	0.35	0.35

(iii) बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	8.30	8.30
सरप्लस से अंतरण	–	–
कटौती	–	–
अंतिम शेष	**8.30**	**8.30**

(iv) रिटेंड रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
आरंभिक शेष	459.68	470.53
वर्ष के लिए निवल लाभ	108.72	37.52
लाभांश तथा लाभांश वितरण कर	(36.17)	(36.11)
अन्य समायोजन	(7.51)	(2.26)
विनियोग :–		
सामान्य रिजर्व	(10.00)	(10.00)
अंतिम शेष	**514.72**	**459.68**

(अ) अन्य रिजर्व

(रूपये करोड़ में)

	संचित वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के इक्विटी घटक	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी भाग	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन पर विनिमय अंतर	पुन: मूल्यांकन, सेवा बाद की लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2017 को	1.13	0.81	–	3.51	(2.43)	3.02
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	–	–	–	–	3.52	3.52
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	–	(0.86)	–	–	–	(0.86)
वृद्धि / (कटौती)	–	–	–	0.15	–	0.15
01 अप्रैल 2018 को	**1.13**	**(0.05)**	**–**	**3.66**	**1.09**	**5.83**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मूल्यांकन	–	–	–	–	(5.06)	(5.06)
अन्य समायोजन	–	–	–	–	1.43	1.43
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	–	(0.57)	–	–	–	(0.57)
वृद्धि / (कटौती)	–	–	–	5.19	–	5.19
31 मार्च, 2019 को	**1.13**	**(0.62)**	**–**	**8.85**	**(2.54)**	**6.82**

17. उधार

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
वर्तमान		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ii) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंटरीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	661.31	519.26
– असुरक्षित	300.18	–
कुल	**961.49**	**519.26**

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खाते / अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य है। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैंकों के विस्तार पर आधारित है।
- कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

18. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	6.79	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	1,132.23	1,064.34
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	-	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	0.02	0.49
कुल	**1,139.04**	**1,064.83**

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
देय – व्यापार के अलावा	13.24	8.19
देय डिस्पैच / डेमरेज	3.65	9.60
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	0.84	0.33
उधार पर उत्पन्न ब्याज	3.88	2.04
सिक्यूरिटी डिपाजिट व ईएमडी	34.81	92.61
भुगतान न किया गया लाभांश	0.17	0.13
देय दावे	43.73	41.97
अन्य	80.30	89.19
कुल	**180.62**	**244.06**

20. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	14.73	13.62
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	0.10	0.12
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	104.04	93.32
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	40.92	45.04
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	18.92	20.66
ई) सेवा अवार्ड	4.55	5.44
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	3.38	3.87
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	1.91	2.08
कुल	**188.55**	**184.15**

बी. चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	3.30	2.91
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	0.06	0.05
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	2.53	4.30
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	8.48	6.79
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	4.40	5.35
ई) ग्रेच्युटी	6.39	51.10
एफ) सेवानिवृत्ति लाभ	-	-
जी) सेवा अवॉर्ड	1.15	1.44
एच) बोनस/कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	22.92	16.10
आई) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	0.62	0.73
जे) भाईकर कर्मचारियों को विशेष लाभ	0.40	0.57
अनुयोग	**50.25**	**89.34**
अन्य		
गतल्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	0.03	0.04
मुकदमेबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	-	47.34
अनुयोग	**0.03**	**47.38**
कुल	**50.28**	**136.72**

21. अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	290.86	1,373.51
सांविधिक भुगतान योग्य देय	41.71	14.36
अनिवार्य खरीदारी के लिए देय राशि	27.02	392.97
अन्य	1.12	24.39
कुल	**560.71**	**1,805.23**

22. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	30.40	-
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देय आयकर	-	15.50
कुल	**30.40**	**15.50**

23. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
उत्पादों की बिक्री	28,748.27	15,748.39
सेवाओं की बिक्री	4.55	10.44
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	462.68	537.36
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	0.25	0.32
–अन्य व्यापार आय	223.94	156.50
कुल	**29,439.69**	**16,451.01**

24. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपॉजिट से	3.54	7.42
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	0.05	0.01
– अन्य	2.96	10.95
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	5.23	3.49
– अन्य से	0.17	0.79
अन्य गैर-प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	0.72	0.55
– रिटन बैक देयताएं	2.23	14.02
– विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	-	-
– विविध प्राप्तियां	5.99	8.43
कुल	**20.89**	**45.66**

25. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	4.28	9.23
जोड़ें : क्रय से अंतरण	146.97	126.52
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	27.00	4.36
प्रयुक्त माल की लागत	**124.25**	**131.39**

26. स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	11,862.48	9,159.09
धातुएं	2,068.57	898.40
उर्वरक	9,836.71	2,232.59
खनिज	849.42	1,270.37
कृषि उत्पाद	582.58	20.02
कोयला व हाईड्रोकार्बन	1,255.47	843.10
अन्य	27.00	48.10
	-	-
ख. माल के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया) स्टॉक		
बहुमूल्य धातुएं	(0.18)	(0.30)
कुल	**26,482.05**	**14,471.37**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	34.19	46.11
अंतिम शेष	31.38	33.69
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	2.81	12.42
ख. स्टॉक-इन-ट्रेड		
आरंभिक शेष	1,672.62	2,310.85
अंतिम शेष	222.64	1,670.67
स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	1,449.98	640.18
निवल (वृद्धि)/कमी	**1,452.79**	**652.60**

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक	135.30	143.19
वेतन तथा भत्ते	8.90	17.99
छुट्टी नकदीकरण	0.18	0.08
बोनस	10.51	3.33
परफॉरमेंस से जुड़ा वेतन	20.98	19.53
चिकित्सा व्यय	0.05	0.80
ग्रुप बीमा	0.14	0.45
वीएलआईएस में अवदान	0.12	0.07
सेवा अवार्ड	21.39	0.01
पी आर खर्चे		
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अवदान	11.80	11.55
भविष्य निधि	6.94	57.21
सेच्युटी निधि	1.33	1.60
परिवार पेंशन योजना	5.45	4.57
अधिवर्षिता लाभ	1.47	2.44
ग) स्टाफ कल्याण व्यय		
कुल	**224.56**	**262.82**

29. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय	66.56	16.45
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	0.14	0.13
अन्य उधार लागत	-	0.03
कुल	**66.70**	**16.61**

30.मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	4.87	4.52
निवेश संपत्ति मूल्यह्रास	0.16	0.15
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	0.66	0.69
कुल	**5.69**	**5.36**

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	129.98	53.26
डेमरेज	1.00	6.29
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	29.64	51.41
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	0.88	1.05
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	5.37	7.77
सीमा शुल्क	725.14	693.59
उत्पाद शुल्क	-	0.03
पैकिंग सामग्री	0.66	0.87
बीमा	0.27	0.15
गोदाम बीमा	1.46	7.07
प्लॉट तथा गोदाम किराया	6.56	41.22
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	0.03	0.04
अनुयोग(ए)	**900.99**	**862.75**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	3.52	5.09
सुरक्षा खर्च	3.20	3.91
दरें एवं कर	1.51	1.23
बीमा	0.19	0.21
भवनों की मरम्मत	4.46	4.38
मशीनों की मरम्मत	0.04	0.09
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	2.05	1.49
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	0.62	0.57
बिजली एवं जल प्रभार	3.29	3.42
विज्ञापन एवं प्रचार	1.62	1.58
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	0.55	0.56
पोस्टेज एवं कुरियर	0.12	0.15
टेलीफोन	1.27	1.63
टेलीकम्युनिकेशन	0.43	0.40
यात्रा	3.63	3.28
वाहन	1.89	1.85
मनोरंजन	0.56	0.57
विधिक	7.20	4.32
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	0.75	0.70
बैंक प्रभार	0.98	0.71
किताबें एवं पत्रिकाएं	0.06	0.06
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	0.47	0.64
सब्सक्रिप्शन	0.44	0.54
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	0.28	0.32
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	1.83	2.07
सीएसआर व्यय	1.35	0.49
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	4.04	0.34
सेवा कर/जीएसटी	0.59	0.60
प्रदर्शनी एवं मेले	2.21	2.07
विविध व्यय	6.63	5.66
अनुयोग (बी)	**55.78**	**48.93**
सी. अन्य :		
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण/दावे/अग्रिम जिनको स्वीकार किया गया	15.96	-
अशोध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियां– रिटन आफ/विदहसन	1.13	0.05
अनुयोग(सी)	**17.09**	**0.05**
कुल (ए+बी+सी)	**973.86**	**911.73**

32. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वेंट्री को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	0.80	0.64
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	0.02	(0.06)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	-	3.04
मुकदमों का निपटान (i)	12.48	5.65
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(3.54)	(0.86)
कुल		

(i) ए) मध्यस्थता अवार्ड में अंतिम निर्णय आ जाने के बाद कंपनी ने दावाकर्ता पार्टी को अवार्ड के अनुसार दावे की अंतिम राशि (कोर्ट द्वारा की गई गणना के अनुसार) का भुगतान कर दिया। इस राशि में ब्याज तथा अन्य लागत शामिल थी। दावे की शेष राशि 4.87 करोड़ रूपए थी जिसमें मुकदमेबाजी तथा निपटान की राशि शामिल थी।

बी) पार्टी के साथ हुए लेनदेन से संबंधित कंपनी के विरूद्ध दिए गए मध्यस्थता अवार्ड की राशि 'शून्य' करोड़ रुपए (गत वर्ष 1.60 करोड़ रु) शामिल है।

सी) क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में एक पार्टी के साथ हुए लेनदेन के मामले में कंपनी के विरूद्ध दिए गए अवार्ड के परिणामस्वरूप 2.54 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) का भुगतान किया गया। इसमें 0.07 करोड़ रूपए मध्यस्थता की लागत (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा भुगतान के ओवरड्यू हो जाने पर दिनांक 05.02.1997 तक देय ब्याज राशि 2.25 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा मध्यस्थता की लागत पर दिनांक 01.08.2001 से 31.03.2019 तक 18 प्रतिशत की दर से देय 0.22 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की ब्याज राशि शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 31.05.2019 तक दावे का अंतिम निपटान करते हुए पूर्ण राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।

डी) क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में एक लेनदेन से संबंधित मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक दावे में कंपनी के विरूद्ध दिए गए निर्णय के अनुसार देयता की 5.75 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की राशि शामिल है।

ई) क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई तथा क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै के कानूनी मुकदमों के निपटान से संबंधित क्रमशः रूपए 0.75 करोड़ रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) तथा 0.07 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

33. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	33.00	13.27
पूर्ववर्षों से संबंधित समायोजन	(0.61)	(0.02)
अनुयोग (ए)	**32.39**	**13.25**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	4.77	(3.03)
अनुयोग (बी)	**4.77**	**(3.03)**
कुल (ए+बी)	**37.16**	**10.22**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि)	2.90	(1.85)
कुल	**2.90**	**(1.85)**

प्रभावी करों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ		
अधिनियमित कर दर(होल्डिंग कंपनी पर लागू)	145.87	47.74
गणना की गई अनुमानित कर खर्च	34.94	34.61
होल्डिंग कंपनी से संबंधित समायोजन :	50.97	16.52
कटौती मुक्त खर्च		
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	10.29	4.43
पूर्ववर्ष से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	(18.74)	(11.63)
आस्थगित कर	(0.61)	(0.03)
सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों से संबंधित समायोजन	4.77	(3.03)
	(9.52)	3.96
वर्ष के लिए कर व्यय	**37.16**	**10.22**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	(2.90)	1.85
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**34.26**	**12.07**

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	207.87	374.04
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.08 करोड़ रू. (गत वर्ष 21.62 करोड़ रू) जमा किए गए हैं।	50.40	60.78
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	0.02
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 17.83 करोड़ रू. (गत वर्ष 4.37 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.27 करोड़ रू.) कवर किए गए।	203.90	227.54
ई)	विवादित सेवा कर मांग	101.12	105.41
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	19.53	0.17
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	2.24
एच)	कस्टम्स बाऊस	186.77	414.09
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1.03 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.93
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नहीं माना गया है। रूपए 69.16 प्रति डालर की दर से 7.97 करोड़ अमरीकी डालर (गत वर्ष 65.18 रू प्रति डालर की दर से 7.97 करोड़ अमरीकी डालर)	551.19	519.47
	कुल (I)	**1,324.61**	**1705.69**
(II)	अन्य बैंक टु बैंक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है		
ए)	कस्टम्स ड्यूटी / ब्याज / पैनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	166.86	180.32
	कुल (II)	**166.86**	**180.32**

क्रम संख्या (I) में दी गई मदों का मूवमेंट

क्र. संख्या	विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2018–19 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2019 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	374.04	169.23	3.06	207.87
बी)	विवादित आयकर मांग	60.78	10.38	-	50.40
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.02	0.02	0.00	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	227.54	24.74	1.11	203.90
ई)	विवादित सेवाकर मांग	105.41	12.65	8.36	101.12
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	0.17	-	19.36	19.53
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	414.09	312.66	85.35	186.77
आई)	बकाया जीआर–1	1.93	0.33	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	519.47	-	31.72	551.19
	कुल (I)	**1,705.69**	**530.02**	**148.95**	**1,324.62**

क्रम संख्या (II) में दी गई मदों का मूवमेंट

	विवरण	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2019 को शेष
	कस्टम्स ड्यूटी / ब्याज / पेनल्टी आदि की अंतर राशि	180.32	13.46	-	166.86
	कुल (II)	**180.32**	**13.46**	**-**	**166.86**

संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं में हिस्सेदारी :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	2.25	0.73
3	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	-	-
4	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	2.98	2.98
5	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	252.42	133.68
6	पी ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	-	-

***एनआईएनएल (एक जेवी कंपनी)** को सप्लाई करने के कोकिंग कोल आयात से संबंधित विदेशी सप्लायर का 7.872 करोड़ अमरीकी डालर का दावा है। इसके अलावा 0.098 करोड़ अमरीकी डालर की मध्यस्थता लागत तथा इस पर दिनांक 30.9.2009 से 12.5.2014 तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज तथा 1 जून 2014 से भुगतान किए जाने की अवधि तक अवार्ड के बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा है। मध्यस्थता अवार्ड एमएमटीसी के विरुद्ध दिया गया। कंपनी द्वारा इस अंतिम निर्णय के विरुद्ध आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध कंपनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बैंच के समक्ष अपील की गई जिसे माननीय डिवीजन बैंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अपील पर सुनवाई चल रही है तथा सुनवाई की अगली तारीख 21.08.2019 है।

दावाकर्ता ने अपने पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड डिक्री के निष्पादन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच के समक्ष अलग से एक याचिका दायर की है। तुलनपत्र की तारीख के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.4.2019 को कंपनी को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के पास डिक्री राशि की पूरी राशि जमा कराए। कंपनी ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया है तथा इसके साथ डिपाजिट के बदले सिक्युरिटी हेतु कंपनी की संपत्तियों की सूची जमा की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.5.2019 को आदेश दिया कि वह संपत्ति के दस्तावेजों की टाइटल डीड्स उपलब्ध कराए तथा सुनवाई की तारीख 8.8.2019 तय की है। डिपाजिट के संबंध में न्यायालय के आदेश की अपील दिनांक 8.8.2019 तक हो गई है।

कानूनी कार्रवाई का अंतिम परिणाम आने तक प्रबंधतंत्र का विचार है कि दिनांक 31.3.2019 को अपनी खाता बहियों में निर्णय के प्रति कोई प्रावधान न किया जाए क्योंकि वरिष्ठ वकीलों की विधिक राय के अनुसार आपूर्तिकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए कंपनी का मजबूत मामला बनता है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा ली गई विधिक राय के अनुसार इस दावे के प्रति यदि कोई देयता बनेगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जाएगा।

I) ए) सविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.81 करोड़ रु. (गत वर्ष 15.82 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी की हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से 0.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) की बैंक-अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल / सीज के तहत 99.57 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 179.29 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों / बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1410.56 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंटस / ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज / दण्ड / विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रुपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु.)।

संयुक्त उद्यम में पूंजीगत निवेश की वचनबद्धताएं 'शून्य' करोड़ रुपए(गत वर्ष 3.02 करोड़ रुपए)।

संयुक्त उद्यमों की पूंजीगत वचनबद्धताओं में हिस्सेदारी :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	0.63	1.48
3	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	-	-
4	सिकॉल आयरन और टर्मिनल लिमिटेड	-	-
5	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	60.57	61.69
6	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	2.21	2.40

36. सामान्य प्रकटन :

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31/03/2019		31/03/2018	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	515.00	147.80	754.00	205.79
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	22,703.85	79.22	49,140.13	187.18
कुल	**23,218.85**	**227.02**	**49,894.13**	**392.97**

बी) हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) — संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेश:—

(i) कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति 379.89 करोड़ रुपए (गत वर्ष 379.89 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। (नोट 6)

(ii) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर कंपनी इसे 1425.00 करोड़ रुपये की सीमा तक लघु अवधि क्रेडिट सुविधा प्रदान करती रही है। इसके अलावा 1187.00 करोड़ रुपए की व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधा भी दी गई है। इसके लिए दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की 1489.25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के विरूद्ध अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पार्टियों को एडवांस) (नोट 11) के अंतर्गत बकाया राशि 2594.57 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1786.70 करोड़ रुपए)।

(iii) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों / बैंकों / अन्य के पक्ष में कंपनी ने 1345.82 करोड़ रुपए(गत वर्ष 1410.56 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (iii))।

(iv) एनआईएनएल को दी गई क्रेडिट सुविधा पर कंपनी ने व्यापार संबंधित ब्याज के लिए 216.67 करोड़ रु. (गत वर्ष 138.73 करोड़ रु.) की पहचान की है।

(v) एनआईएनएल ने समय–समय पर क्रेडिट सुविधा के लिए कंपनी को 1975.00 करोड़ रुपए (गत वर्ष 945.00 करोड़ रु.) की कारपोरेट गारंटी दी है।

(vi) तुलनपत्र की तारीख के बाद कंपनी ने दिनांक 04 मई 2018 को वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 5.5.2019 को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के लिए 79.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की है जिससे अब कुल अतिरिक्त इक्विटी 148.34 करोड़ रुपए हो गई है।

(vii) एनआईएनएल को गत 7 वर्षों से घाटा हो रहा है जिसके कारण इसकी नेट वर्थ नकारात्मक होकर दिनांक 31.3.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़ (गत वर्ष 31.3.2018 को रुपए (–) 552.05 करोड़)। एनआईएनएल के वित्तीय विवरणों के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को इसकी परिसंपत्तियां एमएमटीसी के देयों को छोड़कर 1638.08 करोड़ रुपए है।

(viii) वर्ष 2019–20 के दौरान एनआईएनएल की आयरन ओर की अपनी माइन का परिचालन कार्य शुरू हो जाने की संभावना तथा स्टील उद्योग क्षेत्र में सुधार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट का विचार है कि इसके द्वारा एनआईएनएल में किया गया निवेश तथा दिया गया एडवांस सही है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट / एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रु. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रु.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत दालों का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2015 से दिनांक 31.3.2017 तक दालों का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार के अकाउंट में आयात किए गए पूरे स्टॉक का निस्तारण कर दिया गया है तथा बिक्री प्रोसिड / एडवांस को खरीद लागत के विरूद्ध समायोजित करने के बाद शेष को रिफंड कर दिया गया है। दिनांक 31.3.2019 को अन्य खर्च व वसूली योग्य दावों में से अग्रिम राशि को घटाने के बाद बकाया राशि रुपए 26.28 करोड़ रुपए थी तथा इस संबंध में अंतिम मिलान किया जाना है।

एफ) आयातित पॉलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोसिएट के विरुद्ध 1.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.89 करोड़ रुपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रुपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरुद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 3.77 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.56 करोड़ रुपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज पर भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रुपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रुपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नीन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुपए) जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसार एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने हैं तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुद्दों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा। इस मामले में सुनवाई चल रही है।

जे) वर्ष के दौरान विदेशी सप्लायर से प्राप्त कंसाइनमेंट में से सिक्युरिटी एजेंसी द्वारा 14.00 करोड़ रुपए मूल्य का 14 किलोग्राम सोना अनधिकृत रूप से डिलीवर करने के मामले का पता चला। हालांकि कंपनी ने देय राशि की वसूली कस्टोडियन सिक्युरिटी एजेंसी/ के माध्यम से कर ली है तथा कंपनी ने लेखों में इस लेन–देन को सामान्य व्यापार लेन–देन के रूप में दर्शाया है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)	-	-	18.38	18.38	18.38
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	43.94			43.94	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	427.49			427.49	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	8.20			8.20	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	2.04			2.04	
सुरक्षा जमा (संदर्भ नोट संख्या:11)	7.52			7.52	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	50.40			50.40	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 18)	1139.04			1139.04	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	961.49			961.49	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	180.62			180.62	

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्या: 6)	-	-	18.95	18.95	18.95
स्टॉक एवं स्टॉक समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या: 13)	51.08			51.08	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या: 7)	355.41			355.41	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	9.78			9.78	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्या: 8)	2.44			2.44	
सुरक्षित जमा (संदर्भ नोट संख्या: 11)	15.75			15.75	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्या: 9)	67.94			67.94	
देयताएं :					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्या: 16)	1064.83			1064.83	
उधार (संदर्भ नोट संख्या: 17)	519.26			519.26	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या: 19)	244.06			244.06	

37.2 **उचित मूल्य वर्गीकरण**

स्तर 1 वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2 वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल है जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल है जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3 वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.38			2.38		उद्धृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.38**	**-**	**16.00**	**18.38**		

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.95			2.95		उद्धृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.95**	**-**	**16.00**	**18.95**		

37.3 **वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां**

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट मार्केट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्टस के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्टस फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हेजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	79.13	-	79.13
ट्रेड प्राप्य	307.74	-	307.74
डेमरेज / डिस्पैच प्राप्य	4.78	-	4.78
अन्य प्राप्य	1.62	-	1.62
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**393.27**	**-**	**393.27**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	320.70	-	320.70
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	3.24	-	3.24
ट्रेड देय	542.39	-	542.39
देय भाड़ा डेमरेज / डिस्पैच	26.02	-	26.02
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	0.42	-	0.42
अन्य	5.84	-	5.84
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**898.61**	**-**	**898.61**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मुद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रुपये एवं शून्य रुपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते हैं तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.18 करोड़ रुपये एवं 0.19 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :-

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नहीं	331.34	-	331.34
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	11.54	-	11.54
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	7.18	-	7.18
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	15.28	-	15.28
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	6.98	-	6.98
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	446.37	391.20	55.17
कुल योग	**818.69**	**391.20**	**427.49**

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नहीं	177.04	-	177.04
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	133.94	-	133.94
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	0.62	-	0.62
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	2.49	-	2.49
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	6.16	-	6.16
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	426.79	391.64	35.15
कुल योग	**747.05**	**391.64**	**355.41**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरड्यू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन-देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं।

ग) **तरलता जोखिम**

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1139.04					1139.04
लघु अवधि उधार	961.49					961.49
अन्य वित्तीय देयताएं	180.62					180.62
कुल योग	**2281.15**	-	-	-	-	**2281.15**

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1064.83					1064.83
लघु अवधि उधार	519.26					519.26
अन्य वित्तीय देयताएं	244.06					244.06
कुल योग	**1828.15**	-	-	-	-	**1828.15**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2019 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इन्वेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि की जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				120	41.55

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने व चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				169	51.08

बी.) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	सुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, सुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड.एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री		-		इन्वेन्ट्रीज	-	-

(31 मार्च 2018 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	सुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, सुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड.एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	51.70	-	3.00	इन्वेन्ट्रीज	-	-

39 **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"**

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में रुपए 0.27 करोड़ (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"**

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) **ग्रेच्युटी** : ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेपरेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अक्षय डिवीजन के कर्मचारियों के लिए अपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित्त पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रुपए 4.88 करोड है (गत वर्ष 6.55 करोड रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेपरेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लंबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रुपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रु की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रु है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रु है।

(iv) अलग डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रु, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रुपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम (ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	अर्जित अवकाश (गैर–वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (गैर–वित्त पोषित)	लंबी सेवा पुरस्कार (गैर–वित्त पोषित)	विशेष लाभ (गैर–वित्त पोषित)	अनुकंपा ग्रेच्युटी (गैर–वित्त पोषित)	कर्मचारी परिवार लाभ (गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई	99.20	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	67.64	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति/ (अभिशेष/(घाटा)]	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई	(6.28)	(18.03)	(23.32)	(5.70)	(2.30)	(0.16)	(4.00)
	पी.वाई	(43.98)	(16.53)	(26.01)	(6.88)	(2.65)	(0.16)	(4.61)

परिभाषित लाभ देयता का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
	पी.वाई	69.75	23.15	23.16	7.26	2.96	0.19	5.25
चालू सेवा लागत	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
विगत सेवा लागत	सी.वाई	0.00	-					
	पी.वाई	46.76	-					
ब्याज लागत	सी.वाई	8.36	1.26	1.98	0.52	0.20		
	पी.वाई	5.41	1.75	1.75	0.55	0.22		
प्रदत्त लाभ	सी.वाई	(27.43)	(6.01)	(4.08)	(1.74)	(0.54)		
	पी.वाई	(8.38)	(19.08)	(2.47)	(0.87)	(0.50)		
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि / (लाभ)	सी.वाई	9.74	5.49	(1.58)	(0.16)	(0.08)	(0.00)	(0.61)
	पी.वाई	(5.28)	10.03	2.63	(0.28)	(0.11)	(0.03)	(0.65)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61

योजना परिसंपत्ति का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	67.64	70.83
ब्याज आय	5.06	5.49
नियोक्ता अंशदान	52.28	0.00
प्रदत्त लाभ	(27.43)	(8.38)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि / (लाभ)	1.65	(0.31)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	99.20	67.64

दिनांक 31.03.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2019 को 0.67 करोड़ रुपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रु) की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है।

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई	0.00	-	-				
	पी.वाई		-		-	-		
सेवा लागत (ए)	सी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
	पी.वाई	3.35	0.68	0.95	0.23	0.08		
नेट परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई	3.30	1.26	1.98	0.52	0.20		
	पी.वाई	(0.08)	1.75	1.75	0.55	0.22		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियल (लाभ)/हानि	सी.वाई		5.49	(1.58)	-		(0.00)	(0.61)
	पी.वाई		10.03	2.63	-		(0.03)	(0.65)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए + बी)	सी.वाई	6.49	7.51	1.39	0.72	0.27	(0.00)	(0.61)
	पी.वाई	3.27	12.46	5.33	0.78	0.30	(0.03)	(0.65)

अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	सी.वाई	9.74			0.15	0.08		
	पी.वाई	(5.28)	-	-	0.27	0.10	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ/(हानि)	सी.वाई	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	पी.वाई	-	-	-	0.01	0.01	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	सी.वाई	9.74	-	-	0.16	0.08	-	-
	पी.वाई	(5.28)	-	-	0.28	0.11	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिटर्न जो डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	सी.वाई	(1.65)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	0.31	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए+बी)	सी.वाई	8.09	-	-	0.16	0.08	-	-
	पी.वाई	(4.97)	-	-	0.28	0.11	-	-

संवेदनशील विश्लेषण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	वित्त पोषित		(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	1.00%	(4.32)	0.50%	(0.43)	(0.50)	(0.11)	(0.05)	-	
	-1.00%	4.69	-0.50%	0.45	0.53	0.11	0.06	-	
वेतनवृद्धि दर	1.00%	4.11	0.50%	0.46	0.53	-		-	
	-1.00%	(3.83)	-0.50%	(0.43)	(0.51)	-		-	

(31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	वित्त पोषित		(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	1.00%	(5.11)	0.50%	(0.39)	(0.56)	(0.13)	(0.06)	-	-
	-1.00%	5.59	-0.50%	0.41	0.58	0.13	0.07	-	-
वेतनवृद्धि दर	1.00%	5.16	0.50%	0.41	0.56	-	-	-	-
	-1.00%	(4.78)	-0.50%	(0.39)	(0.58)	-	-	-	-

एक्चुएरियल अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)	(गैर-वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई	7.00%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%
	पी.वाई	7.75%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
	पी.वाई	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)

संभावित लाभ भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष	ग्रेच्युटी* (वित्त पोषित)	भुगतान वर्ष	अर्जित अवकाश (गैर–वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (गैर–वित्त पोषित)	लंबी सेवा पुरस्कार (गैर–वित्त पोषित)	विशेष लाभ (गैर–वित्त पोषित)	अनुकंपा ग्रेच्युटी (गैर–वित्त पोषित)	कर्मचारी परिवार लाभ (गैर–वित्त पोषित)
1	अप्रैल 2019– मार्च 2020	21.65	अप्रैल 2019– मार्च 2020	3.30	4.40	1.15	0.40	-	-
2	अप्रैल 2020– मार्च 2021	18.48	अप्रैल 2020– मार्च 2021	2.53	2.52	0.86	0.37	-	-
3	अप्रैल 2021– मार्च 2022	18.50	अप्रैल 2021– मार्च 2022	2.55	3.57	0.78	0.31	-	-
4	अप्रैल 2022– मार्च 2023	15.36	अप्रैल 2022– मार्च 2023	1.80	2.49	0.62	0.34	-	-
5	अप्रैल 2023– मार्च 2024	13.76	अप्रैल 2023– मार्च 2024	1.48	2.41	0.52	0.23	-	-
6	अप्रैल 2024 से आगे	29.35	अप्रैल 2024– मार्च 2025	1.11	1.51	0.38	0.19	-	-
7		-	अप्रैल 2025 से आगे	5.26	6.42	1.39	0.46	-	-

*(पूर्णतया अर्थात बगैर डिस्काउंट के)

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) **भविष्य निधि** : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) **सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ** – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रु.5.43 करोड़ (गत वर्ष रु.4.55 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ** : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशेंट इलाज तथा ओपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. वर्ष 2018–19 के लिए देयता की गणना परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए उनको भुगतान किए गए मूल वेतन, डीए की 4.50 प्रतिशत की दर से की गई है।

बी. फंड के संचालन के लिए ट्रस्ट बनने तक के लिए, चालू वर्ष तथा दिनांक 31.3.2018 तक की अवधि के लिए 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत कंपनी की देयता दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार दिखाई गई है। इसके अलावा वर्ष के लिए 6.75 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष 6.25 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त अंशदान जोड़ा गया है जो वर्तमान देयता बनती है चूंकि इस वर्ष सेटलमेंट होने वाला है।

सी. वर्ष के दौरान कुल रु.15.91 करोड़ (गत वर्ष रु. 14.49 करोड़) लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए गए हैं।

41. ग्रुप सूचना

1. **सहायक कंपनी**

कंपनी की समूह सहायक कंपनियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। इनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर हैं जो ग्रुप के नाम हैं तथा ग्रुप का

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख गतिविधि	निगमन का स्थान	ग्रुप द्वारा धारित स्वामित्व हित 31.03.2019	31.03.2018
	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.	खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल व हाइड्रोकार्बन, बुलियन, ज्वेलरी तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार	सिंगापुर	100 प्रतिशत (नॉन कंट्रोलिंग हित – शून्य)	100 प्रतिशत (नॉन कंट्रोलिंग हित – शून्य)

2. **संयुक्त उद्यम**

संयुक्त उद्यमों के विवरण, जिसमें ग्रुप भागीदार है, नीचे दिए गए हैं। इनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर हैं जो ग्रुप के नाम हैं तथा ग्रुप का स्वामित्व हित तथा वोटिंग का अधिकार समान है। निगमन अथवा रजिस्ट्रेशन का देश ही उनके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख गतिविधि	निगमन का स्थान	ग्रुप द्वारा धारित स्वामित्व हित		अकाउंटिंग तरीका
				31.03.2019	31.03.2018	
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड(i)	सोने व चांदी के सिक्कों, सोने के आभूषण, हीरा जड़ित आभूषण, लाइफ स्टाइल आभूषण का व्यापार	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सोने व चांदी की बार्स, सोने व चांदी के सिक्कों तथा संबंधित मदों का व्यापार तथा गोल्ड व सिल्वर डोर्स	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	कंपनी ने अपनी आयरन ओर टर्मिनल सुविधा स्थापित की है ।	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति
4	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड (ii)	खनिज ब्लॉकों / भण्डारों का अन्वेषण, तलाश संबंधित विकास खनन का कार्य	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति
5	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	कैप्टिव पावर प्लांट के साथ आयरन व स्टील का प्लांट	भारत	49.78 प्रतिशत	49.78 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति
6	फ्री ट्रेड वेयर– हाउसिंग प्रा.लि.	भारत में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन का विकास	भारत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	इक्विटी पद्धति

(i) कंपनी ने हाल ही में प्रमुख प्रवर्तक द्वारा की गई घोखेबाजी और उनके खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच और इस तथ्य पर विचार करते हुए की कि कंपनी ने अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थगित कर दिया है, को देखते हुए अपने संयुक्त उपक्रम – एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में 2.99 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को वर्ष 2017–18 के दौरान पूर्ण रूप से इंपेयर कर दिया था। कंपनी ने जे वी कंपनी से अलग होने का नोटिस भी दे दिया है। चूंकि जे.वी. कंपनी से वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरण नहीं मिले हैं अतः उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उपक्रम– टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड में 0.06 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(iii) कोटेड उचित मूल्य उपरोक्त सभी संयुक्त उपक्रम सूचीबद्ध कंपनियां नहीं है, अतः कोटेड मूल्य उपलब्ध नहीं है। कैरिंग राशि का विवरण टिप्पणी संख्या 6 में दिया गया है ।

3. कंपनी समेकन

समेकन के उद्देश्य से निम्नांकित कंपनियां शामिल हैं–

क्र.सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	स्थिति	वित्तीय विवरण अपनाये गये
1.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.	सहायक कंपनी	अंकेक्षित
2.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	संयुक्त उपक्रम	अंकेक्षित
3.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	संयुक्त उपक्रम	अंकेक्षित
4.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	अंकेक्षित
5.	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	संयुक्त उपक्रम	अंकेक्षित

समेकन के उद्देश्य से निम्नलिखित कंपनी शामिल नहीं हैं:–

क्र.सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	स्थिति	वित्तीय विवरण अपनाये गये
1.	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	उपरोक्त टिप्पणी सं. 41.2 (i) देखें
2	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	संयुक्त उपक्रम	उपरोक्त टिप्पणी सं. 41.2 (ii) देखें

4. संयुक्त उद्यमों में अमान्य हानियां

संयुक्त उपक्रम में अमान्य हानियों का हिस्सा, जिसे ग्रुप ने संयुक्त उपक्रम में हानि के हिस्से के रूप में अस्वीकृत कर दिया है और जो निवेश की कैरिंग वैल्यू से अधिक है, नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	31.03.2019 को संचयी शेष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	475.02	200.90	186.89	87.22
2	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	3.83	1.45	1.38	1.00

42. संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		टी एन माइनिंग कंपनी लिमिटेड		एमएमटीसी गीतांजलि लि.*	
	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018
वर्तमान परिसंपत्तियां												
नगद तथा नगद समतुल्य	89.37	72.75	4.59	1.23	55.87	35.87	0.19	0.32				
अन्य परिसंपत्तियां	619.16	618.45	44.39	8.21	490.11	367.94	-	0.11				
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	708.53	691.20	48.98	9.44	545.98	403.81	0.19	0.43	-	-	-	-
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	186.76	199.55	977.64	860.59	3,475.44	3,410.76	66.86	67.40	-	0.01		
वर्तमान देयताएं												
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार तथा प्रावधानों के अलावा)	183.75	65.17	-	-	1,881.72	1,997.52	4.02	4.02	-	-		
अन्य देयताएं	320.07	336.87	754.96	737.98	1,506.60	648.70	5.26	3.15	-	0.04	-	-
कुल वर्तमान देयताएं	503.82	402.04	754.96	737.98	3,388.32	2,646.22	9.28	7.17	-	0.04	-	-
गैर वर्तमान देयताएं												
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार तथा प्रावधानों के अलावा)	-	-	141.37	-	1,397.82	1,543.88	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	28.39	196.71	0.35	0.25	191.77	176.52	65.42	65.42				
कुल गैर– वर्तमान देयताएं	28.39	196.71	141.72	0.25	1,589.59	1,720.40	65.42	65.42	-	-	-	-
निवल परिसंपत्तियां	363.08	292.00	129.94	131.80	(956.49)	(552.05)	(7.65)	(4.76)	-	(0.03)	-	-

*नोट संख्या41.2(i) देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		टी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड		एमएमटीसी गीताजलि लि.*	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	47,639.41	33,946.22	-	-	2,005.43	929.16	0.53	0.25	-	-	-	-
ब्याज आय	18.26	11.69	-	-	7.47	11.63	0.00	0.02	-	-	-	-
मूल्यह्रास तथा ऋण मुक्ति	26.09	24.86	-	-	150.53	173.88	0.90	0.90	-	-	-	-
ब्याज व्यय	29.75	2.42	-	-	231.52	237.15	0.33	0.21	-	-	-	-
आयकर व्यय	53.85	22.09	-	-	(197.54)	(185.57)	0.09	(0.28)	-	-	-	-
निरंतर परिचालन से लाभ	95.99	47.26	-	-	(402.19)	(377.67)	(2.89)	(2.77)	(0.01)	(0.01)	-	-
बंद परिचालन से लाभ (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	95.99	47.26	-	-	(402.19)	(377.67)	(2.89)	(2.77)	(0.01)	(0.01)	-	-
अन्य व्यापक आय	(0.64)	0.04	-	-	(1.39)	2.23	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	95.35	47.30	-	-	(403.58)	(375.44)	(2.89)	(2.77)	(0.01)	(0.01)	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		टी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड		एमएमटीसी गीताजलि लि.*	
	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	292.00	260.85	131.80	131.80	(552.05)	(175.14)	(4.76)	53.96	(0.03)	(0.02)	-	-
वर्ष के लिए लाभ	95.99	47.26	-	-	(402.19)	(377.67)	(2.89)	(2.77)	(0.01)	(0.01)	-	-
अन्य व्यापक आय	(0.64)	0.04	-	-	(1.39)	2.23	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	(24.27)	(16.15)	(1.86)	-	(0.86)	(1.47)	-	-	-	-	-	-
इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	(55.95)	-	-	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	363.08	292.00	129.94	131.80	(956.49)	(552.05)	(7.65)	(4.76)	(0.04)	(0.03)	-	-
प्रतिशत में समूह की हिस्सेदारी	26%	26%	26%	26%	49.78%	49.78%	50%	50%	26%	26%	26%	26%
भारतीय रुपए में समूह की हिस्सेदारी	94.40	75.92	33.78	34.27	(476.14)	(274.81)	(3.83)	(2.38)	(0.01)	(0.01)	-	-
गुडविल / (पूंजी रिजर्व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कैरिंग राशि**	94.40	75.71	33.78	33.78	-	-	-	-	-	-	-	-

* नोट संख्या 41.2(i) देखें

**जेवी कंपनी एमआईएनएल तथा एफटीडब्ल्यूपीएल में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है चूंकि संयुक्त उद्यम कंपनी में समूह की हानि में हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम कंपनी में किए गए निवेश की कैरिंग राशि से अधिक है। जेवी कंपनी एमएमटीसी गीताजलि लि. में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है चूंकि वर्ष के दौरान संबंधित जेवी में समूह के इक्विटी निवेश को पूर्णतः हानि हो गई है। जेवी कंपनी टीएम माइनिंग कंपनी लि. में किए गए निवेश को वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया ।

43. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : "ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स"

जैसा कि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है "मैनेजमेंट अप्रोच" के आधार पर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं – बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ऑपरेटिंग परिसंपत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट फिक्स परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	12,788.18	1,889.24	149.94	1,470.71	1,432.99	10,132.43	5.23	27,868.72
भारत से बाहर	0.00	427.88	735.81	60.80	237.38	81.38	27.71	1,570.97
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	**12788.18**	**2317.12**	**885.75**	**1531.51**	**1670.37**	**10213.81**	**32.94**	**29439.69**
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	65.03	255.59	16.73	49.86	17.19	29.83	3.79	438.02
भारत से बाहर	-	12.90	23.78	0.90	1.85	0.09	0.69	40.21
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**65.03**	**268.49**	**40.51**	**50.76**	**19.04**	**29.92**	**4.48**	**478.23**
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								60.15
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								297.16
लाभ में हिस्सेदारी / (संयुक्त उद्यम की हानि)								24.96
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								**145.88**

(31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	10,107.52	801.01	35.58	779.47	1,084.96	1,840.26	6.94	14,655.74
भारत से बाहर	0.18	402.08	1,281.41	-	-	61.96	49.64	1,795.27
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	**10,107.70**	**1,203.09**	**1,316.99**	**779.47**	**1,084.96**	**1,902.22**	**56.58**	**16,451.01**
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	47.15	156.67	9.30	31.13	29.66	2.84	5.19	281.94
भारत से बाहर	0.01	12.35	37.20	-	-	0.25	1.52	51.33
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**47.16**	**169.02**	**46.50**	**31.13**	**29.66**	**3.09**	**6.71**	**333.27**
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								(1.77)
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								298.66
लाभ में हिस्सेदारी / (संयुक्त उद्यम की हानि)								11.36
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								47.74

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	323.18	2495.55	245.70	438.48	129.83	63.97	451.69	4148.61
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								231.21
कुल परिसंपत्तियां								**4379.82**
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	256.61	161.14	254.12	821.21	84.35	326.55	18.89	1922.89
अनअलोकेटिड देयताएं								1188.20
कुल देयताएं								**3111.09**

(31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	574.71	1700.13	204.49	427.35	777.05	480.45	445.40	4609.58
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								562.87
कुल परिसंपत्तियां								**5172.45**
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	509.62	73.61	179.62	398.60	1418.64	388.62	37.16	3005.87
अनअलोकेटिड देयताएं								963.88
कुल देयताएं								**3969.75**

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

वाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

(₹ करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2018-19	2017-18
कुल राजस्व	10096.53	1821.99
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	34.84%	11.08%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

44. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

44.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
1. श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक)
2. श्री टी.के.सेनगुप्ता	निदेशक (वाणिज्य)(31.03.2019 तक)
3. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
4. श्री पी.के.जैन	निदेशक (14.05.2018 तक)
5. श्री अश्वनी सोनी	निदेशक
6. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक (04.07.2018 से)
7. श्री टी.एस. राव	प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल
8. श्री देवाशीष नायक	निदेशक(वित्त), एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. श्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैन्न इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स है तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	3.96	3.23
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.47	0.35
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	0.27
शेयर आधारित भुगतान	-	-
टर्मिनेशन लाभ	-	-
कुल	**4.44**	**3.85**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	0.01	0.02

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		अन्य	
	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	1.07	-	-	-	1319.46	546.85	-	-	-	-
कच्चे माल / वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	0.06	213.91	512.08	-	-	2012.71	718.18	-	-	-	-
कंपनी की ओर से मुआवजा	-	-	-	-	-	-			-	-	105.33	48.47
अन्य लेन–देन	-	-	-	3.49	-	-	216.67	1,410.56	-	-	23.99	61.52

एच. वस्तु / सेवाओं की बिक्री / खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18
देय व्यापार	0.02	0.02	-	0.00	-	-	1.46	1.46	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
अवधि में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त / समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18	मार्च–19	मार्च–18
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	2,594.56	1,786.70	-	0.54	-	-	-	-

के. केएमपी को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2019	मार्च 2018
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.02	0.02
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	0.01	0.01
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	0.01	0.02

एल. संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एम. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य (रुपए)	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	10096.53	35.52	0.00
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	26.28
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	2680.21	1.35	6.93
4	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	857.67	48.15	25.05

45. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–17 "लीज" के संबंध में प्रकटन

45.1 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

- रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज भुगतान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.97	1.02
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	3.08	3.14
5 वर्षों के बाद	3.81	4.28

- **भुगतान जिन्हें खर्चे माना गया**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
न्यूनतम लीज भुगतान	1.62	3.19
आकस्मिक किराए	-	-
प्राप्त सब–लीज भुगतान	-	-

45.2 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

- रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज प्राप्य

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.08	0.24
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.03	0.11
5 वर्षों के बाद	-	-

46. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अभिमान अपनाया गया :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ	108.72	37.52
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	0.72	0.25

47. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(रुपये करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.18 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.19 को अंतिम शेष
गलत मार व विश्लेषण जोखिम	0.04	0.04	0.03	0.03
बोनस / पीआरपी	16.10	3.87	10.69	22.92
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	47.34	59.82	12.48	0.00

48. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

ट्रांजिशनल प्रावधान

कंपनी में नए भारतीय लेखा मानक 115 (ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व) को पिछली अवधि से अपनाया गया है। इसे संचयी प्रभाव से अपनाया गया है जिसके लिए दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध आरंभिक रिटेंड अर्जन के साथ समायोजित किया गया है। कंपनी ने इंड एएस–115 के अंतर्गत हुए परिवर्तनों की जांच की है तथा यह पाया है कि दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध आरंभिक रिटेंड अर्जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है –

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	28,748.27	15,746.39
सेवाओं की बिक्री	4.55	10.44
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	462.68	537.36
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित विलंब	0.25	0.32
–अन्य व्यापार आय	223.94	156.50
कुल	**29,439.69**	**16,451.01**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है–

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
हानि	0.03	0.05

(2) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट को खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में पहचान दी है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सैग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है–

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुएं	12,788.18	43.44	10,107.70	61.44
धातुएं	2,317.12	7.87	1,203.09	7.31
खनिज	885.75	3.01	1,316.99	8.01
कोल व हाइड्रोकार्बन	1,531.51	5.20	779.47	4.74
कृषि उत्पाद	1,670.37	5.67	1,084.96	6.60
उर्वरक	10,213.81	34.69	1,902.22	11.56
अन्य	32.94	0.11	56.58	0.34
कुल	**29,439.69**	**100.00**	**16,451.01**	**100.00**

(ii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आरंभिक शेष	747.05	913.36
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	71.64	(166.31)
अंतिम शेष	818.69	747.05

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्यूरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम ड्यूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आरंभिक शेष	288.44	188.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	146.39	168.52
घटाएं: कटौती (रिफंड/समायोजन)	14.39	37.08
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	58.49	31.39
अंतिम शेष	361.95	288.44

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य' करोड़' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

बी इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(1) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(2) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(3) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(4) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं हैं।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अत: ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

49 हाल ही में घोषित लेखा नीतियां (01 अप्रैल 2019 से)

1. एमसीए ने दिनांक 30 मार्च 2019 को कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) अमेंडमेंट रूल्स 2019 के एक भाग के रूप में इंड एएस – 116 (लीजेज) अधिसूचित किए हैं। इस मानक ने उस समय मौजूद इंड एएस – 17 (लीजेज) का स्थान ले लिया है।

कंपनी इन अधिसूचना, जो 01 अप्रैल 2019 से अथवा इसके बाद की रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होते हैं, के प्रभाव की जांच पड़ताल तथा निर्धारण कर रही है। इस इंड एएस से पट्टेदार को दो विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प है कि वह या तो इस मानक को पूर्व की रिपोर्टिंग अवधि के लेखों पर इंड एएस–8 लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों में परिवर्तनों तथा त्रुटियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करे अथवा अनुप्रयोग की आरंभिक तारीख को मान्य मानकों को संचयी प्रभाव के साथ लागू करे। कंपनी इन मानकों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संचयी आधार पर अपनाएगी ताकि इसे आरंभिक रिटेंड अर्जन(01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) के समायोजन के रूप में अपनाया जा सके। इंड एएस – 116 के अपनाने से किसी विशेष प्रभाव के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इंटरमीडिएट पट्टादाता को छोड़कर पट्टादाताओं को इस मानक को अपनाने के लिए किसी एडजेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।

2. इंड एएस परिशिष्ट–सी आयकर ट्रीटमेंट में अनिश्चितता कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 30 मार्च 2019 को आयकर ट्रीटमेंट अनिश्चितता से संबंधित इंड एएस–12 परिशिष्ट–'सी' अधिसूचित किया है। यह व्यवस्था कर योग्य लाभ (अथवा हानि), कर आधार, प्रयोग में न लाई गई कर हानियां, प्रयोग में न लाए गए कर क्रेडिट तथा कर दरों पर उस स्थिति में लागू होने वाले इंड एएस –12 के तहत आयकर ट्रीटमेंट के बारे में अनिश्चितता है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनी को यह निर्धारित करना होगा कि संबंधित कर अथारिटी प्रत्येक कर ट्रीटमेंट अथवा कर समूह ट्रीटमेंटस, कंपनियों ने अपनी आयकर विवरणों में इनका प्रयोग किया है अथवा प्रयोग करने की योजना है। इनका प्रयोग कर योग्य लाभ(कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां, अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स तथा कर दरों के निर्धारण में कर की संभावित राशि अथवा मूल्य की गणना में किया जाए।

यह मानक परिवर्तन के दो संभावित तरीकों की अनुमति देता है।

- पूर्ण पूर्वव्यापी अवधि – पूर्व में इंड एएस–8, लेखा नीतियां, लेखा नीतियों में परिवर्तन, लेखा अनुमानों तथा त्रुटियों में परिवर्तन प्रस्तुत किए गए विवरणों पर तथा त्रुटियों में परिवर्तन प्रस्तुत किए गए विवरणों पर पूर्व व्यापी प्रभाव से परिशिष्ट–सी लागू होगा।

- आरंभिक इक्विटी का समायोजन करते हुए तथा बगैर तुलनात्मक आंकड़ों के समायोजन को संचयी आधार पर पूर्व व्यापी प्रभाव से परिशिष्ट–'सी' लागू करना ।

इंड एएस–12 –परिशिष्ट–'सी' को अपनाने की प्रभावी तिथि वार्षिक आधार पर होगी जो 1 अप्रैल 2019 को अथवा इसके बाद आरंभ होगी। कंपनी 1 अप्रैल 2019 को मानक को अपनाएगी तथा इसे लागू करने की तारीख से इक्विटी में संचयी प्रभाव का समायोजन करने का निर्णय लिया है।

इंड एएस–12 परिशिष्ट–'सी' को अपनाने का प्रभाव : सकल वित्तीय विवरणों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंड एएस–12 आयकर में संशोधन : कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च 2019 को लाभांश वितरण करों में अकाउंटिंग के लिए इंड एएस – 12 आयकर के मार्गदर्शन में संशोधन जारी किया है।

संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी लाभांश के आयकर को लाभ अथवा हानि में शामिल करेगी । अन्य कम्प्रीहेंसिव आय अथवा इक्विटी को उस प्रकार से प्रस्तुत करेगी जैसे कंपनी पूर्व के लेन देन अथवा इवेंट्स को मान्यता देती थी।

इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तारीख वार्षिक अवधि के आधार पर होगी जो 1 अप्रैल 2019 को अथवा इसके बाद आरंभ होगी। अभी कंपनी इस संशोधन का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

3) इंड एएस–19–संशोधन कटौती अथवा निपटान योजना में संशोधन : कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को संशोधन, कटौती तथा निपटान योजना के लेखांकन से संबंधित इंड एएस–19 कर्मचारी लाभ में संशोधन जारी किए थे।

संशोधन के अनुसार कंपनी को निम्नलिखित करना है :

- प्लान संशोधन, कटौती अथवा निपटान संशोधन के बाद वर्तमान सेवा लागत तथा शेष सेवा अवधि के लिए निवल ब्याज के निर्धारण का अनुमान लगाना, तथा
- पूर्व सेवा लागत, अथवा लाभ अथवा हानि निपटान, सरप्लस में कटौती सहित परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव के कारण उस सरप्लस को लेखों में शामिल भी न किया हो, को लाभ अथवा हानि में शामिल करना।

इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तारीख वार्षिक आधार पर 1 अप्रैल 2019 से अथवा इसके बाद से होगी। इस संशोधन का कंपनी के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

50. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के शेष के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन-गोइंग आधार पर की जाती है। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

51. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

52. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

53. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

i. दिनांक 1.4.2018 से इंड एएस –115 ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं से राजस्व को अपनाने के परिणाम स्वरूप लेखांकन नीति संख्या 2.4 'राजस्व पहचान' में परिवर्तन किया गया है।

इन परिवर्तनों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

54. वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को करोड़ रुपए में (दो दशमलव तक) में दर्शाया गया है तथा जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है। संभव है कि कुछ राशियों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में न किया गया हो चूंकि उन्हें करोड़ रुपए में राउंड ऑफ किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया वहां पर गत वर्ष के आंकड़ों को रिग्रुप/रिअरेंज किया गया है।

55. कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सहायक/एसोसिएट्स कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में मुख्य विशेषताएं निर्धारित फार्म एओसी–1 में अनुलग्नक–ए में दी गई हैं।

56. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 30.05.2019 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियान एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ. आर. सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(सीए. राकेश अग्रवाल)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दाश)**	**(उमेश शर्मा)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 081808	एसीएस–13691		डीआईएन सं. 03298909

दिनांक : 30.05.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अश्वनी सोंधी)	**(वेद प्रकाश)**
निदेशक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02853076	डीआईएन : 02988628

अनुलग्नक 'क'

एओसी – 1

सहायक/एसोसिएट कंपनीज/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में)

भाग "क" : सहायक कंपनियां

(रूपये करोड़ में)

1	क्रम संख्या	1
2	सहायक कंपनी का नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.
3	यदि सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी से भिन्न है तो उस रिपोर्टिंग अवधि का उल्लेख करें।	लागू नहीं
4	विदेश सहायक कंपनी के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनांक को रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर, एक्सचेंज रेट रु 69.9692 (औसत दर)
5	शेयर पूंजी	3.14
6	रिजर्व तथा सरप्लस	82.25
7	कुल परिसंपत्तियां	238.81
8	कुल देयताएं	153.41
9	निवेश	-
10	टर्नओवर	1,078.62
11	कराधान पूर्व लाभ	1.81
12	कराधान के लिए प्रावधान	-
13	कराधान के बाद लाभ	1.81
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	100
क)	ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है	शून्य
ख)	सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण अथवा बिक्री हुई है	शून्य

एओसी–1 भाग "ख" असोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यम

					(रूपये करोड़ में)
असोसिएट्स/ संयुक्त उद्यम का नाम	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.
1. नवीनतम आडिटेड तुलनपत्र की तारीख	31.03.2019	31.03.2019	31.3.2019	31.03.2019	31.03.2017**
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित असोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर					
संख्या	289342744	5000	17446000	33800000	2987400
असोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की गई राशि	379.69	0.01	17.45	33.80	2.99
होल्डिंग का प्रतिशत %	49.78%	50%	26%	26%	26%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	इक्विटी व प्रबंधन नियंत्रण	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी
4. कारण जिसकी वजह से असोसिएट/संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.नवीनतम आडिटेड तुलनपत्र के अनुसार शेयरहोल्डिंग के अनुपात में नेटवर्थ	(476.14)	(3.83)	94.40	33.78	1.82
6. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)					
i) समेकन में लिया गया	-	-	24.79	-	-
ii) समेकन में नहीं लिया गया	(200.90)	(1.45)	-	-	-
ए) ऐसे असोसिएट्स अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनमें परिचालन कार्य अभी शुरू होना है।				शून्य	
बी) ऐसे असोसिएट्स अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण हुआ है अथवा बेची गई है।				टीएम माइनिंग कं. लि. (बंद करने की प्रक्रिया चल रही है) ।	

**दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। जेवी कंपनी की नवीनतम आडिटिड बैलेंस शीट दिनांक 31.03.2017 की है। विवरण नोट संख्या 41 पर दिया गया है।

भाग–III के अनुसार अतिरिक्त सूचना – समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य सूचना

क्र. सं	कम्पनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
		समेकित निवल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	अन्य समेकित व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)
मूल कंपनी									
एमएमटीसी लिमिटेड		117.38	1489.26	75.38	81.95	1,260.27	(5.45)	70.65	76.50
सहायक विदेश कंपनी									
1	एमएटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	6.48	82.21	1.66	1.81	(1,199.07)	5.19	6.46	6.99
2	अनियंत्रित हित	-	-						
संयुक्त उद्यम–भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
1	की ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	(0.00)	(0.01)	-	-	-	-	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	6.07	76.96	22.96	24.96	38.80	(0.17)	22.90	24.79
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	(0.00)	(0.02)	-	-	-	-	-	-
4	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	(29.93)	(379.69)	-	-	-	-	-	-
5	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**100.00**	**1,268.72**	**100.00**	**108.72**	**100.00**	**(0.43)**	**100.00**	**108.28**

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्या: सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (10)/628 दिनांक 16 अगस्त, 2018 तथा पत्र संख्या: सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (12)/903 दिनांक 30 अगस्त, 2018 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक	क्षेत्र
ओ पी तुलस्यान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय
शाखा लेखा परीक्षक	
पटनायक एंड कंपनी कटक	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
जे.पी. एंड कंपनी अहमदाबाद	अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
जयेश संघराजका एंड कं. एलएलपी मुंबई	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
अभिजीत दत्त एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता	कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
	कोलकाता, अम्रक नगर, झुमरीतलैया एवं गिरिडिह के माइका प्रभाग
वेणुगोपाल एंड चेनॉय हैदराबाद	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
आर.एम.के. एंड कं.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
	चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र
	गुडुर में माइका प्रभाग
	विशाखापटनम तथा इसके उप कार्यालय / वितरण केंद्र

एमएमटीसी के बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. एचडीएफसी बैंक
3. बैंक आफ महाराष्ट्र
4. यूनियन बैंक आफ इंडिया
5. पंजाब नेशनल बैंक
6. इंडियन ओवरसीज बैंक
7. आईडीबीआई बैंक
8. देना बैंक
9. इंडसइंड बैंक
10. ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
11. एक्सिस बैंक
12. आईसीआईसीआई बैंक
13. कोटक महिन्द्रा बैंक
14. विजया बैंक
15. आंध्रा बैंक
16. जे एंड के बैंक
17. दी कर्नाटका बैंक लि0
18. बैंक ऑफ बड़ौदा

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोन : 91–11–24362200, **ईमेल** : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट: www.mmtclimited.com

उत्तरी जोन	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** एफ 8–11, झंडेवालान फ्लैटिड फैक्ट्रीज काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23623950, 23623952, 23670408 फैक्स : 011–23633175 ईमेल : head_jjc@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : आगरा, कानपुर, लुधियाना** **जयपुर** द्वितीय तल, ब्लाक–सी, गौरव टावर–II, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017 फोन : 0141–2554809, 2554053, 2554735 फैक्स : 0141–2722501 ईमेल : head_jaipur@mmtclimited.com
साउथ जोन	**चेन्नै** एस्सार हाउस, 6, एसप्लेनेड, चेन्नै–600108 (तमिलनाडु) फोन – 044–25341942, 25341938 फैक्स : 044–25340544, 25340317 ईमेल : head_chennai@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : कोची, बेंगलुरू, मंगलौर, गजेंद्रगढ़, बेल्लारी, बन्नीहट्टी, हॉस्पेट, रणजीतपुरा,** **विजाग** एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पोस्ट बाक्स नं. 132, विशाखापट्नम–530035, (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–2562356, 2562771 फैक्स : 0891–2562611 ईमेल : mmtcvizag@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : काकीनाडा**
ईस्ट जोन	**कोलकता** एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ व पांचवां तल, 8 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकता – 700001, (पश्चिम बंगाल) फोन : 033–22101079, 22421252, 22421261 फैक्स : 033–22421292 ईमेल : head_kolkata@mmtclimited.com, mmtccol@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : हल्दिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, गुवाहाटी** **भुवनेश्वर** आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर–751007(ओडिशा) फोन : 0674–2546848, 2518517, 2503336, 2544783 फैक्स : 0674–2546847, 2512832 ई मेल : head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mtcbbsr@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : पारादीप, बडबिल, डुबरी**

वेस्ट जोन	**मुंबई** एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई – 400051 फोन : 022–26572437, 26594100, 26573193, 61214500 फैक्स : 022–26572541, 26572807 ईमेल : head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimitd.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : नागपुर, गोवा, रायपुर** **अहमदाबाद** 2, नगीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014(गुजरात) फोन : 079–27540643, 27543796, 40244712, 40244711, 27545563 फैक्स : 079–27543739 ई मेल : head_ahmedabad@mmtclimited.com, mmtcahm@mmtclimited.com उप क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालय : कांडला
प्रोन्नत प्रोजेक्ट	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सी का प्रथम तल, आईपीआईसीओल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर–751022 फोन : 0674–2543231 फैक्स: 0674–2541763
विदेश कार्यालय	**सिंगापुर** एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, 3 रैफल्स प्लेस, #08–01, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617 फोन : (65)65385313, फैक्स : (65)65385316 ईमेल: info@mtpl.com.sg

PURITY 92.5 GUARANTEED
शुद्धता की चमक
उत्कृष्ट कलाकारी के साथ
साँची
सिल्वर इन स्टाईल
घर ले जाएं साँची सिल्वरवेयर के विशिष्ट उत्पाद
• सजावटी वस्तुएं • उपयोगिक वस्तुएं • टेबल सहायक सामान • धार्मिक वस्तुएं •
अपने सभी चांदी के सामान की खरीदारी के लिए एमएमटीसी के दिल्ली शोरूम पर जाएं
एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
For enquiries, call our All-India Toll Free No. 1800 1800 000 (9 am to 9 pm) or visit www.mmtclimited.com
MMTC.LTD
mmtc_ltd

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
उमेश शर्मा, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi

Published by
Umesh Sharma, Director (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division

Designed by Dot Communications